लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

52 (23) 2
6. 9. 83.

(खंड 35 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 20, बुधवार, 23 मार्च, 1983/2 चैत्र, 1905 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 349, 350, ,352 353, 355,	...	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या 351, 354, 356, से 359 और 361, से369	...	22-38
अतारांकित, प्रश्न संख्या 3958 से 3994, 3996 से 4025, 4027 से 4042, 4044 से 4471, 4073 से 4125, 4127 से 4148 और 4150 से 4192	...	38-209
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	209-212
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) पूर्णिया जिला, बिहार को केन्द्रीय पूल से पटसन के और अधिक बीज की सप्लाई श्री जमीलुर्रहमान	...	213
(दो) दिल्ली में जेबकतरी की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता श्री चन्द्रपाल शैलानी	...	213-214
(तीन) उड़ीसा में पाराद्वीप पतन में एक तटरक्षक टुकड़ों की स्थापना श्रीमतीजयन्ती पटनायक	...	214

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) लखीसराय, बिहार में बैंकों की और अधिक शाखायें खोलना
श्रीमती कृष्णा साही ... 214

(पांच) बिहार में पटना के निकट जल्ला क्षेत्र के किसानों को बैंक ऋण सुविधा
श्री रामावतार शास्त्री ... 215

(छः) उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नाइट्रस आक्साइड गैस तथा आक्सीजन गैस की अनुपलब्धता
श्री हरिकेश बहादुर ... 215

(सात) बैंकों की सेवाओं में चयन की प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता
श्री एन. सेलवाराजू ... 215

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1983-84 विदेश मंत्रालय

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ... 216-259
श्री बी. आर. भगत ... 231-234
श्री पी. के. कोडियन ... 234-240
श्री सत्यनारायण राव ... 240-247
श्री चित्त बसु ... 247-251
श्री दौलत सिंह जदेजा ... 251-256
श्री जयदीप सिंह ... 257-261
श्री आर. आर. भोले ... 261-263
श्री चन्द्रजीत यादव ... 264-271
श्री दिलीपसिंह भूरिया ... 271-273
श्री एन. ई. होरो ... 273--76
श्री एम. राममोपाल रेड्डी ... 276--82
प्रो. एन. जी. रंगा ... 282
श्री के. टी. कोसलराम ... 282-286
श्रीमती जयन्ती पटनायक ... 286-291
श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 291-294
श्री ए. टी. पाटिल ... 294-297

लोक सभा

बुधवार, 23 मार्च 1983/2 चैत्र 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, डी० टी० सी० में आज हड़ताल है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो टाइम से आ गये, आज तो थोड़ी-सी ही घंटी बजी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : आज किसी तरीके से आ पाये हैं, नहीं तो आ नहीं पाते । सारी की सारी बसें बन्द हैं ।

एक माननीय सदस्य : बड़ी कठिनाई है ।

श्री राम विलास पासवान : यह तो डी० टी० सी० की हड़ताल खत्म करवाइये, या हम लोगों की बस बढ़वाइये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, तुम्हारी बस चलवा देते हैं ।

श्री फूलचन्द वर्मा : ...

श्री हरिकेश बहादुर : इस पर कोई बहस होगी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इनकी चुनी हुई असेम्बली बैठी है, मैट्रोपोलिटन काउंसिल है ।

श्री राम विलास पासवान : जब पार्लियामेंट बैठी है तो असेम्बली इसमें क्या करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह उनका काम है, आपका नहीं । आप उनके काम की अनाधिकार चेष्टा क्यों करते हैं ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के कारण हानि

*349. **श्री फूलचन्द वर्मा**†
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए 1600 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस विस्तार योजना के परिणामस्वरूप हानि हुई है;

(ग) क्या इस हानि का निर्धारण कर लिया गया था और यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या इस हानि का कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई मशीनें/संयंत्र थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार परियोजना का स्वीकृत लागत अनुमान 1600.5 करोड़ रुपये है और इस परियोजना के कार्यान्वयन का काम काफी हद तक हो चुका है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय मंत्री ने गोल-गोल उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : गोल, गोल।

श्री सतीश अग्रवाल : गोल-गोल का ट्रांस्लेशन क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : गोल-गोल का ट्रांस्लेशन है लड्डू।

श्री फूलचन्द वर्मा : जीरो।

एक माननीय सदस्य : गोल और गोल।

प्रो० मधु दण्डवते : वह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य-सभा के 7 अक्तूबर, 1982 के क्वैश्चन नं० 390 और लोक-सभा के 11 सितम्बर, 1981 के क्वैश्चन नं० 3923 के जवाब में जो बात मंत्री महोदय ने कही है, वह इससे कुछ भिन्न दिखाई दे रही है।

मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भिलाई इस्पात कारखाने में जो महा-प्रबन्धक मि० भाटिया हैं, उन्होंने इस कारखाने में जो एक्सपैंशन का काम चल रहा है, उसकी लागत में जो वृद्धि हो रही है, उसके पीछे कारण यह बताया है कि बी० एच० ई० एल० से जो 700 हार्स-पावर

की मोटर उन्होंने मंगवाई थी, वह जल गई। इसके कारण उनका आक्सीजन प्लान्ट समय पर नहीं बन सका और इस कारण लागत में वृद्धि हो गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि यह प्लान्ट कब तक पूर्ण रूपेण शुरू हो जायेगा और जिस प्रकार का कारण मि० भाटिया ने बताया है, उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मान्यवर, प्रश्न अगर आप देखें तो यह है कि :

"क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए 1600 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई थी;

यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस विस्तार योजना के परिणामस्वरूप हानि हुई है।"

इसका मैंने जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक दूसरी बात का सवाल है, यह सही है कि मेल से जो कुछ माल हमने खरीदा था, वहां पर एक्सपेंशन के लिये, उसमें कुछ डेफेक्टिव माल आया, वह माल हमने मेल को वापिस किया और मेल ने दोबारा उसको रेक्टिफाई करके हमें लगाने के लिए दिया। इसमें देरी जरूर हुई है लेकिन मुल्क के डेवलपमेंट की इस स्टेज पर इस तरह की बात का होना अनिवार्य है। मेल भी एक पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी प्लान्ट पूरा हो जाए।

आपने यह भी पूछा है कि कब पूरा होगा। मान्यवर, मेरा जवाब है :

"संशोधित विस्तार परियोजना के अनुसार 7वीं धमन भट्टी के अलावा सभी यूनिटों का काम मार्च, 1984 में चालू हो जायेगा और 7वीं धमन भट्टी परिसर का काम दिसम्बर, 1984 में पूरा होगा।"

श्री फूलचन्द वर्मा : मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि पब्लिक सेक्टर में जो काम होते हैं उसमें इस प्रकार की देरी और मूल्य-वृद्धि होनी अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि तरक्की कर रहे देश में ऐसा होता है।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा टार्गेट था उसके मुताबिक यह कारखाना मार्च-अप्रैल, 1983 में चालू होना था लेकिन इस विलम्ब के कारण इसमें इस साल की देरी हो गई है। आपके कथनानुसार अब यह कारखाना मार्च, 1984 में चालू होगा। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मंहगाई और प्राइस इन्डैक्स बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस 1600 करोड़ की योजना पर और कितने करोड़ लग जायेंगे—इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री एन० के० पी० साल्वे : अभी तक हमारा एस्टिमेट 1600 करोड़ का ही है। 28 फरवरी तक हमने उस पर 1151.05 करोड़ खर्च किए हैं और 1600 करोड़ में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यह सही है कि जो विलम्ब हो गया है, उसकी वजह से 1.05 मिलियन टन प्रोडक्शन का लास हो गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की उन्नति का यह भी मापदण्ड होता है कि देश में इस्पात की कितनी खपत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात को बताएगी कि जो यह अनुमान है कि 2000 ई० तक देश में इस्पात की आपूर्ति और खपत के बीच 13.4 मिलियन टन की कमी रहेगी उसकी आपूर्ति के लिए कोई अल्पकालीन योजना बनाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसमें कहां पैदा होता है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : इस सवाल से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री एस० टी० कादरी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तार योजना का उल्लेख किया है और प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि 700 अश्व शक्ति की मोटर के जल जाने के कारण उत्पादन को नुकसान हुआ था। महोदय, जब योजना पूरी ही नहीं हुई है तो मोटर के जल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या चालू संयंत्रों की मोटर के जल जाने का कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है अथवा मेल द्वारा सप्लाई किए गए उपकरणों के फेल हो जाने के कारण परीक्षण उत्पादन में यह घाटा हुआ है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने यह इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि विलम्ब का कारण मोटर का जल जाना है। मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि मेल से मंगाए गये उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब हुआ था, इसलिए माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सी० टी० डण्डयाणि : मैं माननीय मंत्री से इस्पात के उत्पादन के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं, सरकार के स्वामित्व में तीन प्रमुख उद्योग हैं ये तीन इस्पात उद्योग निर्धारित लक्ष प्राप्त करने में असफल रहे हैं। यहां तक कि यदि आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि निर्धारित लक्ष की उपलब्धि कभी नहीं हुई है। इस तथ्य के बावजूद मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आती है कि उन्हीं फैक्ट्रियों के विस्तार पर सरकार क्यों खर्च कर रही है। यदि आप लक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो विस्तार कार्य पर धन खर्च करने की क्या जरूरत है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : सबसे पहले हमारे पास सरकारी क्षेत्र में तीन नहीं पांच समेकित इस्पात संयंत्र हैं। दूसरी बात है क्योंकि हम लक्ष प्राप्त नहीं कर पाये हैं इसलिए लक्ष प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तारकरना है और

एक बार यदि हमने ऐसा कर लिया तो इस्पात पैदा करना काफी सस्ता हो जायेगा। एक टन इस्पात के उत्पादन भी लागत का आंकलन करना इकतरफा बात होगी। नए संयंत्र लगाने की अपेक्षा वर्तमान संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना काफी सस्ता रहेगा।

श्री सी० टी० डण्डयाणि : आधुनिकीकरण का आशय बिल्कुल भिन्न है।

श्री एन० के० पी साल्वे : महोदय, मैंने अपने उत्तर में दोनों बातें कही हैं। मेरे उत्तर के दूसरे भाग में मैंने बताया है कि वर्तमान संयंत्रों का विस्तार कार्य अथवा क्षमता बढ़ाना काफी सस्ता रहेगा और इस्पात की प्रति टन कीमत घटाने का यह एक रास्ता है।

सिर पर मल उठाकर ले जाने की प्रक्रिया

*350. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मल उठाकर ले जाये जाने की अमानवीय प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए, जिसका छुआछूत के रिवाज से सीधा संबंध है, अब तक सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) इस कार्य के लिये पांचवीं तथा छठी योजनावधि में सरकार द्वारा यदि कोई विशिष्ट नियतन किया गया है तो वह कितना है;

(ग) इन लोगों के लाभ तथा उत्थान के लिये वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गई है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये गठित किये गये आयोगों/समितियों की सिफारिशों/सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान राज्य क्षेत्र के अधीन सफाई कार्यक्रम के भाग के रूप में सभी शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने में है।

तथापि गृह मंत्रालय "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना" के अधीन सीमित आवंटन में से राज्य सरकारों को बराबर की सहायता देता रहा है। योजना के अवयव हैं, नामत: (1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र और (2) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के दूसरे अवयव

के अन्तर्गत कुछ चुने हुये कस्बों में शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने के लिए राज्य सरकारों को बराबर का सहायतानुदान दिया जाता है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के दोनों अवयवों के लिये कुल आवंटन 6 करोड़ रुपये है ।

(ग) 1980 81, 1981-82 और 1982 83 (21.3.1983 तक) के दौरान शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने के लिये राज्य सरकारों को निम्नलिखित धनराशि दी गई :

वर्ष	दी गई धनराशि (रुपये लाख में)
1980-81	63.00
1981-82	131.12
1982-83	171.35

बिहार में आठ कस्बे, अर्थात् बिहार-शरीफ, पूर्णिया, चाईबासा, मधुबनी, रांची, सहरसा, देवगढ़ और डाल्टनगंज सिर पर मल उठाकर ले जाने के कार्य से मुक्त कर दिये गये हैं। बिहार में कुछ अन्य कस्बों और अन्य राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है ।

(घ) भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कोई आयोग/समितियां गठित नहीं की हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । हिन्दुस्तान की आजादी के 35 साल के बाद भी 2,968 स्माल टाउन्स के अन्दर 8 लाख सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें 3 लाख 20 हजार लोग गांधी जी के देश में मैला उठाते हैं । इससे लज्जा की और क्या बात हो सकती है? माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बिहार के आठ-नौ कस्बों का जिक्र किया है । 1982-83 में 171.35 लाख की राशि मंजूर की गई है । सरकार एशियाड में एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के उद्धार के लिये यह कितने लज्जा की बात है कि आज भी वे सिर पर मैला उठाते हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इससे कितने स्माल टाउन फैक्टिड हैं ? आपकी शार्ट या लॉग टर्म प्लानिंग क्या है और क्या आपने वर्ल्ड-बैंक-एक्ड से इसको जोड़ रखा है ? इसके अलावा आपने और क्या कुछ किया है ?

श्री निहार रंजन लस्कर : मेरे मित्र ने बताया है कि एशियाड पर लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया है । यह आंकड़े बिल्कुल गलत हैं । यह सच्चाई नहीं है । (व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह हास्यास्पद और शरारतपूर्ण वक्तव्य है ।..... (व्यवधान)

श्री निहार रंजन लस्कर : मेरे मित्र ने दूसरे भाग में जो कुछ भी कहा है। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, सिर पर मल ढोना बहुत गन्दी और घृणित बात है। इस प्रणाली को देश भर में समाप्त करना होगा। इस काम के लिए अनेक योजनायें लागू की गई हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। यहां पर छोटे और बड़े अनेक कस्बे हैं और यहां पर हमारे देश में अर्ध-शहरी इलाके भी हैं। यह एक हकीकत है कि हमारे देश में अनेक शहरी क्षेत्रों में आज भी आदमी पखाना ढोता है दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं से इस समस्या की जांच के लिये एक समिति गठित की गई थी, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसलिए इस समस्या से निबटने और इस प्रथा को किस प्रकार समाप्त करने पर विचार करने के लिए हम ने उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है। लेकिन यह उपयोगी नहीं पाया गया है। इसलिए हम अन्य तरीके आजमा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने छठी योजना में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमारे देश में वर्तमान ड्राइ लेट्रिनों को कम लागत वाली 'वाटर वोर्न लेट्रिन' में बदलना ही इसका एकमात्र रास्ता है। इस समस्या से निबटने के लिये हम ऐसा कर रहे हैं। इससे सम्बन्धित मंत्रालय निर्माण और आवास मंत्रालय है और हम एक दूसरे से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और हमने सारे देश मे चरणबद्ध तरीके से 'ड्राइ लेट्रिनों' को कम लागत वाली 'वाटर वोर्न लेट्रिन' में बदलने के लिए कुछ योजनायें बनाई हैं। यह एक साल या कुछ सालों में नहीं किया जा सकता है। यह चरणबद्ध तरीके से ही होगा। हम 'ड्राइ लेट्रिनों' को 'पिट होल लेट्रिनो' 'सेप्टिक टाइप' आदि में बदलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस काम में जरूर कुछ ज्यादा समय लगेगा। लेकिन सरकार यह चाहती है कि इस घृणित प्रथा को अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह : दूसरे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह मानवता का प्रश्न है। यह जो आपने प्लानिंग की है, यह कितनी अवधि की है ? क्या आपने इसके लिए कोई अवधि दस वर्ष की, बीस वर्ष की या सौ वर्ष की निर्धारित की है या नहीं ? आपकी यह प्लानिंग कब तक समाप्त हो जाएगी ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं और कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक अपमान है और जितनी हो सके इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि सारा सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि इसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, पांचवीं लोक सभा की एस्टीमेट्स कमेटी की 69वीं रिपोर्ट में इस प्रश्न पर कुछ रिकमण्डेशंस की गयी थीं। उनमें व्हील बेरोज प्रोवाइड करने की बात कही गयी थी। जो मैला ले जाने वाली गाड़ियां हैं, जिन्हें बेरोज कहते हैं, वह आपने राज्य सरकारों को कितनी प्रोवाइड की हैं और राज्य सरकारों से क्या आपने इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है ?

श्री निहार रंजन लस्कर : में इसका उत्तर दे चुका हूं, हमने हमारे पास आए इन सभी

सुझावों और जिस काम की समिति ने जांच की थी उन पर अमल कर लिया है। लेकिन यह सफल नहीं हुआ इसलिए हम दूसरे तरीके आजमा रहे हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है यह मानवता केखिलाफ एक अपराध है। यह सर्वाधिक हृदय विदारक और गलत प्रथा है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो सर्वहारा वर्ग के निम्नतर तबके में आते हैं। इस समस्या का दीर्घकालीन हल ड्राइ लेट्रिनों को सेनिटरी लेट्रिनों में बदलने से ही नहीं हो जायेगा बल्कि जो लोग इसमें अपनी सामाजिक आर्थिक कारणों से लगे हुए हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रथा पर विशेष ध्यान देने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्धित सूत्र के अन्तर्गत मेरे सुझाव पर वे आदेश जारी करने पर विचार करेंगे ताकि जो लोग इस अमानवीय काम को बलात करने के लिये मजबूर हैं उनके आर्थिक उत्थान को इस कार्यक्रम में विशेष प्राथमिकता दी जा सके। यह लोग सर्वाधिक कमजोर लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे यह प्रश्न नहीं उठता। यह एक सुझाव है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं यह बताना चाहता हूं कि 'ह्वील वेरोज' की सप्लाई बिल्कुल बेकार सिद्ध नहीं हुई है। अनेक कस्बों में 'ह्वील बेरोज' सप्लाई किए गए, और वर्ष 1960 में जब मैं उज्जैन म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमेन था, मैंने खुद इन्हें सप्लाई किया था और यह काफी सफल साबित हुआ तथा इसका स्वागत किया गया था। इन 'ड्राई लेट्रिनों' को 'वाटर टाइप लेट्रिनों' और 'फ्लश टाइप लेट्रिनों' में बदलने में अवश्य काफी समय लगेगा। लेकिन अब राज्य सरकारों ने विभिन्न किस्म के शौचालयों के नमूने दिए हैं और ये लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 100 से अधिक कस्बों में इनकी उपयुक्तता का अध्ययन किया जा रहा है। इसी प्रकार विश्व बैंक भी तमिलनाडु परियोजना कस्बों के लिए ऐसी ही सहायता देने पर सहमत हो गया है। मैं इस बात से पूरी तौर पर सहमत हूं कि यह एक बहुत घृणित प्रथा है और इसे समाप्त करने के लिए हमें हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम पर उनसे भी अधिक बल दिया जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अभी सिन्धिया साहब ने कहा कि यह आर्थिक प्रोग्राम है लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें आर्थिक प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। यह देश के ऊपर, आपके ऊपर और हमारे ऊपर भी कलंक है क्योंकि अभी तक आपने इसको समाप्त नहीं किया है और न ही यह खत्म हो सका है। कितनी जल्दी इस माथे के कलंक के टीके को धोया जा सकता है, क्योंकि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अपनी तीन साल की गवर्नमेन्ट में इन्होंने क्या किया है ? ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप क्यों बीच में चिल्लाते हैं ? आप तो यूथ कांग्रेस के लगते हैं।... (व्यवधान)

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कोई आयोग या समिति गठित नहीं की है। इसका मतलब है, पहले कोई समिति गठित की गई थी। वह कौन-सी समिति थी और उसकी सिफारिशों को क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया? प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज इस सदन को आश्वासन देगी कि वाइ आडंर सिर पर मैला ढोने का जो सिस्टम है, वह समाप्त हो जाये। इस सत्र में आप एक विधेयक लाइए कि जहां कहीं भी सिर पर मैला ढोया जायेगा वह एन्टी कांस्टीट्यूशन और एन्टी ह्यूमेनिटी है और इसको कोई भी मानव-जाति बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कह देंगे कि मैं इससे सहमत नहीं हूं यह बड़े शर्म की बात है, तो क्या सरकार इसके लिए जवाबदेह होगी?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आल्टरनेटिव नहीं है तो क्या होगा?

श्री राम विलास पासवान : ब्राह्मण क्यों नहीं मैला ढोता है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, महोदय, मैंने तो यही कहा है कि आप जब तक उनके लिए वैकल्पिक रोजगार का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं तब तक एक चली आ रही प्रथा को बन्द नहीं कर सकते हैं। ये लोग बेरोजगार हो जायेंगे, समस्या यही है। मुझे यह काम स्वयं करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि गांधी जी के आश्रम में और दूसरे स्थानों पर भी मैंने शौचालयों की सफाई की है।

श्री राम विलास पासवान : सिर्फ वे ही लोग मैला क्यों ढोते हैं?

श्री निहार रंजन लस्कर : महोदय, इनका विशिष्ट प्रश्न उस समिति के बारे में है जिसने इस समस्या का अध्ययन किया था। इस समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय प्रो० एन० आर० मालकानी थे और इसका नाम 'स्केवेंजिंग कन्डीसन्स इन्क्वायरी कमेटी' था, इसका गठन 1957 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1960 में पेश की थी। मूलतः यह मैला ढोने की प्रथा को रोकने का एक कार्यक्रम था। इसीलिए इसने ड्राई लेट्रिन्स और अन्य वस्तुओं का सुझाव दिया था। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह कुछ अधिक सफल नहीं रहा था। यह प्रयोग पूरी तौर से सफल नहीं रहा। इसलिए मैंने हम 'ड्राइ लेट्रिन्स' से कम लागत वाली 'वाटर शेड लेट्रिनों' या कम लागत वाली 'सेनिटरी लेट्रिनों' में बदलने की अन्य योजनायें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये योजनायें हैं, आवास मंत्रालय के पास भी कुछ योजनायें हैं।

श्री अनन्तरामलु मल्लु : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस विशेष विषय पर चर्चा में प्रधान मंत्री जी ने भाग लिया है, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इस विशेष समुदाय के लोगों के लिए कोई अन्य व्यवसाय देने के बारे में कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो आपने अब तक क्या वैकल्पिक उपाय किए हैं और भविष्य में किए जाने वाले वैकल्पिक उपाय क्या हैं? इसलिए इस विषय पर यह खेल हमारी इच्छा का ही प्रश्न नहीं है। लेकिन

सच्चाई यह है कि विकल्प का पता लगाने के लिए पिछले कई वर्षों से हमारा ध्यान इस विषय पर लगा हुआ है।

श्री निहार रंजन लस्कर : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार जैसे राज्य में कुछ कस्बों से मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गयी है, उन्होंने हमें यह भी लिखा है कि जो लोग इस प्रकार बेकार हो गए थे उन्हें भी उन्होंने वैकल्पिक रोजगार दिए हैं।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में कहीं भी और किसी भी जिले में समाप्त नहीं हुआ है।

श्री निहार रंजन लस्कर : ये कस्बे है : बिहार शरीफ, पूर्णिया, चाय बासा, मधुबनी, रांची, सहरसा देवगढ़ और डाल्टन गंज।

श्री राम विलास पासवान : अभी जो इन्होंने बिहार शरीफ और पूर्णिया आदि के बारे में कहा है, यह बिल्कुल गलत है। मैं इसको चैलेंज करता हूं। यह गलत रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय, पता करवा लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : गलत रिपोर्ट है। वह सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं?

श्री पी० सी० सेठी : यह रिपोर्ट हमें बिहार सरकार से मिली है। यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो हम फिर इसकी जांच करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : क्या बिहार में कोई सरकार है?

श्री हीरालाल आर० परमार : मैला उठाने वाले लोगों को रिजर्वेशन कोटा में गिना जाता है। कोई और जाति के लोग मैला उठाने का काम नहीं करते हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन कोटा में से मैला उठाने वालों को निकालेंगे क्या?

श्री निहार रंजन लस्कर : हम इस पर विचार करेंगे।

तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र की क्षमता का उपयोग

*352. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आरम्भ में 200 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के लिए बनाया गया था और जब संयंत्र को वर्ष 1969 में चालू किया गया तब यह बताया गया था कि उसके दोनों रिएक्टर 100 घण्टे काम करने पर 210 मेगावाट ऊर्जा पैदा करेंगे, किंतु यह लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है;

(ख) क्या यह भी सच है उक्त दोनों यूनिटों ने कभी 185 से 190 मेगावाट से अधिक

ऊर्जा पैदा नहीं की और रेडियो धर्मिता विकिरण के शोधन हेतु शोधन (लांड्री) उपकरण अक्सर खराब हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इस बात का विश्लेषण और जांच की है कि तारापुर यूनिट अपने लक्ष्य में पीछे क्यों रह गया है जबकि इस फर्म द्वारा अन्य देशों में इसी तरह के स्थापित संयंत्र पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और शोधन उपकरणों के प्रायः खराब हो जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) तारापुर परमाणु बिजली घर के प्रत्येक रिऐक्टर की निर्धारित क्षमता 210 मेगावाट रखी गयी थी तथा बिजलीघर ने अनेक अवसरों पर इस क्षमता पर काम किया था। तथापि, बिजलीघर के उपस्करों में तथा ग्रिड में कमियां रहने के कारण यह आवश्यक हो गया कि बिजलीघर के प्रचालन के दौरान विद्युत-स्तर सीमित रखा जाए। समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई अनिश्चित रहने के कारण बिजलीघर का वर्तमान विद्युत-स्तर लगभग 160 मेगावाट है।

(ग) इस बिजलीघर के कार्य-निष्पादन की तुलना अन्यत्र लगे इसी क्षमता के अन्य रिऐक्टरों के कार्य-निष्पादन से की जा सकती है। शोधन उपकरणों में कोई खराबी नहीं हुई है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बिजलीघर के उपकरों में तथा ग्रिड में कमियां रहने के कारण यह आवश्यक हो गया कि बिजलीघर के प्रचालन के दौरान विद्युत-स्तर सीमित रखा जाए। कमी को तो आपने मान लिया है और साइंस रिपोर्टर के अनुसार रेडियो धर्मिता विकिरण के कारण उस कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु के समाचार आए हैं।

यहां जो आपने जवाब दिया है उसकी आखिरी पंक्ति में यह कहा है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई अनिश्चित रहने के कारण बिजलीघर का वर्तमान विद्युत-स्तर लगभग 160 मेगावाट है। लेकिन पहली पंक्ति के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति में देरी के कारण, या न होने के कारण ही विद्युत-स्तर 160 मेगावाट नहीं बल्कि कमी के कारण उपस्करों, कारखाने और ग्रिड में कमी रहने के कारण ही विद्युत-स्तर इतना नीचे है। तो क्या इन कमियों को दूर करने का कोई उपाय आपने सोचा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमने इन कमियों का अध्ययन करके दूर करने का प्रयास किया है और वह प्रयास जारी है। यह जो रेनरिच्ड यूरेनियम इस प्लान्ट के लिए बहुत जरूरी है वह लाने की और उसकी क्षमता बढ़ाने की हमारी तरफ से कोशिश जारी है। जो ग्रिड में डिफेक्ट आ गए थे उसमें कुछ कमियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की है और दूसरी चीजों को भी ठीक करने की हमने कोशिश की है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आपने समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति के अनिश्चित रहने की बात कही है। अभी हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मितरां आए थे और उनसे आपका कोई समझौता हुआ था समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति के लिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस आपूर्ति में इतनी देर क्यों हो रही है ? इसकी आपूर्ति की पहली खेप देश में कब पहुंची थी ? यह देर क्या इसलिए तो नहीं हो रही है कि फ्यूअल रिप्रोसेसिंग के सवाल पर कोई स्नैग तो नहीं हुआ, या समझौता में कोई कठिनाई हो रही है ? इसके कारण यह देर हो रही है। क्या आप यह अवगत करायेंगे कि पहली खेप कब आएगी और इसमें देर क्यों हो रही है ? क्या ईंधन की रिप्रोसेसिंग को लेकर समझौते में कोई भाग रह गया था ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : फ्रांस के साथ बातचीत हुयी है और उनके साथ समझौता हुआ है, कान्ट्रेक्ट हुआ है, उस पर सिग्नेचर भी हुए हैं। जल्दी से जल्दी एनरिच्ड यूरेनियम हमको मिल सकता है और उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। प्रोडेक्शन का काम चालू है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने रिप्रोसेसिंग के बारे में पूछा था कि उसके बारे में कोई स्नैग तो नहीं रह गया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने आपको बताया है कि फ्रांस के साथ समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रि-प्रोसेसिंग के संबंध में उसमें कोई स्नैग नहीं आया है और एन-रिच्ड यूरेनियम हमको मिलने जा रहा है।

श्री सत्य नारायण जटिया : देश में जितने परमाणु बिजली घर हैं, उनमें क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने के कारण हमें ऊर्जा का संकट समय-समय पर भुगतना पड़ता है। बार-बार यह बताया गया है कि रेडियो धर्मी तत्वों के अभाव के कारण यह संकट आता है। क्या इस प्रकार के वैकल्पिक स्वदेशी स्रोत जो कि रेडियो धर्मी हो सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करके उनके माध्यम से हम अटोमिक पावर स्टेशन चलाने के बारे में कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह कहना थोड़ा-सा गलत होगा कि सिर्फ रेडियो एक्टिव फ्यूल न मिलने की वजह से यह हो रहा है। हमारा जो तारापुर का बिजलीघर है, वह एन-रिच्ड यूरेनियम पर चलता है, मगर जो दूसरे विद्युत निर्माण करने वाले हमारे अटोमिक पावर स्टेशन हैं, उनमें एन-रिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है; नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। हमने अपने देश में जो प्लान्ट बनाए हैं, उनमें एन-रिच्ड यूरेनियम से बिजली बनाने का हमारा प्रयास नहीं है, बल्कि नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाने का प्रोग्राम है। हमने ऐसे प्लान्ट लगाए भी हैं जैसे कोटा में लगाया है। उस प्रकार के प्रयत्नों की वजह से आगे चलकर केवल फ्यूल न मिलने की वजह से हमें कोई तकलीफ होगी, ऐसा नहीं लगता है।

श्री ईरा अनाबारासु : मुझे बताया गया था कि मेरे चुनाव क्षेत्र के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना, हालांकि 1965 में शुरू हो गयी थी, लेकिन उसमें उत्पादन अभी तक

शुरू नहीं हुआ है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कलपक्कम परियोजना के लिए भारी जल की जरूरत को भारत सरकार कैसे पूरा कर रही है, इसके लिए भारी जल का आयात किया जा रहा है अथवा देश के निजी स्रोतों से ही इसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : रिएक्टर शुरू करने का काम चल रहा है। इसकी अभी जांच की जानी शेष है तथा और भी अन्य कुछ काम होने शेष हैं। जहां तक भारी जल का सम्बन्ध है हम इसे विदेशों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसका यहां भी उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसका दर्जा बढ़ाकर इसे शुरू करने का प्रयास भी कर रहे हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है, जितना दिखायी दे रहा है। किसी समय तारापुर परमाणु बिजलीघर की स्थापना डा० भामा द्वारा यह सिद्ध करने के लिए की गयी थी कि परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और अन्य कामों में भी इसका उपयोग हो सकता है। उस समय यह प्रचार जोरों पर था कि यह सब कुछ बेकार है। अतः वे यह दिखाना चाहते थे कि वे ऐसा कर सकते हैं। अब, जबकि क्षमता के उपयोग में कमी हो रही है, इस बात की हमेशा आशंका बनी रहती है कि जिन ईंधन-सलाखों का बेटा उपयोग किया जा रहा है, उन्हें समय से पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है, जिसका अर्थ हुआ कि आप 'फिसाइल प्लुटोनियम' का उत्पादन कर रहे हैं। इस बात की भी आशंका पैदा होती है कि आप बम जमा कर रहे हैं। मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में इस बात की भारी चर्चा है कि भारत सरकार गुप्त रूप से तारापुर संयंत्र में बमों का उत्पादन करने हेतु, 'फिसाइल प्लुटोनियम' का भंडार जमा कर रही है और इसलिए विद्युत उत्पादन घट गया है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि इसमें कोई सच्चाई है। परमाणु और ऊर्जा से सम्बन्धित हमारी नीति की पूरे संसार में भली-भांति घोषणा की जा चुकी है। हम परमाणु और परमाणु-ऊर्जा के शान्तिपूर्वक उपयोग में विश्वास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी इतने भोले नहीं हैं, जितने दिखायी देते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, महोदय, मुद्दा यह है कि बिजली का उत्पादन घट गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। जब अमेरिका से हमें यूरेनियम और भारी जल प्राप्त नहीं हो रहा है···

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न संख्या 353 पूछें।

श्री रतनसिंह राजदा : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने सोचा कि मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं अगला प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ूं।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं यहां भली-भांति उपस्थित हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक हल्की सी धमकी है।

श्री रतनसिंह राजदा : क्या मैं पूछ सकता हूं···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 353।

कोका-कोला निर्यात निगम का बन्द किया जाना

*353. श्री रतनसिंह राजदा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका-कोला निर्यात निगम ने अपना कार्य भारत में कब से बन्द किया है;

(ख) क्या इस कम्पनी का समापन हो चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि यह कम्पनी अपने कार्य के पुनः आरम्भ होने की संभावना की तलाश में समापन कार्य में देरी बरत रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 अप्रैल, 1977 को एक आदेश जारी किया जिसमें कोका कोला एक्सपोर्ट निगम को आदेश दिया गया था कि वह स्वयं को एक भारतीय कम्पनी के रूप में परिवर्तित करे जिसमें अनिवासी भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक न हो। कम्पनी के लिए इस आदेश का पालन आदेश प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् 5 मई, 1978 तक किया जाना आवश्यक था। कम्पनी के कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किए थे जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे। तब कम्पनी ने रिजर्व बैंक को सूचित किया था कि यह भारत में विनिर्माण सम्बन्धी कोई कारोबार नहीं करेगी।

2. भारतीय रिजर्व बैंक को केवल कारोबार बन्द करने के ही उद्देश्यों के लिए 31 मार्च, 1979 तक कम्पनी को भारत में अपना कार्यालय बनाए रखने की अनुमति दे दी और साथ ही अन्य बातों के अलावा यह शर्त भी रखी कि उक्त कम्पनी का भारत स्थित कार्यालय स्वयं या साझेदारी में अथवा किसी अन्य प्रकार से अन्यों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार का व्यापारिक,

वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कार्य नहीं करेगा। इस कम्पनी को अपना कार्यालय बन्द करने के लिए दी गई अवधि को भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बढ़ाता रहा है, आखिरी बार यह अवधि 30 सितम्बर, 1983 तक बढ़ाई गई है। बहुत सी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं तथा इस प्रकार के समापन कार्य से सम्बन्धित आवश्यकताओं को देखते हुए यह अवधि बढ़ायी जाती रही है।

श्री रतनसिंह राजदा : मंत्री जी ने अपने अत्याधिक लम्बे उत्तर में यह बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोका-कोला आदि के मामले में समय की मियाद बढ़ाई है। पूरा देश जानता है कि कोका-कोला अमेरिका से केवल 7 लाख रुपये की पूंजी के साथ आया था और वह अब तक 7 करोड़ रुपये अमेरिका वापिस भेज चुका है। हालांकि उन्हें अपना काम बन्द करने को कह दिया गया था, तो भी समय-समय पर उनकी मियाद बढ़ायी जाती रही तथा अंत में इस चेतावनी के साथ उनकी मियाद बढ़ायी गयी है कि उसके बाद अब और मियाद बढ़ायी नहीं जाएगी और शीघ्र ही वे समापन कार्यवाही पूरी कर लें। इसके बावजूद किसी न किसी बहाने से उनकी मियाद बढ़ाई जा रही है। जब वे अपना काम यहां खतम कर चुके हैं तो यहां लगातार टिके रहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है ?

श्री वीरभद्र सिंह : सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि समापन की कार्यवाही पूरी करने के लिए कोका-कोला के मामले में बार-बार मियाद बढ़ाने की बात कोई असमान्य नहीं है। पहले भी हमने ऐसी विदेशी कम्पनियों के मामले में मियादें बढ़ाई थीं, जिन्होंने इस देश में अपना कारोबार समाप्त किया था। इस प्रकार की 14 कम्पनियां हैं। छः तो अपने समापन की कार्यवाही पूरी कर चुकी हैं तथा आठ कम्पनियां अभी इस कार्यवाही में रत हैं। जब वे कम्पनियां मियाद बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हैं, सामान्यता उन्हें इसकी अनुमति प्रदान कर दी जाती है। उसमें मामले के गुणावगुणों पर विचार किया जाता है। जहां तक कम्पनी द्वारा बताए गए कारणों का सम्बन्ध है, वे कहते हैं कि अभी उन्होंने अपने समापन की कार्यवाही पूरी नहीं की है। हमने उन्हें यह अनुमति रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समापन की कार्यवाही पूरी करने के सम्बन्ध में हमें समय-समय पर रिपोर्ट भेजते रहें। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि उनके कुछ मामले अदालतों में विचाराधीन हैं, आय-कर निर्धारण के मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की है। कुछ मामलों में आयकर न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने भी अपील दायर की है। वास्तव में यह प्रश्न वित्त मन्त्रालय को सम्बोधित होना चाहिए था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर रहा है। इस कम्पनी को सरकार की भारी धनराशि चुकानी है। इस समय यह अनुमान लगाया गया है कि इस कंपनी ने सरकार को करों आदि की 32,47,431 रुपये की धनराशि चुकानी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सभी अन्य लम्बित निर्धारणों के पूरा कर लिए जाने के बाद करों आदि के बकाया के रूप में कंपनी को सरकार को 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान करना होगा। अतः कम्पनी को मियाद बढ़ाने की अनुमति देना सरकार के हित में है।

श्री रतनसिंह राजदा : माननीय मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल असन्तोषजनक है, क्योंकि कम्पनी समापन की कार्यवाही में पूरे 7 साल लगा चुकी है और अब भी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। किसी तरह की मुकदमेबाजी के निपटारे में भी 7 साल से अधिक नहीं लगना चाहिए। यदि उन्हें 1 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान करना है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, तो भारत में उनकी सम्पत्ति मौजूद है। फरीदाबाद में उनकी अपनी फैक्ट्री है और मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या फैक्ट्री में काम हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वहां कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि फरीदाबाद फैक्ट्री की भारत में परिसम्पत्ति आदि है और यह सरकार का बकाया चुकाने के लिए काफी है। तब फिर वह अंतिम समयावधि क्या होगी, जब तक वे अपना कार्य पूर्णत: समाप्त कर लेंगे ?

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, सबसे पहले इस समय यह बताना बड़ा मुश्किल काम है कि उन्हें कब तक समय और दिया जाएगा और वे अपने समापन की कार्यवाही पूरी कर लेंगे। **(व्यवधान)**

मैं बताता हूं कि समयावधि बढ़ाने के लिए उन्होंने किन कारणों का उल्लेख किया है तथा इस सम्बन्ध में अब तक उन्होंने क्या प्रगति की है।

हांलाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें इस बात की अनुमति प्रदान कर दी थी कि वे बलसाड स्थित अपने 'फ्रूट-प्रोसेसिंग प्लान्ट' को मैसर्स फूड्स एन्ड इन्स लिमिटेड, बंबई को बेच सकते हैं, लेकिन कम्पनी ने बिक्री मूल्य के बारे में इस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा है। अन्य परिसम्पत्तियों का बिक्री मूल्य भी शनैः शनैः प्रभावित हो रहा है, वर्ष 1981-82 का बिक्री निर्धारण प्राधिकारियों के पास विचाराधीन है। कुछ मामलों में आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली के निर्णय के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं।

कम्पनी द्वारा निर्धारण आदेशों के विरुद्ध कुछ अपीलें अभी आयकर आयुक्त (अपील) के यहां विचाराधीन हैं तथा पिछले वर्षों के आयकर से संबन्धित पूरे किये गए निर्धारणों को पुनः खोलने को चुनौती देने संबन्धी रिट-याचिकाएं भी दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

ये उन कारणों में से कुछ कारण हैं, जो मियाद बढ़ाने के लिए कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं।

जहां तक बकाया का सवाल है, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि कंपनी के दिल्ली के बैंक के खाते को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : निर्धारण वर्ष 1970-71 से संबन्धित कर की बकाया धनराशि 32,47,43 रुपये है। सिटी बैंक, पार्लिमामेन्ट स्ट्रीट में कंपनी के बैंक खाते में 3.26 करोड़ रुपये जमा हैं।

न्यायालय के निर्देशानुसार कंपनी के खाते में से 32,47,43 रुपये की धनराशि जब्त कर ली गई है। कंपनी संबन्धित आयकर अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई धनराशि अमेरिका नहीं भेज सकती। अतः आप यह देखेंगे कि सरकार की बकाया धनराशि को पूर्णतः सुरक्षित कर लिया गया है।

श्री रतनसिंह राजदा : फरीदाबाद फैक्ट्री के बारे में क्या विचार है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं नहीं जानता कि उद्योग मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी क्यों ली है। क्या उद्योग मंत्रालय इसका प्रशासनिक मंत्रालय है ? महोदय, यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का अत्याधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध है, जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने के सशर्त समयावधि निर्धारित की गई है। वित्त मंत्रालय ही संबन्धित मंत्रालय है। महोदय, मार्ग-दर्शी सिद्धान्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। वे सभी मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। मैं नहीं जानता कि उद्योग मन्त्रालय ने इसमें क्यों रुचि ली है। संभवतः इस देश में इसे अत्याधिक महत्वपूर्ण उद्योग समझा गया है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। यदि अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो व्यापार निषेध व्यापार बन जाता है वे कोई लेन-देन नहीं कर सकते हैं। यदि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मियाद बढ़ाने का क्या सिद्धान्त है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। वसूली के प्रयोजन से उनकी परिसंपत्ति यहां उपलब्ध है। परिसंपत्ति और निर्धारणीय नहीं बन जाती। यदि मियाद बढ़ा दी जाती है, तो वे यहां इसी देश में मौजूद होंगे, आप आसानी से उनसे बकाया वसूल कर सकते हैं। ऐसी लेन-देन के लिए अनुमति देकर, जिस पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है, आप विधि, विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इस कंपनी को क्यों जिन्दा रखे हुए हैं ? अतः मैं जानना चाहता हूं, कि इसके पीछे क्या मकसद है।

श्री वीरभद्र सिंह : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से इस बात पर पूर्ण सहमत हूं कि यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उद्योग मन्त्रालय को सम्बोधित था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई आपत्ति है ? (व्यवधान)

श्री वीरभद्र सिंह : उन्हें दिल्ली में अपना कार्यालय केवल इसलिए बनाए रखने की अनुमति दी गई है, ताकि वे अपने कामकाज के समापन की कार्यवाही पूरी कर लें।

अध्यक्ष महोदय : सर्व श्री रामप्रसाद अहिरवार और अटल बिहारी वाजपेयी उपस्थित नहीं हैं।

कारों के मूल्य में वृद्धि

*355. श्री के० लक्कप्पा†
श्री गुलशेर अहमद } : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय कारों के मूल्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं और इस वृद्धि का क्या औचित्य है;

(ग) असाधारण रूप से अधिक मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि असाधारण रूप से अधिक मूल्यों के बावजूद भारतीय कारों के कुछ 'मेक' पर कालाबाजारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली में अम्बेसडर और प्रीमियर कारों की शो-रूम से निकलते समय की कीमतों में 1-4-1980 से लगभग 20,000—20,000 रुपये की वृद्धि हुई है।

(ख) निर्माताओं ने बताया है कि सरकारी लेवियों में वृद्धियों के अलावा कच्चे माल, हिस्से पुर्जों और अन्य अन्तंवस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने मूल्यों को नियंत्रण में रखने और मूल्य वृद्धि न करने की आवश्यकता के बारे में निर्माताओं पर बल दिया है। उद्योग के साथ सरकार की बातचीत के परिणामस्वरूप, प्रीमियर पद्मनी कार के मूल्य में अभी हाल ही में हुई वृद्धि को छोड़कर पिछले डेढ़ वर्ष में मूल्य स्थिर रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) निर्माताओं ने बताया है कि किसी भी इच्छुक खरीददार के लिए अधिकृत मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

श्री के० लक्कप्पा : सरकार का उत्तर यह है।

"(क) दिल्ली में अम्बेसडर और प्रीमियर कारों की शो-रूम से निकलते समय की कीमतों में 1-4-1980 से लगभग 20,000—20,000 रुपये की वृद्धि हुई है।"

गत पांच वर्षों से प्रीमियर कार की मूल्य-वृद्धि, घटिया किस्म संबंधी शिकायतें उठ रही हैं। यह शिकायत है कि प्रीमियर आटोमोबाइल इण्डस्ट्री, जो कारें बनाती है, की हालत बिगड़

रही है। विज्ञान के इस युग में आधुनिकतम मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, डिजाइन तथा अन्य बातों के बारे में उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समय-समय पर अनेक समितियों का गठन हुआ है। डी० आई० सी० पी० ने भी उनके मूल्य ढांचे को अस्वीकार कर दिया है।

सरकार के उत्तर में यह कहा गया है :

"सरकार ने मूल्यों को नियंत्रण में रखने और मूल्य वृद्धि न करने की आवश्यकता के बारे में निर्माताओं पर बल दिया है। उद्योग के साथ सरकार को बातचीत के परिणामस्वरूप....."

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बड़े उद्योगपतियों के साथ कोई दोस्ताना बातचीत हुई है अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति गम्भीर है कि मूल्य-ढांचा सरकार के निर्देशानुसार ही है ? केन्द्र सरकार द्वारा इन कारों के मूल्य-ढांचे और गुणता-पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन रिपोर्टों के क्या निष्कर्ष रहे तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? कृपया आप मुझे उस बातचीत के बारे में कुछ बताएं, जो आपने निर्माताओं के साथ की है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि मूल्यों में कमी हो तथा किस्म में सुधार हो।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : अगस्त, 1981 में जैसे ही मैंने उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला था, मैंने आटोमोबाइल के सभी निर्माताओं को इसी मामले पर बातचीत करने के लिए बुलाया था। मैंने उन्हें साफ-साफ कह दिया था कि कारों के मनमाने ढंग से बढ़ाए गए मूल्य सरकार को स्वीकार नहीं होंगे। केवल राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए राजस्व संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को ही स्वीकार किया जा सकता है। माननीय सदस्य देखेंगे कि उसके परिणामस्वरूप पद्मिनी कार के मामले को छोड़ कर, जिसकी कीमत में 3,000/- रुपये की हाल में वृद्धि हुई है और जिसके लिए निर्माताओं ने बताया है कि यह वृद्धि उत्पादन शुल्क, बिक्री कर तथा परिवहन प्रभारों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई है, किसी अन्य कार की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

कारों के मूल्यों पर हमारा कोई मूल्य-नियंत्रण नहीं है।

निर्माताओं ने यह महसूस किया है कि उनको नए माडल तैयार करने चाहिएं। हम भी चाहते हैं कि वे आधुनिकीकरण करें।

अब हमें सूचित किया गया है कि हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमियर आटोमोबाइल्स कारों के नये माडल तैयार करने के उपाय कर रहे हैं। अतः हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रीमियर आटोमोबाइल्स और हिन्दुस्तान मोटर्स के वर्तमान माडलों के स्थान पर नये डिजाइन और बेहतर किस्म की कार मिल सके। हम यह भी भरपूर कोशिश करेंगे कि मूल्य स्तर को बनाए रखा जाए और यदि संभव हो तो उसे नीचे लाया जाये।

श्री के० लकप्पा : हमें दिये गये उत्तर के अनुसार पता चलता है कि आटोमोबाइल उद्योग के साथ सरकार की हुई बातचीत के बावजूद कारों की सप्लाई ऊंचे मूल्य पर की जा रही है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बातचीत का क्या प्रभाव पड़ा और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुये। उन्होंने बातचीत के बाद भी मूल्य में कमी नहीं की। उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के मारुती उद्योग द्वारा अधिक संख्या में कारों का उत्पादन किया जायेगा ताकि देश में सस्ती कारें उपलब्ध हों तथा देश की जनता उसका उपयोग कर सकें ? क्या वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कारों का उत्पादन बनाए रखा जाये और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अधिक संख्या में कारों का उत्पादन करे जिससे मूल्य कम हो जाये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने हमें बताया है कि उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, परिवहन भार और अन्य आदानों में हुई वृद्धि के कारण कार का मूल्य बढ़ गया है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो इन मामलों को देखता है और मूल्यों के सभी भागों पर विचार करने के बाद हमें अपनी सिफारिशें देता है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर ही हम मूल्य नियंत्रण जैसे उपायों पर विचार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह सच है कि कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है परन्तु सीधे निदेशात्मक विचार-विमर्श तथा बातचीत का उद्योग पर प्रभाव पड़ता है।

श्री के० लकप्पा : मारुति उद्योग में कितना उद्योग होगा ? मेरे प्रश्न के बाद के भाग का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें उत्पादन अभी शुरू होना है।

श्री के० लकप्पा : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सार्वजनिक उपक्रम है तथा इसमें कारों का उत्पादन अवश्य होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वे उत्पादन करेंगे।

श्री के० लकप्पा : परंतु, महोदय, मंत्री महोदय को प्रश्न के उस भाग का उत्तर भी देना चाहिये। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : संरक्षण या उत्पादन।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मारुति उद्योग के संबंध में मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य तथ्यों से भली भांति परिचित हैं। हमारा प्रयास यह रहा है कि ईंधन-दक्ष कारों का निर्माण होना चाहिये। हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक इन कारों का उत्पादन शुरू हो जायेगा। मूल्य स्तर ऐसा रखा जायेगा जो आम जनता के लिये सन्तोषजनक होगा।

श्री गुलशेर अहमद : क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने वर्ष 1981

में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें बताया है कि ये दोनों कंपनियां 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का भारी मुनाफा कमा रही हैं। कार निर्माताओं के साथ आपकी बातचीत के बावजूद प्रीमियर पद्मिनी और एम्बेसडर जैसी कारों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जून 1980 में प्रीमियर पद्मिनी का मूल्य 35,064 रुपये और एम्बेसडर कार का मूल्य 35,862 रुपये था। परन्तु सितम्बर 1981 तक प्रीमियर पद्मिनी और एम्बेसडर कारों का मूल्य क्रमशः 69,000 रुपये और 73,000 रुपये तक बढ़ गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि दोनों कार निर्माता कंपनियों के साथ आपकी बातचीत और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट के बावजूद जून, 1980 से सितम्बर 1981 तक की 15 महीने की अवधि में मूल्यों में इतनी वृद्धि कैसे हो गई ? पन्द्रह महीने की अवधि में मूल्य दुगना हो गया है। इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इनका उत्तर मेरे माननीय सहयोगी द्वारा पहले ही दिया जा चुका है कि विगत वर्षों के दौरान एम्बेसडर और प्रीमियर कारों का शो-रूम मूल्य में लगभग 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है।

जहां तक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट का सम्बन्ध है माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही नहीं है।

रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है।

श्री गुलशेर अहमद : मैंने ये आंकड़े सदन में दिये गये उत्तर में से उद्धृत किये हैं। जून 1980 में मूल्य था 35,000 रुपये जो सितम्बर, 1981 में मूल्य 69,000 रुपये हो गया। पन्द्रह महीने में मूल्य दुगना हो गया। इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदास शास्त्री : हम तो मंत्री महोदय की काबलियत और उनकी शान को ऊंचा करने के लिये समझते थे कि वह हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन इस जवाब से ऐसा लगता है कि यह कार वालों के प्रतिनिधि हैं और उनको इतना प्रोटेक्शन देना, जबकि देश में कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक नहीं। देश की भावनाओं को समझे बिना मंत्री जी इस तरह से जवाब देंगे तो पता चलता है कि बिग हाउसेज को क्यों प्रोटेक्शन दिया जाता है। जब आप स्टैन्डर्ड चैक नहीं कर सकते, उसकी क्षमता पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कीमतें बढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्य धर्मदास जी हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप इनसे आनाकानी नहीं कर सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उन्होंने कहा कि मैं कार वालों का प्रतिनिधि हूं। जैसे कि वह कार में बैठने वालों के प्रतिनिधि हैं, मैं भी कार में बैठने वालों का उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि हूं। मैंने प्रथम कार्य यह किया···

अध्यक्ष महोदय : मैं तो खेत की मेढ़ पर चलने वालों का प्रतिनिधि हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हम सभी हैं, यह ठीक है । मैं यह कह रहा था कि जो कार बनाने वालों की बैठक अगस्त में हुई उसके बाद केवल अभी हाल में पद्मनी वालों ने ही अकेले कीमत 3,000 रुपये बढ़ायी । उसके बीच में नहीं बढ़ी । जो पहली कीमत बढ़ी उसका पूरा स्पष्टीकरण बी० आई० सी० पी० को दिया जिसका उसने परीक्षण किया, वह हमारे सामने है । यह बात सही है कि···

अध्यक्ष महोदय : दूसरों पर आपको विश्वास है पूरा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : दूसरों पर विश्वास करना पड़ता है ।

श्री धर्मदास शास्त्री : जब उनकी एफीशियेंसी पर कंट्रोल नहीं है तो कीमत कैसे बढ़ाने की इजाजत दी जाती है ? अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर आधा घंटे की बहस होनी चाहिये क्योंकि यह बुनियादी सवाल है । मंत्री महोदय बड़े-बड़े लोगों का संरक्षण करते हैं और छोटे लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिये ।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि उन्होंने कार निर्माताओं के साथ नवीनतम डिजाइन और कार के नये माडलों के बारे में विचार-विमर्श किया है । क्या उन्हें उनसे कोई आश्वासन मिला है कि कारों की सप्लाई कम लागत या कम मूल्य पर की जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : वे कुछ वित्तीय रियायतों की मांग कर रहे हैं । उनका कहना है कि यदि उन्हें वित्तीय रियायतें दी गईं तो वे नये युग के लिए अधिक न्यायसंगत मूल्य निर्धारित करेंगे ।

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सुजुकी द्वारा मारुति लिमिटेड के सहयोग से 20,000 कारों का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे आयात का विवरण क्या है और इससे हमारे देश में कारों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं 20,000 कारों के ऐसे किसी आयात के बारे में नहीं जानता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हैवी वाटर प्रोजेक्ट स्थापित करना

*351. **श्री बापूसाहिब परुलेकर**
श्री रवीन्द्र वर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में परमाण ऊर्जा के विकास के लिए हैवी वाटर प्रोजेक्ट स्थापित करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन चालू भारी पानी संयंत्रों और दो उन भारी पानी संयंत्रों के अलावा जिन्हें चालू करने की कार्रवाई चल रही है, दो और भारी पानी संयंत्र भी महाराष्ट्र के थाल नामक स्थान पर और आंध्र प्रदेश के मानुगुरु नामक स्थान पर लगाए जा रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजली घर लगाने का लक्ष्य रखा है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई परमाणु बिजली परियोजनाएं, भारी पानी परियोजनाएं तथा अन्य सहायक सुविधाएं लगाने की योजना है ।

संविधान संशोधन अधिनियम को जम्मू और कश्मीर में लागू करना

*354. **श्री रामप्रसाद अहिरवार**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 और संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम 1978, जो जम्मू और काश्मीर राज्य में लागू होना है, के संगत उपबन्धों को लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार से बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संविधान संशोधनों को लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार कब तक सहमत हो जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) उल्लिखित संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 और संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 के अतिरिक्त संविधान (45वां संशोधन) अधिनियम 1980 और संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम 1982 जिसको हाल ही में 3 फरवरी, 1983 को राष्ट्रपति द्वारा हाल में स्वीकृति दी गई थी, जम्मू और कश्मीर राज्य में भी एक साथ लागू

करने का प्रस्ताव है । तदनुसार इस प्रस्ताव की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है और नीति तथा अन्य अंतर्ग्रस्त विवादों के तय किये जाने के बाद राज्य सरकार से उनकी सहमति के लिए औपचारिक प्रस्ताव किया जायेगा ।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए नई नीति और कार्य नीति

*356. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जन-जातियों के आर्थिक उत्थान तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई नई नीति और कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन नीतियों और कार्य नीतियों को सरकार द्वारा कब से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) क्या नई नीतियों और कार्यनीतियों के आधार पर योजना आयोग ने सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों तथा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो आदिवासी उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना के लिए राशि निर्धारित करने के लिए उन्हें क्या मानदंड बताए गए हैं; और

(च) किन मंत्रालयों/विभागों ने नीतियां और कार्य नीतियां अपनाने से लेकर अब तक धनराशि की मात्रा निर्धारित की है ?

गृह मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जनजातीय विकास के लिए नई कार्यनीति जनजातीय उपयोजना की कार्य नीति है । इस कार्यनीति की मुख्य बातें बहुसंख्यक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले खण्ड अथवा तालुकों जैसी प्रशासनिक इकाईयों का पता लगाना, उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करना, ऐसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों का एकत्रीकरण करना और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उचित प्रशासनिक रूपरेखा तैयार करना है । सामान्य नीति है कि अनुसूचित जनजातीय संख्या के निश्चित समाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा, उनका शोषण से संरक्षण और उपयोजना क्षेत्र का विकास किया जाए ।

(ग) नई कार्यनीति पांचवीं योजना अवधि के आरंभ से कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

(ङ) योजना आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक और

पंचवर्षीय योजनाओं से विशेष कम्पोनेंट योजना के लिए सामान्यत: राज्य की कुल जनसंख्या में इन दो समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में, क्षेत्र के बिछड़ेपन और कार्यक्रमों की अनुरूपता में निधियों की मात्रा निर्धारित करना है। उपयुक्त कार्यक्रम बनाने, चालू कार्यक्रमों में परिवर्तन करने और राज्य के बजटों में उपयुक्त रूप से निर्धारित की गई मात्रा के प्रावधानों को दिखाने का भी सुझाव दिया गया है।

(च) निम्नलिखित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए निधियों की मात्रा निर्धारित की है;

(1) कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय।

(2) नागरिक आपूर्ति मंत्रालय।

(3) वाणिज्य मन्त्रालय।

(4) संचार मन्त्रालय।

(5) शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय।

(6) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय।

(7) औद्योगिक विकास मन्त्रालय।

(8) नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय।

(9) सिंचाई मन्त्रालय।

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना

*357. श्री बी० वी० देसाई
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला बिवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में छः संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का अनुमोदन किया है, जिसमें लगभग 14 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश होगा;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसी परियोजनायें स्थापित की जायेंगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये परियोजनायें शत-प्रतिशत निर्यात एकक होंगी;

(ङ) इन परियोजनाओं में किन देशों द्वारा निवेश किया जाएगा और इन परियोजनाओं में किन वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा; और

(च) ये संयुक्त उद्यम परियोजनायें कब से कार्य करना आरंभ कर देंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) अक्तूबर-दिसम्बर, 1982 की अवधि में सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख 10 परियोजनाओं को जिनमें विदेशी इक्विटी भागीदारी निहित थी, स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में कुल 14.17 करोड़ रुपये की इक्विटी की परिकल्पना की गई है।

(च) ये परियोजनाएं क्रियान्विति य विभिन्न स्तरों पर होगी। एक समान सभापत्र सूची तैयार करना कठिन है।

क्र० सं	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	देश का नाम	उत्पादन की वस्तु	स्थापना-स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	मैं० रोहतक एण्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (प्रा०) लि० लखनऊ	मैं० पैनी रेडिएटरी वेरोना	इटली	रेडिएटर तथा हीट एक्सचेंजर	वेंगलपुट्ट, तमिलनाडु
2.	मैसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, चण्डीगढ़	मैसर्स बेलेस्ट्रा एस० पी० ए०, मिलानों	इटली	चोकर का तेल (फरफेराल)	गुरदासपुर, पंजाब
3.	श्री एस० पी० गुप्ता, नई दिल्ली	मैसर्स सिद्दीक प्रोड्क्सन्स, कुवैत	कुवैत	ध्वनि और संगीत की रिकार्डिंग के लिए	बम्बई (महाराष्ट्र)
4.	श्री के० आर० एन० मेनन, मद्रास	तकनीकी मैसर्स फ्रांस एक्वाकलचर तथा मैसर्स एल्वाटेक,	फ्रांस	झींगा मछली की अभिवृद्धि, झींगा मछली के अंडों (सीड्स) को निर्यात करना	जिला कारवार कर्नाटक
5.	मैसर्स एल० वी० आर० एण्ड डोंग इन स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास	मैसर्स डोंग इन स्टोन इण्डस्ट्रियल कम्पनी	कोरिया	पत्थर उत्पाद	तमिलनाडु
6.	मैसर्स डेल्टा हेमलिन लिमिटेड, नई दिल्ली	मैसर्स हेमलिन इंक संयुक्त राज्य अमेरीका	संयुक्त राज्य अमेरीका	रिले तथा रीड स्विचें	संघशासित प्रदेश, चंडीगढ़

1	2	3	4	5	6
7.	मैसर्स मेगनेटिक इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी इण्डिया, चंडीगढ़	मैसर्स मेगनेटिक इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी	संयुक्त राज्य अमेरिका	संगणकों (कम्प्यूटर) के लिए मेगनेटिक हैड्स	रोपड़, पंजाब
8.	मैसर्स क्लेरियन फिशरीज (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर	मैसर्स जापान इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	जापान	मत्स्य खाद्य, मत्स्य तेल आदि	उडिपी, जिला कर्नाटक
9.	श्री प्रेम कुमार, गाजियाबाद (उ० प्र०)	मैसर्स टंडन एसोसिएट्स इंक०, यू० एस० ए०	संयुक्त राज्य अमेरीका	संगणकों (कम्प्यूटर) के लिए रिकार्डिंग और रीडिंग मेगनेटिक हैड्स	संघ शासित प्रदेश, दिल्ली
10.	श्री प्रेम कुमार, गाजियाबाद (उ० प्र०)	मेसर्स टंडन एसोसिएट्स इंक०, संयुक्त राज्य अमेरीका	संयुक्त राज्य अमेरीका	विभिन्न प्रकार के हार्नेस और केबलें आदि	संघ शासित प्रदेश, दिल्ली

गंगा जल में प्रदूषण

*358. **श्री सूरज भान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मतानुसार गंगा के पानी में प्रदूषण निरन्तर बढ़ता जा रहा है और कई स्थानों पर तो यह न केवल मनुष्यों के उपयोग के योग्य नहीं है बल्कि सिंचाई प्रयोजनों के लिए भी अनुपयुक्त है; और

(ख) भारत की अन्य महत्वपूर्ण नदियों में जल-प्रदूषण की रिपोर्टों की तुलना में इसकी स्थिति कैसी है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। कन्नोज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कलकत्ता में गंगा के अनुप्रवाह के निकट स्थान प्रदूषित हैं और इन स्थानों पर पानी मनुष्यों के उपयोग के योग्य नहीं है, परन्तु सामान्यत: कृषि प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है।

(ख) जीव रसायनी आक्सीजन आवश्यकता के सम्बन्ध में, गंगा की अपेक्षा, केवल साबरमती नदी अहमदाबाद के अनुप्रवाह के निकट अधिक प्रदूषित है।

आदिवासी विकास के लिए पृथक मंत्रालय

*359. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के आदिवासियों के विकास की देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय नीति सहित, एक पृथक मंत्रालय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें देश में आदिवासी क्षेत्रों के शीघ्र विकास के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं कर रही है;

(ङ) अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्रदान करने में राज्यों के बीच और कभी-कभी जिलों के बीच असमानता के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ऐसा कुछ संवैधानिक संशोधन लायेगी जिससे आदिवासियों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये गृह मंत्रालय में अलग विभाग के बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) और (च) संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार प्रत्येक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट है । वर्तमान प्रावधान को बदलने के लिये संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिम बंगाल की आदिवासी उप-योजना के लिये आवंटन

*361. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में पश्चिम बंगाल की आदिवासी उप-योजना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(ख) उस वर्ष के लिये आदिवासी उप-योजना के क्रियान्वयन हेतु पश्चिम बंगाल को कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की आदिवासी उप-योजना 1982-83 का वित्तीय परिव्यय 23.32 करोड़ रुपये है जिसमें 19.22 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य योजना से तथा 4.10 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता से आनी है । इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की धनराशि और संस्थागत वित्त को आदिवासी उप-योजना के कुल आकार में वृद्धि होने की आशा है ।

भारत में एक विशालपरमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सोवियत संघ की पेशकश

*362. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति**
डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत में एक विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या सोवियत प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी के अन्तरण की भी कोई योजना है; और

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया गया है ओर क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) भारत का एक तकनीकी दल भारत में एक परमाणु बिजलीघर लगाने की पेशकश के विभिन्न तकनीकी विवरणों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में सोवियत संघ गया था । उस तकनीकी दल की रिपोर्ट मिल जाने पर, सरकार अंतिम रूप से कोई भी निर्णय लेने से पहले पेशकश का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करेगी ।

इन्टीग्रेटेड सरकिटों, माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी आदि में अनुसन्धान विकास की सुविधाएं

*363. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **प्रधान मंत्री** निम्नलिखित जानकारी सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी :

(क) इन्टीग्रेटेड सरकिटों, माइक्रोप्रोसेसरों और एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई० सरकिट प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास की क्या सुविधाएं भारत में विद्यमान हैं;

(ख) उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अनुसंधान संस्थानों/विश्व विद्यालयों के नाम व पते क्या हैं और उनके द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई अनुसंधान और विकास केन्द्र दिल्ली विश्व विद्यालय में भी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार

*364. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1983 के अंग्रेजी दैनिक "इंडियन एक्स-प्रेस" में "थ्री बायज इन तिहाड़ अपील टु कोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तिहाड़ जेल में इन तीन विचाराधीन लड़कों को उत्पीड़ित करने तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने संबंधी आरोपों की जांच की है;

(ग) जेल में किए गए इस अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने के बारे में विचार किया जा रहा है;

(घ) उसके लिए जिम्मेवार अपराधियों तथा जेल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या प्राधिकार प्राप्त व्यक्तिकों द्वारा समय-समय पर इस जेल के कोई आकस्मिक दौरे किए गए है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान ऐसी कितनी जांच की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, दिल्ली, जिसे 11 फरवरी, 1983 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों की जांच करने का निदेश दिया गया था, जांच के संबंध में 16 फरवरी, 1983 को केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में फैक्टरी में किशोर कैदी वार्ड और "किशोर कक्ष" में गये थे। इस संबंध में ब्यौरे/निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

(ग) से (च) किशोर कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा जा रहा है और केन्द्रीय जेल, तिहाड़ के वार्ड नं० 2 में रखा जाता है। इस वार्ड में भी रात्रि में कैदियों को पृथक रखने के लिए जेल कोठरियां हैं। जेल प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाता है कि किसी भी तर्क पर किशोर कैदियों को कैदियों की अन्य श्रेणियों के साथ न रखा जाए।

अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारी केन्द्रीय जेल, तिहाड़ का अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान किये गये निरीक्षणों की संख्या इस प्रकार है।

क्रम सं०	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
1.	1980 (1.4.1980 से 31.12.1980 तक)	55
2.	1981	101
3.	1982	51
4.	1983 (15 मार्च तक)	7

इन निरीक्षणों के दौरान 12 फरवरी, 1983 के इंडियन एक्सप्रैस के उल्लिखित समाचार में इस प्रकार की कोई शिकायत सूचित नहीं की गई है।

केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में प्रत्येक वार्ड में दो शिकायत बक्से हैं और कैदी इन शिकायत बक्सों में अपनी शिकायतें डाल सकते हैं जो निरीक्षण करने वाले मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों/अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश/सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने दौरों के समय खोले जाते हैं।

भारतीय रंगीन टी० वी० सेटों के ऊंचे मूल्य

*365. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की सानयो, सोनी और हितेंची तथा पश्चिम जर्मनी की आई० टी० टी० से आयातित किटों से बनाए गए रंगीन टी० वी० सेटों के मूल्य इन्हीं 'मेक' और 'माडल' के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से तीन से चार गुने अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार रंगीन टी० वी० सेटों के मूल्यों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाएगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाधी): (क) एशियाड के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन की एक सामयिक योजना के अन्तर्गत, इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड (ई० टी० टी० डी० सी०) द्वारा पश्चिम जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया से आयात की गई किटों को छोड़कर, रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन के लिए किसी भी प्रकार की अन्य किटों (जिन में सेन्यो, सोनी, हिताची शामिल हैं) के आयात की अनुमति नहीं दी गई। संसद के समक्ष 25 फरवरी, 1983 को रखी गई रंगीन दूरदर्शन रिसीवर से संबंधित औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति में भी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तथापि, कुछ किटों का आयात, अतिरिक्त-सामानों के आयात के लिये उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के रूप में किया जा सकता है अथवा अनाधिकृत आयातों के रूप में, जिन्हें घोषित करने के बाद उन पर दण्ड अदा करना पड़ता है, किया जा सकता है। चूंकि यह अनुमोदित तथा संगठित एवं नियमित संयोजन-कार्य नहीं है इसलिए सरकार के पास ऐसे सेटों के मूल्यों आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से आयातित आई० टी० टी० किटों से संयोजित किए गए रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए दिल्ली में 8000/- रुपए मूल्य निश्चित किया है, जिसमें सभी प्रकार के कर शामिल हैं। बाजार में उपलब्ध सामान्य जानकारी के अनुसार इसकी तुलना में इस प्रकार के सेट का मूल्य लगभग 300-400 अमरीकी डालर अर्थात् लगभग तीन-चार हजार रुपए है।

(ख) 8000 रुपए के मूल्य में से, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि का अंश लगभग 4000 रुपए के बराबर है। इस पर लगने वाले शुल्क की मात्रा के अलावा, कम उत्पादन स्तर, आयातित संघटक-पुर्जों पर लगने वाले भाड़े आदि के कारण भी उत्पादन लागत अधिक है।

(ग) सरकार संघटक-पुर्जों का मानकीकरण तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य इकाइयां स्थापित करके इनके मूल्यों में कमी लाने का प्रयास कर रही है। फिर भी इन सभी कदमों का लागत पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने में कुछ समय लगेगा।

जिला उद्योग वाले जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण

*366. **श्री नवीन रावणी**
श्री गदाधर साहा : क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बिना उद्योग वाले जिलों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाया गया है और प्रत्येक राज्य से पता लगाए गए ऐसे जिलों की संख्या कितनी है;

(ग) इस सूची में सम्मिलित किए गए गुजरात के जिलों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस योजना के अधीन बिना उद्योग वाले जिलों को कौन-सी सूविधाएं दी जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) वे 87 जिले के (विवरण में दिये गये हैं) जिनमें कोई भी बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है उद्योग रहित जिले माने गए हैं। सरकार ने इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए सर्वाधिक अधिमान देने का निर्णय लिया है।

विवरण

जिन जिलों में कोई बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है उनकी सूची

1. आसाम

1. लखीमपुर
2. उत्तरी कछार पहाड़िया

2. बिहार

1. औरंगाबाद
2. भोजपुर
3. खागरिया
4. नालन्दा
5. पूर्णिया
6. सहरसा (माधोपुर जिले में से बनाये गये नये जिले सहित)

3. गुजरात

1. डांग्स

4. हिमाचल प्रदेश

1. चम्बा
2. कांगड़ा
3. किन्नौर
4. कुल्लू
5. लाहौल और स्पिती

5. जम्मू और काश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. लद्दाख
4. पूंछ
5. पुतवामा
6. राजौरी
7. उधमपुर

6. कर्नाटक

1. बीदर

7. मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. भिण्ड

3. छत्तरपुर
4. छिन्दवाड़ा
5. दमोह
6. दतिया
7. धार
8. गुना
9. झबुआ
10. मांडला
11. नरसिंहापुर
12. पन्ना
13. राजगढ़

8. **मणिपुर**
1. मणिपुर (केन्द्रीय)
2. मणिपुर (पूर्वी)
3. मणिपुर (उत्तरी)
4. मणिपुर (दक्षिण)
5. मणिपुर (पश्चिम)
6. तांगगोपात

9. **मेघालय**
1. पूर्वी गारो पहाड़ियां
2. पश्चिम गारो पहाड़ियां
3. जैन्तिया पहाड़ियां

10. **नागालैण्ड**
1. त्यूनसांग

11. **उड़ीसा**
1. बालासोर
2. बोलनगीर
3. बौध खोंदमल्स (फुलबनी)

12. **राजस्थान**
1. जैसलमेर
2. सिरोही

13. **सिक्किम**
1. टगटोक
2. ग्यातशिंग
3. मेनगन
4. नामची

14. **त्रिपुरा**
1. उत्तरी त्रिपुरा
2. दक्षिण त्रिपुरा
3. पश्चिम त्रिपुरा

15. **उत्तर प्रदेश**
1. बांदा
2. चमोली
3. फतेहपुर
4. हमीरपुर
5. जालौन
6. जौनपुर
7. पौढ़ी गढ़वाल
8. सुल्तानपुर
9. टिहरी गढ़वाल
10. उत्तर काशी
11. कानपुर देहात

16. **पश्चिम बंगाल**

1. बांकुरा
2. कूच बिहार
3. दार्जिलिंग
4. जलपाईगुड़ी
5. मालदा

17. **अण्डमान और निकोबार द्वीप**

1. निकोबार द्वीप

18. **अरुणाचल प्रदेश**

1. कामेग
2. सियांग
3. सुबन्सिरी
4. टिरप

19. **दादरा और नगर हवेली**

1. दादरा और नगर हवेली

20. **लक्षद्वीप**

1. लक्षद्वीप

21. **मिजोरम**

1. एजवाल
2. तंगसेन

औद्योगिक अपशिष्टों को डालने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

*367. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

क्या नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों को डालने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं और उन पर अमल किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी हां, 9 प्रकार के उद्योगों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं और जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सभी राज्य बोर्डों और सम्बद्ध औद्योगिक यूनिटों को कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं। शेष 8 प्रकार के उद्योगों के लिए कार्य प्रगति में है।

औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित करना

*368. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक महत्व के स्थानों का औद्योगीकरण करने के लिए अधिक औद्योगिक सम्पदायें स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल कौन से स्थान ऐसी संपदायें स्थापित करने के लिए चुने गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) औद्योगिक महत्व के स्थानों का

औद्योगीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के और औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के प्रस्ताव हैं।

उड़ीसा के प्रकरण में, राज्य सरकार के औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए 55 स्थान चुने हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

जिले का नाम	स्थानों के नाम
कटक	कटक, जगतपुर जाजपुर रोड, पारादीप, केन्द्रपारा, चांदी खोल, चौधवार, अथागढ़, धारमण्डल, डविस।
सुन्दरगढ़	राउरकेला, कलुंगा, राजगंजपुर, कंसबहल, लति-खोटा, सुन्दरगढ़ ।
सम्बलपुर	सम्बलपुर, हीराकुंड, बारगढ़, झारसुगूडा ।
कोरापुट	कोरापुट, रायगढ़, जैपुर, नौरंगपुर, सनाबेदा ।
धेनकनाल	अंगुल,तल चर, धेनकनाल, भुबन।
क्योंझार	बारबिल, क्योंझरगढ़, जोडा, आनन्दपुर ।
गंजाम	बरहामपुर, छतरपुर, गंजाम, आसका, भंजनगर, पारलाखमण्डी ।
पुरी	भुवनेश्वर, जतनी, खुर्दा, नयागढ़, बालूगांव ।
बालासौर	बालासौर, भदरक ।
बोलनगीर	बोलनगीर, तीतिलागढ़, कान्ताबानजी ।
कालाहाण्डी	केसिंगा, खारियर रोड, नरलारोड।
मयूरगंज	रायरंगपुर, बारीपाडा, बेसिंगा, कालमा रामलोक, झारपोखोरिया, जासीपुर ।
फूलबनी	बौद्ध, फूलबनी ।

देश में सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करना

*369. **श्री के० ओबुत रेड्डी** · क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में कितने सीमेंट संयंत्रों के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं, उनके स्थान कहां-कहां हैं और उनमें से कितनों ने निर्माण गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसी फैक्ट्रियों को जिन्होंने निर्माण प्रारंभ नहीं किया है दिए गए आशय-पत्र रद्द कर रही है; और

(ग) क्या सरकार अन्य नए उद्यमियों को आशय-पत्र देने जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 6206/83]। इन आशय-पत्रों को क्रियान्वित करने की दिशा में आशयपत्रधारियों द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ख) आशयपत्रों की प्रारंभिक वैधता अवधि 1 वर्ष की होती है । जब कभी और समय बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो आशयपत्रों के क्रियान्वयन में की गयी प्रगति की संवीक्षा की जाती है तथा आशयपत्रों की वैधता केवल उन्हीं मामलों में बढ़ायी जाती है जहां आशयपत्रों के कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक प्रगति की गयी है। अन्य मामलों में आशयपत्रों को व्यपगत हो जाने दिया जाता है ।

(ग) जी, हां । उद्यमियों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

मेरठ के दंगे के दौरान गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी राष्ट्रिक

3958. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक वीसा पर भारत आए तथा उनमें से कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक रहने के लिए मेरठ गए;

(ख) ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या क्या है जो मेरठ में सितम्बर, अक्तूबर, 1982 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अपने वीसा की समाप्ति के बाद गिरफ्तार किए गए अथवा खोजे गए; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1.1.1981 से 31.12.1982 तक की अवधि के दौरान 4,41,577 पाकिस्तानी वैध वीसाओं पर भारत आए । 31.10.1982 को 327 पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ठहरे हुए थे । इन आंकड़ों में वे

82 पाकिस्तानी शामिल हैं जिनके वीसा समाप्त हो गए थे। ऐसे केवल 5 पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे जिनके मामलों में मुकदमा चल रहा था।

औद्योगिक विकास दर में कमी

3959. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में निर्माण क्षेत्र के विकास की दर केवल 2.5 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 1981-82 में यह 8.2 प्रतिशत थी;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए;

(ग) तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(ङ) वर्ष 1983-84 के लिए क्या तथ्य निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आधार : 1970=100) के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के दौरान निर्माण क्षेत्र में विकास दर गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अनन्तिम रूप से 2.2 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल-दिसम्बर, 1981 में विकास दर 1980 की इसी अवधि से 8.0 प्रतिशत अधिक रही।

(ख) जिन उद्योगों के उत्पादन में वर्ष 1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान गिरावट आयी है, उनमें:—वस्त्र उत्पादन, जूतों, पहनने के अन्य परिधानों आदि का निर्माण, जूतों को छोड़ कर चमड़े और फर के उत्पादों आदि का निर्माण, विद्युत मशीनों को छोड़कर मशीनों का निर्माण, विद्युत मशीनों के उपकरणों का निर्माण, उपस्करों का संभरण करना, परिवहन उपकरणों का निर्माण और विविध उत्पादनकारी उद्योग आते हैं।

(ग) बिजली की कमी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, औद्योगिक संबंध, पूर्ति और मांग के बीच अल्पकालीन असंतुलनों आदि जैसे कारकों से विभिन्न उद्योगों के भिन्न-भिन्न कार्य निष्पादन के कारण विकास की दर धीमी रही।

(घ) सरकार ने वर्ष 1980 से, औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण अभ्युपाय किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :

1. पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि करके 5 प्रतिशत वार्षिक दर से स्वत: विकास की व्यवस्था करना।

2. आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों के साथ ही निर्यात की संभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसी कृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता प्रदान करना।

3. लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण आदि देकर एककों द्वारा किए गए सर्वोत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमताओं की स्वीकृति देना।

4. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।

5. "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना।

6. प्रवासी भारतीयों से औद्योगिक निवेश और लाइसेंस संबंधी आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (औद्योगिक विकास विभाग) में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना।

7. औद्योगिक अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से उत्पादन उन्मुख बनाने की दृष्टि से निवेश संबंधी नीतियों की संवीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

1983-84 के केन्द्रीय बजट में अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव शामिल किए हैं।

(ङ) 1983 84 की "वार्षिक योजना" का दस्तावेज इस समय तैयार किया जा रहा है और योजना आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से वर्ष 1983-84 के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

स्टैम्प-पेपर की कमी

3960. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि जनता को कम मूल्य के स्टैम्प-पेपरों की कमी के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि एक गरीब आदमी को यदि वह दस्तावेज तैयार कराना चाहता है तो स्टैम्प पेपर के लिए 20 रुपये अधिक तक खर्च करने पड़ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्यों का सुझाव

3961. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्यों से ऐसे नितांत आवश्यक मामलों में परियोजनाओं का त्याग करने के लिए तैयार रहने का अनुरोध किया है, जिनकी लागत और कालावधि लगातार बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के निष्पादन के बारे में राज्य सरकारों को अन्य और क्या सुझाव दिए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मुख्य मन्त्रियों के साथ 1983-84 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान योजना आयोग ने बढ़ती हुयी कालावधि और लागत को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया था। योजना आयोग ने राज्यों का ध्यान यथार्थपूर्ण अनुमान तैयार करने की आवश्यकता की ओर तथा बढ़ती हुयी कालावधि और लागत को कम करने के लिए पहले से चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयत्न करने की ओर भी आकर्षित किया था ।

राज्यों में स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषदों का गठन

3962. **श्री बाजू बन रियान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में संविधान की पांचवीं, छठी और सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत परिषदों अर्थात् स्यावत्त जिला क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जा चुका है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) इस प्रकार का कोई स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषद स्थापित नहीं की गयी है। किन्तु छठी अनुसूची के पैरा 2 में परिकल्पित जिला परिषदें असम और मेघालय राज्यों के विनिर्दिष्ट स्वायत्त जिलों और संघ शासित क्षेत्र मिजोरम में स्थापित की गयी है। ये करबी अंगलोग और नार्थ कच्छार जिला परिषदें असम में, खासी हिल्स,,गारो हिल्स और जेन्तिया हिल्स जिला परिषदें मेघालय में और पावी, लखेर और चकमा जिला परिषदें मिजोरम में हैं। एक जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषदें त्रिपुरा में और 6 जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषदें मणिपुर में क्रमशः राज्य विधान सभा और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन स्थापित की गयी है। ये त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद अधिनियम, 1979 और मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 है।

पांचवी अनुसूची जिला परिषदों की स्थापना से नहीं बल्कि जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना से सम्बन्धित है ।

तिहाड़ जेल के बारे में जेल सुधार संबंधी समिति की सिफारिशें

3963. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल के बारे में जेल सुधार सम्बन्धी समिति (न्यायमूर्ति मुल्ला समिति) की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तिहाड़ जेल के विषय में जेल सुधार समिति (न्यायमूर्ति मुल्ला समिति) द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित मुद्दों से सम्बन्धित हैं :—

(क) दिल्ली में जेलों की संख्या में वृद्धि करना है ताकि लिंग आयु, अपराध रिकार्ड, सजा की अवधि सुरक्षा आवश्यकतायें और सुधारात्मक अपेक्षाओं के सम्बन्ध में कैदियों का प्रभावकारी पृथकीकरण और वर्गीकरण किया जा सके ।

(ख) नयी जेलों का लंबित पड़ा निर्माण, वर्तमान जेलों का त्रिशाखन ।

(ग) लम्बी अवधि के कैदियों को पड़ोसी राज्यों में स्थानान्तरित करना;

(घ) असहाय कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था;

(ङ) जेल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, उनको उचित प्रशिक्षण और उनकी सेवा शर्तों को युक्तिसंगत बनाना;

(च) कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास; और

(छ) सुधाकातियों के बोर्ड का गठन

(ख) दिल्ली प्रशासन ने उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं : —

(क) नरेला क्षेत्र में नयी जिला जेल के निर्माण के लिए 78.62 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है और नरेला क्षेत्र में दूसरी जेल के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। केंप जेल की वर्तमान क्षमता को 500 से बढ़ाकर 800 किया जा रहा है।

(ख) जेल के त्रिशाखन से संबंधित कार्य को पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है ।

(ग) 158 आजीवन दोष सिद्ध कैदियों को हरियाणा की जेलों में स्थानान्तरित कर दिया गया है

(घ) प्रशासन के पास गरीबो को मुफ्त कानूनी सहायता देने की योजना पहले ही है । इस

योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं से तिहाड़ जेल में रखे गए कैदी भी लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चतम वेतनमान में उप-महानिरीक्षक (जेल) का एक पूर्णकालिक पद सृजित किया गया है। सहायक कर्मचारियों की स्वीकृति और उनकी सेवा शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। प्रशिक्षण के संबंध में 22 कर्मचारियों के प्रथम दल को जेल प्रशिक्षण स्कूल, लखनऊ में भेजा गया था। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने वापस कार्यभार संभाल लिय है।

(च) प्रशासन द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और उत्पाद कार्य के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

(छ) मुलाकातियों का एक बोर्ड इस समय कार्य कर रहा है और कार्यकारी न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।

महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान किया जाना

3964. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र के जिले-वार, स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) दिनांक 30 जनवरी, 1983 तक जिलेवार, (एक) 60 वर्ष (दो) 60 से 70 वर्ष के बीच, (तीन) 70 वर्ष से अधिक की उम्र के इनमें कितने-कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं;

(ग) जिले-वार, (एक) एक वर्ष, (दो) डेढ वर्ष (तीन) दो वर्ष और (चार) दो वर्ष से अधिक समय से कितने-कितने मामले लंबित हैं;

(घ) मामलों को लंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 13,796 लंबित पड़े मामलों की जिलावार सूची विवरण में संलग्न हैं।

(ख) आयु-वार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) इनमें से अधिकांश मामलों में, पेंशन के दावे 1.8.1980 से उदार बनाई योजना के अन्तर्गत किये गए हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31.3.1982 को समाप्त हो गई। आवेदन पत्रों का कोई वर्ष-वार रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(घ) मामले राज्य सरकार से सत्यापन/पात्रता रिपोर्ट और/अथवा आवेदकों से पूर्ण स्वीकार्य दस्तावेजी सबूत न मिलने के कारण लंबित पड़े हैं।

(ङ) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर मध्य प्रदेश सरकार सहित अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने अलग से विशेष कक्ष स्थापित किए हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करेंगे। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे लंबित पड़े सभी मामलों को निपटाने के लिए अभियान शुरू करें।

(2) गृह मंत्रालय की सलाह पर महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने विशेष रूप से ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य/जिला स्तर पर समितियां गठित की है, जहां आवेदक रिकार्ड अथवा अब पाकिस्तान अथवा बंगलादेश के क्षेत्रों की यातनाएं नष्ट होने के कारण अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

विवरण

फरवरी, 1983 में महाराष्ट्र राज्य में लम्बित पड़े मामलों की जिला-वार सूची।

क्रम सं०	जिले का नाम	संख्या
1	2	3
1.	बम्बई	619
2.	जलगांव	274
3.	नासिक	221
4.	नागपुर	1616
5.	उस्मानाबाद	1530
6.	पूना	562
7.	प्रभानी	707
8.	रत्नागिरी	113
9.	सतारा	1099
10.	शोलापुर	790
11.	सांगली	1266
12.	थाना	273

1	2	3
13.	योतमाल	94
14.	वर्धा	218
15.	रायगढ़	63
16.	धुलिया	119
17.	भंडारा	86
18.	बुलढ़ाना	150
19.	चन्द्रपुर	87
20.	नान्देड	243
21.	अंकोला	227
22.	अमरावती	262
23.	अहमदनगर	530
24.	भिड़	899
25.	औरंगाबाद और जलना	1235
26.	कोल्हापुर	513
	जोड़	13,796

सूची से निकाली गई जन-जातियों को अनुसूचित जन-जाति के रूप में श्रेणीबद्ध करना

3965. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूची से निकाली गई जनजातियों ने आरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजातियों के रूप में उन्हें श्रेणीबद्ध करने की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आल इण्डिया तपरोवास एण्ड विमुक्त जाति फैडरेशन के अध्यक्ष ने इस सम्बंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निदेश के क्रियान्वयन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान । उनकी

मांग है कि उनकी जातियों (समुदायों) के नाम, जो पंजाब राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, वहां से निकाल दिये जाएं और इनको उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाएं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय में यह सुझाव है कि याचिका दायर कर्ता जिन विमुक्त जातियों के हैं, उनको अनुसूचित जातियों की सूची में से निकालने के लिए भारत सरकार विचार करे और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए।

अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए अपनाये गये सुबद्ध मानदण्ड के अनुसार पंजाब सरकार और भारत के महापंजीयक समेत संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके विधिवत विचार किया जा रहा है। पंजाब सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन संसद के किसी अधिनियम से ही किया जा सकता है।

ग्रामीण सड़क संबंधी अनुसंधान

3966. **श्री जैनुल बशर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण सड़कों के बारे में कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में इसका कोई प्रदर्शन किया गया है।

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण-सडकों के निर्माण के बारे में इस संस्थान से कोई सलाह मांगी है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विधियों पर एक निदर्शन

आयोजित किया गया जो जुलाई 1981 में नैनीताल में इंडियन रोड्स कांग्रेस द्वारा ग्रामीण सड़क विकास पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का एक भाग था ।

(ग) जी हां । उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर, बरेली और जालौन जिलों में ग्रामीण सड़कों की विशिष्टियों के संबंध में परामर्श मांगा था ।

(घ) केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनकी प्रार्थना पर परामर्श दिया गया ।

स्टेनलैस स्टील का आयात

3967. **श्री एन० डेनिस** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में स्टेनलैस-स्टील का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इसका किस-किस देश से आयात किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक देश से कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी लागत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) बेदाग इस्पात का आयात माध्यम अभिकरणों नामत: 'सेल' और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तथा आयात नीति के उपबन्धों के अन्तर्गत अन्य लोगों द्वारा सीधे किया जाता है । इस मद का आयात करने के पात्र सभी अभिकरणों द्वारा किए गए बेदाग इस्पात के कुल आयात के पूरे आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं फिर भी माध्यम अभिकरणों की मार्फत किए गए आयात का ब्यौरा नीचे पर दिया गया है :—

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

(मात्रा : टनों में)
(मूल्य : लाख रुपयों में) (लागत तथा भाड़ा)

देश	1979-80		1980-81		1981-82	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
इटली	561	70.23	347	51.74	256	43.67
आस्ट्रिया			65	12.36	11	2.84

1	2	3	4	5	6	7
स्पेन			—	—	14	0.87
जापान	667	92.85	1134	168.81	592	156.66
फ्रांस	47	11.92	—	—	80	7.26
यू० के०	124	5.62	5	0.95	2	0.66
चैकोस्लोवाकिया	20	1.55	—	—	—	—
पश्चिम जर्मनी	1232	60.37	19	6.85	—	—
कुल :	2651	242.54	1570	240.71	955	211.96

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०

(मात्रा : टनों में)
(मूल्य : लाख रुपयों में)

देश	1977-78		1978-79		1979-80		1980-81		1981-82	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	10705	1364.18	7638	1106.66	15402	2890.99	2222	418.96	1630	338.77
यू० के०	9	2.27	15	0.73	481	72.16	304	54.30	148	28.88
पश्चिम जर्मनी	896	117.20	2041	321.15	4290	787.21	324	93.95	3008	486.77
स्वीडन	272	62.85	3787	410.72	1997	387.54	262	70.60	735	161.25
फ्रांस	365	49.61	2548	369.30	1168	183.12	43	15.22	1427	171.49
दक्षिण कोरिया	3782	468.67	4052	534.34	4138	712.09	—	—	—	—
कनाडा	14	1.97	344	44 64	—	—	24	6.80	140	28.34
बेल्जियम	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6.05
इटली	—	—	2516	364.63	6541	1062.84	2163	440.06	124	24.74
आस्ट्रिया	—	—	35	9.48	91	27.29	44	22.59	434	91.11
अमरीका	—	—	2	1.03	—	—	—	—	—	—
स्पेन	—	—	—	—	834	198.58	79	19.51	935	179.87
फिनलैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	49	12.11
कोरिया	—	—	—	—	—	—	—	—	250	50 82
अन्य समायोजन	—	2.22	—	1500.00	—	870.42	—	91.90	—	—
कुल :	16043	2068.97	22978	4662 68	34942	7192.24	5465	1233.89	8911	1582.20

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्यांकन रिपोर्ट

3968. **श्री भीखा भाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1981 और 1982 के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अंतिम रूप से कितनी मूल्यांकन रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या वे इन रिपोर्टों का महत्व जानने के लिए इन्हें किसी विशेषज्ञ समिति को भेजेंगे;

(ग) इन रिपोर्टों में अत्याधिक पुरानी सूचना परियोजनाओं को तैयार करने में कैसे उपयोगी हो सकती है;

(घ) क्या वे अधिक उद्देश्यात्मक रिपोर्टों हेतु कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का पुनर्गठन करने के बारे में विचार करेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, बारह (12) मूल्यांकन रिपोर्टें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले 2 वर्षों में प्रस्तुत की गई अधिकांश मूल्यांकन रिपोर्टों को पुरानी सूचनाओं पर आधारित नहीं माना जा सकता।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आग्नेयास्त्रों के लिए लाइसेंस-नीति

3969. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की आग्नेयास्त्रों संबंधी लाइसेंस-नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को वर्तमान नीति की कमियों की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान नीति को युक्तियुक्त बनाने के बारे में विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन लास्कर) : (क) ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्वीकृत [illegible] अधिनियम, 1878 के उपबंधों की तुलना में 1959 का नया शस्त्र

अधिनियम जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले अधिनियम के स्थान पर आया और अब लागू है, में लाइसेंस देने की एक उदार नीति अपनाई गई है ।

(ख) से (घ) हाल में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग के कारण अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है । बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त अपराधों में लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी वृद्धि का पता लगा है । इस दृष्टि से सरकार ने हाल ही में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का विस्तृत पुनरीक्षण किया है और इसके विभिन्न उपबन्धों के संशोधन का एक विस्तृत विधेयक संसद में पुन: स्थापित किया गया है । विधेयक में मुख्यत: यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि आग्नेयास्त्र समाज विरोधी तत्वों के कब्जे में न आयें और इस अधिनियम के अधीन आग्नेयास्त्रों के लिये लाइसेंस जारी करने और शस्त्रों की बिक्री और हस्तांतरण के सम्बन्ध में अधिक सतर्कता और अपराधों के लिये कड़ी सजा की व्यवस्था है । यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है और राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को पारित किये जाने के पश्चात संशोधन के लिए कुछ और सुझाव प्राप्त हुए थे और लोक सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले इन में से सुझावों को संशोधित विधेयक में उपयुक्त रूप से निगमित करने का प्रस्ताव है ।

अधिक प्रदूषित क्षेत्र

3970. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जिनमें प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पर्यावरण संबन्धी प्रदूषण के बारे में लोगों को शिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रदूषण का कारण मुख्यत: बढ़ता हुआ औद्योगीकरण, शहरीकरण और रसायनों का प्रयोग तथा विषाक्त पदार्थ हैं । बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में यह अधिक बढ़ रहा है ।

(ख) शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों ही क्षेत्रों में, पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं । सभी लक्ष्य दलों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय योजनाओं का समावेशन, शिक्षा सामग्री और सहयोग का विकास लोगों में पर्यावरणीय जागरुकता फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, जन सम्पर्क (मासमीडिया) और अन्य सम्बद्ध संगठनों के समामेलन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना ।

(ग) सरकार ने वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियमों को अधिनियमित किया है और औद्योगिक तथा घरेलू स्रोतों से प्रदूषण के विनियमन के उपायों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों की स्थापना की है ।

बिहार में गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा खानों का चलाया जाना

3971. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि चूना पत्थर, लौह अयस्क तथा अन्य कीमती पदार्थों की अनेक खानें बिहार के सिंहभूम, जिले में जो कोल्हन नाम से विख्यात है और जहां अधिकांशत: आदिवासी रहते हैं, विद्यमान हैं, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर खानें गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा चलाई जाती हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन खानों में अत्यधिक अवैज्ञानिक तरीके से काम हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां। इस क्षेत्र में चूनापत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, चीनी-मिट्टी, तांबा, एस्बेस्टस, मैंगनीज तथा कुछ अन्य खनिजों की खानें हैं।

(ख) खानों का कार्यचालन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वैध खनि पट्टाधारी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कुछ खानों के पट्टाधारी ठेका प्रणाली के माध्यम से खनन कार्य करते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान कुछ खानों में अपर्याप्त समन्वेषण भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाए बिना, योग्य तकनीकी कार्मिकों को नियुक्त किए बिना तथा अवैज्ञानिक ले-आउट जैसी कुछ त्रुटियां देखने को मिली हैं। इस प्रसंग में आवश्यक उपाय करने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो ने खान मालिकों को सुझाव दिए हैं। कुछ मामलों में अभियोजन की कार्रवाई भी की गई है।

मंत्रालय के नियंत्रण में कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा

3972. **श्री राम विलास पासवान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक उपक्रम में श्रेणावार कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से श्रेणीवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक उपक्रम को प्रारम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति, दोनों प्रकार के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण सम्बन्धी अ देश जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसे जल्दी से जल्दी भरने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा इस कोटे को कब तक भर लिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारी उद्योग की समस्याओं की जांच

3973. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा भारी उद्योग की समस्याओं की जांच करने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ख) भारी उद्योग की उन मुख्य मदों के नाम क्या हैं जिनकी योजना आयोग द्वारा जांच किए जाने का विचार है; और

(ग) समस्याओं के संबंध में योजना आयोग की रिपोर्ट कब तक आने तथा उद्योग की समस्याओं को कब तक सुलझाये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) भारी उद्योग की समस्याओं की जांच साधारणतया उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा की जाती है । मुख्य उद्योगों के विकास के लिए भावी योजना तैयार करने के संबंध में योजना आयोग ने निम्नलिखित कार्यकारी दल गठित किए हैं—

(1) लौह और इस्पात से संबंधित कार्यकारी दल,

(2) कोयले से सम्बन्धित कार्यकारी दल,

(3) पेट्रोलियम से सम्बन्धित कार्यकारी दल,

(4) उर्वरकों से सम्बन्धित कार्यकारी दल, और

(5) खनन, भू-संचलन (अर्थ-मूविंग) और निर्माण उपस्करों की समस्याओं और संभावनाओं से सम्बन्धित समिति ।

ये दल संबन्धित विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में गठित किए गए हैं ।

(ग) इन दलों की रिपोर्टें आनी हैं । ये रिपोर्टें प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए इनकी जांच की जाएगी ।

असम चाय बागानों में बाहर से आकर बसे हुए आदिवासी

3974. **श्री शिबु सोरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर के उन आदिवासियों को, जो अब असम के चाय बागानों में बस गए हैं, उस राज्य में 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) छोटा नागपुर से आये हुए उन आदिवासियों की कुल संख्या क्या है, जो असम में बस गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिन्हें रोजी रोटी की खोज में, जो छोटा नागपुर में उपलब्ध नहीं थी, अपनी जन्मभूमि और पहचान खोनी पड़ी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। छोटा नागपुर समेत उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार से आकर बसे असम के चाय बागान श्रमिकों के कुछ समुदायों को अभी असम में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि गणना केवल उन समुदायों जिनको अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, के संबन्ध में की जाती है अतः असम में छोटा नागपुर से आकर बसे आदिवासियों को संख्या बताना इस दशा में संभव नहीं है।

(घ) असम में अनुसूचित जनजाति की सूची में चाय बागान श्रमिकों को शामिल करने की मांग समय-समय पर की जाती रही है। ऐसे अन्य प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ इस मांग पर असम समेके सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन के लिए अपेक्षित सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण टिप्पणियों के प्राप्त होने के बाद मामले पर संविधान के अनुच्छेद 342 (2) के उपबन्धों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

आधुनिकतम कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

3375. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक आयोग ने आधुनिकतम कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी खरीदने तथा किसी उपयुक्त विदेशी कंपनी से सहयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिक आयोग ने वर्ष 1983 के दौरान 'इन्डोनेट' जैसी अन्य कोई बड़ी परियोजना स्थापित करने का काम भी शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । वर्ष 1983 में इन्डोनेट तथा कम्प्यूटर पर आधारित एक डिजाइन परियोजना हाथ में ली जा रही है ।

(ग) कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली "इन्डोनेट परियोजना" के अंतर्गत विभिन्न शहरों में कम्प्यूटरों का एक जाल (नेटवर्क) बिछाया जाएगा, जिसका इद्देश्य औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा अन्य आंकडा-बैंकों (डेटा बेस) के लिए कम्प्यूटरों को विकसित करके उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है । इस अनुप्रयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा बैंकों की विभिन्न शाखाओं, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों आदि के बीच पारस्परिक सम्पर्क-सूत्र स्थापित करना । कम्प्यूटर पर आधारित डिजाइन परियोजना (सी० ए० डी०) का क्रियान्वयन स्वयं इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा किया जाएगा । इस परियोजना का उद्देश्य असैनिक (सिविल), यांत्रिकीय, रसायनिक इलेक्ट्रानिकी तथा अन्य इंजीनियरी क्षेत्रों में डिजाइन-कार्य के लिए कंप्यूटरों के अनुप्रयोगों का विकास करना तथा डिजाइनरों को अधिकतम इंजीनियरी डिजाइनों का विकास करने के लिए शक्तिशाली यन्त्रेतर-सामग्री (साफ्टवेयर) के पैकेजों का उपयोग करने में मदद देना है ।

अधिक दूरी के प्रसारण ग्रहण करने वाले रंगीन टी० वी० संबंधी नीति

3976. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक दूरी तक के प्रसारण ग्रहण करने वाले रंगीन टी० वी० संबंधी नीति के बारे में सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए भारतीय टी० वी० निर्माणकर्त्ता एसोसिएशन ने रंगीन टी० वी० उद्योग को बड़े गृहों सहित सभी क्षेत्रों के लिए खुला छोड़ने पर कड़ा विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एसोसिएशन द्वारा दिए गए तर्कों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) यद्यपि समाचार-पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है कि भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ (आई० टी० एम० ए०) ने एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बड़े औद्योगिक घरानों के लिए रंगीन दूरदर्शन उद्योग के द्वार खोले जाने का विरोध किया है तथापि, चूंकि इलेक्ट्रानिकी विभाग में अधिकारिक रूप से उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सरकार इस बारे में उक्त संघ द्वारा दी गई दलीलों के ब्यौरे दे सकने में असमर्थ है ।

प्रधान मंत्री के अधीन मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों को लिखे गए हिन्दी/अंग्रेजी पत्र

3977. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1982 में ए और बी श्रेणी के प्रत्येक राज्य को कितने मूल पत्र लिखे गये और उनमें से हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग लिखे गये मूल पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन राज्यों को, नियमों के अनुसार सभी मूल पत्र हिन्दी में न भेजने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र केवल हिन्दी में भेजे जाये; और

(घ) क्या मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी में कार्य करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को जैसा कि नियमों में व्यवस्था है, व्यवस्था की गई है और यदि नहीं तो इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री जी के अधीन विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा योजना

3978. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा योजना को जारी रखने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमेंट के आयात को अनुमति देने के लिये विदेशी मुद्रा योजना को फिर शुरू करने पर विचार किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) :(क) संभवतः संकेत देश में आने वाली विदेशी मुद्रा के बदले प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट आवंटन की योजना की ओर है। 28-2-1982 को इसे समाप्त कर दिये जाने के बाद इसे पुनः चलाने की कोई खास मांग नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के बीच परिव्ययों में असमानता

3979. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए धनराशि आबंटित करने के लिए एक आधार में जनसंख्या को अनदेखा करने की सरकार की नीति है; और

(ख) यदि नहीं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच प्रति व्यक्ति रूप में विकास परिव्ययों में भारी असमानता के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राज्यों की वार्षिक योजना के लिए धनराशि का आवंटन वित्तीय संसाधनों के सहमत प्राक्कलनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें राज्यों के अपने अंशदान तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित केन्द्रीय सहायता सम्मिलित होती है। छठी योजना के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली धनराशि के वितरण की कसौटी छठी योजना 1980—85 के पैरा 5.55 में दी गई है, जिस दस्तावेज को संसद में पहले ही रखा जा चुका है। संशोधित गाडगिल फारमूले तथा आई० ए० टी० पी० फारमूले के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए जनसंख्या एक महत्त्वपूर्ण कसौटी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहयोग करार

3980. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग करारों की संख्या कितनी है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) 1982-83 के दौरान विदेशी सहयोग के कितने प्रस्ताव आए;

(ग) क्या उनके संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) विदेशी सहयोग के बारे में सांख्यिकीय जानकारी कैलैण्डर वर्ष के हिसाब से रखी जाती है। सरकार ने वर्ष 1981 में विदेशी सहयोग सम्बन्ध 389 प्रस्ताव तथा वर्ष 1982 में 590 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। वर्ष 1982 के दौरान औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय में विदेशी सहयोग के लिए 849 आवेदन प्राप्त हुए थे। भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम उत्पादन की वस्तु, सहयोग का प्रकार दर्शाने वाला स्वीकृतियों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा इसके मंथली न्यूज लेटर के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

प्रयोग में लाए गए परमाणु ईंधन को फिर से संसाधित करना

3981. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रयोग में लाये गये परमाणु ईंधन को फिर से संशोधित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बार में क्या ब्यौरा है; और

(ग) इससे विद्युत उत्पादन में कहां तक सहायता मिलेगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, हां। राजस्थान परमाणु बिजलीघर से मिले मुक्तशेष ईंधन को तारापुर स्थित विद्युत रिऐक्टर ईंधन पुनः संसाधन संयंत्र में पुनः संसाधित किया जा रहा है।

(ग) मुक्तशेष ईंधन को संसाधित करने से प्लूटोनियम मिलता है, जो ईंधन बनाने के काम आने वाला एक मूल्यवान पदार्थ है और जिसे बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

वन्यजीव संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना

3982. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को वन्यजीव संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के लिए देहरादून के समीप जमीन देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में क्या ब्यौरा है?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नहीं महोदया।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परमाणु ऊर्जा को बदलने के लिए स्वदेशी संयंत्रों का उत्पादन

3983. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन ने यह कहा है कि भारत परमाणु ऊर्जा को औद्योगिकी चरेलू बिजली में परिवर्तित करने के लिए 100 प्रतिशत स्वदेशी संयंत्रों का उत्पादन करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) परमाणु बिजलीघरों के लिए आवश्यक अधिकांश उपस्कर देश में ही बनाए जाते हैं। स्वदेशी उपस्करों की मात्रा बढ़ाने का प्रयास जारी है।

तारापुर में रिप्रोसेसिंग संयंत्र

3984. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर में उत्पादन शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या 1970—76 के बीच 242 बड़े और छोटे परिवर्तन करने पड़े थे; और

(ग) तारापुर में रिप्रोसेसिंग संयंत्र के बारे में क्या स्थिति है और क्या कुंडों में प्रयोग किए गए ईंधन की राडों का बहुत अधिक भंडार हो जाने से तारापुर परमाणु बिजलीघर में ईंधन को फिर से काम में लाने के कार्यक्रम पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और स्वयं इस बिजलीघर के लिए ही खतरा बन रहा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) 184 बड़े और छोटे परिवर्तन पूरे कर लिए गये थे। किसी भी परमाणु बिजलीघर में परिवर्तन करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, विशेषत: बिजलीघर के प्रचालन के पहले कुछ वर्षों में।

(ग) तारापुर स्थित ईंधन पुन: संसाधन संयंत्र इस समय राजस्थान परमाणु बिजलीघर से मिले मुक्तशेष ईंधन को संसाधित कर रहा है। तारापुर परमाणु बिजलीघर में मुक्तशेष ईंधन को भंडारित करने की क्षमता यथासम्भव बढ़ाई गई है। न तो ईंधन बदलने के कार्यक्रम पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है और न ही इससे बिजलीघर को कोई खतरा है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर में खराबी हो जाना

3985. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मौजूदा परमाणु संयंत्र ठीक ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं जैसा कि 6 मार्च, 1982 को राजस्थान परमाणु बिजलीघर के बंद होने से पता चलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहला राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1973 से 251 बार बन्द हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि दूसरे राजस्थान परमाणु बिजलीघर भी 1980 से अब तक 24 बार बन्द हुआ; और

(घ) क्या दोनों एक-एक 25 प्रतिशत क्षमता से कम के औसत पर कार्य करते रहे हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महानगर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सन् 1973 से दिसम्बर 1982 तक राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट 255 बार बंद हुआ।

(ग) इस बिजलीघर के दूसरे यूनिट ने 1 अप्रैल, 1981 से ही वाणिज्यिक स्तर पर काम करना आरंभ किया था और यह यूनिट दिसम्बर, 1982 तक 30 बार बंद हुआ।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड 4 के कर्मचारियों के चयन में अनियमितताएं

3986. **श्री जयनारायण रौत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड 4 में कर्मचारियों के चयन में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा तथा कारण क्या है और वर्षवार रिक्तियों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समिति ने भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 के लिए कर्मचारियों का चयन करते समय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 33, भाग-दो अनुभाग-3, 34 अनुभाग (एक) दिनांक 15 अगस्त, 1981 पर विचार किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर टिप्पणी की थी और चयन सूची की पुनरीक्षा करने के लिए उन्हें कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भेज दिया था; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) वर्ष 1982 में तैयार की गई प्रवर सूची के आधार पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियों के अनारक्षण के सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में 16 मार्च, 1983 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2878 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जैसा कि उक्त प्रश्न में स्पष्ट किया गया था कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति के लिए नवम्बर, 1982 में तैयार की गई प्रवर सूची 30.9.1978 तक की रिक्तियों के सम्बन्ध में थी, जिस तारीख को भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में यह निर्धारित था कि पदोन्नति के आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां न भरी जाए, इसलिए यह प्रवर सूची आरक्षण आदेशों के क्षेत्राधिकार से बाहर थी। 30.9.1978 को भारतीय सांख्यि-

कीय सेवा के ग्रेड 4 में 252 रिक्तियां थीं, इसलिए इन रिक्तियों में से 63 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जानी आवश्यक थीं।

(ग) और (घ) विभागीय पदोन्नति समिति ने 30.9.1978 की रिक्तियों के संबंध में ग्रेड-4 में पदोन्नति के लिए प्रवर सूची तैयार की थी। इस तारीख को भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में पदोन्नति के कोटे को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किए जाने से सम्बन्धित संशोधन लागू नहीं हुआ था, क्योंकि यह संशोधन 15.8.1981 को प्रकाशित हुआ था और इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता था।

(ङ) और (च) संघ लोक सेवा आयोग ने उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की टिप्पणियां मांगी थीं और ये टिप्पणियां आयोग को दे दी गई हैं।

दिल्ली में बलात्कार

3987. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 1982-83 में, मासवार, बलात्कार के कुल कितने मामले हुए; और

(ख) दिल्ली के उप पुलिस अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनके खिलाफ बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट की गई और जांच की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आंकड़े नीचे दिए गए हैं —

1982 :	जनवरी	4
	फरवरी	4
	मार्च	6
	अप्रैल	8
	मई	4
	जून	8
	जुलाई	4
	अगस्त	6
	सितम्बर	7
	अक्टूबर	7
	नवम्बर	3
	दिसम्बर	4
		65

1983 :	जनवरी	5
	फरवरी	4
	जोड़	9

(ख) तीन पुलिस अधिकारी नामत: उप निरीक्षक आजाद सिंह, हैड कांस्टेबल श्री भगवान और कांस्टेबल अतर सिंह को कथित बलात्कार के दो मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उप-निरीक्षक आजाद सिंह और हैड कांस्टेबल श्री भगवान के खिलाफ मामले को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप, झूठे आरोप लगाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के तहत शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है। दूसरे मामले में कांस्टेबल अतर सिंह पर मुकदमा चल रहा है।

चेकोस्लोवाकिया के शिष्टमण्डल की यात्रा और विशाखापत्तनम परियोजना हेतु सहयोग का प्रस्ताव

3988. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चेकोस्लोवाकिया के एक उच्च-शक्ति प्राप्त शिष्ट-मण्डल ने भारत की यात्रा की थी और ऊर्जा उत्पादन के लिए विशाखापत्तनम परियोजना में सहयोग का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो यात्रा पर आये शिष्टमण्डल और उनके समकक्ष भारतीय प्रतिनिधियों के बीच समझौते के बारे में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और भारा किस सीमा तक प्रस्ताव पर सहमत हुआ;

(ग) चेकोस्लोवाकिया ने विशाखापत्तनम परियोजनाओं के लिए जो मदें सप्लाई करने का आश्वासन दिया है; उसका ब्यौरा क्या है उनका मूल्य कितना होगा और उसका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा;

(घ) परियोजना से ऊर्जा का कितना उत्पादन हो सकेगा; और

(ङ) क्या पश्चिमी जर्मनी, इंगलैंड, अमेरिका और फ्रांस से किसी प्रौद्योगिकी की मांग की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं, लेकिन विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए तापीय विद्युत संयंत्र के लिए उपस्करों की सप्लाई हेतु विश्व आधार पर मंगाई गई निविदाओं के उत्तर में चेकोस्लोवाकिया की एक फर्म ने निविदा भेजी है। परियोजना के अधिकारी प्राप्त हुई अन्य निविदाओं के साथ-साथ उनकी निविदा पर भी विचार करेंगे।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में "नवहरिजनों" द्वारा नौकरियां हथिया लेना

3989. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "न्योहरिजन्स कार्नर जाब्स इन कर्नाटक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली शिड्यूल्ड कास्टस वेलफेयर एसोसिएशन, अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली ने गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अंधाधुध प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध कर्नाटक राज्य और केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और गैर-अनुसूचि जाति व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और क्या सरकार का विचार जाति प्रमाणप्रत्र जारी करने से पूर्व आवेदक की जाति का पता करने के लिए उसके क्षेत्र की पुलिस द्वारा समुचित जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) उक्त अभ्यावेदन गृह मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया। कर्नाटक सरकार ने भी यह पुष्टि नहीं की है कि यह उन्हें प्राप्त हुआ था।

(ग) तथापि इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर यह अनुरोध करते हुए निर्देश जारी किये हैं कि बिना उचित जांच पड़ताल के, लापरवाही से या जानबूझ करके प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी, निदेश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी सक्षम अधिकारियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले उचित सावधानी बरतने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। राज्य सरकारों को इन अधिकारियों को यह भी सूचित करना था कि यदि किसी अधिकारी को लापरवाही या उचित जांच के बिना प्रमाण-पत्र जारी करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक नियमों के तहत की जानी वाली कार्रवाई के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्धित उपबंधो के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

केरल में सीमेंट की कमी

3990. **श्री के० ए० बालन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सीमेंट की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) 1982-83 के दौरान केरल की सीमेंट की मांग कितनी है और उसे कितना आबंटन किया है; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल में सीमेंट निर्धारित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य कर बेचा जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार ने अपनी सीमेंट संबंधी आवश्यकताएं नियमित आधार पर नहीं भेजी हैं । किन्तु राज्य सरकार ने कुछ समय पहले यह बताया था कि राज्य में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख मी० टन सीमेंट की आवश्यकता होती है । वर्ष 1982-83 में केरल राज्य को 4,25,100 मी० टन लेवी सीमेंट का नियतन किया गया है ।

(ग) लेवी सीमेंट सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जाता है । जहां तक गैर-लेवी सीमेंट का संबंध है, इसके मूल्य और वितरण पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है ।

लद्दाखियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करना

3991. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मंत्री लद्दाख के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए भारत सरकार को की गयी जम्मू और कश्मीर सरकार की सिफारिशों के बारे में 13 दिसम्बर, 1982 के राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित जम्मू और कश्मीर को मुख्यमंत्री के वक्तव्य और इसके बाद के वक्तव्यों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार से कोई ठोस सिफारिश मिली है और यदि हां, तो क्या सिफारिश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) क्या सरकार का विचार, जम्मू और कश्मीर सरकार की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) लेह और कारगिल जिले के सभी निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के विषय में जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा की गयी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) लेह और कारगिल जिलों के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के विषय में राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिशों के विषय में उनसे कुछ और विवरण और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से और आगे सूचना प्राप्त होने पर मामले पर, अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिन पर भारत के महापंजीयक के परामर्श से विचार किया जाएगा ।

"नालको" परियोजना पर हुआ व्यय

3992. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट, उड़ीसा स्थित "नालको" परियोजना में शामिल किये गये विभिन्न कार्यक्रमों में आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुयी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन कंपनियों ने, जिनको कि कोरापुट स्थित "नालको" का निर्माण कार्य सौंपा गया है, कोरापुट की आदिवासी जनसंख्या के प्रति उदासीन रही है और वहां अनेक आदिवासी लोगों की मृत्यु हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि० (नालको) द्वारा उड़ीसा के कोरपुट जिले में लगाये जा रहे खान और एल्यूमिना संयंत्र पर मध्य मार्च, 1983 तक किया गया कुल व्यय निम्नलिखित है—

	(करोड़ रुपयों में)
(I) एल्यूमिना संयंत्र अस्थायी आवास सहित	रु० 29.61
(II) खान प्रभाग, अस्थायी आवास सहित	रु० 1.46

(ख) और (ग) नालको और उसके ठेकेदारों के स्थानीय आदिवासी जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।

लगभग 6 महीने पूर्व शराबियों के झगड़े में एक आदिवासी की मृत्यु हो गयी थी। परन्तु यह एक छुटपुट घटना थी तथा पहले से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण वातावरण जिला प्रशासन और परियोजना प्रबन्ध को के माध्यम से फिर से कायम कर दिये गये हैं।

एल्यूमिनियम उद्योग में मंदी

3993. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम उद्योग में मंदी के बावजूद बिरला के "हिन्दालको" को अपनी उत्पादन क्षमता 1.2 लाख टन से बढ़ा कर 1.87 लाख टन करने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विस्तार की अनुमति किन कारणों से दी है;

(ग) हिन्दालको में अमेरीका के कैसर कारपोरेशन के कितने शेयर हैं; और

(घ) इस विस्तार कार्यक्रम में कैसर निगम को क्या भूमिका दी गयी है और इसमें उसकी साझेदारी कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि० (हिन्डालको) में अमेरीका के कैसर्स के 26.7 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय आसूचना ब्यूरों में कांस्टेबलों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण करना

3994. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अलावा अन्य स्थानों पर कांस्टेबलों को तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो में भी कांस्टेबलों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण करने का है जिससे वे यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता सुविधाओं के हकदार हो सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आदि जैसे केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कांस्टेबलों को यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए समूह "ग" कर्मचारियों के रूप में और यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए समूह "घ" के कर्मचारियों के रूप में माना जाता है। आसूचना ब्यूरो तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कांस्टेबलों के पदों को सभी प्रयोजनों के लिए समूह "घ" कर्मचानियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कांस्टेबलों सहित, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की दरें वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में बढ़ा कर दुगनी कर दी गयी हैं, जिससे कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जिन कांस्टेबलों को पहले सामान्य स्थानों, बी-1 नगरों तथा ए श्रेणी नगर के लिए क्रमश: 4.50 रुपये, 6.00 रुपये तथा 7.50 रुपये की दर से दैनिक भत्ता मिला करता था वे अब क्रमश: 9.00 रुपये, 12.00 रुपये और 15.00 रुपये की दर से दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं। इसलिए इस समय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की सुविधाओं के प्रयोजन से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कांस्टेबलों को समूह "ग" कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जीव विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान हेतु अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

3996. **श्री आर० पी० गायकवाड़**
श्री कृष्ण कुमार गोयल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार किसी ऐसे देश में एक जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का है जिसमें जीव प्रौद्योगिकी दूरसंचार में पर्याप्त अनुसंधान क्षमता हो;

(ख) क्या भारत ने प्रस्तावित केन्द्र को भारत में स्थापित किये जाने के मामले को सयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर उठाया है क्योंकि तीसरे विश्व के विकास में हमारी महती रुचि है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू० एन० आई० डी० ओ०) ने प्रस्ताव किया है कि आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिकों को आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए आनुवंशिक इन्जीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की जाये। यू० एन० आई० डी० ओ० ने सुझाव दिया है कि आनुवंशिक इन्जीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले देशों के सहयोगी प्रयासों से ही इस केन्द्र की स्थापना की जा सकती है। इस केन्द्र के दूर-संचार से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित होने की आशा नहीं है।

(ख) भारत ने इस केन्द्र को भारत में स्थापित करने के लिए कुछ मेजबान सुविधाओं की पेशकश की है।

(ग) यू० एन० आई० डी० ओ० ने आनुवंशिक इन्जीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1982 में, बैलग्रेड में, एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें भारत को भी आमन्त्रित किया गया था। विकसित एवं विकासशील, दोनों प्रकार के देशों ने केन्द्र के लिये मेजबानी करने में गहरी रुचि दिखायी और कई देशों द्वारा इस आशय की पेशकशें की गयीं। यू० एन० आई० डी० ओ० द्वारा विभिन्न देशों से लिये गये विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति की गयी है ताकि विभिन्न देशों की पेशकशों का मूल्यांकन किया जा सके और तत्सम्बन्धी सिफारिशें की जा सकें। अंतिम निर्णय पूर्णाधिकारियों की बैठक में लिया जायेगा, जो कि अधिकारियों की बैठक के पश्चात् होगी।

इस्पात उद्योग में मजदूरी पुनरीक्षण करना

3997. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग में मजदूरी का पुनरीक्षण बहुत समय पूर्व से देय है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में मजदूरी ढांचे का पुनरीक्षण करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) इस्पात उद्योग में मजूरी समझौता, जो 1 सितम्बर, 1978 से लागू किया गया था, 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो गया था। संशोधित मजूरी समझौते के बारे में इस्पात उद्योग के लिए गठित की गई राष्ट्रीय संयुक्त समिति के द्विपक्षीय मंच में बातचीत चल रही है।

सीमेंट का आयात

3998. **श्री एम० एम० लारेन्स** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में कितना सीमेंट आयात किया गया;

(ख) देश-वार कितना सीमेंट आयात किया गया; और

(ग) प्रत्येक देश से आयात सीमेंट का प्रति मीट्रिक टन दाम क्या था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) लगभग 15 लाख मी० टन।

(ख)

	लाख मीटरी टन
दक्षिण कोरिया	6.46
डी० पी० आर० कोरिया	6.02
फिलीपाइन्स	1.30
तैवान	1.30

(ग) ठेके की शर्तों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सीमेंट का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। आयातित सीमेंट के स्रोत पर्यन्त मुक्त प्रति मी० टन मूल्य लगभग 36 से 40 अमरीकी डालर तक है।

विदेशों से विभिन्न संस्थानों को मिली आर्थिक सहायता

3999. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग/टेक्नीकल और कृषि संस्थानों तथा ऐसी ही सांस्कृतिक, साहित्यिक/अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष-वार प्रत्येक संस्थान को कितनी सहायता मिली है और यह सहायता किस काम के लिए मिली तथा क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि आर्थिक सहायता जिस उद्देश्य के लिए मिली है उससे अन्य कामों पर उसका उपयोग न किया जाये;

(ग) यदि हां, तो आर्थिक सहायता किस-किस की है और उन विशेष मामलों में जहां नियमों के उल्लंघन का पता लगाया गया है इस तंत्र के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे तंत्र का और आगे समय गंवाये बिना गठन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :(क)तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विदेशी अभिदान प्राप्त कर रही ऐसोसिएसनों के लिए किसी विशेष कलेंडर वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदान और उनके उपयोग के संबन्ध में किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखे इस मंत्रालय को इस वर्ष प्रस्तुत करने आवश्यम हैं। विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के सिी उल्लंघन का अभी तक पता नहीं लगा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा के बारे में अध्ययन दल

4000. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत वर्ष पहले प्रगति के बारे में व्यापक पुन: विचार करने और इसके विकास हेबु कार्यक्रम में उपर्युक्त परिवर्तन करने तथा निर्यात और देश के भीतर इसकी बिक्री बढ़ाने के बारे में सिफारिश करने हेतु नियुक्त किए गए नारियल-जटा के बारे में अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने अभी भी निर्णय लेना है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उद्योग को समाप्त होने से बचाने हेतु सिफारिशों पर तेजी से विचार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) क्या की गई सिफारिशों की एक प्रतिलिपि और उनको लागू करने हेतु की गई कार्यवाही सदन के सभा पटल पर रजी जायेगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क)से(ग) श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में कयर उद्योग के लिए गठित उच्च स्तरीय अध्ययन दल द्वारा दी गई रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। अध्ययन दल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से विचार कर लिए जाने के बाद रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा जी० पी० शीट्स का आयात करना

4001. **श्री हरीश रावत :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सेल" विदेशी सप्लायरों से वर्तमान बाजार दामों से काफी ऊंचे दामों पर जी० पी० शीट्स का आयात कर रहा है और सारा भार उपभोक्ताओं पर डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार आयात नीति में संशोधन करने पर विचार करेगी और सेल के माध्यम से मंगाने के स्थान पर इस मद में आयात को खुला छोड़ देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमन्त्री (एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उद्योगों को युक्ति संगत बनाना

4002. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को लागत, आकर और टेक्नोलाजी के संबंध में युक्तिसंगत बनाने हेतु सुझाव देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह दल कब तक अपने प्रतिवेदन पेश करेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय आय में कमी आना

4003. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि दिनांक 20 फरवरी, 1983 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित खबर के अनुसार नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकोनामिक ने वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक गिरावट आने का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर अपना अनुदान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च ने अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में गिरावट दर्शायी है और यह कितनी है तथा सरकार के अपने अनुमान की तुलना में यह कितनी है; और

(घ) यदि हां, तो सउकार सम्भावित कमी को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रश्न में उल्लिखित "इकोनामिक टाइम्स" की रिपोर्ट मुख्यत: नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च द्वारा की गई भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा (अक्तूबर-दिसम्बर, 1982) पर आधारित है। इस समीक्षा में वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार की गिरावट का संकेत नहीं दिया गया है लेकिन वर्ष 1980-81 के 8.1 प्रतिशत एवं 1981-82 के 5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 3% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

(ख) संसद में फरवरी, 1983 में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण, 1982-83 के अनुसार वर्ष 1982-83 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्स की समीक्षा में ऐसा माना गया है कि कृषि उत्पादनों में 1-2 प्रतिशत की गिरावट आयेगी। परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण, 1982-83 कृषि उप्पादनों में लगभग 3 प्रतिशत के गिरावट की परिकल्पना करता है।

(घ) आर्थिक सर्वेक्षण, 1982-83 अन्य बातों के साथ अर्थव्यवस्था के निष्पादन को समीक्षा करता है तथा अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में उत्पादनकारी शक्तियों को मजबूत करने, बचत को बढ़ावा देने, सार्वजनिक क्षेत्रीय निवेश में वृद्धि करने तथा व्यवहार्य भुगतान संतुलन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का संकेत देता है।

20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4004. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और क्या सभी राज्य सरकारें इन अनुदेशों का पालन कर रही हैं;

(ख) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो उसका राज्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का लेखा रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए तन्त्र उचित ढ़ग से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम राज्य योजनाओं का अभिन्न अंग है। योजना आयोग को कार्यक्रम की प्रगति के प्रबोधन का कार्य दिया गया है और

योजना आयोग की सलाह के अधीन राज्यों ने अपनी प्रबोधन व्यवस्थाओं/प्रणालियों की स्थापना की है जिनमें कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समितियां शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालय प्रत्यक्ष दायित्व के सूत्रों पर गौर करने के अलावा, राज्यों में उनसे संबंधित सूत्रों के बारे में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा/पर्यवेक्षण करते हैं। इसलिए उनके द्वारा पर्यवेक्षित स्कीमों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करते हैं। सभी राज्य सरकारें अपने प्रबोधन एककों के जरिये 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भेज रही है।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम क्योंकि राज्य की योजनाओं का एक अभिन्न अंग है इसलिए इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए स्थापित तंत्र (मशीनरी) सामान्य रूप से संतोषजनक रूप से काम कर रहा है।

(घ) किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल को सीमेंट की सप्लाई

4005. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि वह पश्चिम बंगाल को वर्ष 1982 के दौरान दो लाख और कई हजार टन आबंटित सीमेंट जैसे आवश्यक था, की सप्लाई करने में असफल रही है;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों पर इससे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है क्योंकि प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में विभिन्न मात्रा में की गई विद्युत कटौतियों के कारण देश में सीमेंट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः पश्चिम बंगाल राज्य सहित अनेक राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को किए गए नियतनों के अनुसार सीमेंट की समग्र आपूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है। पश्चिम बंगाल स्थित मैसर्स दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के अलावा पश्चिम बंगाल को सीमेंट का आवंटन मुख्यतः मध्यप्रदेश स्थित सीमेंट कारखानों से किया जाता है। 1982 में बिजली की कमी के कारण मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल स्थित कारखानों के सीमेंट उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल को की जाने वाली आपूर्ति में कमी आई है। वर्ष 1982 में पश्चिम बंगाल राज्य को किए गए नियतनों की तुलना में सीमेंट प्रेषण लगभग 2 लाख मी० टन कम रहा है। यह सम्भव है कि सीमेंट की कमी से पश्चिम बंगाल राज्य के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति औसत आमदनी

4006. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार राष्ट्रीय आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार गरीबी के स्तर से नीचे कितने लोग थे और क्या इन लोगों की इस अवधि में वास्तविक आमदनी के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है। यदि हां, तो पता लगाई गई आमदनी कितनी है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय आय में वर्ष-वार प्रतिशत परिवर्तन गुणक लागत और वर्ष 1970-71 की कीमतों पर अद्यतन तीन वर्षों के लिए उपलब्ध हैं जो नीचे दिए गए हैं :

1979-80	(—) 5.4
1980-81	8.1
1981-82	5.0

(ख) इस अवधि में वर्ष 1970-71 की कीमतों पर वर्षवार प्रति व्यक्ति औसत आय नीचे दी गई है :

	रु०
1979-80	662.5
1980-81	700.4
1981-82	719.9

(ग) गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित आवधिक सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 में किया गया था और अगला सर्वेक्षण वर्ष 1983 में किया जाना है। इस प्रकार अद्यतन सरकारी अनुमान वर्ष 1977-78 के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के दो सर्वेक्षणों के बीच के मध्यावर्ती वर्षों में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का यदि अभिकलन किया ही जाना है तो वह मोटे तौर पर केवल सामान्य बहिवेशन (एक्सट्रैपलेशन) तथा अर्थ-व्यवस्था के संवृद्धि निष्पादन और गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावों के लिए गुंजाइश रखकर किया जा सकता है। इस आधार पर, देश में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1979-80 में 3168 लाख, वर्ष 1980-81 में 2923 लाख और वर्ष 1981-82 में 2820 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। परिवार उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में परिवार के व्यय के बारे में ही आंकड़े एकत्र किए जाते हैं इसलिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के कोई अनुमान तैयार नहीं किए जाते हैं।

राज्यों में महिला बन्दियों के लिए विशेष "लाक-अप"

4007. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला बन्दियों के लिए विशेष "लॉक-अप" की अलग व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के ऐसे "लॉक-अप" वाले स्थानों की राज्यवार एक सूची सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :(क) तथा (ख) महिला बंदियों को सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में अलग कक्षों अथवा बोर्डों में रखा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानों पर केवल महिलाओं के लिए अलग जेल अथवा जेलों के अलग खण्ड विद्यमान हैं :

1. आन्ध्र प्रदेश		राजाहमुन्द्री, हैदराबाद
2. बिहार	—	भागलपुर
3. गुजरात	—	बड़ौदा
4. महाराष्ट्र	—	यरवदा, पुणे
5. पंजाब	—	लुधियाना
6. राजस्थान	—	जयपुर
7. तमिलनाडु	—	वेल्लोर
8. उत्तर प्रदेश	—	लखनऊ

(ग) राज्य सरकार से अनुरोध है कि जहां आवश्यक हो महिला अपराधियों की देखभाल, इलाज और पुनर्वास के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध की जायें।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार करना

4008. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री भीम सिंह } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विस्तार की एक योजना तैयार कर ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसके बाद इस योजना के लिए 1,279 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और इतना अधिक आर्थिक अन्तर के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) 947.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बोकारो इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता का 17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करने की योजना अक्तूबर, 1971 में मंजूर की गई थी। यह अनुमान वर्ष 1974 की तीसरी तिमाही में प्रवर्तमान मूल्यों के आधार पर लगाया गया था।

दिसम्बर, 1982 में इस परियोजना के लागत अनुमान में संशोधन करके इसे 1637.55 करोड़ रुपये कर दिया गया।

यह वृद्धि निर्माणावधि में मूल्यों में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन तथा ब्याज, शुल्क और करों में वृद्धि होने के कारण हुई है।

1000 मेगावाट के आणविक बिजलीघर की स्थापना हेतु विदेशों से बातचीत

4009. **श्री आनन्द सिंह**
डा० बसंत कुमार पंडित } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार भारत में 1000 मेगावाट के आणविक बिजलीघर की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस बारे में रूस, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन आदि से कोई बातचीत हुई है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में राजनैतिक दबाव से बचने हेतु विश्व भर से निविदायें आमंत्रित कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ ने भारत में 1000 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजलीघर लगाने की पेशकश की है। भारत का एक तकनीकी दल भारत में एक परमाणु बिजलीघर लगाने की पेशकश के विभिन्न तकनीकी विवरणों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में सोवियत संघ गया था। तकनीकी दल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पहले पेशकश का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करेगी। किसी भी और देश ने ऐसी पेशकश नहीं की है।

(ग) जी, नहीं।

स्वतंत्रता सेनानियों से सम्बन्धित सलाहकार समिति की सिफारिशें

4010. **श्री डूंगर सिंह**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित मामलों के बारे में सलाह देने हेतु गठित की गई सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उपरोक्त समिति की शुरू से अन्त तक की बैठकों में की गई सिफारिशों की प्रतिलिपियां सदन के सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गैर-सरकारी सलाहकार समिति की सिफारिशों और उनपर की गई कार्यवाही का विवरण

1. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशें :

(क) 1.8.80 से एक विशिष्ट मामले के रूप में उन व्यक्तियों के लिए सम्मान पेंशन की स्वीकृति जो स्वेज नहर और अम्बाला छावनी के सम्बन्ध में सजा काट चुके हैं।

(ख) सम्मान पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए अरण्य सत्याग्रह (कर्नाटक) को मान्यता।

(ग) छः महीने की जेल सजा/नजरबंदी के समर्थन में स्वीकार्य दस्तावेजी सबूत के मामले में ढील। ऐसे दो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से सहबंदी प्रमाणपत्र जिन्होंने एक वर्ष से अधिक सजा काटी हो और समान पेंशन और ताम्र पत्र प्राप्त किये हों।

(घ) राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के भाग के रूप में हालवैल भानूमैंट रिमूवल मूवमैंट (1940) को स्वीकार करना।

(ङ) न्यू गुईना और अन्य द्वीप को भेजे गये भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों को पेंशन देना।

(च) सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 1951-52 तक प्रकाशित स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकें/सूचियों पर विचार करना।

(छ) स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन को स्वीकृति के प्रयोजन के लिए कोड़े मारने/बेंत मारने को मान्यता।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत न की गई सिफारिशें :

(क) जिन व्यक्तियों ने निम्नलिखित सैनिक विद्रोहों के संबंध में सजा काटी है उन्हें 1.8.80 से सम्मान पेंशन स्वीकृत करना।

(1) सैन्ट्रल इंडिया हाउस म्यूटिनों, (2) एम० टी० लोडिंग एंड अनलोडिंग केस इन इजिप्ट, (3) स्टील हेलमेट केस (एच० के० एस० आर० ए०) हांग कांग (4) पंजाब रेजीमेंट आर्मी रिबोल्ट ऐट झांसी (5) मद्रास आर्टिलेरी म्यूटिनो, 1943·

(ख) राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के भाग के रूप में कुका आन्दोलन को (61) स्वीकार करना ।

(ग) झांसी रेजीमेंट की रानी की भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज की जो महिला सदस्य युद्ध मोर्चों पर लड़ी थी उनकी पेंशन योजना के उपबंधों में ढील देकर पेंशन की स्वीकृति ।

(घ) जेलों में स्वतंत्रता सेनानी माता-पिता के पैदा हुए बच्चों अथवा जो अर्हक समय के लिए जेलों में उनके साथ रहे उनको पेंशन के उपबंधों में ढील देकर सम्मान पेंशन के लिए पात्र मानना ।

(ङ) शहीदों की विधवाओं/माता-पिता को पेंशन की मासिक मात्रा में वृद्धि करके 300/- रु० प्रति माह करना । यह रकम यदि वे जीवित रहते तो उनको स्वीकार्य होती ।

(च) पुन्नापुरा-वायल्लार संघर्ष (केरल) को मान्यता ।

(छ) सम्मान पेंशन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के भाग रूप में तेलंगाना अपरूजिग को मान्यता का प्रश्न ।

3. सिफारिशें जिनकी सरकार आगे जांच कर रही है :

(क) जिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने भूमिगत/नजरबंद/निष्कासन की यातनाओं के संबंध में वर्तमान योजना के अन्तर्गत तथा अपेक्षित 5 वर्ष के स्थान पर कम से कम 2 वर्ष की सजा काटी हो उनको व्यक्तिगत जानकारी से प्रमाण पत्र स्वीकार करने का प्रश्न, बशर्ते कि प्रमाण-कर्ता स्वतंत्रता सेनानी राज्यों के पुनर्गठन से पहले उसी प्रशासनिक यूनिट का हो जिसका आवेदक है ।

(ख) चिंगानूर के उस दंगे को मान्यता, जो 1939-40 में भूतपूर्व ट्रावन कोर प्रिंसली स्टेट में हुआ था ।

(ग) 1939-40 में भूतपूर्व ट्रावनकोर प्रिंसली राज्य में जो मालाबार अध्यापक संघर्ष हुआ था उसको मान्यता देने का मामला । गैर सरकारी समिति की प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक स्वरूप की सिफारिशें, जैसे कुछ मामलों इत्यादि में वसूली के बाजदावे मान ली गई और आवश्यक अनुदेश/मार्गदर्शन जारी किए गए ।

नेपाल में औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित करना

4011. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या उद्योग मंत्री नेपाल में औद्योगिक संपदायें स्थापित करने के बारे में दिनांक 20 अक्तूबर, 1982 के अतांकित प्रश्न संख्या 2761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संपदाएं स्थापित करने के लिए ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट तथा लागत अनुमानों और संयुक्त औद्योगिक तथा लागत अनुमानों और संयुक्त औद्योगिक समिति के लिए विचारार्थ विषयों सहित ब्योरेवार कार्यविधियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा;

(घ) क्या नेपाल के सपतरी जिले में लक्ष्मीपुर में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का एक लम्बे समय से प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और उसकी स्थापना करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा समय अनुसूची क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बुटवाल में औद्योगिक बस्ती की स्थापना करने हेतु एक संभाव्यता रिपोर्ट और लागत अनुमान तैयार करने का काम भारत सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सौंपा है। आवश्यक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा नेपाल का शीघ्र ही दौरा किए जाने की संभावना है।

नेपाल के प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त आर्थिक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग सम्बन्धी एक उप-आयोग को इसका एक हिस्सा बनाए जाने का प्रस्ताव है। संयुक्त औद्योगिक समिति के कार्यों कीदेखभाल उद्योग सम्बन्धी उप-आयोग द्वारा की जायेगी।

(घ) और (ङ) दोनों सरकारों के बीच वर्ष 1978 में हुए समझौता-ज्ञापन के अनुसार, नेपाल में एक संयुक्त उद्यम सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार किया गया था। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा पहले तैयार की गई एक रिपोर्ट का हाल में ही पुर्नमूल्यांकन किया गया है और उसे नेपाल सरकार को प्रस्तुत कर दिया है जिसकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा है।

इस्पात, सीमेंट, बिजली और कोयले के उत्पादन हेतु 20-वर्षीय योजना

4012. **श्री कुंवर राम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में राज्यों के साथ बातचीत का दौर कब से शुरू किया जाएगा; और

(ख) क्या इस्पात, सीमेंट, बिजली और कोयले के उत्पादन के लिए 20-वर्षीय योजना शुरू करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया

है कि सातवीं योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में राज्यों के साथ विचार विमर्श का दौर कब से शुरू किया जाएगा।

(ख) योजना एक सतत प्रक्रिया है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के अलावा दीर्घावधि के लिए भावी योजनाएं भी तैयार करता है।

विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में उद्योग स्थापित करना

4013. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में औद्योगिक प्रगति की समस्याओं के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो विजयवाड़ा की परिसीमा में और आगे औद्योगिक प्रगति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जिला उद्योग केन्द्र, विजयवाड़ा ने एक अध्ययन किया है और 1981-86 अवधि में उद्योगों के लिए कार्य योजना के साथ-साथ कृष्णा जिले के औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

जिला उद्योग केन्द्र, विजयवाड़ा, विभिन्न सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विकास संगठन जैसे—आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन, आन्ध्र प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट सर्विस इन्स्टीट्यूट, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों जैसे : उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण, तकनीकी पाठ्यक्रमों, मशीनों और औजारों की व्यवस्था करने कच्चे माल, वित्तीय सहायता, संयुक्त सहायता सेवाओं, विपणन सहायता, औद्योगिक स्थान उपलब्ध करवाकर विजयवाड़ा में उद्योगों के संवर्द्धन और विकास के लिए अनेक अभ्युपाय कर रहा है।

खादी भवन", नई दिल्ली का आगे किराये पर दिया जाना

4014. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या उद्योग मंत्री खादी भवन, नई दिल्ली को आगे किराए पर देने के बारे में 11 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी भवन, रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली की दूसरी मंजिल के किराएदार को इसे आगे किराए पर देने हेतु, ऊादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमति देने के प्रश्न के पुनर्विचार के बारे में अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने किरायेदार तथा उप-किरायेदार की किरायेदारी समाप्त कर दी है; और शर्तों का उल्लंघन करके आगे किराये पर देने के आधार पर दिल्ली के किराया (रेन्ट कन्ट्रोलर) के यहां किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। यह मामला किराया नियंत्रण (रेन्ट कन्ट्रोलर) के पास निर्णयाधीन है।

औद्योगिक गतिविधियों से वंचित क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या

4015. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 1981-82 और 1982-83 में औद्योगिक गतिविधियों से वंचित क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार का क्या कार्यक्रम है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) और (ख) जहां पर कोई भी बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं है, ऐसे 8 जिलों (सूची संलग्न है) **[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी.** 6207,83] का नम्बर, 1981 में उद्योग रहित जिलों में रूप में पता लगाया गया था और सरकार ने इन जिलों में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को लाइसेंस स्वीकृति करने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता देने का निर्णय लिया था।

1982 के दौरान उद्योग रहित जिलों को जारी किए गये आशयपत्रों/औद्योजिक लाइसेंसों की संख्या बताने वाला एक बिवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी.** 6207/83]

जिन जिलों में कोई बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है उनकी सूची।

1. **आसाम**
   1. लखीमपुर
   2. उत्तरी कछार पहाड़ियां
2. **बिहार**
   1. औरंगाबाद
   2. भोजपुर
   3. खागारिया
   4. नालन्दा
   5. पूर्णिया
   6. सहरसा (माधोपुर जिले में से बनाए गए जिले सहित)
3. **गुजरात**
   1. डांग्स
4. **हिमाचल प्रदेश**
   1. चम्बा
   2. कांगड़ा
   3. किन्नौर
   4. कुल्लू
   5. लाहौल और स्पिती

5. **जम्मू और काश्मीर**

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. लद्दाख
4. पुंछ
5. पुलवामा
6. राजौरी
7. ऊधमपुर

6. **कर्नाटक**

1. बीदार

7. **मध्य प्रदेश**

1. बलाघाट
2 भिण्ड
3. छत्तरपुर
4. छिन्दवाड़ा
5. दमोह
6. दतिया
7. धार
8. गुना
9. झबुआ
10. मांडला
11. नरसिंह पुर

8. **मणिपुर**

1. मणिपुर (केन्द्रीय)
2. मणिपुर (पूर्वी)
3. मणिपुर (उत्तरी)
4. मणिपुर (दक्षिण)

सेलम स्टेनलैस स्टील संयंत्र को आयात शुल्क में रियायत

4016. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम स्टेनलैस स्टील संयंत्र को 200 प्रतिशत की सीमा तक आयात शुल्क के सम्बन्ध में की जा रही छूट को रद्द करने से संयंत्र के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) आयात-शुल्क की वर्तमान पूरी दर पर कच्चे माल का आयात करने से सेलम इस्पात कारखाने को काफी हानि होगी। शुल्क से राहत देने का मामला विचाराधीन है।

शक्तिनगर तथा अशोक बिहार को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत

4017. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या शक्तिनगर को, बाया लक्ष्मी बाई कालेज, अशोक बिहार से जोड़ने वाली सड़क के स्वामित्व के बारे में दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच विवाद है;

(ख) क्या इस विवाद के कारण इस सड़क की मरम्मत बिल्कुल नहीं की गई है और वह बुरी हालत में है जिसके कारण अशोक नगर तथा शक्ति नगर के निवासियों को असुविधा हो रही है; और

(ग) विवाद को सुलझाने तथा सड़क की मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ग) तक दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संबंधित सड़क के दो खंड हैं। शक्तिनगर रेलवे फाटक से नजफगढ़ नाले तक का भाग निगम के पास है और संतोष जनक स्थिति में है। निगम ने हाल ही में खडंजा द्वारा फार्मबन्दी करके सड़क के इस भाग का सुधार किया है। नजफगढ़ नाले से अशोक बिहार, द्वारा लक्ष्मीबाई कालेज तक का शेष भाग दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राधिकरण ने इस सड़क को चौड़ा करने के लिए एक योजना बनायी है और इस पर कार्य किया जा रहा है। विद्युत उप-केन्द्र के स्थानान्तरण और कुछ वृक्षों को काटने के बाद जो सड़क को चौड़ा करने के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, के लिए स्वीकृति प्राप्त करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्य आरंभ करेगा।

वाहनों से निकलने वाला धुआं और शोर

4018. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जैसे महानगरों में यातायात वाहनों से निकलने वाले धुआं और शोर को नियमित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रगति हुई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) यातायात वाहनों द्वारा उत्सर्जित शोर और वायु प्रदूषण पर कुछ शहरों में सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं। नगर निगम अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग वाहनों द्वारा उत्सर्जित शोर और वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए किया जा रहा है।

उत्पादकता वर्ष के रूप में घोषित वर्ष 1983 में कम उत्पादन

4019. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि दस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है, कुछ क्षेत्रों में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, सेक्टर-वार कितने प्रतिशत कम उत्पादन हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1982 को "उत्पादकता वर्ष" घोषित किया था न कि 1983 को। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार : 1970-100) तथा साथ ही 1981 और 1982 के सामान्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं।—

क्षेत्र	1981	1982	प्रतिशत
	(अनन्तिम)	(अनन्तिम)	परिवर्तन
विनिर्माण	157.6	162.5	+ 3.1
खनन	170.4	187.6	+10.1
बिजली	220.4	236.4	+ 7.3
सामान्य सूचकांक	164.6	171.7	+ 4.3

(ख) विभिन्न उद्योगों के 1982-83 के वार्षिक योजना लक्ष्य "वार्षिक योजना 1982-83" (पृष्ठ 87 से 91) के प्रकाशित प्रलेख में पहले ही उपलब्ध हैं। 1982-83 के समूचे वर्ष के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र में उद्योगहीन जिले

4020. **श्री आर. आर. भोले :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के 87 जिलों में से एक भी जिले को उद्योगहीन जिले की सूची में शामिल नहीं किया है यद्यपि योजना आयोग ने 13 जिलों को पिछड़ा घोषित किया है; और

(ख) क्या यह महाराष्ट्र के प्रति बहुत अनुचित है और क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ खास कारणों से अन्य राज्यों के जिलों की तुलना महाराष्ट्र के जिलों से नहीं की जा सकती है और महाराष्ट्र में जिले को यूनिट मानने के स्थान पर "तहसील" को यूनिट मानने पर विचार करने हेतु अनुरोध किया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) केवल उन्हीं जिलों को "उद्योग रहित जिला" माना गया है जिनमें कोई भी बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं।

(ख) उद्योग रहित जिलों में सम्मिलित न किए गए पिछड़े जिले क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहन रियायतें प्राप्त करते रहेंगे।

महाराष्ट्र सरकार को सूचित कर दिया गया है कि औद्योगिक छितराव पर पिछड़े क्षेत्रों को विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय से किये जाने के बाद ही औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की वर्तमान सूची में कोई परिवर्तन करना सम्भव हो सकेगा।

कर्नाटक के श्रमिकों का गोवा वापिस भेजा जाना

4021. **श्री राम लाल राही : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा की खानों में पिछले दस से बीस सालों से कार्य कर रहे कर्नाटक के मजदूरों को अब गोआ से कर्नाटक वापिस भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें वापिस भेजने से देश की अखंडता को खतरा पैदा होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आधुनिकीकरण करने और विस्तार योजनाओं में सीमेंट निर्माताओं का सहयोग

4022. **श्री अजित बाग : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिकीकरण करने और विस्तार करने की सरकार की योजनाओं के प्रति सीमेंट निर्माताओं का रुख कैसा है;

(ख) इस मामले में कितने निर्माता सहयोग करने को तैयार हैं;

(ग) अन्य सीमेंट निर्माताओं से सरकार किस तरह निपटेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) : जी हां। सुझाव का उद्योग द्वारा स्वागत किया गया है। सीमेंट उत्पादक संघ ने बताया है कि अब तक 54 सीमेंट फैक्ट्रियों ने, 2000/—करोड़ रुपये से अधिक के कुछ निवेश का मशीनों के आधुनिकीकरण और/या विस्तार करने का कार्यक्रम बनाया है।

बी.एच.ई.एल. की वाल्व निर्माणकर्ता यूनिटों की स्थापना

4023. **श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की वाल्व बनाने की यूनिट की स्थापना के लिए अंतिम रूप से स्थान का चयन कर लिया है;

(ख) क्या केरल ने भी प्रस्तावित यूनिट की स्थापना हेतु सुविधाएं देने की पेशकश की है;

(ग) क्या इसे अन्तिम रूप से अस्वीकार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा था जिसमें केरल में बी.एच.ई.एल. द्वारा वाल्व निर्माण एकक स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि वाल्वो के निर्माण के लिए सुविधाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पहले केरल सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बी.एच.ई.एल. ने तिरुचि में अपनी वाल्व निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु और पंजाब में पृथक सुविधा स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उपर्युक्त आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।

आसाम में जान माल की हानि

4024. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में आगजनी और हिंसा में मारे गये व्यक्तियों की सख्या कितनी है और चुनावों की घोषणा के बाद से सम्पति की कितनी हानि हुई है;

(ख) कितनी महिलाओं और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के नर संहार से बचने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राज्य सरकार के अनुसार जनवरी, 1983 के बाद 21-3-1983 तक पुलिस गोलीबारी में 155 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और हिंसक घटनाओं में 1482 लोगों की जानें गयीं। आसाम में चुनावों की घोषणा के बाद हुई सम्पत्ति की हानि का आसाम सरकार से पता लगाया जा रहा है।

(ख) सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है।

(ग) विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य सरकार की स्थिति से अवगत है। केन्द्रीय सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को पूर्ण समर्थन और आवश्यक सहायता देती रहेगी। 14 मार्च और 22 मार्च को गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में उठाए गए कदमों के बारे में बता दिया था।

राजस्थान राज्य द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

4025. **श्री चतुर्भुज** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशि को संबंधित परियोजनाओं पर खर्च न करके अन्य प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रमवार और परियोजनावार कितनी

धनराशि दी गई थी और प्रत्येक परियोजना पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है और शेष राशि के उपयोग का पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता अब परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है और यह सम्पूर्ण योजना के लिए दी जाती है न कि किसी विशिष्ट परियोजना/कार्यक्रम के लिए। योजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय का केवल कुछ भाग ही विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा केन्द्रीय सहायता विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, जनजातीय उप-योजना, अनुसूचित जाति संघटक योजना, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, सूखा राहत के लिए तथा राजस्थान नहर परियोजना प्रावस्था-2 के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता को अन्य प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में घाटा

4027. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 के वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ रुपये के घाटे को देखते हुए योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार से कोई उपचारी उपाय करने को कहा है अन्यथा घाटे के बराबर केन्द्रीय वार्षिक योजना को कम करने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और क्या उपचारी उपाय किए गए तथा उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार के 1375 करोड़ रुपये के मूल बजटीय घाटे के मुकाबले, अब घाटा 1935 करोड़ रु० (परिशोधित अनुमान) होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 31 मार्च, 1982 को अपने घाटे को समाप्त करने के लिए राज्यों को दी गई 1743 करोड़ की विशेष ऋण सहायता शामिल नहीं है जिसका चालू वर्ष में कोई प्रभाव नहीं है। केन्द्रीय बजटीय घाटे में जो वृद्धि हुई है, वह केन्द्रीय योजना के लिए अधिक बजटीय समर्थन के अलावा राज्यों को अधिक अन्तरण, देशीय उर्वरकों पर अधिक राजसहायता तथा बढ़ा हुआ रक्षा व्यय आदि जैसे अनेक उत्पादानों के कारण हुई है। इन परिस्थितियों में योजना आयोग ने केन्द्रीय वार्षिक योजना को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कहना आवश्यक नहीं समझा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

4028. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अब तक कितने हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं ?

(ख) उनमें से कितने हिन्दी भाषी क्षेत्र से हैं और कितने गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों से;

(ग) कितने केरल वासियों को हिन्दी अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन नियुक्तियों में गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी नहीं। हिन्दी अधिकारी के पदों पर नियुक्ति इनके भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

आसाम से पश्चिम बगाल को शरणार्थी

4029. **श्री सत्यपाल मिश्र :**
श्री वी. डी. सिंह :
श्री जयपाल सिंह कश्यप :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में शरणार्थी, जो आसाम में हुए हाल के दंगों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गये हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने दगों से पीड़ित ग्रस्त शरणार्थियों के लिए अस्पताल खोलने और उन्हें खाना, वस्त्र और शरण देने के लिए केन्द्र से सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त (क) और (ख) का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार 13-3-1982 तक असम से पश्चिम बंगाल में 16,771 शरणार्थी आ चुके हैं। पश्चिम बगाल सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है और केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक महीने के खर्च की प्रतिपूर्ति करने को सहमत हो गई है।

असम में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। असम सरकार से ऐसे प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया, जिससे जो शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ गये हैं, वे वापस असम को लौट सकें।

आसाम में रह रहे विदेशी राष्ट्रिक

4030 **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य में कितने विदेशी राष्ट्रिक रह रहे हैं;

(ख) आसाम की इस समय जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उन विदेशी राष्ट्रिकों को भारत का नागरिक बनने की अनुमति दे दी है और उन्हें आसाम में रहने की इजाजत दे रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1981 में जब सम्पूर्ण देश में आम जनगणना की गई थी तब असम में व्याप्त अशांत परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं की जा सकी थी।

(ग) और (घ) 1956 से 1980 तक की अवधि के दौरान असम सरकार द्वारा 1,53,113 नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान किये गये थे।

सरकारी सेवा में भर्ती के लिए पुलिस द्वारा सचरित्रता की पुष्टि कराना

4031. **श्री सुधीर कुमार गिरि :**
श्री निरेन घोष : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए चुने गये लोगों की सचरित्रता की पुलिस द्वारा पुष्टि करने के नियम का अनुसरण कर रही हैं;

(ख) क्या सभी अथवा कुछ राज्य सरकारें भी इसी नियम का अनुसरण कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के इस आशय के निर्णय की ओर दिलाया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिये उम्मीदवार लोगों के बारे में उनकी सचरित्रता की पुलिस द्वारा पुष्टि के नियम को समाप्त कर दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) पुलिस द्वारा सत्यापन से सम्बन्धित कोई नियम नहीं है, फिर भी सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सरकार अपने अधीन अभिकरणों के माध्यम से उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्तों का सत्यापन करती है।

(ख) विभिन्न राज्यों में अपनाई जाने वाली नीति राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है।

(ग) तथा (घ) अपील करने की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) 1980 की संख्या 4679 में माननीय न्यायाधीश मिस्टर ओ. चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा दिनांक 21.2.1983 को दिये गये निर्णय की एक प्रति प्राप्त कर ली है और इसकी जांच की जा रही है।

उड़ीसा में जनगणना निदेशालय के कर्मचारियों की छंटनी

4032. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि उड़ीसा के जनगणना निदेशालय के कुछ कर्मचारियों की 28 फरवरी, 1983 को छटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ग) इस संगठन के कितने लोगों की छटनी की गई और उनमें से कितने लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी कर्मचारियों को खपा लेने का है और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या 1971 की जनगणना के बाद सरकार से छंटनी हुए सभी जनगणना कर्मचारियों को खपा लिया था; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार 1981 के जनगणना कर्मचारियों के लिए भी ऐसा कदम उठाने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 28 फरवरी, 1983 को उड़ीसा के जनगणना निदेशालय के किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। किन्तु इस तारीख तक विशिष्ट कार्य के लिए भर्ती किये गये अनेक अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी की गई थी।

(ख) उत्तर के लिये कृपया (घ) देखें।

(ग) 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् इस निदेशालय के किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। इस तारीख से पहले छंटनी किये गये कर्मचारियों के बारे में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि उनमें से कितनों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदों पर भर्ती भिन्न-भिन्न समय पर अलग अलग साधनों और तरीकों के माध्यम से भिन्न-भिन्न स्तरों पर अनेक रोजगार प्राधिकरणों द्वारा की जाती है और ऐसी कोई केन्द्रीकृत एजेंसी नहीं है जिससे यह सूचना उपलब्ध हो सके।

(घ) इसमें प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर भी शामिल है :

अस्थाई जनगणना कर्मचारी जिनको जनगणना अनुसूचियों के सम्पादन और कूटबद्ध करने से संबंधित विशेष सारणीकरण कार्यों के लिये रोजगार दिया गया था, को स्पष्टत: इस शर्त पर भर्ती किया गया था कि उनकी सेवाएं पूर्णत: अस्थाई हैं और वह कार्य पूरा होने पर जिसके लिये उन्हें भर्ती किया गया है उनकी छंटनी कर दी जायेगी। किन्तु पूर्णत: सहानुभूति के आधार पर सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन कर्मचारियों की जब छंटनी की जाती है तो इनका बेहतर पुनर्वास कैसे किया जाये। पहले उपाय के रूप में छंटनी किये गये

जनगणना कर्मचारियों के पुन: रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि इन कर्मचारियों को निम्नलिखित रियायतों के लिए भी पात्रता दी गई है :—

(I) जनगणना संगठन में उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के बराबर आयु और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम के अतिरिक्त सीधी भर्ती द्वारा पदों की भर्ती के लिए तीन वर्ष तक उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता ।

(II) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के लिए अग्रता-III की पात्रता ।

(III) 1983 के अन्त तक समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा देने के पात्र हैं चाहे उन्होंने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे जनगणना संगठन में अपनी आरम्भिक भर्ती के समय कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निर्धारित आयु-सीमा में थे और वे अन्यथा संबंधित पदों पर भर्ती के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं के आधार पर इन परीक्षाओं के पात्र हैं।

(IV) अपने रोजगार कार्यालय द्वारा उनके नाम प्रायोजित किये बिना विभिन्न भर्ती प्राधिकरणों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए भर्ती हेतु आवेदन देने के पात्र हैं यद्यपि चाहे उन्होंने स्वयं की अग्रता-III की रियायत प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा रखा हो।

उक्त रियायतों को उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध की गई हैं बशर्ते कि—

(I) वे प्रारम्भिक रूप से रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किया गया हो।

(II) उन्होंने लगातार छः महीने से कम सेवा न की हो ।

(III) सेवा की उनकी बर्खास्तगी स्थापना में कमी के कारण हो अर्थात् इन कार्यालयों को उस कार्य की समाप्ति के पश्चात् बन्द किया गया जाना जिसके लिए उन्हें खोला गया था ।

(ङ) जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, पदों पर भर्ती असंख्य तरीकों के माध्यम से समयों में भिन्न भिन्न स्तरों पर की जाती है । अत: खेद है कि यह सूचना प्रस्तुत करना कि 1971 की जनगणना के छंटनी किए गये कर्मचारी सरकार द्वारा समाहित कर लिये गये थे, संभव नहीं है।

(च) 1981 की जनगणना के संबंध में लिये गये सभी अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी होने पर उनके लिये वैकल्पिक रोजगार सुनिश्चित करना संभव नहीं है किन्तु उनके पुनर्वास के लिये किये जाने वाले विभिन्न प्रस्तावित उपाय उपर्युक्त उप भाग (घ) के उत्तर में दिये गये हैं।

राजधानी में दहेज संबंधी मौतें

4033. **श्री स्कारिया थामस :**

प्रो. मधु दंडवते :

श्री एम. एस. के सतियेन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 1983 (फरवरी तक) के दौरान, वर्ष-वार राजधानी में दहेज सम्बन्धी कुल कितनी मौतें हुई हैं; और

(ख) दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़ित करने और हत्या करने की इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

1979	9
1980	17
1981	23
1982	40
1983	3
(28.2.83 तक)	

(ख) किये गये कुछ प्रशासनिक उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा रेडियो, दूरदर्शन और अन्य प्रचार माध्यमों पर दहेज विरोध अभियान शुरू करने के लिये एक दहेज-विरोधी कक्ष स्थापित किया गया है।

(2) युवा विवाहित महिलाओं की आत्महत्या, अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं। जांच पड़ताल किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी है जो सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का न हो।

(3) ऐसे मामलों में शव परीक्षा रिपोर्ट कम से कम दो डाक्टरों द्वारा तैयार की जानी है। इन मामलों में मृत्युकालीन घोषणा दर्ज करने के लिये विशेष मजिस्ट्रेट लगाये गये हैं।

(4) ऐसी सभी महिलायें, जो ऐसे अपराधों की शिकार होती हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता की पात्र हैं।

(5) दहेज के कारण हुई मौतों की घटनाओं से निपटने के लिये दिल्ली पुलिस में हाल में एक विशेष कक्ष बनाया गया है। यह कक्ष एक पुलिस उपआयुक्त के पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

दहेज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराधियों के विरुद्ध कारगर पुलिस कार्रवाई एक निवारक कार्रवाई होगी। वर्ष 1982 में सूचित किये गये 40 मामलों में 92 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे और इन मामलों में भरसक कार्रवाई की जा रही है।

सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

4034 **श्री. पी. जे. कुरियन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सीमेंट संयत्रों की स्थापना के लिये कितने लायसेंस जारी किये हैं और उनके बारे में स्थान; क्षमता; संयंत्र का काम पूरा करने के लिये दिया गया समय आदि से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न कंम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) देश के विभिन्न भागों में ऐसे संयंत्रों में आरम्भ किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने लायसेंसों का उपयोग नहीं किया है और जिनके कारण सीमेंट के उत्पादन में बाधा पड़ रही है; और

(घ) जाली कंपनियों के ऐसे लायसेंस रद्द करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो वास्तव में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने में रूचि नहीं रखते ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) पार्टियों के नाम, स्थापना स्थल, क्षमता और औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि तथा लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जहां सन्तोषजनक प्रगति की सूचना नहीं मिली है। उन साइसेंसों को प्रतिसंहृत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

क्र. सं.	एकक का नाम	स्थापना स्थान	वार्षिक सीमेंट क्षमता (लाख मी. टन)	औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि	कार्यान्वन की प्रगति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	सोनवेती पोर्टलैंड सीमेंट कं. लि.	जापता (बिहार)	3.30 (कार्य चालू रखने के आधार पर)	—	सूचना है कि प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।
2.	ताडपत्री सीमेंट लि.	ताडपत्री (आ. प्र.)	4	30.6.81 तक	वही
3.	मेघालय आई डी सी	गारो पहाड़िया (मेघालय)	4	30.6.83 तक	वही
4.	एथ्यम सीमेंट्स एंड मिनरल्स लि.	यादिकी (आ. प्र.)	4	31.3.83 तक	वही
5.	मालावार सीमेंट्स लि.	पालघाट (केरल)	4.2	31.3.83 तक	1983-84 में चालू होने की आशा है।
6.	दामोदर सीमेंट एड स्लैग लि.	मलुकुण्डा (पश्चिम बंगाल)	2.6	16.9 83 तक	वही
7.	यू. पी. एस. सी. सी. लि.	चुनार (उ. प्र.)	8.4 (पर्याप्त विस्तार)	31.7.82 तक	वही
8.	के. सी. पी. लि.	मोचेरता (आ. प्र.)	0.96 (पर्याप्त विस्तार)	20.1.82 तक	सूचना है कि प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।
9.	बिरला जूट मैन्यु, कं. लि.	सतना (मध्य प्रदेश)	8 (पर्याप्त विस्तार)	24.1.83 तक	1983-84 में चालू होने की आशा है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	तारसन एण्ड ट्रबरो लि.	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	11.09	24.7.83 तक	1983-84 में चालू होने की आशा है।
11.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	आदिताबाद (आ. प्र.)	4.00	31.3.83 तक	वही
12.	ए. सी. सी. लि.	वाडी (कर्नाटक)	10 (पर्याप्त विस्तार)	3.4.83 तक	वही
13.	वही	गागत (हि. प्र.)	5.60	8.10.83 तक	वही
14.	काकतीय सीमेंट्स	हजूर नगर (आ. प्र.)	0.66	31.3.83 तक	वही
15.	ओरियन्ट पेपर मिल्स	असीफाबाद (आ. प्र.)	4.5 (2 केल)	14.10.1982 तक	82-85 में 4.5 लाख मी. टन की पहली प्रावस्था को चालू किया गया और 1984-85 में 4.5 लाख मी. टन की दूसरी प्रावस्था चालू होने की आशा है।
16.	आन्ध्र सीमेंट लि.	नादीहुडी (आ. प्र.)	2.5	31.12.83 तक	1983-84 में चालू होने की आशा है।
17.	नागार्जुन सीमेंट्स	नालनौंडा (आ. प्र.)	0.66	28.7.83 तक	वही
18.	सोमेश्वर सीमेंट एण्ड केमिकल्स	रंगनघाट (आ. प्र.)	0.66	2.8.83 तक	वही
19.	श्री राम सीमेंट्स	दांता (गुजरात)	0.66	23.9.83 तक	1984-85 में चालू होने की आशा है।

1	2	3	4	5	6
20.	हरिगंगा सीमेंट्स	राजुरा (महाराष्ट्र)	0.66	18.10.83 तक	वही
21.	स्वदेशी सीमेंट	कोटपुतली (राजस्थान)	0.66	9.11.83 तक	छठी योजनावधि में उत्पादन चालू होगा।
22.	कारोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि.	कातामात्ता (आ. प्र.)	10.00	10.12.83 तक	1983-84 में चालू होने की आशा है।
23.	मैसूर सीमेंट्स लि.	अन्नासन्द्रा (कर्नाटक)	1.9 (पर्याप्त विस्तार)	24.2.84 तक	न्यायाधीन
24.	इण्डिया रेयन कारपोरेशन	चीतापुर (कर्नाटक)	5.4	7.4.84 तक	1984-85 तक चालू होने की आशा है।
25.	जे. के. सिन्थेटिक लि.	निम्बोहेड़ा (राजस्थान)	0.50	13.5.84 तक	वही
26.	टैक्सयाको लि.	वेरयुन्तता (आ. प्र.)	5.0	1.8 84 तक	1983-84 में चालू होने की आशा है।
27.	आई. डी. सी. आफ उड़ीसा लि.	बारगढ़ (उड़ीसा)	1.65 (पर्याप्त विस्तार)	7.7.84 तक	वही
28.	जे. के. सिन्थेटिक लि.	निम्बोहेड़ा (राजस्थान)	4.2 (पर्याप्त विस्तार)	21.10.84 तक	वही

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की हत्या

4035. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की हाल ही में हत्या किये जाने की घटना की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों की हत्या के कितने मामले ध्यान में आए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तीन

(ग) जिन स्थानों पर विदेशी राष्ट्रिक रह रहे हैं वहां पुलिस गश्त को कड़ा कर दिया गया है और इन मामलों का पता लगाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में खनिज

4036. **श्री रास बिहार बहेरा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कालाहांडी जिले के विभिन्न भागों में अच्छी किस्म के खनिजों जैसे सीसा, रांगा, तांबा, मैंगनीज, बौक्साइट और बहुमूल्य दुर्लभ पत्थरों का खनिज जोन पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि असामाजिक तत्वों ने इस क्षेत्र से दुर्लभ पत्थरों की चोरी की है;

(घ) क्या खनिज सम्पदा का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो इन खनिजों के उपयोग के लिए सरकार की योजना और कार्यक्रम क्या है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) तथा (ख) विभिन्न प्रकार के अच्छी किस्म के खनिजों तथा कीमती दुर्लभ पत्थरों के भंडार कालाहांडी जिले के निम्नलिखित भागों में पाए जाते हैं :—

(1) गलातुरा के समीप मैंगजीन अयस्क।

(2) गोलामुन्डा, सिनामल-हाथीबन्धे, सोनापाली, कर्लाकोट तथा लांजी में लालमणि (गारमेंट) (ओपेक) नील स्फटिक (ब्लू कोरूंडम) तथा बेरिल जैसे अर्द्ध-कीमती पत्थर।

(3) बामिनीमुंडा तथा सिशीखाल क्षेत्रों में सीसा (गलीना)।

(4) कोरापुट जिले की सीमा के समीप काशीपुर, लोंजीमाली तथा सिजिमाली क्षेत्रों

बालाहान्डी जिले में तांबा या जस्ता खनिजीकरण का पता नहीं चला है।

(ग) इस्पात और खान मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(घ) तथा (ङ) कालाहांडी जिले में 82.28 मि. टन बाक्साइट भंडारों का अनुमान है जिनमें 42 से 45% तक एल्यूमिना तथा 5% से कम सिलिका है। इसके अतिरिक्त कोरापुट जिले की सीमा के समीप कालाहांडी लांजीगढ़ तथा सिजिमालो क्षेत्रों में 136 मि. टन बाक्साइट भडारों का अनुमान है जिनमें 40 से 42% एल्यूमिना तथा 2 से 5% सिलिका है। कालाहांडी जिले में ग्रेफाइट, चूना पत्थर तथा अर्द्ध-कीमती पत्थरों सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों की खोज चल रही है और इन निक्षेपों का वाणिज्यक खनन उनकी प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य

4037. **श्री नीरेन घोष :**

श्री जगदीश टाईटलर : क्या उद्योग मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में सीमेंन्ट का उत्पादन लक्ष्य से कही कम प्राप्त होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) से (ग) अवस्थापनापरक निविष्टियों की विशेषत: बिजली और कोयले की उपलब्धता ठीक हो जाने की स्थिति में वर्ष 1982-83 के दौरान सीमेंट के कुल उत्पादन का पूर्वानुमान 260 लाख भी टन लगाया गया था। किन्तु सीमेंट उत्पादक प्रमुख राज्यों में बिजली की उपलब्धता संबंधी अड़चनों के कारण वर्ष 1982-83 के दौरान सीमेंट का उत्पादन लगभग 230 लाख मी. टन ही प्रत्याशित है। विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग, अतिरिक्त क्षमता के लिए मंजूरी और कुछ सीमा तक आयात की अनुमति देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है।

20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए समितियां

4038. **श्री सुभाष यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर नजर रखने और तेजी लाने के लिए समितियों का गठन किया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर इस प्रकार की समितियों का गठन किया है; और

(ग) ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस प्रकार की समितियों का गठन नहीं किया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी राज्यों ने राज्य और जिला स्तरों पर प्रबोधन समितियां गठित की हैं। जिन राज्यों ने खण्ड/तालुका स्तर पर इस प्रकार की समितियां गठित की हैं उनके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

उच्च क्षमता वाली कम्पनियों द्वारा श्वेत और श्याम दूरदर्शन टयूबों का निर्माण

4039. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

श्री पी. के. कोडियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने केवल ऐसे उद्यमियों को श्वेत और श्याम दूरदर्शन टयूबों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया है जो 10 लाख या उससे अधिक की टयूबों की वार्षिक क्षमता-स्थायन की स्थिति में हों;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. निर्धारित सीमा तक अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. को इसके उत्पादन की जिम्मेदारी सोंपी जाएगी ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. सजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन पिक्चर टयूबों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता जुटाने के संबंध में बनाई गई नीति पर दिनांक 15 फरवरी, 1983 को जारी किए गए प्रेस नोट में कारणों का उल्लेख किया गया है। इसकी एक प्रति **अनुबन्ध 1** पर संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल. टी.** 6209/83]

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जब अपना उत्पादन बढ़ा कर प्रति वर्ष 10 लाख ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर टयूब तक करने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत करेगा, तब उसकी जांच की जाएगी।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनी प्रश्नावली के प्रति सीमेंट निर्माताओं से प्राप्त उत्तर

4040. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को अपनी प्रश्नावली के प्रति सीमेंट निर्माताओं के प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि उक्त प्रश्नावली का अब तक कोई विश्लेषण किया गया है तो उसके प्रति सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) यदि कोई विश्लेषण नहीं किया गया है तो उक्त विश्लेषण कब किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) सीमेंट उत्पादक संघ ने अनुरोध किया है कि उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए सीमेंट के कारखाना वाह्य संधारण मूल्य को बढ़ाने की अनुमति दी जाए। अनुरोध को जांच के लिए औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यौरो को भेजा गया था। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने सीमेंट उत्पादक से विस्तृत ब्यौरा मांगा था और अपने निष्कर्ष उद्योग मंत्रालय को भेज दिए हैं। वर्तमान में मामला विचाराधीन है।

प्रिवी पर्स की समाप्ति के पश्चात भूतपूर्व राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों को धन की अदायगी

4041. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिवी पर्स की समाप्ति के पश्चात् भी 1981 तथा 1982 में जिन भूतपूर्व राजाओं या उनके उत्तराधिकारियों को एक या दूसरे तरीके से धन की अदायगी की गई, उनके नाम क्या है;

(ख) 1981-82 में प्रत्येक भूतपूर्व राजा को कुल कितनी राशि की अदायगी की गई;

(ग) धन की अदायगी अब भी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) धन की अदायगी के लिए इन शासकों का चयन किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) 28 दिसम्बर, 1971 से लागू संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अन्त:स्थापित अनुच्छेद 363क से प्रिवी पर्स समाप्त हो गए और उनसे सबंधित सभी अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का उन्मूलन हो गया। तथापि, भारत सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में एक मुश्त नकद राशि देने का निर्णय किया था ताकि वे परिवर्तित परिस्थितियों में अपने को ढाल सकें और कठिनाइयों को कम कर सकें। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अधीन किसी भूतपूर्व शासक की मृत्यु होने की अवस्था में यह अनुग्रहपूर्वक अनुदान उसकी विधवा (विधवाओं) पुत्र (पुत्री) अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और उसके पुत्र की पहले मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को दिया जाना है। अनुमोदित योजना के अनुसार अब तक 274 भूतपूर्व शासकों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत किया गया है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 1981 में नवानगर, कोचीन के भूतपूर्व शासकों और वसावाड़ के एक तालुकदार को 15, 32, 189-00 रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया :—

श्री शत्रुशल्य सिंह, नवानगर के भूतपूर्व शासक	10,00,000 रुपये
श्री वी. रमन मैनन, कोचीन के भूतपूर्व शासक के पुत्र	5,30,000 रुपये
श्री प्रवीन चन्द्र आर. देसाई वासवाड़ के भूतपूर्व तालुकदार	2,189 रुपये
	15,32,189 रुपये

वर्ष 1982 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया ।

दैतारी इस्पात संयंत्र के लिए अधिकारियों, होस्टल और सम्बध कार्य हेतु एच.एस.सी.एल. ठेके

4042. **श्री माधव राव सिन्धिया :**

श्री जी.एम. बनातवाला : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड ने प्रस्तावित दैतारी इस्पात संयत्र के लिए अधिकारियों, एक होस्टल तथा सम्बद्ध कार्यों हेतु 12 करोड़ रुपये के एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त इस्पात संयत्र को सरकार ने अभी तक मन्जूरी नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त ठेके पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) से (ग) उड़ीसा में एक नए इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना प्राधिकारियों ने इमारतों के निर्माण तथा जल-आपूर्ति की योजना के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को एक आशय-पत्र दिया है, परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से करार नहीं दिया गया है ।

केन्द्र के पास मजूरी हेतु लंबित पड़े राज्यों के बिल

4044. **श्री चित्त महाटा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए कई वित्त बिल कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं तथा केन्द्र सरकार उन पर तब तक मंजूरी नहीं देती जब तक संबंधित राज्य सरकार उनके लिए दवाव नहीं डालती है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास राज्य-वाद कितने बिल लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उन पर राष्ट्रपति की मन्जूरी कब तक प्राप्त होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जी नहीं श्रीमान । सामान्यत: राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्राप्त विधेयकों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। तथापि कुछ मामलों में विधेयक में कुछ संदिग्धताओं या कुछ अन्य संबंधित कारणों से राज्य

सरकारों से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। ऐसे मामलों में इसे अन्तिम रूप से निपटाने में कुछ समय लग सकता है। 28 फरवरी, 1983 को 47 विधेयक लम्बित पड़े थे। इन विधेयकों के राज्य वार विवरण संलग्न हैं। उन्हें जहां तक सम्भव है शीघ्रता से निपटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 28-2-83 को लम्बित 47 विधेयकों का राज्य-वार ब्यौरे का विवरण।

राज्य का नाम	विधेयकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	7
हरियाणा	2
कर्नाटक	6
केरल	5
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	5
पंजाब	1
राजस्थान	4
तमिलनाडू	6
त्रिपुरा	1
पश्चिमी बंगाल	4
नागालैंड	1
जोड़	47

विभिन्न परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की निर्माण लागत में वृद्धि

4045. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की निर्माण लागत में असाधारण वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके कारण क्या हैं; और

(ग) यह किस सीमा तक बढ़ी है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल : (क) से (ग) निर्माणाधीन परमाणु बिजली घरों की लागत में हुई वृद्धि का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	आरभिक लागत अनुमान करोड़ रुपये	संशोधित लागत अनुमान करोड़ रुपये	वृद्धि के कारण
1.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना पहला यूनिट	61.78	118.83	(i) मूल्य वृद्धि
2.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना दूसरा यूनिट	70.63	127.04	(ii) डिजायन में परिवर्तन
3.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना-पहला और दूसरा यूनिट	209.89	399.64	(iii) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन
4.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना	382 52	कोई संशोधन नहीं हुआ	(iv) नए निर्माण कार्य

त्रिपुरा में आदिवासी आतंकवादियों की विद्रोही गतिविधियां

4046. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आतंकवादियों की विद्रोही गतिविधियां फिर से बढ़ रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र की अतिरिक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल तैनात करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने राज्य सरकार के अनुरोध का क्या उत्तर दिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) सितम्बर, 1982 के बाद त्रिपुरा में आदिवासी आतंकवादियों की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) राज्य सरकार को उपलब्ध बल का उचित ढंग से वितरण करके स्थिति का मुकाबला करने के लिए सलाह दी गई है ।

समुद्र के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प

4047. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रमिक ढंग से पूरे उपयोग के लिए एक पूर्ण विस्तृत आधार सामग्री तथा प्रौद्योगिकीय विकल्प हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार किया गया है;

(ख) उसे दृष्टि में रखते हुए क्या लघु और दीर्घकालीन कार्य तैयार किये गये हैं; और

(ग) इन से समुद्र के उपयोग की हमारी आशा कहां तक पूरी होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष , इलैक्ट्रानि ी और महासागर विकास विभागों में राज्य मत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

देश में क्रमिक ढंग से समुद्र के पूरे उपयोग के लिए एक पूर्ण विस्तृत आधार सामग्री तथा प्रौद्योगिकीय विकल्प स्थापित करने की दिशा में विभिन्न उपायों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। "महासागर नीति" को परिभाषित करने वाला एक दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर पिछले सत्र में पहले ही रखा जा चुका है।

(ख) महासागर नीति की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, देश आर्थिक और समाजिक हितों के लिए महासागर संसाधनों से संबंधित दीर्घकालीन कार्यों के विवरणों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) ये कार्य जब पूरी तरह से कार्यान्वित हो जायेंगे तो समुद्रीय संसाधनों के उपयोग के बारे में हमारी आशाओं को पूरा कर सकेंगे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में प्रथम श्रेणी के स्टेनोग्राफर पदों को पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन

4048. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि हां, तो क्या कारण है कि सशस्त्र सेनामुख्यालय के ऐसे मामलों में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में समूह "क" (श्रेणी-1) का कोई पद नही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को मकान किराये के भत्तें की बकाया राशि का भुगतान

4049. **श्री उत्तम भाई एच. पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कर्मी 750 रु. तक वेतन पाते हैं उन्हें 1-11-73 से 31-1-78 तक की मकान किराया भत्ते की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जिसके कारण दिल्ली पुलिस बल में घोर असंतोष फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बकाया राशि की अदायगी के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) कितने समय के अन्दर वह बकाया राशि अदा कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय के 3-9-1974 के का. ज्ञा. के अनुसार 1-11-1973 से 31-1-1978 तक की अवधि के दौरान वेतन के 15 प्रतिशत की दर से मकान किराये भत्ते के अतिरिक्त किराया रसीद प्रस्तुत करने पर निःशुल्क आवास के स्थान पर 10 प्रतिशत/7-1/2 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है। जिन्होंने अपने वेतन का 25 प्रतिशत तक भुगतान करने की किराया रसीद प्रस्तुत कर दी है, उन्हें उपर्युक्त दरों पर प्रतिपूर्ति और मकान किराये भत्ते की अदायगी की जा चुकी है। अन्य भी जो उपर्युक्त अवधि के लिए अब अपने दावे के समर्थन में किराया रसीद प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रतिपूर्ति और मकान किराये भत्ते का दावा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें

40.0. **श्री रामजी भाई आवणी :**

श्री चित्त बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में की गई अनेक सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक रद्द किया गया हैं, स्वीकार किया गया है और क्रियान्वित किया गया हैं ;

(ग) स्वीकृत सिफारिशों क क्रियान्वित न किये जाने के कारण क्या है;

(घ) वर्ष 1982-83 और 1984 के दौरान सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई।

(ङ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं और सरकार द्वारा उन पर विचार किया गया है। और

(च) उक्त रिपोर्टें और सिफारिशें सभा पटल पर कब रख दी जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपनी प्रथम रिपोर्ट में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस कर्मियों के रहन सहन और कार्य दशा सुधारने हेतु उपाय करने के लिए अनेक सिफारिशों की हैं। रिपोर्ट में जिन विषयों पर विचार किया गया है वे विवरण में दिए गए हैं। सिफारिशें पर 6 जून, 1979 की हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। इसमें लिए गये निर्णयों की कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया था। अधिकतर सिफारिशों को या तो कार्यान्वित कर दिया है या कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(घ) संविधान के अन्तर्गत "पुलिस" राज्य सूची का विषय है। अतः सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा धन निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) :-राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। प्रथम रिपोर्ट

पर सरकार ने पहले ही विचार कर लिया है। द्वितीय और उसके बाद की रिपोर्टें विचाराधीन हैं। उन्हें संसद के वर्तमान सत्र के दौरान सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है।

विवरण

उन मुद्दों की सूची जिन पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सरकार को प्रस्तुत की गयी अपनी प्रथम रिपोर्ट में सिफारिश की है।

1. पुलिस
2. वेतन ढ़ाचा
3. आवास
4. पुलिस कर्मियों को आर्थिक सहायता दरों पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति।
5. अर्दली प्रथा।
6. पुलिस कार्मिकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए तंत्र।
7. पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए उपाय।
8. भर्ती, प्रतिक्षण और कैरियर प्लानिंग।
9. पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए सिद्धांत।

खादी भवन के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध जांच

4051. **श्री राम अवध** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने खादी भवन, नई दिल्ली के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध अपने पद तथा,सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच प्रतिदिन का ब्यौरा क्या है और खादी आयोग द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने खादी भवन दिल्ली के एक भूतपूर्व प्रबन्धक पर लगाए गए कुछ आरोपों की जांच की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) सी. बी. आई. ने उक्त कर्मचारी को भीतरी दण्ड देने के लिए उसके विरूद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है। तदनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अब विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है।

बड़ी क्षमता वाले संयंत्रों द्वारा पिक्चर टयूबों का निर्माण

4052. **श्री दीनबन्धु वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी क्षमता वाले संयंत्रों से श्वेत और श्याम दूरदर्शन सेटों के लिये कमी की पूर्ति हेतु पिक्चर ट्यूबों के बड़ी संख्या में निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका लघु उद्योग क्षेत्र जो कि ऐसी टयूबों का निर्माण करते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह वस्तु लघु उद्योग क्षेत्र में नहीं उत्पादित की जाती, अतः इसका प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता।

भारत में संयुक्त अनुसंधान के लिए सोवियत प्रतिनिधिमंडल का दौरा

4053. **श्री बाबू राव पराजपे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 28 जनवरी, 1983 के "पेट्रिअट" में "क्लाइमेंटिक चेंजिज एंड मानसून बिहेवियर मारचक परपजिज ज्वाइंट रिसर्च" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पत्र पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत का दौरा करने वाले सोवियत प्रतिनिधिमंडल के नेता तथा सदस्यो तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के जिनके साथ उन्होंने बातचीत की थी नाम क्या थे तथा उसके क्या निष्कर्ष थे;

(ग) दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल द्वारा किन स्थानों का दौरा किया गया; और

(घ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विशिष्ट संदर्भ में संयुक्त अनुसंधान के लिए दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रोनिकी और महासागर विभागों में (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) जी हां। वर्ष 1980-83 के लिए सहयोग के द्विपक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत तथा यू एस एस आर के मध्य मानसून-व्यवहार पर चलने वाला एक सहयोग कार्यक्रम है।

(ख) सोवियत प्रतिनिधिमंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और पद जिन्होंने भारत भ्रमण किया था, की सूची यथा विवरण। संलग्न है। भारतीय वैज्ञानिकों और अन्य मान्यजनों के नाम जितने प्रतिनिधिमंडल भारत में मिला था-विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, खुजराहो और आगरा की यात्रा की।

(घ) भारत और यू एस एस आर के मध्य उत्प्रेरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों और भविष्य के संभावित क्षेत्रों में चलने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के कार्यक्रमों से संबंधित चर्चा की गई।

विवरण-1

यू. एस. एस. आर. प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों की सूची

नाम	पद
मारचुक क्यूरी इवानोविच	यू. एस. एस. आर मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू. एस. एस. आर. की राज्य समिति के अध्यक्ष।
कुद्रियावत्सेव गेनाडी जार्जिएविच	यू. एस. एस. आर के प्रथम उपमंत्री
बंबेव अगाजनी गेलं डिएविच	तुर्कमान एस. एस. आर. विज्ञान अकादमी के डेजर्ट इन्स्टीटयूट के निदेशक, तुर्कमेन एस. एस. आर. विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष
बोरेस्कोव गार्गी कान्सटैनटिनोविच	यू. एस. एस. आर. की विज्ञान अकादमी सदस्य, नोवर्सी-ब्रिस्क में यू. एस. एस. आर. विज्ञान अकादमी की साइबेरिया शाखा के उत्प्रेषण (केटालाइसिज) संस्थान के निदेशक
पात्सकेविच वसीली मिखायलोविच	यू. एस. एस. आर. मंत्रिपरिषद में कार्यकारी अधिकारी
फिलिपचैंको अनातौली बासीलिएविच	यू. एस. एस. आर. के पायलट का स्मोनॉट
ओबोलेनत्सेव पियोत्र इव ग्राफोविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू. एस. एस. आर. राज्य समिति में अध्यक्ष के कार्यालय के कार्यकारी प्रबन्धक।
चोरिसोव निकिलाई निकोलाएविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू. एस. एस. आर. राज्य समिति में विदेशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विभाग के प्रधान
इनाद्वीली डेविड डेविडोविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू. एस. एस. आर. राज्य समिति के विदेशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के विभाग में वरिष्ट विशेषज्ञ
ट्रेवकिन व्लादीमीर निकोलाएविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य समिति के विदेशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विभाग के विशेषज्ञ

विवरण-2

भारतीय पदाधिकारियों के नाम जिनके साथ सोवियत प्रतिनिधिमण्डल की भेंट हुई थी और चर्चा की गई थी।

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी,
   प्रधान मंत्री
2. डा. पी. वी. नरसिंहाराव
   विदेश मंत्री
3. श्री सी. पी. एन. सिंह,
   विज्ञान और प्रोद्योगिकी,
   राज्य मंत्री
4. प्रो. एस. नूरुल हसन,
   उपाध्यक्ष सी एस आइ आर
5. श्री एच. एन. सेठना,
   प्रधान सचिव, परमाणु उर्जा विभाग और
   अध्यक्ष परमाणु उर्जा आयोग
6. डा. जी. एस. सिद्धू,
   सचिव, भारत सरकार,
   महानिदेशक सी एस आइ आर
7. डा. पी. पी. गुप्ता,
   सचिव, भारत सरकार
   इलैक्ट्रोनिकी विभाग
8. डा. एस. वरद राजन,
   सचिव, भारत सरकार,
   विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
9. डा. टी. एन. खोसू,
   सचिव, भारत सरकार,
   पर्यावरण विभाग
10. श्री बी. एन. स्वरूप,
    सचिव, भारत सरकार,
    अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग
11. श्री के. सैगल,
    अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार,
    सागर विकास विभाग

12. डा. आर रामन्ना,
निदेशक,
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
बम्बई

13. श्री बी. एन. मखीजा,
विकास आयुक्त,
सांताकुंज मुक्त व्यापार क्षेत्र
बम्बई

14. डा. बी. वी. श्रीकान्तन,
निदेशक,
टाटा इंस्टीटयूट ऑफ फंडामेंटल रीसर्च,
बम्बई

15. डा. एस. आर. वलूरी,
निदेशक,
राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला,
बंगलौर

16. डा. एस. रामाशेषन,
निदेशक,
इंडियन इंस्टीटयूट आंफ साइन्स
बंगलौर

17. प्रो. एस. धवन,
सचिव, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग और
अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग और भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक की भर्ती

4054. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पिछले एक वर्ष में कई कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उनकी शैक्षणिक योग्यता सहित भर्ती किए गए लोगों की संख्या कितनी है तथा पद के लिए निर्धारित योग्यतायें क्या हैं;

(ग) क्या उनमें से कुछ का चयन पद के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यतायें पूरी न करने पर भी किया गया है;

(घ) क्या तदर्थ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की जो कि पहले से ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो

में कार्य कर रहे हैं इस तथ्य के बावजूद उपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित योग्यतायें पूरी करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कम योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन किये जाने तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के रूप में कार्य कर रहे तथा अपेक्षित योग्यता पूरी करने वालों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले एक वर्ष के दौरान कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के ग्रेड में कोई भर्ती नहीं की है ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

1983-84 में देश में एल्युमिनियम की कमी

4055. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983-84 में देश में एल्युमिनियम की कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 वित्तीय वर्ष में एल्युमिनियम की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ग) हाल में, देश में एल्युमिनियम प्रद्रावकों पर लागू भारी विद्युत कटौतियों के कारण उत्पादन में काफी कमी आई है । अगर एल्युमिनियम की मांग बढ़ती है तथा देशी उत्पादन से वह पूरी नहीं हो पाती है तो अन्तर को पूरा करने के लिए आयात करना होगा ।

पांच करोड़ रुपये से अधिक की लागत की औद्योगिक परियोजनायें

4056. **श्री आर. प्रभु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच करोड़ रुपये से अधिक की लागत की उन बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है जिन्हें 1980, 1981 और 1982 के दौरान योजना के अधीन अनुमोदित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, उनकी पूंजीगत लागत कितनी है और प्रत्येक परियोजना किस किस स्थान पर स्थित है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उद्योग मन्त्रालय के अधीन वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थापना स्थत	पूंजीगत लागत
			(करोड़ रु. में)
		1980	
1.	बी. ओ. डब्ल्यू. एल. मिल्स का निर्माण करने के लिए सुविधायें स्थापित करने सम्बन्धी बी. एच. ई. एल की योजना	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	18.58
2.	बी. एच. ई. एल. में हाइड्रो-सैटों के निर्माण के लिए अतिरिक्त सुविधायें	भोपाल (मध्य प्रदेश)	6.42
3.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के हैदराबाद एकल का विस्तार	(आन्ध्र प्रदेश)	50.00
4.	तेन्दुर सीमेंट परियोजना	(आन्ध्र प्रदेश)	53.96
5.	बोचलर आक्सीलियरी (सहायक उद्योग) परियोजना, बी. एच. ई. एल.	रानीपेट (तमिलनाडु)	32.80
		1981	
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया की नीमच सीमेंट परियोजना का विस्तार	(मध्य प्रदेश)	89.40
2.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के येरंगुल्या सीमेंट संयंत्र का विस्तार	(मध्य प्रदेश)	75.72
3.	रिफेक्ट्रीज संयंत्र और मैगनीज खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए मैसर्स बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड का प्रस्ताव	सेलम (तमिलनाडु)	9.16
		1982	
1.	बर्नपुर में फ्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र और मधुकुण्ड में एक सीमेंट पिसाई संयंत्र-पश्चिमी बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ एक संयुक्त परियोजना	पश्चिम बंगाल	21.99

1	2	3	4
2.	मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा यात्री कारों और उपयोग में आने वाले हल्के-फुल्के वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन	हरियाणा	268.64
3.	एच. एम. टी. द्वारा रानीबाग (नैनीताल) में 20 लाख घड़ियों का कारखाना	उत्तर प्रदेश	44.72
4.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर स्थित संयंत्र और मशीनों के बदले जाने और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव	पश्चिम बंगाल	12.66
5.	ट्रैक्शन उपकरण की उत्पादन क्षमता के लिए अतिरिक्त सुविधाएं बी. एच. ई. एल.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	14.04
6.	औद्योगिक मशीनों का उत्पादन करने के लिए सुविधाओं की पुनर्स्थापना बी. एच. ई. एल.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	14.70
7.	बी. एच. ई. एल. द्वारा जगदीशपुर में हाई टेंशन सैटेमिक इन्सुलेटरों के उत्पादन के लिए एक नये एकक की स्थापना	उत्तर प्रदेश	11.50
8.	वाल्व निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार, बी. एच. ई. एल.	तिरूचरापल्ली तमिलनाडु और पंजाब (गोविन्दवाल कम्पलेक्स)	8.42
9.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के हैदराबाद एकक में 30 लाख सी. के. एम. की. अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करना	आन्ध्र प्रदेश	59.73

वृहत् कम्प्यूटर सिस्टम का आयात

4057. **श्री बी. डी. सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पांच पर्षों के लिए बृहत कम्प्यूटर सिस्टम का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष कितने वृहत कम्प्यूटर सिस्टम आयात करने का विचार है तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) इनके आयात करने के क्या कारण हैं और इसका स्वदेशी कम्प्यूटर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) (क) से (ग) आज जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रचलित है, उसके अनुसार एक बड़ा कम्प्यूटर वह कहा जाता है जिसकी लागत, लागत–बीमा-भाड़ा मूल्य पर 50 लाख रुपये तथा उससे अधिक है। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 1981 तथा 1982 में जिन बड़े कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति प्रदान की, उनकी संख्या तथा इस प्रकार अनुमति प्रदान किए गए कम्प्यूटरों का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य (लागत बीमा-भाड़ा) के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

वर्ष	जिनके बड़े कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति दी गई उनकी संख्या	विदेशी मुद्रा मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा) करोड़ रुपये में
1981	13	23.9
1982	8	14.5

वर्ष 1982-83 से वर्ष 1986-1987 की अवधि के लिए ऐसे जिन बड़े कम्प्यूटरों की राष्ट्रीय आधार पर मांग का अनुमान लगाया गया है, उससे पता लगता है कि लगभग 80 बड़े कम्प्यूटरों की कुल मांग होगी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अभिकलन संबंधी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए ऐसे बड़े कम्प्यूटर वृहत अनिवार्य हैं उदाहरण के तौर पर तेल की खोज, सरकारी सूचना प्रणालियां, रेलभाड़ा प्रचालन काय, वायुयान तथा रेलवे आरक्षण प्रणालियां तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्र। प्रौद्योगिकीय जटिलता और उनके निर्माण में लगने वाली भारी पूंजी और उसके मुकाबले में अपेक्षाकृत कम सख्या में उनकी वार्षिक मांग की संभावना (यहां तक कि वर्ष 1986-87 में भी उनकी जरूरत लगभग 25 आंकी गई है) आदि ऐसे तत्व हैं कि ऐसे बड़े कम्प्यूटरों का विनिर्माण तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। अतः वास्तव में हमारे स्वदेशी कम्प्यूटर उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। चूंकि स्वदेश में उनका विनिर्माण करना व्यावहारिक नहीं होगा अतः सरकार उनके संभावित अनुप्रयोगों और उपयोगों की सतर्कतापूर्वक छानबीन करने के बाद ही आमतौर पर ऐसी बड़ी प्रणालियों के आयात की अनुमति देगी।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये कम्प्यूटर विशिष्ट प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए ही हैं। प्रत्येक कम्प्यूटर का मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी विशिष्ट अनुप्रयोग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सही प्रणाली की संरचना किस प्रकार का है। अत: अगले पांच वर्षों के लिए यह बताना संभव नहीं है कि प्रति वष आयात किए जाने वाले बड़ी कम्प्यूटर प्रणालियों की ठीक-ठीक संख्या कितनी होगी अथवा उनके आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा कितनी होगी।

4058. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन आंध्र प्रदेश के लिए कितनी निधियों का नियतन किया गया है;

(ख) उक्त नियतन में से उन वर्षों में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को वर्ष 1983-84 के लिए आवंटन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) एक बिवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे वर्ष 1984-84 के लिए योजना आयोग के वार्षिक योजना दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे जिसे सभी राज्य सरकारों के बजट प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

विवरण

वार्षिक योजना 1981-82 और 1982-83 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आंध्र प्रदेश

(लाख रु.)

कार्यक्रम का नाम	1981-82		1982-83	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5
ग्रामीण विद्युतीकरण	100	144	70	70
ग्रामीण सड़कें	200	199	200	200
प्रारम्भिक शिक्षा	420	327	420	420
प्रौढ़ शिक्षा	40	30	40	40
ग्रामीण स्वास्थ्य	527	372	450	450
ग्रामीण जल पूर्ति	1400	1319	1870	1870

1	2	3	4	5
ग्रामीण आवास	1300	932	1700	1700
गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	150	300	350	350
पोषाहार	300	288	300	3000
जोड़	4437	3911	5400	8100

पालिका बाजार में बम विस्फोट

4059. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पालिका बाजार, नई दिल्ली में बम विस्फोट हुए हैं जिसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घटना की जांच का क्या परिणाम निकला और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 8 मार्च 1983 को पालिका बाजार में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 8 व्यक्ति जख्मी हुए।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/427 और पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में जांच की जा रही है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए गए, संदिग्धों के हुलियों के आधार पर, अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जांच पड़ताल से पता चलता है कि विस्फोट पानी के पाइपों के जोड़ों की मदद से बनाये गए एक अपरिष्कृत बम जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा गया था और वेल्ड करके एक साथ जोड़ दिया गया था जैसे पदार्थ से हुआ था।

अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली में पुलिस बल की पुनरीक्षा

4060. **श्री रशीद मसूद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में नई कालोनियों के विकास तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए राजधानी में वर्तमान पुलिस बल पर्याप्त है या नहीं, इसकी पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि राजधानी में वर्तमान पुलिस बल आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजधानी में अपराधों को रोकने की बढ़ती हुई मांग पूरी करने हेतु सभी स्तरों पर पुलिस बल को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस की वर्तमान संख्या की पुनरीक्षा होती रहती है और समय-समय पर अतिरिक्त बल स्वीकृति किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 2700 और पदों का सृजन किया गया है तथा दिल्ली सशस्त्र पुलिस की 5 अतिरिक्त बटालियन बनाने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।

दिल्ली पुलिस की वर्तमान संख्या नगर में अपराध तथा विधि व व्यवस्था की स्थिति से कारगर रूप से निपटने के लिए समर्थ हैं। वास्तव में 1979 की तुलना में अपराध दर वर्ष 1982 में लगभग 40 प्रतिशत कम हो गई है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में गांवों को नियमित करना

4061. **श्री इरा अनवरासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में अनेक गांवों को नियमित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और सरकार आरक्षित बनों के काटे जाने के बाद बसे केवल दो गांवों को ही नियमित करने पर गंभीरता से बिचार कर रही है;

(ख) क्या गांवों को नियमित करते समय केवल एक राज्य विशेष के लोगों को ही संरक्षण दिया जाता है तथा अन्य राज्य के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) वन तथा राजस्व भूमि पर अतिक्रमण की समस्या की जांच करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक समिति ने गांधीनगर और पश्चिम सागर में वन भूमि पर किए अतिक्रमणों को नियमित करने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भरतपुर में घना पक्षी बिहार

4062. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में भरतपुर में घना पक्षी बिहार ने पौधों और वृक्षों के विनाश, अवैध चरागाहों तथा पक्षियों और पशुओं में व्याप्त संक्रात्मक रोगों के कारण अपनी निस्तब्धता शान्ति, गरिमा और सौंदर्य खो दिया है; और

(ख) इस पक्षी बिहार की मूल प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) इसकी परिस्थितिकीय महत्ता के कारण और वन्य जीवन तथा इसके आवास को बेहतर संरक्षण प्रदान

करने के लिए राजस्थान सरकार ने भरतपुर में 26 अगस्त, 1981 को किओलेडियो राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की है। अवैध कटाई, चरागाहों अथवा चोरी छिपे शिकार से संरक्षण के अतिरिक्त इस राष्ट्रीय पार्क के समुचित प्रबन्ध और विकास के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को औद्योगिक शेडों का आवंटन

4063. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या **उद्योग मंत्री** 14 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 23 थी और यदि हां तो ओखला में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्लाट आवंटित करने के लिए उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 24 पात्र उद्यमियों को पत्र कैसे भेजे गए;

(ख) तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित किए जाने के लिए 34 प्लांट थे जबकि पात्र उम्मीदवारों की संख्या प्लाटों की संख्या से कम होने पर भी लाटरी निकालकर प्लाट देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) लोक सभा में दिनांक 14.7.1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1015 का उत्तर देते समय दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के 25 आवेदन प्राप्त हुए थे। बाद में दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की जांच करते समय ज्ञात हुआ कि 29 आवेदन पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के थे, इनमें से 24 आवेदनों को जांच समिति द्वारा पात्र माना गया। पात्र पाए गए उम्मीदवारों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 33 प्लाट (भूखंड) आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रत्येक आवेदक को आवंटित किए जाने वाले भूखंड का वास्तविक नम्बर तथा उसका आकार निश्चित करने के लिए लाटरी निकालना आवश्यक होगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए सहबन्दी के प्रमाण पत्र की स्वीकार्यता

4064. **श्री एस. सिगारावाडीवेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत जिले से बाहर के सक्षम व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए सहबन्दी के प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किए जाने वाले

स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन-पत्रों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि प्रमाणकर्ता तथा जिसके लिए प्रमाण पत्र दिया गया है वे एक जिले के नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियमों में प्रावधान है कि दोनों ही एक जिले के होने चाहिए; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले का पुनर्विलोकन करने तथा अधिकारियों को निदेश देने का है कि वे पांच वर्षों से अधिक समय तक वास्तव में जेल भोगे हुए विख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों को वैयक्तिक जानकारी के आधार पर दिए जाने वाले सह-बन्दी के प्रमाण पत्र को स्वीकार करें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में एक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना

4065. **श्रीरघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार केन्द्र सरकार से राज्य में सरकारी क्षेत्र के कुछ बड़े परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनेक बार अभ्यावेदन कराती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य की जहां मूल भूत ढांचे की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं काफी समय से इस मांग की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय परियोजनाओं का स्थापना-स्थल तकनीकी-अर्थिक बातों पर आधारित होता है । सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय निवेश यथा संभव बराबरी के आधार पर किये जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है ।

विशाखापत्तनत इस्पात कारखाने के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान निधियों का कम नियतन किया जाना

4066. **श्री के. ए. राजन :**

श्री पी. के. कोडियन :

श्री दीन बन्धु वर्मा : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के वर्ष 1983-84 के बजट नियतन में काफी कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारित प्रावधान तथा वर्षिक योजना में वास्तविक आवंटन कितना है ;

(ग) नियतन में कटौती करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के लिए बाहर से सहायता अथवा ऋण द्वारा धन जुटाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की संशोधित अनुमानित लागत 897.28 करोड़ रुपये है। वार्षिक नियतन, कारखाने का निर्माण-कार्य तथा सामग्री की सप्लाई करने वाले विभिन्न अभिकरणों की सक्षमता तथा संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 1983-84 में इस परियोजना के लिए 187 करोड़ रुपये रखे गए हैं। भावी आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

इस परियोजना के लिए सोवियत रूस ऋण दे रहा है। उधार की व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ अन्य देशों के भी उपस्कर प्राप्त किए जा रहे हैं

केबल उद्योग में क्षमता उपयोग

4067. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल निर्माण उद्योग अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकता है और न ही निर्यात बढ़ा सकता है;

(ख) क्या केबल निर्माताओं ने सरकार से प्रोत्साहन देने और अल्युमिनियम की सप्लाई में सुधार करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) धनराशि की कमी के कारण राज्य बिजली बोर्डों द्वारा केबल बनाने वाले उद्योगों के अत्योत्पादों को कम मात्रा में खरीदे जाने से केबल बनाने वाले उद्योग अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

केबल बनाने वालों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अल्यूमिनियम और स्टील अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि वे आई. डी. ए./आइ. बी. आर. डी. के टेण्डरों में प्रभावी रूप से प्रतियोगिता कर सकें । भारत सरकार ने 15.9.1982 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें आइ. डी. ए./आइ. बी. आर.डी. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को की गई आपूर्ति को वास्तविक निर्यात का दर्जा दिया गया है इससे परिणामस्वरूप देशी एकक इनके टेण्डरों में प्रभावी रूप से प्रतियोगिता कर सकते हैं।

थोरियम से यूरेनियम-233 के धीमे "ब्रीडिंग" के लिए केन्डयू (सी. एन. डी. यू) रिएक्टरों उपयोग की संभावना

3068. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने थोरियम से यूरेनियम 233 के धीमे "ब्रीडिंग हेतु क्रेन्डयू (सी. ए. एन. डी. यू.) रिएक्टरों के उपयोग की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रौद्योगिकी का उपयोग "फ्यूल साइकिल" में थोरियम बनाने के लिये किया जायेगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा' अंतरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग यूरेनियम 233 के उत्पादन के लिए, दाबित भारी पानी किस्म के रिऐक्टरों में थोरियम का उपयोग करने के सभी पहलुओं पर विचार करता रहा है। इस रिऐक्टर के ईंधन-चक्र में थोरियम का उपयोग तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उसे प्राकृतिक यूरेनियम सिस्टम से समृद्ध यूरेनियम सिस्टम में न बदल दिया जाए। यह समृद्धिकरण या तो प्लूटोनियम की सहायता से या समृद्ध यूरेनियम की सहायता से किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास-कार्य जारी है। यह प्रौद्योगिकी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि इसे वाणिज्यक स्तर पर काम लाया जा सके।

देश में पुरानी कागज मिलों के कार्यचालन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

4069. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में सौ वर्ष पुरानी कागज मिलों के कार्यकरण के बारे में कोई सर्वेक्षण सरकार ने किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब तक देश की इन सौ वर्ष पुरानी कागज मिलों को नई मशीनों से सुसज्जित नहीं किया जाता तब तक देश में कागज की आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर होने की कोई संभावना नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या वित्तीय संस्थाओं से बड़े पैमाने पर इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कोई योजना सरकार द्वारा आरंभ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार पुराने उपकरणों वाले कागज मिलों के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की आवश्यता है, को मानती है और इस संदर्भ में जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन पर यथोचित रूप से विचार किया जाता है। कुछ मिल स्वयं भी अपने संयंत्र और उपकरणों के आधुनिकीकरण के इच्छुक हैं।

सामाजिक संगठनों को सहायता

4070. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामाजिक संगठनों की संख्या कितनी है और वर्ष 1980 1981, 1982 और 983 के दौरान राज्यवार, उनमें से प्रत्येक को कितनी सहायता दी गई; और

(ख) किन संगठनों ने सहायता का ठीक ढंग से उपयोग किया और किन संगठनों ने उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते । परन्तु वह मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय स्वरूप के कुछ चुने हुए स्वय सेवी संगठनों को सहायतानुदान दे रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बी. एच. ई. एल. द्वारा अदमागियों की वसूली

4071. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या बी. एच. ई. एल. अपने ऋणदाताओं को भुगतान नहीं कर सकता और उसे भेजी गई महत्वपूर्ण मशीनरी तथा उपकरण धन की कमी के कारण भोपाल स्टेशन पर बिना भुगतान के महीनों तक पड़े रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्ड और सरकारी पार्टियों ने बी. एच ई. एल. को चार सौ करोड़ रुपये ऋण दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देय राशि वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । बी. एच. इ.-एल. अपने ऋणदाताओं को भुगतान कर रहा है। किन्तु कुछ अवसरों पर बी. एच. ई. एल., भोपाल को भेजे गए उपकरणों की निकासी में वित्तीय अड़चनों के कारण या इस तथ्य के कारण विलम्ब हुआ था कि सम्भरक खरीद क्रयादेश की शर्तें अर्थात् सम्भरण गन्तव्यस्थान, रद्द किए गए या क्षतिग्रस्त सामान की बदली' गलत बीजक बनाने आदि का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों और अन्य सरकारी अभिकरणों ने 31 जनवरी, 1983 तक बी. एच. ई. एल. की लगभग 386 करोड़ रुपये देने थे ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) बकाया राशियों की वसूली के लिए बी. एच. ई एल. का प्रबन्धक वर्ग विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है । सरकार ने इस मामले में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को भी लिखा है।

विवरण

क्रमांक	बिजली बोर्डों के नाम	जनवरी, 1983 के अंत में बकाया राशि		
		योग	समझौते के अधीन	शुद्ध
क-	**राज्य बिजली बोर्ड**			
1.	उत्तर प्रदेश	6880	972	5908
2.	मध्य प्रदेश	3557	175	53382

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	5823	563	5260
4.	बिहार	2435	332	2103
5.	आन्ध्र प्रदेश	799	184	615
6.	तमिलनाडु	2149*	54	2095*
7.	हरियाणा	2865	121	2744
8.	गुजरात	885	255	630
9.	असम	1837	55	1782
10.	पंजाब	3387	71	3316
11.	पश्चिम बंगाय	570	58	512
12.	राजस्थान	1170	79	1091
13.	मेघालय	590	—	590
14.	उड़ीसा	170	3	167
15.	डेसू	144	—	144
16.	केरल	104+	1	103+
17.	कर्नाटक	52	8	44
18.	जै· एण्ड. के.	29	1	28
19.	हिमाचल प्रदेश	62	3	59
		33508	2935	30573
ख—	विद्युत परियोजनाएन	5391	826	456 5
ग—	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	3830	1380	24 50
घ—	रेलवे	850	78	772
ङ—	सरकारी विभाग	292	78	214
	योग	43871	5297	38574

*970 लाख रु. का प्रोग्रेस पेमेन्ट शामिल है ।

+81 लाख रुपये का प्रोग्रेस पेमेन्ट शामिल है ।

कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

4073. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह : (क) तथा (ख) सरकारी नीति

और नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुकरण में देश भर के लघु, कुटीर तथा सहायक उद्योगों को विकास के लिए सभी संभव सहायता दी जा रही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कुटीर उद्योगों के विकास की सहायता से बेरोजगारी और अल्प रोजगार का उन्मूलन करना है। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत देश से बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु, छोटे, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। लघु उद्योग विकास संगठन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग' हस्तशिल्प व हथकरघा बोर्ड, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड और कयर बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर बेरोजगारी/अल्प रोजगार की स्थिति को समाप्त करना है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राज्यपाल

4074. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राज्यपाल और उप-राज्यपाल हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने हैं; और

(ग) वे किन राज्यों में नियुक्त किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इस समय 19 राज्यपाल और 6 उप-राज्यपाल हैं। जिनमें से केवल एक अर्थात हरियाणा के राज्यपाल अनुसूचित जाति के हैं।

चोरी छिपे शिकार करने की घटनायें

4075. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को बार-बार निर्देश दिए जाने के जाने के बावजूद चोरी-छिपे शिकार करने की घटनाओं में कमी नहीं आई है और अधिकांश शिकार-चोरी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई शिकार-चोरी के 1981 में सूचित किए गए मामलों की तुलना में 1982 में, अलग-अलग, कितने मामले सूचित किए गए तथा किस दर्जे के अधिकारी/कर्मचारी इसमें शामिल थे; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की भर्ती

4076. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एकेडमी का मसूरी, उत्तर प्रदेश में उसके प्रशिक्षण पर कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में लोगों की अधिक भर्ती के बारे में जानकारी है जिनमें उन्हें सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में प्रतिनियुक्त करने की कई गलत पद्धतियां शुरू हुई हैं;

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वार्षिक आवश्यकता का किस आधार पर निर्णय किया जाता है; और

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उन स्थानों से हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जहां वे उनकी नियुक्तियों के लिये व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में सीधे भर्ती किए गए भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 126, 129, तथा 144 थी। सीधी भर्ती के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वार्षिक आवश्यकता का हिसाब, वास्तविक रिक्तियों और सेवानिवृत्तियों के कारण होने वाले प्रत्याशित रिक्तियों तथा सीधी भर्ती के पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। किसी विशिष्ट परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है। भारतीय प्रशानिक सेवा में कोई अधिक भर्ती नहीं की गई है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों को सस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के समूह "क" के परिवीक्षाधीनों के लिए आधारित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस अकादमी द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए कतिपय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार अकादमी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण के लिए किए गए वार्षिक व्यय का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता। फिर भी, अकादमी ने वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में क्रमशः 46.67 लाख रुपये, 56.86 लाख रुपये तथा 65.19 लाख रुपये का वास्तविक व्यय किया था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतः नियुक्ति नहीं मिल जाती। इन अधिकारियों को अन्य ऐसे अधिकारियों के साथ प्रतियोगिता में बैठना होता है, जिन्हें अन्य सेवाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों से लिया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपने प्रशिक्षण तथा अनुभव की प्रकृति के नाते अपने कैरियर के दौरान विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों पर कार्य करने के लिए कहा जाता है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्राप्त लक्ष्य

4077. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा

(क) खान विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों ने वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 के दौरान अपना उत्पादन लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं; और

(ख) उत्पादन लक्ष्यों में कमी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और उनके कार्यचालन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

खान विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 (28.2.83 तक) उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :

यूनिट-स्वर्ण-किलो में और
अन्य धातुएं-टनों में

	** 1980-81		1981-82		1982-83	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन (28.2.83 तक)
एल्युमिनियम (भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि.)	50 000	28,777	50,000	34,754	50,000	39,007
जस्ता (हिंदुस्तान जिंक लि.)	66,000	44,551	57,000	46,316	56,000	39,632
सीसा (हिन्दुस्तान जिंक लि.)	14,000	14,925	11,000	14,462	15,000	12,918
बिलस्टर तांबा (हिंदुस्तान कापर लि.)	27 000	25,307	32,500	27,440	37,000	31,651
स्वर्ण (भारत गोल्ड माइन्स लि.)	1,777	1,562	1,682	1,420	1,564	1,170,22

(** लक्ष्य वित्त वर्ष के आधार पर हैं कलेन्डर वर्ष के आधार पर नहीं।)

2. एल्यूमिनियम के उत्पादन में कमी मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा कोरबा कारखाने को बहुत ही कम बिजली दिए जाने के कारण है। इस समस्या के दीर्घकालीन हल के लिए सरकार ने कोरबा में 270 मेगावाट का एक निजी ताप बिजलीघर लगाने का फैसला किया है।

3. जस्ते के मामले में भी देबारी प्रद्रावक पर राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तथा कुछ सीमा तक विजाग प्रद्रावक (आन्ध्र प्रदेश) आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा लागू बिजली भारी कटौतियों और प्रतिबंधों के कारण हुई बिजली समस्या के स्थायी हल के लिए वर्तमान कारखानों तथा नई खानों और रामपुरा अगुंछा के प्रस्तावित जस्ता प्रद्रावक कम्पलैक्स की जरूरतों को पूरा करनेके लिए राजस्थान में 3 × 30 मेगावाट क्षमता का एक निजी बिजलीघर बनाने के प्रस्तावपर विचार किया जा रहा है। अल्पकालिक समाधान के रूप में देबारी प्रद्रावक में 15 मेगावाट का एक गैस टरबाइन संयंत्र लगाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी जा रही बिजली को बढ़ाने के लिए डीजल जनरेटिंग सेट लगाए जा चुके हैं।

4. तांबे के मामले में खेतड़ी कापर कम्पलैक्स (राजस्थान) में बिजली की कमी का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इण्डियन कापर काम्पलैक्स घाटसिला (बिहार) में बिजली प्रतिबंधों के अलावा अयस्क की गिरावट का भी उत्पादन पर असर है। बिजली की पूर्ति में सुधार के लिए हिन्दुस्तान कापर लि. अपने निजी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रहा है। प्रद्रावकों के लिए अधिक तांवा सांद्र सुलभ करने के लिए मलंखन्ड (म.प्र.) में एक नई तांबा परियोजना स्थापित की गई है।

5. स्वर्ण के प्रसंग में, उत्पादन में मुख्यत: कमी खनिज अयस्क के ग्रेड में गिरावट के कारण हैं। कोलार स्वर्ण खानों में नई खनिज पट्टियां खोजने और नए क्षेत्रों में सम्पन्न स्वर्ण खनिज का पता लगाने के लिए गहन खोज की जा रही है।

योजना आयोग द्वारा दायित्री इस्पात परियोजना को स्वीकृति दिया जाना

4078. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और योजना आयोग ने दायित्री इस्पात संयंत्र परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अनुभव किया गया है कि देश में पहले ही फालतू इस्पात के भारी भंडार तथा भिलाई और बोकारो की बढ़ाई जा रही क्षमता को देखते हुए प्रस्तावित दायित्री इस्पात संयंत्र का कोई औचित्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय देश में

इस्पात की मांग और उपलब्धि को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्णय लेने के पश्चात ही परियोजना का विवरण उपलब्ध हो सकेगा।

पश्चिमी घाट का विकास

4079. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट के विकास के लिए मार्गदर्शन हेतु तथा नीति सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है; और

(ख) पश्चिमी घाट के संसाधन विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और अन्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी घाट संसाधनों का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं, अर्थात

(1) व्यापक सर्वेक्षणों और अध्ययनों के जरिए क्षेत्र के संसाधनों तथा विकास की क्षमताओं और विकास की बाध्यकारिताओं का मूल्यांकन किया गया है। इस आधार पर राज्यों की योजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन करने के लिए विकास योजना की एक रूप रेखा तैयार की गई है।

(2) संसाधनों के विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करने के सन्दर्भ में राज्य अपने आप भी अध्ययन कर रहे हैं।

(3) वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जलसंभर आधार पर एकीकृत क्षेत्र विकास की नीति पर बल दिया गया है। इस आधार पर उपयुक्त स्कीमें तैयार करने के लिए राज्यों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

पश्चिमी बंगाल में गंगाजल का प्रदूषण

4080. **श्री नारायण चौबे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल और देश के दूसरे भागों में गंगाजल के प्रदूषण के बारे में दिनांक 22 जनवरी, 1983 के छपे इण्डियन एक्सप्रेस में समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गंगाजल वर्ष प्रति वर्ष इतना प्रदूषित होता जा रहा है कि वह नकेवल पीने और नहाने के लिए असुरक्षित है बल्कि सिंचाई के लिए भी प्रदूषित है;

(ग) किन भागों में गंगाजल का प्रदूषण खतरे के स्तर से ऊपर है; और

(घ) सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां, उत्तर प्रदेश में।

(ख) कन्नोज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार में पटना और पश्चिम बंगाल में

दक्षिनेश्वर से डायमण्ड हारबार तक गंगानदी अनुप्रवाह के निकट पीने के लिए समुचित उपचार के बिना, और नहाने के लिए असुरक्षित है. विशेषकर शुष्क महीनों में, परन्तु सिंचाई के लिए सुरक्षित है।

(ग) कानपुर और कलकत्ता के निकट गंगानदी अत्यधिक प्रदूषित है।

(घ) केन्द्रीय और राज्य बोर्ड ने योजनाएं तैयार की हैं और औद्योगिक तथा घरेलू अपशिष्टों से प्रदूषण के विनियमन के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

लागत कम करने सम्बन्धी टेकनालाजी की सूची तैयार करना

4081. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लागत कम करने सम्बन्धी टेकनालोजी की एक सूची तैयार की है जिससे लघु उद्योगों के उत्पादन की लागत में कमी आएगी;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सूचना लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो लोगों तक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत उत्पादन टेक्नोलोजी उपलब्ध कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) कम लागत वाली उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए लघु उद्योग विकास संस्थान, खादी ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड, राष्ट्री अनुसधान तथा विकास निगम और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कम लागत वाली उत्पादन प्रौद्योगिकी जनता और ग्रामीण क्षेत्रों को अपने निर्गम मार्गों, जिला उद्योग केन्द्रों तथा औजार कक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों और लघु उद्योग विकास संगठन के विस्तार केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

भारत में अनुसधान केन्द्रों से वैज्ञानिकों का निकलना

4082. **श्री असफाक हुसैन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों से बड़ी संख्या में वैज्ञानिक निकलते जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से 300 से अधिक वैज्ञानिकों ने केन्द्र छोड़ दिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों और संस्थानों को छोड़ कर जाने वाले वैज्ञानिकों की वास्तविक संख्या क्या है; और

(घ) इस प्रकार वैज्ञानिकों के निकलने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) (क) जी, नहीं ।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से त्याग पत्र देने वाले वैज्ञानिक अधिकारियों/इन्जीनियरों और ऐसे अधिकारियों की कुछ संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	त्यागपत्रों की संख्या	कुल वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर
1980	82	3424
1981	98	3512
1982	117	3575

(ग) 1982 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान, डी.आर.डी.ओ., डी ए. ई., आई.सी.ए.आर. और आई.सी.एम.आर. को छोड़कर जाने वाले वैज्ञानिकों को संख्या क्रमशः 140, 709, 110 और 37 हैं । सी.एस.आई.आर. और अन्तरिक्ष विभाग के इसी प्रकार के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि इन संगठनों को छोड़ कर जाने वाले वैज्ञानिकों की संख्या वैज्ञानिक अमले की कुल संख्या के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत बहुत कम है ।

(घ) त्याग पत्र देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या बहुत ही कम हैं, और इस विषय में सरकार द्वारा किसी विशिष्ट कार्यवाही को आवश्यकता नहीं है । बहरहाल, वैज्ञानिकों के लिए कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार की निरन्तर समीक्षा होती रहती है । वैज्ञानिकों द्वारा एक संस्था को छोड़ कर दूसरों में जाना सामान्य है । व्यक्तिगत कारणों से, बेहतर भविष्य और सुख सुविधाओं अथवा अन्य उत्साहवर्धक क्षेत्रों में कार्य करने के अवसरों के लिए वैज्ञानिक एक संगठन से दूसरे में जा सकते हैं ।

इस्पात का अनबिका भारी भंडार इकट्ठा होना

4083. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पास भारी मात्रा में अनबिका भंडार हैं और वे व्यग्रता के साथ सम्भावित खरीददारों की तलाश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1982 को उनके पास विभिन्न प्रकार के इस्पात का कितना भंडार था;

(ग) इसकी मांग में कमी के कारण क्या हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ग) 1-3-1983 को "सेल" के कारखानों और आन्तरिक बिक्री स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का स्टाक 14.69 लाख टन था (आंकड़े अस्थायी हैं)। यह स्टाक बिक्री उत्पादन के अनुरूप न होने के कारण हुआ है।

(ख) 31-12-1982 को "सेल" के कारखानों और स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का श्रेणी-वार स्टाक नीचे दिया गया है।

(हजार टन)

श्रेणी	कारखानों में	स्टाकयार्डों में	कुल
अर्द्ध तैयार माल	135.1	157.8	292.9
राउन्डस	49.3	79.4	128.7
तार छड़	4·6	65.7	70.3
संरचनात्मक	43.9	80.0	123.9
प्लेट	28.4	145.6	174.0
गर्म बेलित क्वायल/स्कैल्प	48.8	103.0	151.8
गर्म बेलित चादरें	9.1	51.5	60.6
ठंडी बेलित चादरें/क्वायल	17.8	157.5	175.3
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें	6.0	29.9	35.9
वैद्युतिक इस्पात की चादरें	1.4	0.2	1.6
टिन प्लेट	12.6	1.4	14.0
पाइप	8.9	0.1	9.0
अन्य	—	2.5	2.5
रेल सामग्री (रेल की हल्की पटरियां भी शामिल हैं)	13.7	15.3	29.0
दोषपूर्ण सामग्री	—	46.8	46.8
कुल :	379.6	936.7	1316.3

(घ) बिक्री में वृद्धि करने के लिए सरकार तथा "सेल" द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) लोहा तथा इस्पात (नियन्त्रण) आदेश की धारा 7 के अन्तर्गत कच्चे लोहे को छोड़कर इस्पात सामग्री के लिए अन्ततः उपयोग की घोषणा समाप्त कर दी गई है।

(2) वितरण प्रणाली में ढील दी गई है।

(3) सेल द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को इस्पात बेचने की प्रणाली समाप्त कर दी गई

है और अब सभी व्यापारी, जो इस्पात का व्यापार करना चाहें, इस्पात का व्यापार कर सकते हैं।

(4) कुछ विशेष श्रेणियों/किस्मों के इस्पात के मूल्य में छूट दी जा रही है।

(5) मात्रात्मक छूट देने के बारे में "सेल" द्वारा घोषणा की गई है।

(6) "सेल" द्वारा कुछ मदों के लिए चयनात्मक आधार पर उधार की सुविधाएं दी जाती हैं।

(7) पुराने/क्षतिग्रस्त/न बिकने वाला माल/टेंडर आमन्त्रित करके बेचा जाता है।

(8) उन लोगों को, जो पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अन्तर्गत अपने शुल्क-मुक्त तथा अग्रिम लाइसेंस छोड़ देंगे, गर्म-बेलित क्वायल/स्कैल्प तथा ठंडी बेलित क्वायल/चादरें अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धी मूल्यों पर सप्लाई करने की एक योजना शुरू की गई है। माध्यम अभिकरणों द्वारा आयात किए जाने वाले इस्पात के आयात के लाइसेंसधारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इस प्रकार की सामग्री की सप्लाई के लिए पहले "सेल" से सम्पर्क करें।

(9) सेल अपने खर्च पर एक स्टाकयार्ड से दूसरे स्टाकयार्ड में माल भेज देगी बशर्ते कि उसकी बिक्री पहले हो जाए।

इसके अलावा सामान्य स्थिति में सुधार लाने के लिए एक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) "सेल" के कारखानों के प्राडक्ट-मिक्स में परिवर्तन किया है ताकि वे उन मदों का अधिक उत्पादन कर सकें जिनकी मांग अधिक है तथा उन मदों के उत्पादन में कमी कर सकें जिनकी मांग कम है।

(2) इस्पात के बारे में आयात-नीति जिस पर पहले ही काफी प्रतिबन्ध थे और प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं ताकि उन मदों का आयात न किया जाए जिनके आयात से बचा जा सकता है।

मारुति कार की बुकिंग

4084. **श्री विरदा राम फुलवारिया:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विदेशों में मारुति कार की बुकिंग कब तक शुरू हो जाएगी; और

(ख) इसका कितना वर्षिक उत्पादन होने का का अनुमान है तथा इसकी अनुमति लागत क्या होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) मारुति कार की बुकिंग अगले महिने शुरू होगी।

(ख) उत्पादन की प्रत्याशित मात्रा निम्नलिखित है:—

1984-85	20,000
1985-86	40,000
1986-87	60,000
1987-88	80,000
1988-89	1,00,000

कम्पनी ने अनुमान लगाया है कि इसका विक्रय मूल्य लगभग 45,000 रु. होगा जिसमें परिवहन लागत और स्थानीय कर शामिल नहीं है।

बीमार औद्योगिक एककों में लगा पैसा अवरुद्ध रहना

4085 **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमार औद्योगिक एककों की संख्या वर्ष 1982 में बढ़ गई है;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों की 24 करोड़ रु. की राशि इन बीमार एककों में फंसी पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार उस राशि को किस प्रकार से वसूल करेगी; और

(घ) उन एककों के बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और उनकी संख्या कितनी है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : (क) रुग्ण औद्योगिक एककों के वर्ष 1982 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अद्यतन सूचना (अनन्तिम) के अनुसार दिसम्बर 1981 के अन्त तक 26758 औद्योगिक एकक रुग्ण थे और उन पर बैंक की बकाया कुल ऋण राशि 2026 करोड़ थी।

(ग) बैंक और वित्तीय संस्थान जो रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण स्वीकृत करते हैं, अपने द्वारा दी गई सहायता के उद्योग को मानिटर करते हैं। जब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों से रुग्ण एकक जीवित नहीं किया जा सकता है तो वे सामान्य बैंक प्रक्रिया के अनुसार अपनी राशि वसूल करते हैं।

(घ) रुग्ण एकक जो बंद हो चुके हैं, उनके आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य किसी संगठन द्वारा इकट्ठे नहीं किये जाते हैं।

मद्रास तथा नरोरा परमाणु बिजली घरों का पूरा किया जाना

4086. **श्री भीम सिंह** :

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास परमाणु बिजली परियोजना तथा नरोरा परमाणु बिजली परियोजना का निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सका;

(ख) क्या इसका कारण भूमि, उपकरण और निर्माण सामग्री समय पर उपलब्ध न होना था;

(ग) यदि हां, तो इन अड़चनों तो दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की है;

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम पर मुख्यत: प्रमुख न्यूक्लियर उपस्करों के निर्माण, जिसे कठोर विनिर्देशों के अनुरूप पूरा करना होता है और जिसके लिए निर्माण की जटिल प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है, में हुए विलम्ब का और भूमि के अधिग्रहण में तथा अन्त प्रकार की सामग्री के मिलने में हुए विलम्ब का प्रभाव पड़ा है। नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के प्रमुख महत्वपूर्ण न्यूक्लियर उपस्करों के निर्माण में तेजी लाने का और उपस्करों के मिलने में हुए विलम्ब के प्रभाव को कम करने का यथासंभव प्रयास उपस्कर लगाने के काम को समानांतर रूप से चलाकर किया जा रहा है। आशा है कि इन उपायों के किए जाने से परियोजना के पूरा होने में आगे और विलम्ब नहीं होगा।

(ख) विभिन्न कामों को तेजी से पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें से बहुत काम जटिल तकनीकी स्वरूप के हैं तथा उन्हें भारत में पहली बार किया जा रहा है, जिस कारण उनमें विलम्ब होना अपरिहार्य है। इस कारण, व्यक्तियों अथवा संस्थानों को दंड देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु उर्जा के अनुसन्धान और विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि

4087. **श्री जेवियर अराकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु उर्जा के अनुसंधान और विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 533.5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, अब तक उसमें से कितना और किस प्रयोजन के लिए व्यय किए गए हैं और इस व्यय ये जनता को कितना लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे परमाणु उपकरण और संस्थानों के चालन में बार-बार व्यवधान होता है जिससे राष्ट्र को अपार हानि पहुंचती है; और

(ग) उपकरण और ऊर्जा में भारत को कब आत्मनिर्भरता आत्मपूर्णता मिल जाने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा संबंधी अनुसधान और विकास कार्यों के लिए कुल 533.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 248.98 करोड़ रुपए का प्रावधान योजनागत व्यय के लिए है और 284.59 करोड़ रुपए का योजना-भिन्न व्यय के लिए। छठी योजना की अवधि में वर्ष 1981-82 तक 56.76 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय और 101.79 करोड़ रुपए का योजना-भिन्न व्यय किया जा चुका है। आशा है कि वर्ष 1982-83 में अनुसंधान तथा विकास संबंधी स्कीमों पर औसतन 102.93 करोड़ रुपए व्यय किए जायेंगे जिसमें से 38.54 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय होगा और 64.39 करोड़ रुपए का योजना-भिन्न व्यय इस विभाग के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलाप का विवरण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में उपलब्ध है, जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि राजस्थान परमाणु बिजलीघर में उपस्करों के ठीक ढंग से काम न करने के कारण समय-समय पर प्रचालन संबंबी कुछ समस्याएं सामने आती रही हैं, तथापि तारापुर परमाणु बिजलीधर संतोषजनक ढंग से काम करता रहा है।

(ग) परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक अधिकांश उपस्कर इस समय देश में ही बनाए जा रहे हैं। आयात किए जाने वाले उपस्करों की मात्रा घटाने के प्रयास जारी हैं।

गुजरात में कच्छ क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड

4088. **डा. महिपतराय एम. मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अंतर्गत गुजरात राज्य में कच्छ क्षेत्र के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी;

(ख) क्या बाद में इस राष्ट्रपतीय आदेश को रद्द कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का कच्छ के लोगों की इस संविधान प्रदत्त अधिकार पर पुनर्विचार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां तो इसकी घोषणा कब की जाएगी और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 28 फरवरी, 1977 को कच्छ के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना के लिए गुजरात के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व और उपर्युक्त धारा में उल्लिखित अन्य मामलों के लिए गुजरात राज्य कच्छ के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व आदेश, 1977 जारी किया था। इस राष्ट्रपतीय आदेश को राज्य सरकार के कहने पर मामले का पुनरीक्षण किए जाने पर 17.2.78 को रद्द कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

सेवानिवृत्ति के पश्चात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद में अधिकारियों की पुर्ननियुक्ति

4089. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में सेवानिवृत्ति के बाद पुर्ननियुक्त किए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है । और

(ख) इन अधिकारियों को किस आधार पर पुर्ननियुक्त किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणू ऊर्जा, राज्य मंत्री अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रोनिकी और महासागर विकास विभागों में (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) सेवा निवृत्ति के बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) में पुर्ननियुक्त किए गए अ-वैज्ञानिक अधिकारियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सख्या एल. टी.** 6208/83]

भारत पम्प एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड द्वारा विदेशों से ऋण लिया जाना

4090. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत पम्प एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड (बी. पी. सी. एल.) को अपनी आयात सम्बन्धी आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशों से वाणिज्यिक ऋण लेने की अनुमति दे दी है;

यदि हां, तो बी. पी. सी. एल. द्वारा विदेशों से कितना वाणिज्यिक ऋण लिया जायेगा;

क्या बी. पी. सी. एल. द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई समझौता या ठेका किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 9,398,185.60 मार्क ।

(ग) जी, हां ।

(घ) युराका पम्पनफैब्रिक जी. एम. बी. एल. एल. एण्ड कम्पनी, के. जी., युराच, पश्चिम जर्मनी द्वारा "29 पम्पों के हिस्से-पुर्जों की डिलीवरी" परियोजना हेतु 9,398,185.60 मार्क के ऋण-करार पर क्रेडिटनस्टाल्ट फार वीडरौपबाऊ अैम मेन, "के. एफ. डब्ल्यू" और भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड के बीच 13 सितम्बर, 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसकी गारन्टी दी गई है । 30 अप्रैल, 1983 तक सम्पूर्ण ऋण को उपयोग में लाया जायेगा । बी. पी. सी. एल 31-12-1987 तक 10 अर्ध-वार्षिक किस्तों में के. एफ. डब्ल्यू. का ऋण को पुर्नभुगतान करेगा और बकाया ऋण पर के. एफ. डब्ल्यू. को अर्ध-वार्षिक किश्तों में 9.75% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा । बी. पी. सी. एल. द्वारा के. एफ. डब्ल्यू. को अभी न अदा की गई राशि पर 0.375% प्रतिवर्ष की दर से वचन बद्धता फीस का भुगतान भी किया जायेगा ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन और उसका विस्तार

4091. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन देश के किसी दूसरे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र के उत्पादन से बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस का विस्तार करने का निर्णय किया है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राउरकेला-इस्पात संयंत्र का उत्पादन बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण घट रहा है;

(घ) यदि हां तो सरकार को इस इस्पात संयंत्र की नियमित बिजली की आपूर्ति के लिए एक केप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि उत्पादन की हानि न हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन संतोषजनक ढंग से हो रहा है।

(ख) कुछ कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण करने और अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए योजना एं तैयार की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 2×60 मेगावाट क्षमता का रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी गई है।

रंगीन टेलीविजन सेट के पुर्जों के आयात की नीति

092. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के पुर्जों के आयात और निर्माताओं को उनके वितरण के संबंध में कोई विशिष्ट नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ही रंगीन टेलीविजन के पुर्जों का निर्माण करने संबंधी कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह निर्माण स्वदेशी होगा अथवा किसी विदेशी सहयोग से किया जाएगा ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जी, हां। फिलहाल, इलेक्ट्रोनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड (इ. टी. टी. डी. सी.) के माध्यम से रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आयात सदृणीबद्ध रूप से किया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया है कि एकीकृत पारिपथों तथा कुछ अन्य अति विशिष्ट किस्म के संघटक पुर्जों, जैसे ई. एच. टी. ट्रांसफार्मर, एस. ए. डब्ल्यू फिल्टरों, आदि के मानकीकरण का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) इलेक्ट्रोनिक उपस्करों के लिए इलेक्ट्रोनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण से संबंधित नीति पिछले 3/4 वर्षों से लागू है। उक्त नीति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। यह नीति रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों में प्रयोग में लाए जाने वाले संघटक-पुर्जों के लिए भी लागू होती है।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग के बारे में इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति से संबंधित टिप्पणी

भारत में इलेक्ट्रानिक उपस्करों और प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूल-भूत पूर्व शर्त यह है कि विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अतः इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जा उद्योग के विकास के लिए इलेक्टानिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. बड़े पैमाने तथा व्यवहारिक तथा सुदृढ़ आधार पर और उद्यमकर्ताओं का एक व्यापक आधार बनाकर संघटक-पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देने/लाइसेंस प्रदान करने/सुस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन हमारे विशुद्ध देशी आवश्यताओं से कुछ अधिक होगा किन्तु जब उद्योग का संबर्धन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम आधार पर किया जाएगा तो निर्यात की प्रचुर संभावनाएं उपलब्ध होगी।

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम आधार प्रदानकरने और साथ ही उत्पाद को गुणवत्ता (क्वालिटी) सुनिश्चित करने के लिए बड़ो उत्पादन क्षमताएं स्थापित करना जरूरी है। स्वचालित मशीनों के प्रादुर्भाव से प्रोद्योगिकी दृष्टि से यह एक अनिवार्यता बन गयी है। तदनुसार वर्तमान संगठित क्षेत्र के उद्योगों को मुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

3. मांग की स्थिति और इस कार्य को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि वर्तमान यूनिटें अपने कार्यक्षेत्र का पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण किए बगैर इस मांग की पूर्ति करने की स्थिति में होगी। अतः और अधिक क्षमता का निर्माण करना जरूरी समझा गया है। इस क्षमता को केवल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम बनाने के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी प्रस्ताव की लागत तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जांच करते समय हम ने केवल स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हैं अपितु निर्यात की संभावनाओं को भी मद्दे नजर रखते हैं।

4. जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति यह रही है कि आधुनिक किस्म के संघटक पुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आयात को मुक्त

रूप से अनुमति दी जाए। वर्तमान निर्माणकर्ताओं के पास प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है और रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्तरीय संघटक पुर्जों के लिए बहुत कम अनुमोदन दिए गए हैं।

5. कुछ मामलों में इस समय क्षमताओं का पूर्णरूपेण उपयोग न किए जाने का कारण मांग का अभाव होना नहीं है अपितु इसके कुछ और ही कारण हैं (सामान्यतया प्रबंधकीय असफलताएं)।

6. उपर्युक्त कारणों से लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक-पुर्जों का उत्पादन करना सर्वथा अनुपयुक्त है और इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), दोनों ही पिछले 4.5 वर्षों से लघु उद्योग के सभी उद्यमकर्ताओं को लिखते आ रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक-पुर्जों के निर्माण में पूंजीनिवेश करना विवेकपूर्ण नहीं होगा और यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं तो ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान न कर सकेगी।

तमिलनाडु में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति

4093. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए तमिलनाडु से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन रद्द किए जा चुके हैं और कितने अभी भी विचाराधीन हैं और;

(ग) उन्हें रद्द करने अथवा विचाराधीन रखे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना को 1.8.80 से उदार बनाया गया था और 31.3.82 तक जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख थी, स्वतन्त्रता सेनानियों की सभी श्रेणियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 31.3.82 के बाद प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। फिर भी वास्तविक और योग्य मामलों में प्रस्तुत करने में विलम्ब को क्षमा कर दिया जाता है और ऐसे मामलों पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है। 31.3.82 तक प्राप्त हुए आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है :—

(I) 1.8.80 से पूर्व अर्थात् 1972 की योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन पत्र	7070
(II) 1.8.80 से लागू स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 31.3.82अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक प्राप्त हुए आवेदन पत्र	2296
जोड़	9366

(ख) उपर्युक्त आवेदनों का निपटान इस प्रकार है :—

स्वीकृत किए गए	3734
अस्वीकृत किए गए	4187
लम्बित	1445

(ग) निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक कारणों से आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं :—

(I) यातना के प्रमाण में किसी स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य का न होना ।

(II) यातना का देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के संबंध में न होना ।

(III) वास्तविक जेल/भूमिगत यातना 6 महीने (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में 3 महीने से कम होना ।

(IV) यातना का ऐसे विद्रोह/आन्दोलन के सम्बन्ध में होना जिन्हें सम्मान पेंशन के प्रयोजन के लिए मान्यता नहीं दी गई ।

(V) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब अर्थात् 31.3.82 के बाद जो उदार बनाई गई योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख थी ।

मामले राज्य सरकार से जांच/पात्रता रिपोर्ट और/अथवा आवेदक से अपेक्षित सूचना के न होने के कारण लम्बित हैं ।

राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे

4094. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान कितने राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) राज्य सरकारों ने कितने अवसरों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता भेजने का अनुरोध किया; और

(ग) ऐसे साम्प्रदायिक दंगे कितनी बार हुए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1982 के दौरान 17 राज्यों में साम्प्रदायिक वारदातें हुई ।

(ख) 12 बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता मांगी गई थी ।

(ग) 474 साम्प्रदायिक वारदातें हुई ।

इस्पात की बिक्री हेतु नई नीति

4095. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. द्वारा अपने इस्पात की बिक्री के लिए नई नीति की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि "सेल" द्वारा उत्पादित इस्पात की बिक्री में हाल हीं में काफी कमी आई है और गोदामों में फिनिश किए गए माल का विशाल भण्डार पड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) "सेल" ने अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) पंजीकृत व्यापारियों को इस्पात बेचने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अब कोई भी व्यापारी, जो इस्पात का व्यापार करना चाहे, इस्पात का व्यापार कर सकता है;

(2) 15 मार्च, 1983 तक कुछ विशेष श्रेणियों/किस्मों के इस्पात पर मूल्यात्मक और मात्रात्मक छूट दी जा रही थी;

(3) कुछ मदों के लिए चयनात्मक आधार पर उधार की सुविधाएं दी जाती हैं;

(4) "सेल" अपने खर्च पर एक स्टाकयार्ड में माल भेज रही है बशर्ते कि उसकी बिक्री पहले हो जाए;

(5) "सेल" द्वारा पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आने वाले लाइसेंसधारियों तथा आयात के अन्य लाइसेंसधारियोंको देशीय इस्पात की कुछ श्रेणियां गर्म बेलित क्वायल स्केल्प, ठंडे बेलित क्वायल चादरें और बेदाग इस्पात की चादरें क्वायल की सप्लाईस्पर्शी मूल्यों पर की जा रही है।

(ग) और (घ) उत्पादन के अनुरूप बिक्री नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप स्टाक में वृद्धि हुई है। 1.3.1983 को "सेल" के कारखानों और घरेलू बिक्री के स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का कुल स्टाक 14.69 लाख टन था। (आंकड़े अस्थाई हैं)

टायर और ट्यूब निर्माता यूनिटें

4096. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम और पते क्या हैं जो देश में ट्रकों, बसों, ट्रेक्टरों स्कूटरों, मोटर साइकिलों और साइकिलों के टायर और ट्यूब का निर्माण कर रही हैं और उनका वार्षिक टायर उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि साइकिल और रिक्शा में प्रयोग की जाने वाले टायर और ट्यूबों की कीमतें गत तीन वर्षों के दौरान दुगुनी हो गई हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे टायर और ट्यूबें निर्माता फर्मों ने सरकार से उन्हें सस्ती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु मांग की है और यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) विवरण संलग्न हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान साइकिल के टायर और ट्यूबों के मूल्य निम्न प्रकार रहे हैं :—

	मूल्य (रु./प्रति नग)		
	1980	1981	1982
टायर	14.65	16.00	17.10
ट्यूब	6.30	6.85	7.25

(ग) टायर और ट्यूबों के उत्पादन में काम आने वाली कच्ची सामग्री के मूल्यों पर और उसके विवरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है।

विवरण

(आंकड़े-नगों में)

क्रम सं.	एकक का नाम और पता	उत्पादन-1982 (मोटर गाड़ियों के टायर)
1	2	3
1.	मे. डनलप इंडिया लि. डनलप हाउस, 57 बी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-16 (शाहगंज एकक)	1049483
2.	अम्बात्तूर एकक	798,137
3.	मे. बोम्बे टायर्स इण्टरनेशनल लि. हे बन्दर रोड, सेवरी, बम्बई-400033	866,284
4.	मे. सिएट टायर्स आफ इण्डिया लि., भांडुप, बम्बई।	1419,598
5.	मे. गुडइयर इण्डिया लि., गोदरेज भवन, (तीसरी मंजिल) मथुरा रोड नई दिल्ली।	677,556
6.	मे. प्रीमियर टायर्स लि., मर्चेन्ट चेम्बर, 41, न्यू मेरीन लाइन्स, बम्बई-20	281,714
7.	मे. इंचेक टायर्स लि., 19, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-13	34,499
8.	मे. मद्रास रबर फैक्टरी,	573,394 (मद्रास एकक)
	तिरुवोट्टीपुर हाई रोड:	366,007 (गोआ एकक)
	मद्रास।	275,503 (आरकोणम एकक)

1	2	3
9.	मे. मोदी रबर लि. मोदी नगर ।	982,432
10.	मे. जे. के. इण्डस्ट्रीज लि., लिंक हाउस, 3, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	377,180
11.	मे. अपोलो टायर्स लि., चेरुपुष्पम बिल्डिंग, 6वीं तल, अण्मुगम रोड, कोचीन ।	303,783
12.	मे. विक्रान्त टायर्स लि., के. आर. एस. रोड, मेटागल्ली, मैसूर-570016	289,683
13.	मे. फाल्कन टायर्स लि., 5 क्रीसेंट रोड, हाई ग्राउन्ड्स, बंगलौर-1	552,300
14.	मे. यू. पी. टायर्स एण्ड ट्यूब्ज लि., ए-539, एच. आई. जी. आवास विकास कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016	91,741
		योग 89,39,293

क्र. सं.	एकक का नाम और पता	उत्पादन
		(साइकिल टायर)
1.	मे. डनलप इण्डिया लि., डनलप हाउस, 57 बी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट (शाहगंज एकक)	80,65,236
2.	(अम्बात्तूर एकक)	46,94,748
3.	मे. इन्टरनेशनल रबर एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि. 18/24, नांकियाल जानी रोड, वाडी बांदर, बम्बई-400009	766,92,519
4.	मे. राल्सन साइकिल्स लि., बालसन नगर जीं. टी. रोड, लुधियाना (पंजाब)	74,21,861
5.	मे. रघुबीर साइकिल इण्स्ट्रीज लि., प्रतापनगर, इण्डस्ट्रीज एरिया, लुधियाना ।	3,33,700

1	2	3
6.	मे. कास्मोस इण्डिया रबर वर्क्स प्राइवेट लि., 7, होमजी स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई ।	नगण्य
7.	मे. रूबी रबर वर्क्स, पो. आ. रूबी नगर, चंगनाशेरा ।	76,367
8.	मे. नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लि., 19 जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-13	1,91,836
9.	मे. मद्रास रबर फैक्टरी, तिरुवोट्टियुर हाई रोड, मद्रास ।	87,157
10.	मे. त्रिवेन्द्रम रबर वर्क्स, त्रिवेन्द्रम ।	3,40,550
	योग	279,03,574

वाहन निर्माता कारखाने

4097. **श्री निहाल सिंह :** क्या **उद्योग मन्त्री** वाहन निर्माता कारखानों के सम्बन्ध में दिनांक 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं. 10111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों द्वारा इस समय विभिन्न निर्माता फर्मों में बुक किए गए भारी तथा हल्के वाहनों, बसों, ट्रकों और मिनी बसों की चेसिसों, तिपहिया स्कूटरों, दो पहिया स्कूटरों की अलग अलग संख्या कितनी है; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 तक बुक किए गए वाहनों और चेसिसों को बुक कराने वाले व्यक्तियों को कब तक आवंटित किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) बुकिंग मुख्यत: कुछ मेक की वाणिज्यिक गाड़ियों और स्कूटरों के सम्बन्ध में है । निर्माण एककों द्वारा बताई गई स्थिति निम्न प्रकार है :—

निर्माता	वस्तु	बुकिंग (लगभग)
टेल्को	बसों तथा ट्रकों सहित वाणिज्यिक गाड़ियां	46,000
अशोक लेलैण्ड	वही	14,200
स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड	हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां	1,100
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	वही	5,300

1	2	3
बजाज टेम्पो	वही	10,000
बजाज आटो	तिपहिए स्कूटर	2,12,000
आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लि.	वही	6,600
बजाज आटो (सुपर)	दुपहिए	6,25,000
बजाज आटो (चेतक)	वही	89,000
महाराष्ट्र स्कूटर्स लि. (प्रिया)	दुपहिए	7,30,000
स्कूटर्स इण्डिया लि.	लैम्ब्रेटा सेंटो दुपहिया स्कूटर	96,600
गिरनार स्कूटर्स लि.	दुपहिया स्कूटर	35,000

मेसर्स टेल्को और अशोक लेलैंड ने बताया है कि चेसिसें आसानी से उपलब्ध हैं और जिन ग्राहकों ने चेसिसें बुक की हैं उन्हें डिलीवरी का प्रस्ताव किया गया है। बुकिंग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, स्टैन्डर्ड मोटर्स प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लि., बजाज टेम्पो लिमिटेड और महिन्द्रा और महिन्द्रा लिमिटेड सामान्यतया एक वर्ष के अन्दर डिलीवरी कर सकेंगे। स्कूटरों के सम्बन्ध में मुख्यतः बजाज आटो लिमिटेड और महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के उत्पादों के सम्बन्ध में बुकिंग बकाया है। बुकिंग की मात्रा को देखते हुए बकाया आर्डरों पर इन कपनियों द्वारा डिलीवरी करने में पांच वर्ष से अधिक समय लग सकता है। किन्तु दुपहिया उद्योग में प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें नये निर्माता क्षेत्र में आ रहे हैं और पसन्द करने के लिए ग्राहकों को अधिक विकल्प प्राप्त होने की सम्भावना है।

कारों के निर्माण के लिए फोर्ड मोटर्स के साथ सहयोग

4098. **श्री एन. डेनिस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स सिम्पसन एण्ड कम्पनी, मद्रास ने कार निर्माण के लिए फोर्ड मोटर्स के साथ सहयोग करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरेनियम निक्षेपों का सर्वेक्षण

4099. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशों में यूरेनियम तथा अन्य परमाणु सामग्री के किफायती रूप से काम आने वाले निक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कोई सवेक्षण और खोज-कार्य कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण तथा खोज-कार्य से क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार करेगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग परमाणु खनिजों के निक्षेपों का, जिनमें यूरेनियम के निक्षेप भी शामिल हैं, पता लगाने के लिए सारे देश में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता रहा है। निम्नलिखित और क्षेत्रों को खनिजों की विद्यमानता खनन के लिए चुना गया है :

(i) बोडल-मंडारी टीला, राजनंदगांव जिला, मध्य प्रदेश;

(ii) जजावल-दुमहट, सरगुजा जिला, मध्य प्रदेश;

(iii) आस्टोथा-रुया-सिम्बल गल्लौत-आंदलदा, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश;

(vi) टिमली-नौगाजिया राव, सहारनपुर जिला और ब्रजरानीगढ़ क्षेत्र, टिहरी-गढ़वाल जिला, उत्तर प्रदेश;

(v) वालकंजी-इच्छलगुडा-येल्याकी, दक्षिण कनारा जिला तथा अरबाइल-बिस्गोड-प्रधानी, उत्तरी कनारा जिला, कर्नाटक;

(vi) शिलांग पठार के दक्षिणी ढलानों पर गोमाघाटा शैला क्षेत्र; मेघालय का पश्चिमी खासी पहाड़ी जिला;

(vii) दरभा, बस्तर जिला और चौरधवा, बिलासपुर जिला, मध्यप्रदेश;

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

भविष्य में कागज और इसके कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने की नीति

4100. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कागज उद्योग को भविष्य में कागज और इसके कच्चे माल और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई नीति तैयार करने को कहा है;

(ख) क्या कागज मिलों को उनकी स्थापना से ही अपने कच्चे माल की सप्लाई की योजना बनाने को कहा गया है;

(ग) क्या कागज अथवा अखबारी कागज मिलों की स्थापना के लिए नियोजित वानिकी को परियोजना प्रस्ताव के एक भाग के रूप में अपनाया जाना चाहिए जैसा कि विकसित और कुछ विकासशील देशों में स्वीकार किया गया है;

(घ) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि विकास परिषद् को गैर-परम्परागत कच्चे माल, उच्च उत्पादन पल्प प्रणालियों, हर्डबुड के बढ़े हुए उपयोग के प्रयोग के लिए अनुसंधान कार्यक्रम बनाने चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो मंत्री महोदय द्वारा दिए गए सुझावों में से कितने सुझावों को कागज मिलों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और क्या उनके द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) जी हां,।

(ङ) और (च) उद्योग की दीर्घकालिक समस्याओं को दूर करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए प्राप्त विभिन्न सुझावों का कागज लुगदी और सहबद्ध उद्योगों की विकास परिषद द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ताकि सरकार के विचारार्थ एक ठोस कार्यवाही योजना तैयार की जा सके।

देयतारी परियोजना के लिए पूंजी-निवेश

4101- **श्री के. प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा एक विशाल बजटीय घाटे से ग्रस्त है और संसाधनों की कमी के कारण छठी योजना के अन्तर्गत किये गए वायदों को पूरा करने में असमर्थ है और अभी तक देयतारी परियोजना के लिए धनराशि जुटाने के उपाय नहीं कर पाई है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि के निधियों के निवेश के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) प्रस्तावित इस्पात परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नहीं की जानी है। भारत सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जो अभी तैयार की जा रही है, पर विचार कर लेने के पश्चात् ही इस परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में निर्णय लेगी।

गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4102. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभिन्न विभागों में श्रेणी-बार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से, श्रेणी-वार कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत हैं;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं तो शेष कोटा पूरा करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को भी नियुक्त जानबूझ कर नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

गृह मंत्रालय सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

** ग्रुप "क"

पदों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
** ग्रुप "क"	203	19	9.4	3	1.4
ग्रुप "ख"	1125	138	12.3	17	1.5
ग्रुप "ग"	1769	237	12.4	11	0.6
ग्रुप "घ"	541	128	23.6	26	4.8

गृह मंत्रालय सचिवालय जिसमें गृह मंत्रालय (मुख्य) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और राजभाषा विभाग शामिल हैं। में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का कोटा क्रमश: 15% और $7\frac{1}{2}$% है ग्रुप "क" "ख" और "ग" में नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षाओं/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जाती हैं। नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कोटे के अनुसार सेवाओं/पदों में अनुसूचित कोटे के अनुसार सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक रोस्टर रखता है। यदि आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जाता है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लागू आदेशों के अनुसार उनको बाद में भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाया जाता है। नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हताओं अर्थात् आयु, अनुभव इत्यादि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में छूट दी जाती है। अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को नियुक्त न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

** ग्रुप "क," के 10, ग्रुप "ख" के 33 और ग्रुप "ग" के 20 प्रतिनियुक्ति पद शामिल नहीं हैं क्योंकि आरक्षण सम्बन्धी आदेश इन पदों पर लागू नहीं होते हैं।

गृह मंत्रालय में हिन्दी/अंग्रेजी का प्रयोग

4103. **श्री रामविलास पासवान**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पालन होता है, यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश भेजे गए और उनमें से कितने दोनों भाषाओं (हिन्दी व अंग्रेजी) में थे;

(ख) पिछले एक वर्ष में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उसमें से कितने दोनों भाषाओं (हिन्दी अंग्रेजी) में प्रकाशित किए गए;

(घ) 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिए गये; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान। 1982 के दौरान 20,719 सामान्य आदेश जारी किए गए थे जिनमें से 20,549 हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में थे;

(ख) 1982 के दौरान हिन्दी के 1,24849 पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 60,296 का उत्तर हिन्दी में दिया गया था जबकि 64,349 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था;

(ग) इस मंत्रालय द्वारा दस प्रकाशन/पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिनमें से एक हिन्दी में और सात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तथा दो अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती हैं।

(घ) 1968 के पश्चात् आठ कार्यालय/संगठन (आयोग और समितियों आदि के अतिरिक्त) स्थापित किए गये थे जिनमें से एक को हिन्दी का नाम दिया गया था और शेष सात को शुरू से ही द्विभाषी नाम दिए गये थे; और

(ङ) पालन न किए जाने के मामले बहुत कम थे और स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं।

जनजातीय विकास परियोजनायें

4104. **श्री शिबु सोरत** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जनजातीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 17 फरवरी 1983 को केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश, उडीसा और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मध्य प्रदेश, उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों और बिहार और पश्चिम बंगाल के जनजाति विकास के प्रभारी मन्त्रियों ने भाग लिया।

(ख) बैठक में इन राज्यों में जनजाति विकास की सामान्य पुनरीक्षा की गई है। गृह मंत्री ने जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन को सुप्रवाही बनाने, कार्मिकों के उचित चयन और प्रशासन तंत्र को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदत्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यह निर्णय किया गया कि छठी योजना अवधि के दौरान प्रत्येक जनजाति गांव को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किए जाएं। जब कभी जनजातियों की भूमि को अपरिहार्य रूप से अधिकृत कराना हो तो उन्हें पर्याप्त और तत्काल भुगतान किया जाय और भुगतान अधिग्रहण से पहले किया जाना चाहिए। सिंचाई औद्योगिक, खान स्थापनों और विकास परियोजनाओं के कारण बेदखल की गई जनजातियों को तेजी से पुनर्वास किया जाना चाहिए। समन्वय और कार्यक्रम के वेहतर कार्यान्वयन सम्बन्धित अन्य विभिन्न मामलों पर विचार किया गया।

लघु उद्योग विकास संगठनों में गैर इन्जीनियरी ट्रेडों में भर्ती का तरीका

4105. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकास संगठनों में गैर इंजीनियरी ट्रेडों में भर्ती करने का तरीका क्या है;

(ख) विभागीय कोटे को भरने के लिए की गई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभागीय समिति की बैठकें नियमित रूप से हुई हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विभाग ने उन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए जिनकी विभागीय पदोन्नती समिति की बैठक न बुलाए जाने का कारण पदोन्नति नहीं हो रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) लघु उद्योग विकास संगठन में अनेक व्यवसाय हैं किन्तु "गैर इन्जीनियरी व्यवसाय" जैसा कोई भी ग्रुप नहीं है। सभी व्यवसायों के पद सरकार द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए आदेशों और अनुदेशों तथा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार ही भरे जाते हैं।

नियमित पदोन्नति कोटे के पद खाली होने पर सभी व्यवसायों में विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें की जाती हैं, बशर्ते कि ऐसी बैठकें बुलाने की पूर्वापेक्षाएं पूरी हो जाएं। विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी) के माध्यम से नियमित पदोन्नति किए जाने तक, ऐसे खाली पदों को तदर्थ पदोन्नति करके भरा जाता है।

ऊर्जा नीति, विद्युत उत्पादन और कोयले पर विचार करने के लिए कार्यदल

4106. **श्री नवीन रावणी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (एक) ऊर्जा नीति, (दो) बिजली उत्पादन और (तीन) कोयले की देखरेख के लिए एक नई कार्यदल की नियुक्ति की है;

(ख) क्या उसका प्रतिवेदन पेश हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) उन सुझावों पर अमल करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) ऊर्जा नीति या विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में कोई कार्यकारी दल गठित नहीं किया गया है। कोयले और लिग्नाइट के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है।

(ख) ऊर्जा नीति या विद्युत-उत्पादन के सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता। कोयले और लिग्नाइट के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्ष 1982 के दौरान देश में सीमेंट का उत्पादन तथा आयात

4107. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सीमेंट की स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 1982 के दौरान कितने सीमेंट का आयात किया गया तथा मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 के दौरान कितने सीमेंट का आयात किया गया; और

(ग) जनता को लेवी सीमेंट जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर भद्र सिंह) : (क) और (ख) सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना के लागू हो जाने से देश में सीमेंट की उपलब्धता में सुधार हुआ है। वर्ष 1982 में सीमेंट के स्वदेशी उत्पादन में 16.7 लाख मी. टन की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 1981 में 209.11 लाख मी. टन उत्पादन हुआ था। इसके अलावा वर्ष 1981 में लगभग 15 लाख मी. टन सीमेंट का आयात किया गया है।

(ग) सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण संबंधी नई नीति लागू हो जाने के पश्चात्, जनता को लेवी सीमेंट का आवंटन राज्य सरकारों/संघशासित केन्द्रों द्वारा उन्हें इकट्ठे रूप में किए गए आबंटन में से ही किया जाएगा। लेवी सीमेंट का नियतन करने में अपनाए जाने वाले मानदण्ड 27.2.82, 21.4.82 और 7.5.82 के प्रेस टिप्पणों में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संलग्न हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी.** 6210/83]

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों परिवारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

4108. **श्री नवीन रावणी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे अनेक पीड़ित परिवार हैं जो न तो अनुसूचित जाति के हैं और न अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे परिवारों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने परिवार हैं; और

(घ) उनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के जरिये एकत्र किए गए उपभोक्ता व्यय से संबंधित आंकड़ों से तैयार किए जाते हैं । पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 के लिए था और इससे संबंधित जो आंकड़े अब तक तैयार किए गये हैं और जारी किए गए हैं उनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अलग-अलग वितरण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले उन व्यक्तियों की संख्या बताना संभव नहीं है जो न तो अनुसूचित जातियों के हैं और न ही अनुसूचित जनजातियों के हैं।

(घ) छठी योजना में गरीबी दूर करने के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव वाले अनेक विशिष्ट कार्यक्रम शामिल किए गये हैं। कुछ कार्यक्रम लोगों के विशेश वर्गों के लिए हैं । जब कि अन्य सभी के लिए हैं । इनमें से कुछ कार्यक्रम ये हैं :—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र प्रवृत्त कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और जनजातियों क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 20-सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य भी गरीबी दूर करना ही है ।

राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना आवंटन

4109. **श्री नारायण चन्द परासर : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 फरवरी, 1983 के टेलीग्राफ (कलकत्ता) में दी रीयल सिसेशनिस्ट्स आर मोस्टली इन न्यू दिल्ली शीर्षक समाचार की ओर ध्यान दिया है जिसमें की राज्यों के योजना नियतन आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति योजना आवंटन के बारे में सरकार की नीति क्या है और क्या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी क्षेत्रों को योजना के माध्यम से विकास का एक समान स्तर होना चाहिए ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां । दिनांक 9 फरवरी के टेलीग्राफ (कलकत्ता) में प्रकाशित 'दी रीयल सिसेशनिस्ट्स आर मोस्टली इन न्यू दिल्ली' शीर्षक सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) राज्यों को योजनाओं के लिए धनराशियों के आवंटन का निर्धारण वित्तीय संसाधनों के अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें राज्य का अपना अंशदान और केन्द्रीय सहायता शामिल होती है । छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 की अवधि में राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता का वितरण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के आधार पर किया गया है जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के पैरा 5.55 में स्पष्ट किया गया है और जिसे संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इससे यह पता चलेगा कि परिशोधित गाडगिल

फार्मूले के अनुसार 60 प्रतिशत सहायता का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अपेक्षाकृत पिछड़े हुए राज्यों को परिशोधित गाडगिल फार्मूले तथा आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के आवटन में प्राथमिकता दी गई है। बिकास के लिए संसधानों को बढ़ाने के किए विशेष श्रेणी के राज्यों पहाड़ी क्षेत्रों तथा जनजातिय क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी परिषद की ओर कुछ भी इस मामले में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा विशेष श्रेणी के राज्यों और कुछ ऐसे पिछड़े राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है अतिरिक्त बाजार ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) छठी योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक उद्देश्य विकास की गति में क्षेत्रीय असमानताओं में उत्तरोत्तर कमी करना है।

लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों का संसोधन

4110. **श्री के. मालन्ना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस अथवा अनुमति के लिए वर्तमान आवेदन-पत्रों के संशोधन की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस या अनुमति लेने के आवेदन पत्र में किए गए संशोधनों को सरकार के दिनांक 16 फरवरी, 1983 के प्रेस टिप्पण में अधिसूचित कर दिया गया हैं। इन संशोधनों से इच्छुक उद्यमियों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के बारे के भी जानकारी देनी होगी :—

1. (क) क्या परियोजना या उनके सहायक एकक (कों) की स्थापना में या कच्चे माल को खरीदने में किसी प्रकार की वन भूमि का उपयोग निहित है जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध लागू होते हैं;

   (ख) यदि हां, तो क्या कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग तथा सहकारिता की पूर्व-अनुमति ले ली गई है। अनुमति की संख्या और तारीख बताई जाए।

2. (क) क्या कारखाने का स्थापनास्थल किसी राष्ट्रीय उद्यान/पशुशरण स्थल (चीतों के लिए आरक्षित क्षेत्र सहित) या राष्ट्रीय स्मारक के समीप है;

   (ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यान/पशुशरण स्थान का नाम क्या है और राष्ट्रीय उद्यान/पशु शरण स्थान चीतों के लिए आरक्षित क्षेत्र/राष्ट्रीय स्मारक में प्रस्तावित कारखाने का स्थापना स्थल कितनी दूर है तथा क्या परियोजना से राष्ट्रीय उद्यान/पशु शरण स्थान/चीतों के लिए आरक्षित क्षेत्र/राष्ट्रीय स्मारक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

3. उस बड़े औद्योगिक गृह का नाम क्या है, जिसका यह उपक्रम है या जिसका हो सकता है।

4. विदेशी भागीदार का नाम क्या है और उनकी इक्विटी की प्रतिशतता क्या है।

5. क्या औद्योगिक उपक्रम का स्थापना स्थल कोई "उद्योग रहित जिला" या पिछड़ा क्षेत्र है और यदि नहीं, तो इस प्रकार के स्थापना स्थल का औचित्य क्या है।

6. क्या उत्पादन की वस्तु दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के परिशिष्ट-1 में शामिल है जिसमें 21 अप्रैल, 1982 के प्रेस टिप्पण द्वारा संशोधन किया गया है और क्या यह वस्तु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

7. निर्माण की वस्तु, यदि आयातित हो, की इकाई का लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य क्या है।

8. निर्माण की वस्तु का उपयोग क्या है;

पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना

4111. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के प्रभार के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1982 के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) अन्तर्गत कितने विभिन्न पत्र जारी किए गए;

(ख) उनमें से कितने पत्र द्विभाषी रूप में तथा कितने केवल अंग्रेजी में जारी किए गए;

(ग) जो पत्र केवल अंग्रेजी में भेजे गए उन्हें नियमों के अनुसार द्विभाषी रूप में न जारी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे सभी पत्र राजभाषा अधिनियम की उपयुक्त धारा के अनुसार द्विभाषी रूप में ही भेजे जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री जी के अधीन विभागों से जानकारी एकत्रत की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गृह मन्त्री के अधीन मन्त्रालयों/विभागों द्वारा हिन्दी मध्यम से ली गई विभागीय परीक्षाएं

4112. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके अधीन मंत्रालयों/विभागों तथा उसके संबद्ध कार्यालयों में वर्ष 1982 में कितनी विभागीय परीक्षायें ली गई;

(ख) क्या ऐसी विभागीय परिक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया था; यदि हां, तो कितनी परीक्षाओं में;

(ग) उपर्युक्त सभी विभागीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम से बैठने की अनुमति कब से दी जायेगी; और

(घ) इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) के (घ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों से सम्पर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध

4113. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध हैं कि वे संसद सदस्यों से सम्पर्क नहीं रख सकते और जब कभी चाहें उनसे नहीं मिल सकते;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसे अनुदेश, नियम और विनियम हैं जिनके अनुसार उनके संसद सदस्यों के सम्पर्क में आने पर और उनसे व्यापक जनहित में सहायता लेने पर रोक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) आचरण नियमों में यह व्यवस्था है कि सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामले के सम्बन्ध में अपने हितलाभ के लिए किसी भी वरिष्ठ प्राधिकारी के ऊपर प्रभाव डालने के उद्देश्य से न तो कोई राजनीतिक अथवा किसी प्रकार का अन्य बाहरी दबाव डालेंग और न ही ऐसा कोई दबाव डालने का प्रयत्न करेंगे।

विदेशी ट्रेड मार्क का इस्तेमाल

4114. **डा. बसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापार निगम ने अपने विदेशी मासिक को उनके विदेशी ट्रेड मार्क इस्तेमाल करने के लिये 4.9 करोड़ रुपये के शेयर जारी किये हैं और ट्रेड मार्क के लिये कालमन ने 60 लाख रुपये के शेयर जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कोई क्या भी विदेशी कम्पनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिना कुछ लिये भारत में अपना ट्रेड मार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दे देगी;

(ग) क्या किसी भी नये उद्यम द्वारा विदेशी ट्रेड मार्क का इस्तेमाल किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा; और

(घ) क्या इस इस्तेमाल में लाये जा रहे सभी विदेशी ट्रेड मार्कों की समीक्षा की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) इन कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक, बबई को बताया है कि इन्होंने व्यापार को प्रयोग में लाने के लिए अपने विदेशी स्वामियों को कोई शेयर नहीं दिया है।

(ख) उपयुक्त (क) के संदर्भ यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नए विदेशी सहयोग अनुमोदित करते समय यह शर्त रखी जाती है कि आन्तरिक बिक्री हेतु किए उत्पादों पर सामान्यतया विदेशी ब्राण्ड नाम के उपयोग की अनुमति नहीं होगी यद्यपि निर्यात हेतु किए गए उत्पादों पर उनका प्रयोग किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(घ) जी नहीं।

वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को बेरोजगार

4115. **श्री अमल दत्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार विज्ञान स्नातकों, इन्जीनियरों, डाक्टरों, कृषि और पशु चिकित्सा स्नातकों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं,

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई श्रम साध्य योजना तैयार की है जिसमें इस समय के बेरोजगार वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों को लगाया जा सके तथा आगामी पांच वर्षों के दौरान संभावित स्नातकों को रोजगार दिया जा सके, और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाने का प्रयत्न किया है जिसमें कृषि वृक्षारोपण आदि और रोजगार साध्य उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों को लगाया जा सके !

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) 30 जून, 1982 के अंत तक रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत शिक्षित रोजगार के इच्छुक व्यक्तियो की कोटि-वार संख्या नीचे दी गई है :—

कोटि	स्नातकों की संख्या (सक्रिय रजिस्टर में दर्ज स्नातकोत्तर व्यक्तियों सहित (हजारों में)
विज्ञान	365.5
इंजीनियरी	24.1
चिकित्सा	18 0
कृषि	17.1
पशु चिकित्सा	0.6

बहरहाल, रोजगार कार्यालयों के साथ पजीकृत सभी रोजगार के इच्छुक व्यक्ति आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं होते। फिर, क्योंकि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण स्वैच्छिक होता है इसलिये हो सकता है कि कई बेरोजगार अपना पंजीकरण न कराएं।

(ख) और (ग) जन शक्ति आयोजन में केवल जनशक्ति विकास ही निहित नहीं अपितु विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति का उत्पादक उपयोग भी है। छठी योजना के प्रलेख में केवल रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के अवचूषण के लिए ही नहीं अपितु विज्ञान और जनशक्ति कोटि

में श्रम बाजार में शामिल होने वाले नए लोगों के लिए भी रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए ध्यान दिया गया है इसमें कृषि, डेयरी विकास, मछली पालन, वानिकी, सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में कार्यक्रम तथा लघु और विशाल पैमाने के उद्योग, हैं जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति सहित शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, शामिल हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास की वृद्धि की उच्च दर कायम करना है जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी व्यक्तियों के उच्च स्तर पर अवचूषण से सम्बद्ध है। महासागर विकास, मरुस्थल विकास, पर्यावरण नियंत्रण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए रोजगार के अवसर जुटा रहे हैं।

वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रैक्टिस/क्लनिक स्थापित करने के इच्छुक चिकित्सकों को उदार ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की है। इसके अतिरिक्त, अब बैंकों द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में बड़ी संख्या में इन्जीनियरों को शामिल किए जाने की संभावना है।

छठी योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कुल परिव्यय 1974-75 से लेकर 1978-79 तक की अवधि के दौरान के 1809 करोड रुपये की तुलना में बढ़ा कर 3367 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्धित आवंटन से देश में अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों की गति बढ़ने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार किए जाने की भी आशा की जाती है।

भारत सरकार ने, स्वयं रोजगार की स्कीम के माध्यम से योग्यता प्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के बीच दीर्घकालिक आधार पर बेरोजगारी तथा अनुपयुक्त रोजगार की समस्या से निपटाने के लिए, जनवरी, 1982 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड की स्थापना की है।

अनुसंधान और विकास करने प्रौद्योगिक संयंत्रो में तथा ऊर्जा का बचत करने बाले उपायों में निवेश करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इनसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकोविदों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने की आशा की की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय किया है कि नए पाठ्यक्रम सुनियोजित जनशक्ति आवश्यकताओं पर आधारित होंगे।

असम में भेजे गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर अतिरिक्त व्यय

4116. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम विधान सभा के चुनावों के लिये दिल्ली तथा अन्य शहरों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भेजने के लिये सरकार को कितना अतिरिक्त वित्तीय व्यय वहन करना पड़ा; और

(ख) क्या इस अतिरिक्त व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा वह राज्य सरकार से लिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) केन्द्र तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के बीच सम्मत व्यवस्थाओं के अनुसार, जब लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं तो ऐसे चुनावों के संचालन पर होने वाले समस्त व्यय को केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच 50 : 50 आधार पर बांट लिया जाता है। तदनुसार, एक मास की परिलब्धियों तथा $1\frac{1}{2}$ गुणा दैनिक भत्ते के बराबर मानदेय की एकमुश्त राशि भुगतान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये व्यय को भी उसी आधार पर बांटा जाएगा। किन्तु, इस संबंध में किए गए कुल व्यय को इस अवस्था में बताना संभव नहीं है क्योंकि चुनाव कार्य पर भेजे गए प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली एकमुश्त राशि उसकी कुल परिलब्धियों तथा असम में उसके प्रवास के दौरान उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की दर (जो प्रत्येक व्यक्ति के मामले में अलग-अलग है) पर आधारित है। फिर भी इस सम्बन्ध में किए गए कुल खर्च को, असम में लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के चुनावों के संचालन पर हुए खर्च को समेकित कर लेने के बाद, खर्च का जो हिस्सा केन्द्रीय सरकार का बैठेगा, उसमें मुजरा कर दिया जाएगा।

कुद्रेमुख लोह-अयस्क के संबंध में ईरान से समझौता

4117. **श्री के. ओबुल रेड्डी** : **क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान सरकार कुद्रेमुख लौह अयस्क 1984 से लेने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ईरानी प्रतिनिधिमण्डल जिसने इस संबंध में भारत का दौरा किया था, उसके नेता और अन्य सदस्यों का नाम पद क्या हैं तथा भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के साथ हुई उनकी बातचीत के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) पहले समझौतों की दृष्टि से दोनों देशों के बीच समझौते की शर्तें क्या हैं;

(घ) ईरान द्वारा कितने लौह अयस्क के उठाये जाने की आशा है और पहली खेप भारत से कब भेजी जायेगी; और

(ङ) क्या अयस्क की यह पूर्ति वस्तु विनिमय की अदायगी के आधार पर है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) अभी तक ईरान की सरकार से इस प्रकार का कोई पक्का संकेत प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ईरान के एक शिष्ट मण्डल ने दिसम्बर, 1982-जनवरी, 1983 में भारत का दौरा किया था। इस शिष्टमण्डल में निम्नलिखित सदस्य थे :—

1. श्री सैयद मेहदी हुसैनी, उप-मंत्री (खान व धातु)
2. श्री असदमोलिया सालेह फिरोज, उप-मंत्री एवं प्रबन्ध निदेशक

3, श्री हुसांग खुशनद, विशेषज्ञ
4. श्री हरनोज नासेरनिया, विशेषज्ञ
5. श्री रजा अशरफ सामनानी, विशेषज्ञ
6. श्री यादोल्लाह, रजेश मोयेद, विशेषज्ञ
7. श्री मोजतेबा हजाजी, विवेषज्ञ
8. श्री सईद जमाल इमामी, विशेषज्ञ
9. श्री यादोल्लाह अहमदियां, विशेषज्ञ
10. श्री अहमद अजदारे, विशेषज्ञ

बातचीत पूरी नहीं हुई है और कुछ समय के बाद बातचीत फिर शुरू होने की सम्भावना है ।

(घ) ईरान द्वारा सांद्रण की की खरीद के बारे में कोई पक्का कार्यक्रम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) जब भी सांद्रण की सप्लाई की जाएगी, यह सप्लाई अदायगी की सामान्य शर्तों पर होने की सम्भावना है ।

गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए परिवार

4118. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण सेक्टर में कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया ;

(ख) क्या यह संख्या छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या मुख्य कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण : (क) गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय के आवधिक सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 में किया गया था और अगला सर्वेक्षण वर्ष 1983 के लिए होना तय हुआ है। इस प्रकार नवीनतम उपलब्ध सरकारी अनुमान केवल वर्ष 1977-78 के लिए है। अब तक लगाए गए गरीबी के अनुमान व्यक्तियों की संख्या तक सीमित रहे हैं और इनमें परिवारों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के दो सर्वेक्षणों के बीच के मध्यवर्ती वर्षों में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के आंकड़ों को यदि किसी तरह मोटे तौर पर अभिकलित किया जा सकता है तो वह सामान्य बहिर्वेशन (एक्सट्रपोलेशन) और अर्थव्यवस्था के संवृद्धि निष्पादन तथा गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों के लिए गुंजाइश रख कर किया जा सकता है। इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रक में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के अनुमान वर्ष 1979-80 में 2596 लाख, वर्ष 1980-81 में 2357 लाख और वर्ष 1981-82 में 2259 लाख होंगे ।

(ख) और (ग) गरीबी के स्तर से ऊपर उठाए जाने वाले व्यक्तियों का लक्ष्य पूरी छठी योजना के लिए निर्धारित किया गया है और कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं है। पूरी योजना के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रक में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1979-80 में 2596 लाख से घटकर वर्ष 1984-85 में 1660 लाख हो जायेगी।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

4119. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स आयोग ने यह निर्णय किया है कि देश को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग राज्य इलेक्ट्रानिक्स निगमों को इनके निर्माण के लिए प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार कम्पनियों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीयकृत एजेंसी की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(घ) इसका क्रियान्यवन कब तक हो जाने की संभावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. सजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां आयोग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने संचार मंत्रालय के गहन परामर्श से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है।

(ग) तथा (घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने के संबध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें नमूनों का क्षेत्रीय-परीक्षण, हमारे दूरसचार नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों की विशिष्टियां निर्धारित करने, प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए निविदाओं का प्रारुप तैयार करना तथा निविदाए आमंत्रित करने आदि, के कार्य शामिल हैं।

रंगीन टेलीविजन का स्वदेशी निर्माण

4120 **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगो कि :

(क) क्या अब सरकार द्वारा रंगीन टेलीविजन के स्वदेशी निर्माण की अनुमति दे दी गई है और 1982 के मध्य में किए गए वायदे के अनुसार जनता कम मूल्य के सेटों की आशा कर सकती है;

(ख) विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए किन कदमों पर विचार किया गया है; और

(ग) ये स्थानीय निर्मित स्वदेशी रंगीन सेट कब तक उपलब्ध हो जायेंगे और उसकी मूल्य-नीति क्या होगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. सजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन

रिसीवरों के विनिर्माण से सम्बन्धित औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति सभा-पटल पर 25 फरवरी 1983 को रखी गई थी। स्वदेश में विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन रिसीवर का मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे रिसीवरों के आकार का किस्म, डिजाइन की सरलता जिसमें यह भी शामिल है कि बाह्य कल-पुर्जे किस सीमा तक प्रयुक्त किए गए हैं, विनिर्माण पर आने वाली लागत तथा कार्य-कुशलता, लाभ की मात्रा, सरकारी कर आदि। इसलिए स्वदेश में बनाए जाने वाले रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के ठीक-ठीक मूल्य बता पाना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई विशेष आश्वासन नहीं दिए हैं।

(ख) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों से सम्बन्धित औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किटों के आयात के आकार पर रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन के लिए और आगे अनुमति नहीं दी जाएगी। आशा की जाती है कि संघटक पुर्जों के मानकीकरण से देशी विनिर्माण-कार्य होने लगेगा तथा इसके फलस्वरूप आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने उद्यमियों से कहा है कि वे रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए अब उक्त नीति के अनुसार नए आवेदन प्रस्तुत करें। अब तक इलेक्ट्रानिकी विभाग में केवल कुछ ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन-पत्रों की जांच की जायेगी तथा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। यदि उद्यमी पर्याप्त उपाय करते हैं तो आशा की जाती है कि स्वदेश में विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन रिसीवर अब से 6-9 महीनों की अवधि में उपलब्ध हो सकेंगे।

23 मार्च, 1983 को होने वाली सदन की बैठक के लिए इस शताब्दी के अन्त तक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य

4121. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अन्त तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्राप्त किए जाने वाला कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रश्न पर भी विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम भी तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने

एक दीर्घकालीन योजना प्रस्तावित की है जिसके अन्तर्गत सन् 2000 तक 10000 मेगावाट की क्षमता के परमाणु बिजलीघर लगाने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाएं शामिल होंगी, जिन पर आने वाली लागत का हिसाब उपयुक्त समय पर लगाया जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में, 6 रिऐक्टर यूनिटों के लिए प्रावधान किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इनमें से दो रिऐक्टरों पर गुजरात में ककरापार नामक स्थान पर काम शुरू किया जा चुका है।

माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स के लिए आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकीय आधार

4122. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स के लिए व्यवहार्य तथा आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकीय आधार बनाने हेतु 230 करोड़ रुपये की लागत का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन क्या मुख्य प्रस्ताव कार्यान्वित किए जायेंगे; और

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक शुरू किया जाना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हा।

(ख) तथा (ग) कार्यदल की सिफारिशों पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

लघु यूनिटों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

4123. **श्री पी. एम. सईद** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों को संस्थागत वित्त देना सुनिश्चित करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त 19 सदस्यीय समिति छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कर ढांचे में उचित परिवर्तन करेगी;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अन्य क्या कार्य किए गए हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) संभवत: संदर्भाधीन प्रश्न का सम्बन्ध नवम्बर, 1982 में अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड द्वारा लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएं और उनकी कराधान समस्याओं के सम्बन्ध में गठित स्थायी समिति से है। इस स्थायी समिति की एक बैठक हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बंगलादेश से घुसपैठ रोकने के लिए दीवार बनाना

4124. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1981 में असम समस्या पर हुई एक त्रिपक्षीय बैठक

में शरणार्थियों की अनधिकार घुसपैठ को रोकने के लिए एक सीमांत दीवार बनाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कछार और बंगलादेश के सीमावर्ती जिलों में मेघ स्थलों पर 150 किलोमीटर लम्बी एक दीवार बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव क्यों छोड़ा गया जबकि वह असम समस्या के समाधान में बहुत लाभप्रद साबित हो सकता था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 20.1.1982 को सरकार के प्रतिनिधियों, संसद में विपक्षी ग्रुपों के नेताओं और अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गणसग्राम परिषद की सयुक्त बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उपयुक्त स्थानों पर फीजिकल बैरियर लगाने के लिए एक सूत्र पर सहमति हुई थी।

(ख) गोलपाड़ा और कछार की सीमा के साथ-साथ दीवार बनाने, बाड़ खड़ी करने और जनसंख्या रहित क्षेत्र बनाने के लिए असम सरकार से 11.52 करोड़ रुपये का अनुमानित आंकलन प्राप्त हुआ था।

(ग) असम सरकार का प्रस्ताव मंत्रालय में अधिकारियों के विशेषज्ञ ग्रुप के अधीन विचाराधीन है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

4125. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के पिछले जिलों और क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए वृहत् योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों की स्थापना के लिए चुने हुए जिलों और क्षेत्रों और वहां स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा उनके मंत्रालय को सुझाए गए उद्योगों और 1980 के बाद जारी किए गए आशयपत्रों के नाम क्या हैं और उनमें से कितनों को उद्योगों की स्थापना के लिए अब तक उपयोग किया गया है;

(घ) उद्योगों की स्थापना और उड़ीसा राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या सुविधाएं उपलब्ध की हैं; और

(ङ) उस राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्ति हुई है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति विवरण 1980 के अनुसरण में उड़ीसा सरकार ने केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित जिलों का पता लगाया है :—

1. पुरी (चांडक क्षेत्र)
2. बालनगीर
3. मयूरभंज
4. कालाहांडी
5. धेनकनाल

केन्द्रस्थ संयंत्रों के साथ-साथ उनके सहायक उद्योगों का पता लगाने के लिए गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। कृतिक दलों द्वारा इन जिलों में सिफारिश की गई, सम्भावित परियोजनाओं को विवरण 1, में दिया गया है। उड़ीसा सरकार से प्रत्येक परियोजना की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता सहित उनकी कुल आनुषंगिक उद्योग क्षमता की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) उड़ीसा में वर्ष 1980 से 1982 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

1980		1981		1982	
आशय पत्र	औ. लाइसेंस	आशय पत्र	औ. लाइसेंस	आ. पत्र	औ. लाइसेंस
14	8	32	5	43	10

उपक्रम का नाम, पता, विनिर्माण की वस्तु, तथा क्षमता सहित सभी आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जा रहा है इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) पिछड़े जिले को राज्य सरकार से उपलब्ध होने वाले प्रोत्साहनों और रियायतों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण 1

सिफारिश किए गए केन्द्रस्थ संयंत्र

उड़ीसा

1. एण्डक (पुरी)	1. एक्च्यूटर
	2. मिल प्रोजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम
	3. बायतर पाइपिंग और सहायक सामान
	4. घड़ियों के सेट
	5. टैक्सटाइल स्पिनिंग मिल मशीनरी
	6. इलैक्ट्रानिक इलेक्टर्स
	7. मेग्नेटिक टेपें
	8. डाई टेंसिल फास्टनर्स
	9. सिरेमिक कैपेसिटर्स
	10. कोच रिपेयर शाप

2. बोलनगीर	1. ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स
	2. बिना जोड़ की ट्यूबें
	3. मशीन टूल काम्प्लैक्स
	4. ट्रैक्टरों और फार्म उपकरण
	5. सिन्थेटिक धागे
	6. एस्वेस्ट्स सीमेंट उत्पाद
	7. वनस्पति
3. कालाहांडी	1. कन्वेयर बैल्टें
	2. कताई मिल
	3. कागज मिल
	4. औद्योगिक अल्कोहल
	5. कोर वीलर्ड बोर्ड
4. ढेकनाल	1. सेमी कोक
	2. गैस लैम्प
	3. औद्योगिक फास्टनर्स
	4. मिनी इस्पात संयंत्र
	5. एल्यूमिनियम पाउडर
	6. एल्यूमिनियम एक्सट्रनल्स
	7. कैलसाइन्ड पैट्रोलियम कोक
5. मयूरभंज	1. एम. टी. इन्सूलेटर
	2. फ्यूल इंजेक्शन उपकरण
	3. शॉक एबजोर्बर्स
	4. क्लब प्लेट और डिस्कें
	5. स्पेशल मालब्ज काम्पलैक्स
	6. केल्शियम कार्बाइड
	7. फैरो वैलेडियम
	8. लिंक बेन्स

विवरण-2

पिछड़े जिले को उड़ीसा राज्य सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन और रियायतें।

1. परियोजना तैयार करने की संभाव्यता अध्ययनों की लागत :

(क) राज्य सरकार के संवर्धनकारी अभिकरण ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए निःशुल्क संभाव्यता और परियोजना प्रतिवेदनों की व्यवस्था करेंगे।

(ख) लघु उद्योग एककों के मामले में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने की वास्तविक

लागत को जो अचल परिसम्पतियों की अधिकतम 1 प्रतिशत होगी राज्य सरकार द्वारा वह लिया जायेगा, किन्तु वहां परियोजना संभाव्यता रिपोर्टें राज्य सरकार के सवर्धनकारी अभिकरणों अथवा उनके द्वारा या उनके प्राधिकृत परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की जाती हैं, उन मामलों में उद्यमियों को लागत की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति जमा राशि के रूप में देना आवश्यक है, जिसे राज्य में परियोजना के कार्यान्वित हो जाने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि संभाव्यता रिपोर्ट की लागत उद्यमियों द्वारा वहन की जाती है तो अचल परिसम्पत्तियों के अधिकतम 1 प्रतिशत तक वास्तविक लागत परियोजना के कार्यान्वयन के बाद वापस कर दी जायेगी।

2. तकनीकी जानकारी फीस :

तकनीकी जानकारी देने वाले अभिकरणों जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम, क्षेत्रीय अनुसधान प्रयोगशालाएं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सगठनों और सरकारी अभिकरण द्वारा वसूल की गई जानकारी संबंधी एकमुश्त फीस की 75 प्रतिशत तक राजसहायता लघु उद्योग एककों के मामले में अनुमत होगी बशर्ते कि इसकी राशि 20,000/- रुपये से अधिक न हो।

3. पूंजीगत निवेश राजसहायता :

राज्य के सभी जिलों में विस्तार कर रहे औद्योगिक एकक और विद्यमान एकक 15 लाख रुपये तक निवेश राजसहायता प्राप्त करेंगे। उन जिलों में, जिसमें केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह राजसहायता राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय निवेश राजसहायता के मामले में लागू शर्तों व अनुबंधों के अनुसार प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख प्रोत्साहनों में से एक प्रोत्साहन दो पिछड़े जिलों अर्थात् बालासोर और फूलबनी जो केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के पात्र नहीं हैं में स्थापित लघु उद्योगों को अचल परिसम्पत्तियों पर 15 प्रतिशत निवेश राजसहायता स्वीकृत करना है।

4. औद्योगिक शेडों पर किराया (भाड़ा) राजसहायता :

लघु उद्योग एककों की स्थापना करने वाले तथा निर्मित शेडों के प्राप्त कर्ता शिक्षित बेरोजगार उद्यमी 4 वर्षों तक प्रथम दो वर्ष के लिए 100 प्रतिशत की दर से, तीसरे वर्ष 50 प्रतिशत की दर से तथा चौथे वर्ष 25 प्रतिशत की दर से किराया राजसहायता पाने के पात्र होंगे। किराया खरीद/एकमुश्त खरीद के आधार पर जिन उद्यमियों को शेड प्राप्त करने की अनुमति है वे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आंकी गई शेड की कीमत के 15-20 प्रतिशत तक की राजसहायता पाने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कुछ अन्य अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

(क) नए औद्योगिक एककों और विस्तार करने वाले विद्यमान एककों के लिए मशीनों और हिस्सों पुर्जों पर चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। उत्पादन शुरू करने की तारीख 1 से 5 वर्ष तक की अवधि में उद्योगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल को भी चुंगी की अदायगी से मुक्त रखा जाएगा।

(ख) वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर औद्योगिक सहकारी संगठनों को 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता दी जाएगी।

(ग) सरकारी भूमि और भवन के लिए उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित हुए ग्रामीण तथा कुटीर और लघु उद्योगों को 5 वर्ष तक मशीनों, हिस्सों-पुर्जों, कच्चे माल और पैकिंग के सामान की खरीद पर लगने वाले बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा। नए लघु उद्योग एकक प्रथम पांच वर्षों के दौरान राज्य में दिए गए बिक्री कर की राशि के बराबर ब्याज रहित बिक्री-कर ऋण की प्राप्ति के लिए भी हकदार होंगे बशर्ते कि यह प्रति वर्ष पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत तक सीमित थी और एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। इस ऋण की अदायगी ऋण लेने के 5 वर्ष के बाद करनी होगी।

(ङ) नदी अथवा चश्मों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पानी लेने पर जल प्रभार अथवा रायल्टी प्रथम पांच वर्षों तक नहीं ली जायेगी और उसके बाद जल प्रभार अथवा रायल्टी लेवी की दर निर्धारित सिंचाई दरों से आधी होगी। वाणिज्यिक उत्पाद शुरू करने से दो वर्ष तक किसी भी सिंचाई स्रोत से पानी लेने पर जल प्रभार या रायल्टी नहीं लगाई जाएगी। दो वर्ष समाप्त हो जाने के बाद सिंचाई नियमों में निर्धारित दर से जल प्रभार/रायल्टी ली जाएगी। पी. एच. डी. अथवा किसी अन्य राज्य अधिकरण द्वारा की गई जल आपूर्ति के लिए शुल्क "व लाभ व हानि" के आधार पर लिया जाएगा।

(च) ओ. एच. ई. बी. की "लघु उद्योगों की" ट्रैफिक रेट अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले उद्योग अर्थात् ऐसे एकक जिनका कनेक्शन लोड 20 किलोवाट है वे बिजली आपूर्ति शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक विद्युत शुल्क से मुक्त रहेंगे। आपूर्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक इन एककों के मामले में कोई न्यूनतम प्रभार नहीं लगेगा। न्यूनतम प्रभारों का हिसाब वार्षिक आधार पर लगाया जाएगा।

(छ) उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु उद्योग एकक सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों को अपना उत्पादित सामान देने पर 15 प्रतिशत तक के मूल्य अधिमान के हकदार होंगे।

(ज) अपने उत्पादों के लिए आई. एस. टी. प्रमाणपत्रधारी लघु औद्योगिक एकक 3 प्रतिशत का और मूल्य अधिमान पाने के पात्र होंगे।

(i) उद्योगों द्वारा अपेक्षित सरकार के नियंत्रणाधिकार आने वाले जंगली उत्पादों, खनिज और अन्य सैराट जैसे कच्चे माल के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए मूल्य और रॉयल्टी की निश्चित सूची बनाई जाएगी। वन और खनिज पर आधारित उद्योगों के लिए अनुदान देकर या पट्टे पर या अन्यथा कच्चे माल के संरक्षण हेतु दीर्घावधिक व्यवस्थाएं की जायेंगी। ओ. एस. आई. सी. लघु औद्योगिक एककों को लोहा, इस्पात अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे कच्चे माल के संभरण की व्यवस्था करेगा।

प्रशासन कुशल बनाने के लिए मुख्य मन्त्रियों को मार्ग निदेश

4127. **श्री बी. वी. देशाई : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने प्रशासन को कुशल बनाने के लिए मुख्य मंत्रियों को कुछ मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मंत्रियों को जारी किए गए मार्ग निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) जिन राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं उन्हें भेजे गए मार्ग निदेशों में कहां तक अन्तर है; और

(घ) प्रधान मंत्री के सुझावों को अब तक कितने राज्यों ने लागू किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री ने कांग्रेस (इ) और गैर-कांग्रेस (इ) दोनों तरह की सरकारों के (मुख्य मंत्रियों को कम-अधिक एक से ही पत्र लिखकर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उसे सुचारु रूप देने और सरकारी खर्च में किफायत लाने की आवश्यकता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है । उन्होंने यह भी सलाह दी है कि वे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को, विशेषकर गरीबों को तत्काल राहत पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकारी तंत्र को तीव्रगामी बनाएं और विकासोन्मुखी योजनाओं की गति बनाए रखें । उनसे खास तौर से यह भी कहा गया है कि वे सभी सम्भव स्रोतों से साधन जुटाएं और फजूल खर्ची न होने दें । उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि विदेशी सहायता तथा विदेशी धन पर बहुत ज्यादा आश्रित न रहा जाए, क्योंकि वे हमें कमजोर कर सकते हैं और हमारे लिए विदेशी दबाव का कारण बन सकते हैं ।

(घ) हालांकि मुख्य मंत्रियों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी. फिर भी उनमें से कुछ मुख्य मंत्रियों ने जिनमें कांग्रेस (इ) और गैर- कांग्रेस (इ) दोनों तरह की सरकारों के मुख्य मंत्री शामिल हैं (प्रधान मंत्री को इस आश्वासन के साथ उत्तर भेजे हैं कि विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को कार्यरुप देने. प्रशासन को सुचारु रूप देने और गैर-विकासोन्मुखी खर्च में किफायत सुनिश्चित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

दिल्ली की विशेष घटक योजना के लिए नियतन

4128. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये विशेष घटक योजना के अधीन कितनी राशि का नियतन किया गया और उसमें से कुल कितनी राशि उपयोग की गई;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान, उनकी बेहतरी और विकास के लिए इस निधि का उपयोग करने का कोई भी प्रभावशाली और सच्चा यत्न नहीं किया गया

और विभिन्न सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय के संगठनों के माध्यम से इस योजना का पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया; और

(ग) इस निधि का पूर्ण उपयोग किये जाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना (एस. पी. पी.) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित आवंटन और उपयोग किया गया। विशेष कम्पोनेंट योजना केवल अनुसूचित जातियों के लिए बनायी गयी है।

रुपये करोड़ों में

वर्ष	आंवटन	उपयोग
1980-81	10.44	5.09
1981-82	7.56	9.84
1982-83	11.92	11.92 (पूर्ण उपयोग प्रत्याशित है)

(ग) विशेष कम्पोनेंट योजनाओं का कार्यान्वयन का पुनिरीक्षण दिल्ली प्रशासन में उच्च प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। इन योजनाओं पर संबंधित कल्याण बोर्डों की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है, जिनमें स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं।

औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स संवर्धन कार्यक्रम

4129. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सूचना केन्द्र तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स संवर्धन कार्यक्रम को स्थापित करने तथा प्रारम्भ कर सकी है; और

(ख) सूचनाओं के विकीर्णन तथा एकत्रीकरण और औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स के संवर्धन के मामले में इन दो सगठनों की क्या उपलब्धि रही है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभागों में उपमंत्री (डा एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां। औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी संवर्धन कार्यक्रम वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने वर्ष 1977 से कार्य करना शुरू किया था।

(ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने अपने मुख्यालय में एक बड़े आकार का केन्द्रीय कम्प्यूटर तथा भारत सरकार के दिल्ली में स्थिति विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर टर्मिनलों का एक जाल सा बिछा दिया है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने 150 से अधिक ऐसे आंकड़ा-बैंक (डेटा-बेस) बनाए हैं जो भारत सरकार के 40 से अधिक मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बन्द्ध संगठनों में सेवारत हैं। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने

9 वें एशियाई खेलों के लिए न केवल एक कम्प्यूटर-तन्त्र सफलतापूर्वक स्थापित किया अपितु उसका संचालन भी किया। इसके फलस्वरूप अभिलेखीय सूचना संबधी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई ही, साथ ही परिणामिक सूचना प्रणाली विषयक जरूरतें भी पूरी हुई।

इलेक्ट्रोनिकी विभाग का औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी संवर्धन कार्यक्रम (आई. इ. पी. पी.) का उद्देश्य हमारे उद्योगों में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त स्वचलन तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नई दिल्ली में एक उपयुक्त स्वचालन संवर्धन प्रयोगशाला स्थापित की गई है ताकि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को उपयुक्त स्वचलन तकनीकों के डिजायन तथा अनुप्रयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी संवर्धन कार्यक्रम से कृषि, रेलवे तथा खनन और चीनी उद्योगों में इलेक्ट्रोनिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने में मदद मिली है। औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी संवर्धन कार्यक्रम केन्द्र अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग; त्रिवेन्द्रम में वैद्युत शक्ति उद्योग; तथा कलकत्ते में रसायन और उर्वरक उद्योग में इलेक्ट्रोनिकी के उपयोग को बढावा देने के लिए स्थापित किये जा रहे हैं।

सीवर के कारण गंगा में प्रदूषण

4130. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि नगरपालिकायें स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कितनी मात्रा में नदियों में सीवर की गन्दगी बहायी जा रही है; और

(ख) क्या सरकार ने गंगा के बारे में भी इस प्रकार का अनुमान लगाया है ?

पर्यावरण विभागों में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने श्रेणी। और श्रेणी 2 शहरों में समस्या की मात्रा का अनुमान लगाया है।

औद्योगिकी के आयात के लिए सहयोग

4131. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने एल. एस. आई. दूरसंचार, एयर सर्विस राडार, कन्डेन्सर जैसे विद्युत उत्पादक उपकरण तथा स्विच गियर आदि जैसे विद्युत वितरण उपकरणों के क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान और विकास के प्रयासों का परित्याग करने तथा प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) :—जी नहीं। उल्लिखित क्षेत्रों में सरकार ने स्वदेशी अनुसंधान और विकास के प्रयासों का परित्याग करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरी ओर, सरकार को एल. एस. आई. के महत्व की पूरी जानकारी है और अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल. एस. आई./वी. आई. एस. आई. में अभिकल्प, उत्पादन और अनुप्रयोग में अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं में और वृद्धि करने के लिए सक्रिय रूप से उपायों का निरीक्षण कर रही है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उत्पादन के पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है।

दूर संचार के क्षेत्र में, अनुसंधान और विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों और स्पंद संकेत माडुलन (पी. सी. एम.) मल्टीप्लेक्स उपस्करों का उत्पादन पहले से ही आरम्भ हो चुका है। बृहत् अंकीय एक्सचेंजों को अभिकल्पा के और अधिक विकास की और अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है । राष्ट्रीय राडार परिषद ने एयर सर्वीलेंस राडार के विकास का अभिनिर्धारण और समर्थन किया है और इसका निर्माण आरम्भ किया जा रहा है। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कई निगम और विद्युत अनुसंधान विकास संघ विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कार्य कर रहे हैं। चयनात्मक आधार पर केवल तकनीकी जानकारी के आयात को ही अनुमति दी जाती है जिससे उन विकासों का लाभ उठाया जा सके जिनकी तुरन्त आवश्यकता है और उन्हें स्थानीय अनुसंधान और विकास प्रयासों से सम्पूरित किया जा सकता है। विदेशी सहयोगों का सहयोगों पर सरकार की नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत ही सिफारिश की जाती है।

हिमालय प्रदेश में सेंधा नमक बनाये जाने का सर्वेक्षण

4132. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्विश कंपनी को हिमालय प्रदेश में सेंधा नमक बनाए जाने का सर्वेक्षण करने को कहा गया है;

(ख) क्या खाने के काम में आने वाला नमक तैयार करने वाली परियोजना को नमक बनाने के लिए उक्त स्विश कंपनी को कोई सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वित किए जाने पर हिमालय प्रदेश से कितना सेंधा नमक तैयार किए जाने की संभावना है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) हिमालय प्रदेश में मण्डी खानों में सेंधा नमक पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध है। मै. इचर विस लि., जूरिच ने मण्डी खानों से निकाले गए नमक को खाने और औद्योगिक उपयोग के योग्य बनाने के लिए 1956 में एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की थी।

(ख) संभाव्यता रिपोर्ट को अद्यतन बनाने। तैयार करने के लिए इस कम्पनी से तथा अन्य फर्मों से मे./हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन की पहली अवस्था में, यह आशा की जाती है कि प्रति वर्ष लगभग 1 लाख मी. टन सेंधा नमक परिशोधित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय और अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम की स्थापना

4133. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति स्वयंसेवी संगठनों की मांग पर दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली

में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय और अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम स्थापित किया है।

(ख) यदि हां, तो दोनों संस्थानों के लक्ष्यों और उद्देश्यों का, और निगम के "आर्टिकल आफ मेमोरेंडम" और उसकी वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निदेशालय की स्थापना हरिजन कल्याण बोर्ड के स्थान पर की गई है, यदि हां, तो "हरिजन कल्याण बोर्ड" शब्द को चालू रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या बोर्ड ने संकल्प द्वारा यह निर्णय लिया है कि दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद का कोई भी निर्वाचित सदस्य इस बोर्ड का सदस्य नामांकित नहीं किया जायगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक निदेशालय स्थापित किया हैं और दिल्ली अनुसूचित जाति विकास वित्त निगम की भी स्थापना की है जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जातियों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाये गये हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निदेशालय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए नीति बनाने का कार्य सौंपा गया है और दिल्ली अनुसूचित वित्त और विकास निगम संघशासित क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान का कार्य करेगा। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 1·00 करोड़ रुपये है।

(ग) दिसम्बर, 1982 में अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति का निदेशालय की स्थापना के बाद कल्याण बोर्ड, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, केवल परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता रहेगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

सेवा अवधि बढ़ाने, पुनर्नियुक्ति और सेवा निवृत्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में निदेश

4134. **श्री आर. एन. राकेश :**
श्री चित्त महाटा :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने, पुर्नियुक्ति करने और सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में हाल ही में निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्देश मंत्रालय-वार कितने सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं;

(घ) क्या कुछ कार्यालयों द्वारा इन निदेशों का उल्लंघन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को उनकी अधिवर्षता की आयु के बाद भी सेवा काल में वृद्धि/पुनः नियुक्ति केवल बहुत कम तथा आपवादिक परिस्थितियों में ही मंजूर की जा सकती है। 2 फरवरी, 1983 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को ऐसे अधिकारियों के मामलों की जो सेवाकाल-वृद्धि/पुनः नियुक्ति पर हैं, पुनरीक्षा करने और उन्हें अपेक्षित न्यूनतम नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश तत्काल जारी करने के निदेश दिए गए थे। जहां किन्हीं विशेष कारणों से लोकहित में यह समझा जाता है कि पहले से अनुमोदित सेवाकाल में वृद्धि/पुनः नियुक्ति की अवधि को पूरा होने दिया जाए, वहां मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमोदन नए सिरे से प्राप्त कर लें और सेवाकाल में वृद्धि/पुनः नियुक्ति के अनुरोध के आधार पर साधारणतया विचार न करें। मत्रालयों विभागों को यह भी निदेश दिए गए है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पदों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की पुनरीक्षा की जाए।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जैसे कि उपर्युक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट है।

प्रौद्योगिकी में भारत-जर्मन सहयोग

4135. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पश्चिम जर्मनी से प्रौद्योगिकी का आयात करेगा;

(ख) यदि हां, तो आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी और सहयोग जिसके लिए इसका आयात किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी द्वारा किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम जर्मनी वाणिज्य मण्डल के कितने सदस्यों और भारत के समक्ष सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था और दोनों ओर के दल के नेताओं तथा अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) उद्योग के विशिष्ट संदर्भ में 1982 के दौरान कितने सहयोगों की स्वीकृति दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) प्रौद्योगिकी के आयात का अनुमोदन, सरकार की उपयुक्त एजेंसियों द्वारा हर मामले में अलग-अलग उसके गुण दोषों पर विचार करने के पश्चात किया जाता है। विशिष्ट रूप से पश्चिम जर्मनी से प्रौद्योगिकी के आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यूरोपियन आर्थिक समुदाय और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक दो दिवसीय संगोष्ठी का भारत जर्मन वाणिज्य मंडल द्वारा डुसल डोर्फ में आयोजन किया गया था। भाग लेने वाले भारतीय दल में अन्य व्यक्तियों के साथ श्री एफ. ए. ए. जसदानवाला, डा. हन्नान इजेकील, श्री गुरप्रीत सिंह, श्री के एस. रंगराज, श्री राय पाल (वाणिज्य मंत्रालय) और श्री वी एन. चानना (भारत निवेश केन्द्र) इत्यादि भी थे। पश्चिम जर्मनी दल में श्री जी. लीमर श्री जी. डोहल, श्री डी. हाफमान, श्री एम. हाफमान, डा. एम. डलनेर, डा. एच. गुन्था, डा. एफ. मास्टर, श्री स्टर्पर्ट शामिल थे।

(घ) वर्ष 1982 के दौरान पश्चिम जर्मनी संगठनों और भारतीय उद्यमों के बीच 110 औद्योगिक सहयोग अनुमोदित दिए गए।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और सोवियत संघ के बीच बर्नपुर यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए समझौता

4136. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्नपुर यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी और सोवियत संघ के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम क्या हैं और भारत का दौरा करने वाले सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के नेता और सदस्यों और भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता और सदस्यों के नाम और पद क्या हैं;

(ग) सोवियत संघ से सम्भाव्यता रिपोर्ट कब तक प्राप्त किए जाने की आशा है और इसे सभापटल पर कब रखा जाएगा; और

(घ) ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी आदि जैसे अन्य विकसित देशों से ऐसी सम्भाव्यता रिपोर्ट आमंत्रित न किये जाने के क्या कारण हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर करने वालों के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

भारतीय पक्ष

1. श्री के. आर. संगमेश्वरन, प्रबन्ध निदेशक,
   इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड।
2. श्री जे. सी. सिम्हा, महाप्रबन्धक (परियोजना),
   इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड।

सोवियत पक्ष

1. श्री एम. मेयोरेंको, भारत में सोवियत रूस के दूतावास में आर्थिक मामलों के सलाहकार के कार्यालय के विभागाध्यक्ष।

2, श्री ई. डाबरोसकाक, भारत में सोवियत रूस के दूतावास में आर्थिक मामलों के सलाहकार के कार्यालय में विशेषज्ञ ।

(ग) शक्यता रिपोर्ट जनवरी, 1984 तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

(घ) सोवियत अभिकरणों को पुराने इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने में काफी बिशेषज्ञता हासिल है और इस परियोजना को लौह धातुकर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाना

4137. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक बनाई गई योजानाओं और उनके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पहले से विकसित क्षेत्र और अधिक वाकासोन्मुख और पिछड़े हुए क्षेत्र और अधिक पिछड़ते जा रहे हैं;

(ख) देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाने की दिशा में योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के समुचित एवं त्वरित विकास के लिए पर्याप्त धनराशि के आवटन की दिशा में योजना आयोग की क्या नीति है और इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं। यद्यपि विकास अपनी गति स्वयं बनाता है परंतु इसकी विपरीत स्थिति सही नहीं है। वस्ताव में, देश में अधिक संतुलित विकास करने के लिए योजना एक प्रक्रिया है।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों और क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या को निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से सुलझाए जाने का प्रयत्न किया गया है; अर्थात्

(1) केन्द्र से राज्यों को संसाधन अंतरण

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्या वाले क्षेत्रों की ओर निर्दिष्ट विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(3) पिछड़े क्षेत्रों में गैर-सरकारी पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय

(ग) पिछड़े/समस्या वाले क्षेत्रों के लिए विकास की विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और इस प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। छठी योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई है:—

	(करोड़ रु.)
(1) पहाड़ी क्षेत्र (पश्चिमीघाट क्षेत्र सहित जिसके लिए 75 करोड़ रु. की व्यवस्था है)	560-00
(2) जनजातीय क्षेत्र	470-00
(3) सूखा प्रवृति क्षेत्र	175-00
(4) रेगिस्तान क्षेत्र	50-00

(5) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	340-00
(6) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले/क्षेत्र (केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता)	100-00

देश में सीमेंट का संकट

4138. **श्री गदाधर साहा :**

श्री नीरेन घोष :

श्री सुभाश चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री चिरजीलाल शर्मा :

श्री अर्जुन सेठी : क्या उद्योग **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में सीमेंट का गंभीर संकट है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमेंट की अनुपलब्धता और इसके अपर्याप्त आवंटन और इसे जारी करने में विलम्ब के कारण राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ग) इसकी मांग और आपूर्ति में कितना अन्तर है;

(घ) इस पर राज्य सरकारों और केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस अन्तर और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार कौन से कदमों पर विचार कर रही है; और

(च) इसका वर्तमान उत्पादन और मांग कितनी है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) और (ख) देश में सीमेंट की समग्र उपलब्धता और पूर्वानुमानित मांग के संदर्भ में सीमेंट की सामान्य कमी है। इस सीमा तक राज्यों में निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (च) वर्ष 1982-83 के दौरान सीमेंट की अनुमान मांग और उपलब्धता में आई कमी इस प्रकार है :—

(दश लाख मी. टन में)

अनुमानित मांग	देशी उत्पादन	आयत	अनुमानित कमी
32.64	23.00	1.36	8.28

विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग, अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके और कुछ सीमा तक आयात के द्वारा देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

दोषी उद्योगपतियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधान को लागू करना

4139. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

प्रो. रूप चन्द पाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जिन्होंने प्रदूषण उपायों को अपनाने से इन्कार कर दिया है, जल (प्रदूषण-रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम के उपाबन्धों को लागू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के अपराधों से निपटाने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सरकार पहले ही कुछ मुख्य दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियत्रण) अधिनियम लागू कर कार्यवाही कर रही है। जिन्होंने पालन करने से इंकार कर दिया है, उन पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कम्प्यूटर सोसायटी आफ इण्डिया द्वारा की गई सिफारिशें

4140. **श्री के. राममूर्ति**: क्या **प्रधान मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) कम्प्यूटर सोसायटी आफ इण्डिया के अहमदाबाद में 3 दिन तक हुए सम्मेलन में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गई; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया का तीन दिवसीय सम्मेलन 19 से 22 जनवरी, 1983 तक अहमदाबाद में हुआ था। सरकार को अभी तक कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया की ओर अधिकारिक रूप से सिफारिशों की कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दन्ड प्रक्रिया (बिहार संशोधन) विधेयक को मंजूरी देना

4141. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बारे में 13 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं. 1616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रक्रिया (बिहार संशोधन) विधेयक पर जिसके द्वारा कार्यपालिका और न्याय पालिका की पृथकता समाप्त होगी, का विचार पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उपरोक्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार मामले पर अभी विचार कर रही है।

नवादा जिले (बिहार) का औद्योगीकरण

4142. **श्री कुंवर राय**: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में नबादा जिले के औद्योगीकरण के लिए केन्द्र सरकार को कोई परियोजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में यूरेनियम का उत्पादन

4143. **श्री कुंवर राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में यूरेनियम के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या परमाणु ईंधन के परिष्करण के लिए वहां कोई यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जोकि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, यूरेनियम सांद्रों के उत्पादन के लिए जादुगोडा नामक स्थान पर एक खान से अयस्क निकालता है और एक मिल चलाता है। इस उपक्रम ने मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से मिली तांबे की पछोड़नों को यूरेनियम निकालने हेतु शोधित करने के लिए यूरेनियम अलग करने वाले संयंत्र भी पास ही स्थिति सूरदा और राखा नामक स्थान पर लगाए हैं। इसके अलावा, जादुगोडा के निकट भाटिन में एक नई खान पर काम आरंभ किया गया है और कारपोरेशन का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार के सिंहभूम ताम्र क्षेत्र में नरवापहाड़ और तरुमडीह नामक स्थानों पर भी दो और खनन परियोजनाएं हाथ में लेने का है।

(ख) जी, नहीं।

बिहार में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

4144. **श्री कुंवर राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या छठी पचवर्षीय योजना में बिहार में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तथा (ख) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक तकनीकी विकास के महानिदेशालय में बिहार में स्थापित किए जाने के लिए 33,000 मी. टन की क्षमता वाला एक लघु सीमेंट संयंत्र पंजीकृत किया गया है। बताया गया है कि संबंधित पार्टी राज्य सरकार से खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए कदम उठा रही है।

बिहार में कागज उद्योग के लिए स्थान निर्धारण

4145. **श्री कुंवर राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चीनी मिलों में उपलब्ध खोई का उपयोग करने के लिए वहां कागज उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) बिहार में प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में वनाने का उपयोग करके एक कागज/अखबारी कागज परियोजना चलाने संबंधी संभाव्यता का अध्ययन राज्य सरकार के परामर्श से किया जा रहा है।

बड़े नगरों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

4146. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े नगरों में किन्हीं औद्योगिक क्षेत्रो की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बड़े नगरों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ऐसे औद्योगिक क्षेत्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक बस्तियां, औद्योगिक संकेन्द्रण और लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त साधन व सुविधा सम्पन्न शहरों जैसे दिल्ली, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, वारंग और विशाखापत्तनम में अथवा इन के आस-पास स्थापित की गई हैं।

रूग्ण एककों को फिर से चालू करना

4147. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में औद्योगिक क्षेत्रों को रूग्णता से बचाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के अन्त तक राज्यवार कितने उद्योग रूग्ण हुए; और

(ग) उन्हें फिर से चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : (क) और (ग) देश में औद्योगिक रूग्णता की बढ़ती घटनाओं की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नीतिपरक अभ्युपाय घोषित किए हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें 24 मार्च, 1982 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में दे दी गई हैं।

(ख) रूग्ण एककों सम्बन्धी अनन्तिम दिसम्बर, 1981 के अन्त तक के अद्यतन राज्य-वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए हैं जिन्हें संलग्न विवरण में दिया जा रहा है .

विवरण

दिसम्बर, 1981 के अन्त तक का बड़े रूग्ण एककों का (जो बैंक ऋण प्राप्त करते हैं) और लघु रूग्ण एककों का राज्यवार विभाजन (अनन्तिम)

राशि लाख रु. में

राज्य/संघ प्रशासित प्रदेश	रूग्ण लघु उद्योग एकक अनन्तिम		बड़े रूग्ण एकक (अनन्तिम)	
	संख्या	बकाया राशि	संख्या	बकाया राशि
हरियाणा	204	4.77	5	6.36
हिमाचल प्रदेश	74	1.10	...	...
जम्मू और कश्मीर	59	1.05	...	...
पंजाब	699	9.52	2	1.29
राजस्थान	545	4.68	5	26.01
चन्डीगढ़	30	1.27	...	...
दिल्ली	812	26.75	2	6.68
असम	1595	2.57	2	2.50
मणिपुर	284	0.06	...	...
मेघालय	26	0.02	...	...
नागालैण्ड	4	0.01	...	...
त्रिपुरा	107	0.09	...	...
बिहार	981	11.83	12	33.53
उड़ीसा	849	4.10	3	13.43
पश्चिम बंगाल	7826	50.80	106	371.70
मध्य प्रदेश	490	9.75	16	32.40
उत्तर प्रदेश	1301	21.42	55	120.49
गुजरात	878	18.44	37	118 47
महाराष्ट्र	2471	75.72	84	341.86
दादरा और नागर हवेली	3	0.03	...	...
गोव, दमन और द्विप	62	1.70	5	8.84
आन्ध्रा प्रदेश	1048	20.99	17	41.55
कनर्नटक	1110	34.01	20	112.75
केरल	697	17.19	15	62.40
तमिलनाडु	1659	34.13	34	174.49
पाण्चिेरी	34	0.79	2	4.45
	23848	352.79	422	1478.84

टिप्पण :— रूग्ण मझौले एककों के (लघु एककों के अतिरिक्त एक करोड़ रुपये से कम की बैंक सुविधाएं प्रांप्त करने वाले उद्योग) के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

आणविक ऊर्जा परियोजनाओं का प्रसार

4148. **श्रीमती जयंती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार 1983-84 में कुछ चल रही आणविक ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन आणविक ऊर्जा परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें विस्तार योजना के अन्तर्गत लाए जाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों मेंराज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत में 1000 मैगावाट के परमाणु बिजलीघर की स्थापना करने के लिए सोवियत संघ की पेशकश

4150. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000 मैगावाट के परमाणु बिजलीघर के लिए सोवियत संघ की भारत को कथित पेशकश के बारे में मास्को में हाल में कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस पेशकश के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट समझौता हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या तारापुर को संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई सम्बन्धी भारत-फ्रांस समझौते पर सोवियत संघ के साथ भारत द्वारा उक्त समझौता कर लेने से, कोई प्रभाव पड़ सकता है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारत का एक तकनीकी दल भारत में एक परमाणु बिजलीघर लगाने की पेशकश के विभिन्न तकनीकी विवरणों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में सोवियत संघ गया था । तकनीकी दल की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार अंतिम रूप से निर्णय लेने से पहले पेशकश का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करेगी ।

(ग) भारत और फ्रांस के बीच हुआ करार तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई, भारत और अमरीका के बीच 1963 में हुए सहकार करार की सीमाओं में रहते हुए, करने के बारे में है तथा उस करार पर सोवियत संघ की पेशकश का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस्पात उद्योग में मन्दी

4151. **श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात उद्योग भारी मन्दी से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो इस मन्दी के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार इन लघु इस्पात संयन्त्रों की मदद के लिए क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते, लेकिन लघु इस्पात कारखानों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इन कारखानों के लिए गलनशील लौह-स्क्रैप और स्पंज लोहे जैसी आवश्यक कच्ची सामग्री के आयात के मामले में उदार नीति अपनाई है। इसके अलावा इन कारखानों को अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दी गई है और अब ये कारखाने सभी ग्रेडों के कार्बन इस्पात और मिश्र इस्पात तैयार कर सकते हैं और ये कारखाने अपने उत्पादित उत्पादों से और उत्पाद तैयार करने के लिए बेलन मिलें भी स्थापित कर सकते हैं।

खाना पकाने की गैस के सिलिंडर का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी करना

4152. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री नीरेन घोष : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले चार वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलिन्डर बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) उनमें से उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सिलेन्डर बनाने के लिए कारखानों की स्थापना की है और सिलेन्डरों का उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें सिलेन्डरों के उत्पादन के लिए जैसे इस्पात-चद्दरों जैसा कच्चा माल आवंटित किया गया और प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6211/83**]

राजभाषा नियम, 1976 के अधीन प्रधानमन्त्री के अधीनस्थ मन्त्रालयों/विभागों को अधिसूचित किया जाना

4153. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के प्रभारावीन मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा नियम, 1976 की धारा 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया है;

(ख) अब तक उन मंत्रालयों/विभागों के कौन कौन से संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों कब-कब उपर्युक्त धारा के अधीन अधिसूचित किए गये हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त खण्ड (ख) में दर्शाये गये सभी कार्यालय अब तक उपर्युक्त नियमों की धारा 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रधान मन्त्री के अधीन मंत्रालयों/विभागों में से तीन विभागों को अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग (नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को 23 अक्तूबर, 1981 को नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया :—

1. महासर्वेक्षक का कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
2. निदेशालय उत्तरी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
3. निदेशालय, मानचित्र प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
4. निदेशालय, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
5. निदेशालय, केन्द्रीय सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण, जबलपुर
6. निदेशालय, सर्वेक्षण (हवाई), भारतीय सर्वेक्षण, नई दिल्ली।
7. निदेशालय, पश्चिमोत्तर सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण, चंडीगढ़
8. निदेशालय, पश्चिमी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण, जयपुर
9. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली

(ग) तथा (घ) जी नहीं। यह सभी तकनीकी कार्यालय केवल तकनीकी प्रकार का काम करते हैं। इनके कुछ कर्मचारियों को हिन्दी का न तो कार्यसाधक ज्ञान है और न ही आवश्यक स्तर की प्रवीणता प्राप्त है और जब तक सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न हो जाए, इन कार्यालयों को राजभाषा नियम के नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना व्यावहारिक न होगा।

हरिजन कल्याण हेतु विशेष घटक योजना

4154. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1981-82 और 1983 में हरिजनों के कल्याण हेतु तैयार की गई विशेषघटक योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्त उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय सरकार इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों को हुई क्षति पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) वित्तीय रूप से वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान उत्तर प्रदेश की वार्षिक विशेषघटक योजनाओं के आकार क्रमश: 95.85 करोड़ रुपये तथा 121.86 करोड़ रुपये थे। 1981-82 के दौरान व्यय की गई राशि 86.83 करोड़ रुपये की थी और 1982-83 के दौरान राज्य दिसम्बर, 1982 तक 40·60 करोड़ रुपये खर्च कर सका था।

(ग) गृह मन्त्रालय ने राज्य सरकार की विशेषघटक योजना के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने पर बल दिया और आशा की जाती है कि राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण रूप से निधियों का उपयोग कर सकेगी।

रानीखेत में पर्यावरण के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय संस्थान

4155. **श्री हरीश रावत** :क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रानीखेत स्थान में पर्यावरण के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने हेतु निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) तथा (ख) हिमालय के पर्यावरण और विकास के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस संस्थान के स्थान का चयन विचाराधीन है।

सेना से सरकारी सेवाओं में आए डाक्टरों/इंजीनियरों के वेतन और वरिष्ठता को बनाए रखना

4156. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना से निकले डाक्टरों और इन्जीनियरों को अन्य केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्त करते समय उनके वेतन और वरिष्ठता को बनाए रखने की सुविधा दी जाती है; और

(ख) यदि हां तो क्या वेतन और वरिष्टता की यह सुविधा वर्ष 1970-71 में पाकिस्तान भारत-बंगलादेश युद्ध के समय कमीशन प्राप्त करने वाले डाक्टरों और इन्जीनियरों को दी गई है, जिन्हें बाद में अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेकटसुब्बय्या) : (क) निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवाकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया था अथवा 1.11.1962 और 10,1.1968 के बीच सेना में कमीशन प्राप्त किया था और इन्जीनियरी और चिकित्सा सेवा पद पर नियुक्त किए गए थे उनका वेतन (न कि वरिष्ठता) इस धारणा पर तय किया जाता है कि मानो वे यथास्थिति, सेवा अथवा पद पर उस तारीख को नियुक्त किए गए थे, जो प्रशिक्षण की अवधि सहित, यथास्थिति आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी अल्प सेवाकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी के पद पर सेना में उसकी अनुमोदित सेवा को गिनने के बाद निकलती हो।

(ख) जी, नहीं।

एच. एम. टी. रानीबाग (नैनीताल) में पदों को भरना

4157. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की रानीबाग (नैनीताल) स्थित शाखा में अब तक ड्राफ्ट्समैन (सिविल), मैकेनिकों, इलेक्ट्रिशियनों के कितने पद बनाए गए हैं;

(ख) उन जिला रोजगार कार्यालयों के नाम क्या हैं जहां से इन पदों के लिए उम्मीदवार मांगे गये हैं;

(ग) क्या अल्मोड़ा तथा पिथोरागढ़ जिला रोजगार कार्यालयों से भी उम्मीदवार मांगे गये हैं; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय पर्वतीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रानीबाग (जिला नैनीताल) में एच. एम. टी. घड़ी कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य करने के लिए अब तक ड्राफटसमैन (सिविल) के दो पद बनाए गए हैं ।

(ख) जिला रोजगार अधिकारी, नैनीताल की सलाह के अनुसार, ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के रिक्त-स्थानों की सूचना टाउन रोजगार कार्यालय, हल्द्वानी को दी गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

राजस्थान में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा सर्वेक्षण

4158. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने राजस्थान के किन-किन जिलों में खनिज सर्वेक्षण किया है और उसमें उसे कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) क्या इस विभाग का विचार अपनी भू-विज्ञान सर्वेक्षण गतिविधियों को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर और नगम जिलों के सीमा प्रदेशों और पिछड़े क्षेत्रों तक बढ़ाने का है जहां अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, यदि हां, तो कब से और उसका क्या तरीका होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के सभी जिलों में खनिजों के लिए खोज की है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित विशाल खनिज निक्षेपों का पता चला है :—

खनिज	जिला जहां पाए गये
(मि. टनों में)	
(1) तांबा अयस्क—103 लगभग	झुन्झुन, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ।
(2) सीसा-जस्ता अयस्क—270	अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही तथा उदयपुर ।
(3) टंगस्टन अयस्क—4.217	नागौड़ और सिरोही ।

(4) फास्फोराइट—80.69	उदयपुर और जैसलमेर।
(5) लौह अयस्क—15.84	जयपुर, झुन्झुन, सीकर और उदयपुर।
(6) मैंगनीज अयस्क—0.32	बांसवाड़ा।
(7) पाइराइट, पाइरोटाइट—124	सीकर।
(8) बुलस्टोनाइट—2.73	पाली और सिरोही।
(9) पुलर्सअर्थ—112.193	बीकानेर, बाड़मेर और जैलसमेर।
(10) बेन्टोनाइट—101	बाड़मेर।
(11) जिप्सम—1071 से ऊपर	नागोड़ और निकटवर्ती जिले।
(12) डोलोमाइट—101 (13) लाइमस्टोन—3787	कई स्थानों पर।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इन क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिजों की खोज में लगा है। चालू क्षेत्रगत सत्र (1982-83) में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर, नागोड, बाड़मेर के कई भागों में क्रमबद्ध मानचित्रण तथा आबू–सिरोही-जालौर पट्टी में टिन, टंगस्ट और संबद्ध खनिजों के लिए क्षेत्रीय एकीकृत सर्वेक्षण जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जैसलमेर में ग्लेकोनाइट के लिए भूभौतिकी अन्वेषण किए जाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में सीमेंट संयन्त्र की स्थापना

4159. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में चूने के पत्थर का विशाल भण्डार है;

(ख) क्या उक्त चूने के पत्थर का उपयोग करके सीमेंट के निर्माण हेतु सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में संयन्त्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) सीमेंट अनुसंधान संस्थान के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले में 80 करोड़ मी. टन चूने के पत्थर (सीमेंट और रासायनिक ग्रेड) के भण्डारों के संकेत मिलने की सूचना मिली है,

(ख) और (ग) यद्यपि इस जिले में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का संयन्त्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र की एक पार्टी से मिले एक अनुरोध की जांच की जा रही है। इस पार्टी का विचार जैसलमेर जिले में प्रति वर्ष 5 लाख मी. टन पोर्टलैंड सीमेट की क्षमत वाले एक संयंत्र की स्थापना करने का है।

अधिवर्षता प्राप्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

4160. **डा. बसन्त कुमार पंडित :**

प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों ने सरकार द्वारा दिए गए हाल के निदेश का पालन किया है जो सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश रद्द करने, पुनर्नियुक्ति समाप्त करने और केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को लौटाने के सम्बन्ध में है;

(ख) ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जो (I) पुनर्नियुक्ति पर अथवा अधिवर्षता प्राप्ति के बाद बढ़ाई गई सेवा पर हैं; (II) जिन्हें राज्य संवर्गों को लौटाया जाना है और (III) जो 30 अप्रैल, 1983 तक सेवा निवृत्त होंगे;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी विदेशी नियुक्ति पर हैं जिनकी अधिवर्षता अवधि दो वर्ष और उससे कम है;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की राज्यवार/केन्द्र शासित क्षेत्रवार सूची क्या है जो 1 मई, 1983 को अपने राज्य संवर्ग को लौटाये जाने हैं; और

(ङ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें "विशेष परिस्थिति" के आधार पर सरकार ने सेवा में अपवाद रखा है और उनका तथा उनकी सेवा का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों ने अधिवर्षिता प्राप्त अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/पुनर्नियुक्ति के मामलों की पुनरीक्षा करने और जो अधिकारी बढ़ाये गये कार्यकाल पर हैं उन्हें उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) से (ङ) अधिवार्षिता प्राप्त अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/पुनर्नियुक्ति के मामलों की पुनरीक्षा के परिणामों के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-2-83 से 30-4-1983 की अवधि के दौरान 134 अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं अथवा पूरा कर लेंगे। कुल 134 अधिकारियों में से 77 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। इन अधिकारियों का संवर्गवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जावेगा।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की संवर्गवार संख्या जिन्होंने 1-2-1983 से 30-4-1983 की अवधि के दौरान अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है अथवा पूरा करेंगे।

क्रम संख्या	संवर्ग	अधिकारियों क संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम और मेघालय	1
3.	बिहार	6

1	2	3
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू व कश्मीर	4
8.	कर्नाटक	4
9.	केरल	4
10.	मध्य प्रदेश	8
11.	महाराष्ट्र	6
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	3
13.	उड़ीसा	3
14.	पंजाब	4
15.	राजस्थान	1
16.	तमिलनाडु	4
17.	संघ राज्य क्षेत्र	4
18.	उत्तर प्रदेश	9
19.	पश्चिम बंगाल	8
	योग	77

बाल और रोलर बेयरिंग का उत्पादन

4161. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-1981 और 1982 के दौरान भारतीय उत्पादक एककों द्वारा उत्पादित बाल और रोलर बेयरिंग के आंकड़े और उनका मूल्य क्या है;

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कितने मूल्य के बाल और रोलर बियरिंग आयात किये गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि भारत में ही बन रहे इतने बड़े और अनावश्यक बियरिंग का आयात बन्द नहीं किया गया तो भारतीय उद्योग कमजोर हो जायेंगे;

(घ) क्या सरकार उत्पादन के रुख के साथ-साथ आयात मूल्य की उपयोगिता तथा बियरिंग उद्योग पर आई बाधाओं एवं उद्योग की उपयोगी क्षमता के ह्रास का पुनरीक्षण करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : (क) उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख संख्या)	अनुमानित मूल्य (लाख रु.)
1980	328	92
1981	356	100
1982	354	96

(ख) बियरिंगों के आयात के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

वर्ष	आयात का अनुमानित मूल्य (करोड़ रु.)
1979-80	47
1980-81	57
1981-82	(उपलब्ध नहीं)

(ग) बात और रोलर बियरिंगों का विद्यमान स्वदेशी उत्पादन देश की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बात और रोलर बियरिंग का आयात कुछ श्रेणियों और विशिष्टियों तक सीमित है और वास्तविक उपभोगकताओं को अपनी आवश्यकताए पूरी करने के लिए ऐसे बियरिंग और उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त "क" में दिए गये आंकड़ों से पता चलता है कि विद्यमान स्वदेशी उत्पादकों के क्षमता उपयोग में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है। किन्तु आयात पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न की निरन्तर संवीक्षा की जाती है।

राज्यों के संसाधनों को मजबूत करने हेतु पर्यावरण विभाग की भूमिका

4162. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार के संसाधनों को मजबूत व सुदृढ़ बनाने हेतु कोई उत्प्रेरक भूमिका निभाई है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) किन-किन राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने सरकार के सहयोग से प्राथमिक धनराशि एकत्र की है और उसका उपयोग कैसे किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। पर्यावरण विभाग ने के संयोजन से. राज्य सरकारों और योजना आयोग और संघ शासित क्षेत्रों के साथ उनकी वार्षिक योजनाओं में पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए बजट विनिधान पर पारस्परिक क्रिया की पहल की। तथापि, महाराष्ट्र, यू. पी., राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल

में विधेयकों के पर्यावरण मंचों की स्थापना से, अब तक जागरूकता बढ़ी है जिससे साधनों की क्षमता में वृद्धि हुई।

(ग) एक विवरण, जिसमें 1983-84 के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सूची दर्शायी गई है जिनकी वार्षिक योजना में अंतरिम विनिधान दिया गया था, संलग्न है। क्योंकि विनिधान 1983-84 के लिए हैं, इस अवस्था में उनके उपयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सूची, जिन पर योजना आयोग के कार्यकारणी दल द्वारा वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में अन्तरिम विनिधान पर विचार किया गया था 1983-84।

राज्य :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और काश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. नागालैंड
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. सिक्किम
17. तमिलनाडु
18. त्रिपुरा
19. उत्तर प्रदेश

संघ शासित क्षेत्र :

1. गोवा, दमन और द्वीप
2. लक्ष्य द्वीप

उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति का मूल्यांकन

4163. **श्री जैनुल बशर :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाया गया है कि विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए धनराशि अपर्याप्त है;

(ग) क्या योजना की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई परामर्श दिया गया है; और

(घ) स्वयं योजना आयोग का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के लिए राज्यों के अपने संसाधनों के मूल अनुमानों की तुलना में कुछ कमी होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को (क) योजनेतर व्यय में कमी, कर और कर इतर बकाया की जल्दी वसूली, राज्य बिजली बोर्ड, सड़क परिवहन निगम आदि के वित्तीय कार्य संचालन में सुधार सहित उपयुक्त उपाय करने के लिए ताकि अनुमोदित छठी पंचवर्षीय योजना वित्तीय रूप से साध्य बन सके, और (ख) विशेष रूप से सिंचाई और विद्युत क्षेत्रकों और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से चल रही परियोजनाओं की प्रगति को तीव्र करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण

4164. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना नदी के पानी को काफी प्रदूषित पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्य किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिल्ली में यमुना नदी वजीराबाद अनुप्रवाह पर प्रदूषित है जहां नजफगढ़ जल निकासी नदी में मिलती है।

(ख) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड घरेलू और औद्योगिक स्त्रोतों से बहि:स्त्रावों के उत्सर्जन के विनियमन के लिए कार्यवाही कर रहा है। जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक के कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र को मल-व्यवस्था और मल जल उपचार सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रस्ताव है।

कोटा (राजस्थान) में आदिवासियों का उत्थान

4165. **श्री चतुर्भुज** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला कोटा (राजस्थान) के शाहबाद, किशनगंज आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक मद पर कितना खर्च किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राजस्थान के कोटा जिले के शाहबाद और किशनगंज पंचायत समितियों में रहने वाले सहरिया आदिम जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायक के रूप में वर्ष 1977-83 के दौरान 107 लाख रुपए की धनराशि दी है। वर्ष-बार आवंटन इस प्रकार है :—

	रुपये लाखों में
1977-78	7·00
1978·79	20·00
1979-80	20·00
1980-81	20.00
1981-82	20·00
1982-83	20·00
जोड़	107.00

(ख) दिसम्बर, 1982 तक विभिन्न क्षेत्रों के तहत 89.68 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी है।

क्षेत्र	रु. लाखों में
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	12·44
लघु सिंचाई	13·53
शिक्षा	30·02
स्वास्थ्य चिकित्सा	6·50
पेय जल	13·67
कार्यालय भवन का निर्माण	4.25
सड़कें	1.00
अभ्यन्तम बजट	0.69
प्रशासन	7.58
	89·68

कलकत्ता दुर्गापुर आदि में प्रदूषण]

4166. **प्रो. रुप चन्द पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण कलकत्ता, दुर्गापुर, वर्दमान आसनसोल, पटना, बर्णपुर और हावड़ा जैसे शहरों में प्रदूषण फैला है;

(ख) इन शहरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण और निवारण बोर्ड का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) सी. बी. पी. सी. के असफल होने की स्थिति में सरकार इस मामले में और क्या कार्यवाही करेगी ;

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कलकत्ता, दुर्गापुर, बर्दमान, आसनसोल, बर्नपुर और हावड़ा मुख्य औद्योगिक शहर हैं जो पश्चिम बंगाल में प्रदूषण समस्या के योगदायी हैं। प्रदूषण सम्बन्धी 120 यूनिटों में से अभी तक केवल 37 यूनिटों ने आवश्यक प्रदूषण उपशमन यंत्र स्थापित किए हैं और 16 यूनिटों में यह निर्माण और आयोजन अवस्था में हैं। इन उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा कुल अपशिष्ट जल की 3 से 30 प्रतिशत है।

पटना में, मुश्किल से कोई वृहद्ध अथवा मध्यम उद्योग हैं जो प्रदूषण समस्या को बढाते हैं।

(ख) केन्द्रीय बोर्ड ने जल प्रदूषण वाले कुछ प्रदूषक उद्योगों को निर्देशक सिद्धान्त जारी किए हैं। उद्योगों से बहिःस्रावों के उत्सर्जन के विनियमन के लिए राज्यों बोर्ड आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

(ग) प्रगति यथोचित रूप से सन्तोषजनक है। इस अवस्था में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा गया है।

कीमत बढ़ाने के संबंध में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसिएशन की मांग

4167. **प्रो. रूप चन्द पाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट, मैन्यूफैक्चरर्स ऐसोसिएशन द्वारा अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाने के लिये की गई मांग स्वीकार करने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान संन्दर्भ में इस प्रकार की वृद्धि करना औचित्यपूर्ण है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) से (ग) लेवी सीमेंट के कारखाने से चलते समय के संधारण तथा रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में बढ़ोतरी करने की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है। इन अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष मानदण्ड

4168. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों के आयोजन और विकास के लिए ऐसे कोई विशेष मानदण्ड अपनाये हैं जो मैदानी क्षेत्रों से भिन्न हों क्योंकि ये क्षेत्र कठिन और ऊबड़-खाबड़ बस्तियां परस्पर बहुत दूर हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों में तत्संबंधी कच्ची सामग्री के भण्डार बहुत कम हैं;

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण (दो) लघु सिंचाई (तीन) पीने के पानी की आपूर्ति (चार) उद्योगों के विकास के लिए रेलवे लाइन और सड़क के रूप में परिवहन संबंधी आधारभूत ढांचा; और

(ख) यदि हां, तो उन मानदण्डों का सही स्वरूप क्या है और क्या इन मानदण्डों के आधार पर पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजनाओं हेतु आर्थिक आंवटन को कोई विशेष महत्व दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) योजना और विकास के उद्देश्य से पहाड़ी क्षेत्रों का पृथक भौतीकृतिक अस्तित्व माना जाने लगा है। उनके समग्र विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके विकास की कार्यनीति छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अध्याय 25 में दी गई है। एक विवरण संलग्न है जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं।

लघु सिंचाई के मामले में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं हैं। ग्रामीण जलपूर्ति के संबंध में कोई विशेष मानदंड नहीं है परंतु जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दस्ताबेज में निर्धारित किया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश गांव समयाग्रस्त ग्रामों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में से पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है और दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा परिपक्वता की दीर्घावधि को ध्यान में रखते हुए साध्यता मानदंड में विशेष रियायतें दी जाती हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में उन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण भी अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर प्राप्त होता है।

ग्रामीण सड़कों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में एक गांव की 1500 या 1,000 से 1,500 की जनसंख्या पर आधारित चयन के मानदंड को अलग-अलग गांवों की बजाय गांवों के समूहों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। रेलवे लाइनों के निर्माण के संबंध में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यदि परियोजना अन्य सामाजिक महत्वों के कारण लाभप्रद मानी जाती है तो आर्थिक प्रतिलाभ के मानदंड में छूट दे दी जाती है।

राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से इन क्षेत्रकों के लिए आंवटनों का निर्धारण करते समय पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उद्योगों की स्थापना

4169. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की धीमी गति विशेष कर स्थानीय कच्चे माल पर आधारित किसी उद्योग के न होने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विशेषकर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और

पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में "बिना उद्योग वाले जिलों" में उद्योग की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए अधिसूचित जिलों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन/सुविधाएं देती है :—

(1) निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना।
(2) परिवहन राजसहायता योजना।
(3) करों में रियायत।
(4) अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त।
(5) लघु उद्योगों को किराया-खरीद आधार पर मशीनें।
(6) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
(7) ब्याज राजसहायता।
(8) कच्चे माल के आयात हेतु विशेष सुविधाए।
(9) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम।
(10) ग्रामीण कामगार कार्यक्रम।
(11) जिला उद्योग केन्द्र।
(12) बीज/सीमांत धन सहायता।

"उद्योग रहित जिलों" में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने के मामलों को उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है। 1982 के दौरान उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों/अंचलों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के उद्योग रहित जिलों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

उत्तर प्रदेश	3
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू तथा कश्मीर	2
पश्चिम बंगाल	2
मेघालय	2
सिक्किम	1

जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का विवरण जिनमें उपक्रमों के नाम, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापना-स्थल आदि दिया हुआ होता है। भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

'त्वरित ग्रामीण पेय जल सप्लाई हेतु कार्यक्रम' का मूल्यांकन अध्ययन

4170. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने देश में किसी राज्य/संघ क्षेत्र

में-त्वरित ग्रामीण पेयजल सप्लाई हेतु कार्यक्रम के जल से इसे चलाया गया है, मूल्यांकन अध्ययन का काम हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन अध्ययन के राज्य-वार मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम को चलाने में आयी कमियों को दूर करने के लिए कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी किस्म क्या है और राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रशासन की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1978-79 में "गरीबों के लिए ग्रामीण जलपूर्ति की उपलब्धता-एक त्वरित मूल्यांकन अध्ययन" नामक एक अध्ययन किया था।

(ख) मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष इस रिपोर्ट के पृष्ठ (9) से (11) पर पैरा 8 में दिए गए हैं जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) इस बारे में सुझाव भी दिए गए हैं और ये रिपोर्ट के पृष्ठ (11 पर पैरा 9 में दिए गए हैं।

(घ) राज्यों में गरीबों और गरीबों के अलावा समाज के अन्य वर्गों को लाभ देने के मामले में असंतुलनों को दूर करने की दृष्टि से, यदि कोई हों, ये सुझाव जून, 1980 में राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गए थे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त उत्तरों से यह पता चलता है कि अधिक गरीब वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की आवश्यकताओं को ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के समय ध्यान में रखा जाता है। नए 20 सूत्री-कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार हरिजन बस्तियों में यथासंभव पीने के पानी के नए स्रोतों का पता लगाया जा रहा है।

"इण्डस्ट्रीज रिकार्ड पुअर" शीर्षक से प्रकाशित वक्तव्य

4171. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री 19 फरवरी, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "इण्डस्ट्रीज रिकार्ड पुअर" शीर्षक से प्रकाशित अपने वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि हां, तो कम लागत और किस्म सुधार के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों के खराब रिकार्ड के कारण क्या हैं; और

(ख) उनके रिकार्ड को सुधारने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : (क) "उत्पादकता-आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए एक चुनौती" विषय पर सातवें अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर उद्घाटन भाषण में उद्योग मंत्री जी ने यह कहा था कि परिरक्षित के कारण और स्वस्थ प्रतियोगिता के अभाव में हमारे उद्योग धीरे-धीरे आत्मसंतोष की स्थिति में पहुंच गए हैं जिससे लागत-प्रागविता और गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से उत्पादकता पर असर पड़ा है।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योगों में लागत प्रभाविता और गुणवत्ता में सुधार के प्रति जागरुकता लाने हेतु प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह परिषद प्रशिक्षण, गुणवत्ता प्रोन्नयन और लागत नियंत्रण के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 1982-83 में ही गुणवत्ता सुधार के और प्रोन्नयन करने/गुणवत्ता नियंत्रण करने के 10 कार्यक्रम तथा लागत नियंत्रण/लागत में कमी करने के 53 कार्यक्रम चलाए गए। कुल मिलाकर इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। इन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए समुचित प्रचार भी किया जा रहा है।

माइक्रोवियल टेक्नोलोजी और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग संस्थान, बिनूर, पंजाब

4172. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिनूर, पजाब में माइक्रोबियल टेक्नोलोजी और जेनेटिक्स इन्जीनियरिंग के प्रस्तावित संस्थान का प्रयोगशाला एवं भंडारण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किस चरण में है; और

(ख) यह कब तक स्थापित किया जायेगा और इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) (सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान इन्स्टीटयूट ऑफ माइक्रोवियल टेक्नोलाजी) के परियोजना कार्यालय की स्थापना चण्डीगढ़ में की गई है एक औद्योगिक शेड किराये पर लेने के लिए इसे प्रयोगशाला में परिवर्तित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वर्ष 1983 के अन्त तक संस्थान का केन्द्र बिन्दु कार्य करना प्रारम्भ कर सके। संस्थान के लिये अभी किसी स्थान का अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया है।

छठी और सातवीं योजना की अवधि (प्रथम तीन वर्ष में) में प्रयोगशाला सुविधाओं, उपकरण और आवासीय व्यवस्था के लिए कुल निवेश लगभग 23.50 करोड़ रुपये होगा।

पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखना

4173. **श्री ए. नीलालोहीथादसन नाडार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई ठोस तथा व्यापक कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम में प्रदूषण नियन्त्रण और जीवन सहायक प्रणालियों के संरक्षण के लिए अधिसंख्य निवारक, रोगनाशक और प्रवर्तक उपाय सम्मिलित हैं। नीतियों के प्रतिपादन,

कानूनों के अधिनियमन, प्रवर्तन तंत्र को अनुकूल बनाने, पर्यावरणीय मूल्यांकन का कार्यप्रणाली, प्रदूषण नियन्त्रण सयंत्रों की संस्थापना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रोत्साहन, पारि विकास परियोजनाओं और विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय जागरुकता के प्रवर्तन के लिए अभियानों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरणीय रक्षा के लिए जनता में जागरुकता

4174. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरणीय रक्षा और सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में जनता में जागरुकता को बढ़ाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण विभाग, भारत सरकार पर्यावरणीय संरक्षण और सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में जन जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सक्रिय रूप से लग रहा है। मासमीडिया द्वारा श्रव्य-दृश्य फिल्मों, पोस्टरों, प्रकाशित सामग्री, पर्यावरणीय संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए विशेष स्टाम्पों और केलेन्डरों के निर्माण द्वारा एक बहु-मीडिया अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। पर्यावरणीय विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए समाचार रिपोर्टों, सूचना पत्रों और पत्रिकाओं के विशेष अंकों का भी प्रकाशन किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, वनस्पति और प्राणि सर्वेक्षणों द्वारा ऐसी गतिविधियों का आयोजन जैसे वृत्त-चित्रों का प्रदर्शन श्रव्य-दृश्य और कार्यक्रमों और विशेष शिविरों का संगठन किया जा रहा है। पर्यावरण में जागरुकता और रुचि उत्पन्न करने के लिए विभाग स्कूल के छात्रों में निबन्ध लेखन, चित्रकला और पोस्टर डिजाइनों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित करता रहा है। इस अभियान में अधिसंख्य स्वैच्छिक संगठन भी शामिल हैं, जिनको विभाग सहायता देता है। विधान सभाओं के सदस्यों के लिए मंचों की स्थापना भी प्रत्येक राज्य में की गई है।

(ग) पूर्वोल्लिखित के कारण, प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

प्रदूषण नियन्त्रण उपाय

4175. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक यूनिटों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशिष्ट विनिर्देशों अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने में असफल रहे हैं।

(ख) चूक कर्ता औद्योगिक यूनिट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) केवल संघ शासित क्षेत्रों में औद्योगिक बहिःस्रावों के विनियमन के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण

के केन्द्रीय बोर्ड को कार्यवाही करने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में, दिल्ली में 16 मुख्य प्रदूषण उद्योगों में से 14 यूनिटों ने केन्द्रीय बोर्ड के विशिष्ट विनिर्देशों के अनुसार नियंत्रण के उपाय स्थापित कर लिए हैं। शेष दो में से, मैसर्स दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर नयी दिल्ली, अपने उपचार संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं जब कि मैसर्स कोन्टिनेन्टल डिवाइसिस लिमिटेड, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, नयी दिल्ली का उपचार संयंत्र आयोजन अवस्था में है। पांडिचेरी में, मैसर्स श्री भारती मिल्स, मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स और मैसर्स एंग्लो-फ्रैंच टेक्सटाइल मिल्स (प्राइवेट) ने अभी उपचार संयंत्र स्थापित करने हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इन तीन उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 के अन्तर्गत मुकदमें चलाए गए हैं।

गोवा में, सभी पांच मुख्य उद्योगों ने उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। चंडीगढ़ में, दो उद्योगों नामत:

(1) मैसर्स मोडेला वुलन्स और

(2) मैसर्स चंडीगढ़ पेपर बोर्डस (प्राईवेट) लिमिटेड, को प्रदूषण उपशमन संयंत्र स्थापित करने के लिए अभी आवश्यक कार्यवाही करनी है। इनके विरुद्ध केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मंत्रालयों तथा विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सैल

4176. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों तथा विभागों के नाम क्या हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सेल अभी तक गठित नहीं किए गए हैं;

(ख) वहां ऐसे सैल गठित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार कब तक सभी मंत्रालयों और विभागों में ऐसे सैल गठित करेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में बांगलादेश राष्ट्रिकों की घुसपैठ

4177. **श्री रामविलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में लायी गई है कि बिहार राज्य के विभिन्न भागों में बांगलादेश के राष्ट्रिकों की काफी घुसपैठ हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में घुसपैठ करने वाले बांगला देश के ऐसे राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उनका पता लगाने और स्वदेश वापसी के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) बिहार सरकार को कुछ समय पूर्व मामले की पूर्ण जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सिगरेट निर्माता कम्पनियों की शास्तियां

4178. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : कि देश की सिगरेट निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके गत वर्ष के वार्षिक विवरणों के अनुसार उनकी शास्तियां कितनी हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : मांगी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

4179. **श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संसाधनों में उचित उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) बिहार में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) मात्रा के अनुसार देश की कुल खनिज सम्पदा का लगभग 23 प्रतिशत भाग बिहार में है। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार में स्थापित खनिजों पर आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं :—

(1) बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो।
(2) हिन्दुस्तान कापर लि., घाट सिला।
(3) पायराइट्स, फास्फेट एण्ड कैमीकल्स लि. अमजोर।
(4) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया, जादूगुडा माइन्स।
(5) भारत रिफ्रैक्टरीज लि. भण्डारीधा और रांची रोड।
(6) तांदू स्मैल्टर धनबाद।
(7) कोल माइन्स एण्ड वाशरीज आफ कोल इण्डिया लि.।
(8) किरिबूरू (नार्थ ब्लाक)—एन. एम. डी. सी.।

इसके अलावा, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 16 जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया है तो वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने के पात्र हैं। इनमें से 6 जिले, इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय राजसहायता पाने के भी पात्र हैं। 6 जिलों को "उद्योग रहित जिला" माना गया है जिन्हें अन्य स्थापना-स्थलों के आवेदनपत्रों की अपेक्षा अधिक अधिमान देकर औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र के अलावा, गैर सरकारी क्षेत्र में और राज्य क्षेत्र में खनिजों पर आधारित अनेक औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं। ये उद्योग एल्यूमिना,एसनेबेस्टस सीमेंट, कास्टिक सोडा, सिरेमिक, सीमेंट, शीशा और सलफ्यूरिक एसिड पर आधारित हैं। बिहार सरकार ने छठी योजनाविधि के दौरान राज्य क्षेत्र में स्पंज आयरन संयंत्र, कास्टिक सोडा संयंत्र और 3 मिनी सीमेंट सयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है।

पश्चिम रेलवे कार्यशाला, अजमेर की भाप का धुआं

4180. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे कार्यशाला, अजमेर के रालिंग कार्यशाला कारखाने की भट्टी से निकलने वाला भाप का धुआं आसपास की कालोनियों के मकानों में घुस जाता है और स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा पैदा करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस भट्टी के धुएं को एक भूमिगत पाइप के माध्यम से ऊंची चिमनी द्वारा बाहर निकालने की व्यवस्था करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अजमेर कार्यशाला के रालिंग यूनिट की भट्टी में कोयले की भाप का नहीं बल्कि तेल भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भाप के धुएं के निकालने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कार्यशालाओं में अधिकांश कोयले की आग की भट्टियों को तेल आग भट्टियों में परिवर्तित कर दिया गया है। कार्यशाला में कोयले का प्रयोग केवल मात्र पावर हाउस के बायलरों में किया जाता है। पावर हाउस की चिमनी 175 फुट ऊंची है और इसमें 60 फुट भूमिगत पाइप के माध्यम का प्रबन्ध है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले का फोल (सलरी) हेतु पाइप लाइन द्वारा परिवहन का क्रियान्वयन

4181 **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने योजना आयोग से गुजरात में प्रमुख बिजलीघरों को कोयले के सलरी पाइप लाइन द्वारा परिवहन पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, जिसने एक प्रोद्योगिकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है, ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 100 लाख टन कोयले के सलरी के लिए पाइप लाइन संबंधी लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में बिजलीघरों को उनकी वार्षिक आवश्यकताओं का 70 से 75 प्रतिशत कोयला मिल जाता है जिसके छठी योजना के अंत तक दुगुना हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग इस परियोजना के केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन पर विचार करेगा ?

योजना मत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्रक में कोयला-सलरी पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वियन लिए गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु राज्य सरकार से नवम्बर, 1980 में पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की ओर से इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा पहले किये गए अध्ययन के क्रम में योजना आयोग द्वारा गुजरात बिजली केन्द्रों को कयले के सलरी परिवहन के बारे में और विस्तृत संभाव्यता अध्ययन शुरू किया जाय।

2. उपर्युक्त पूर्ण अध्ययन के अनुसार, प्रतिवर्ष 114.70 लाख टन प्रक्षालित कोयले के मध्य प्रदेश में कोयला सिंगरोली क्षेत्र से गुजरात में तीन तापीय केन्द्रों तक 707 करोड़ रु. की लागत से जलीय परिवहन के लिए इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने गुजराती बिजली बोर्ड द्वारा कोयले के जलीय (पाइपलाइन द्वारा) परिवहन प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की सिफारिश इसलिए की थी क्योंकि पाइप लाइन का तरीका अन्ततः सस्ता पड़ेगा हालांकि इस पर होने वाला आरंभिक पूंजी निवेश रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक होगा।

3. इस प्रश्न की और जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है:—

1. गुजरात सरकार के अनुरोध पर इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा दिसम्बर, 1980 में अध्ययन रिपोर्ट को योजना आयोग में प्रस्तुत करने की व्यबस्था की गई थी जिसमें छठी योजना में दिए गए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार देश में कोयला सलरी पाइप लाइन व्यवस्था की शुरूआत करने की संभाव्यता की जाँच करने के लिए योजना आयोग द्वारा अक्टूबर, 1980 में स्थापित अन्तर मंत्रालयीन कार्यकारी दल के सदस्य भी उपस्थित थे।

2. कार्यकारी दल ने बाद में इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया, और विभिन्न उपादानों पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की कि भावी कार्य योजना के बारे में उचित निर्णय करने की दृष्टि से उत्तरी और पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में बिजली केन्द्रों/घरों से संबंधित एक और अधिक व्यापक संभाव्यता अध्ययन करना आवश्यक था। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि यह व्यापक अध्ययन इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को सौंपा जाए।

3. सरकार ने कार्यकारी दल की सिफारिशें स्वीकार कर लीं और तदनुसार देश के पूर्वी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों से तापीय विद्युत केन्द्रों तक सलरी फार्म में कोयले के पाइप लाइन द्वारा परिवहन के बारे में व्यापक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता/साध्यता अध्ययन का कार्य नवम्बर, 1981 में इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को सौंपा गया था।

4. मेसर्ज इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक प्रारुप रिपोर्ट पर कार्यकारी दल द्वारा विचार-विमर्श किया गया और इस विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए परामर्श दाता (कंसलटेन्टस) अब अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

5. इन्जिनीयर्स इण्डिया लिमिटेड से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद योजना आयोग में परिवहन के अन्य माध्यमों की तुलना में कोयले के पाइप लइन द्वारा संबंधिति मार्गों पर परिवहन की व्यापक लागत-लाभ संबंधी विश्लेषण किया जाए।

4. गुजरात में तापीय विद्युत केन्द्रों की वर्ष 1982-83 के लिए कोयले की आवश्यताओं का आरंभ में 50 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था जो छठी योजना (1984-85) के के अंत तक बढ़कर 69 लाख टन हो जायगा। वर्ष 1982-83 के लिए परिशोधित अनुमानित आवश्यकता के अब 45 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 की अवधि में प्राप्तियां तथा उपभोग (खपत) क्रमश: 38.50 लाख टन और 37.90 लाख टन थे।

11 महिने की अवधि के लिए आवश्यकताओं की तुलना में प्राप्तियों का प्रतिशत 93 प्रतिशत से अधिक होता है।

बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रयास

4182. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आल इण्डिया लिमिटेड ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को इस वर्ष के अन्त तक 87 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु हर सम्भव प्रयास करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होगा; और

(ग) यदि हां, तो स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को क्या मार्ग निर्देश जारी किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ग) वर्ष के शुरू में "सेल के कारखानों के लिए वर्ष 1982-83 के लिए 64.7 लाख टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वर्ष के पांच महीनों में बिजली की सप्लाई पर कड़े प्रतिबन्ध होने के कारण उत्पादन काफी कम रहा। इसलिए वर्ष के मध्य में "सेल" के कारखानों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते समय संशोधित लक्ष्य 58 लाख टन निर्धारित किया गया। वर्ष के पहले 11 महीनों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 50.8 लाख टन हुआ है। आशा है कि इस वर्ष के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्य लगभग प्राप्त हो जायेगा।

बिजली और कोयले जैसे आदानों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करके, संयंत्रों और उपस्करों के रख-रखाव में सुधार करके और कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखकर इस्पात कारखानों के उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

देश में यूनियम का उत्पादन

4183. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

श्री एन. ई. होरो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

क्या सरकार का भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यूरेनियम का उत्पाद बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने राय व्यक्त की है कि भारत में यूरेनियम के नए अतिरिक्त संसाधनों की काफी अच्छी संभावनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्यमन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) यूरेनियम के प्रमाणित भंडारों में विद्यमान खनिज की मात्रा परमाणु बिजली संबंधि उस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त समझी जाती है जिसकी परिकल्पन इस समय की गई है। यूरेनियम के और स्रोतों के मिलने की संभावना भी अच्छी समझी जाती है। बिजली संबंधी कार्यक्रप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूरेनियम की मिलिंग और उसके खनन, तथा ईंधन के उत्पादन की सुविधाओं में चरणाबद्ध रूप से वृद्धि की जा रही है।

राज्यों के बीच सीमा विवाद

4184. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री चित्त बसु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यों के बीच सीमा विवाद के कितने मामले हैं;

(ख) इन में कौन से राज्य शामिल हैं;

(ग) इनके निबटारे के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) राज्यों के बीच सीमा विवाद के सभी मामले कब तक निबटाये जाने की संभावना है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) निम्नलिखित राज्यों में सीमा विवाद जिनमें क्षेत्रीय दावे/प्रति दावे अन्तर्ग्रस्त हैं, लम्बित हैं :—

(I) महाराष्ट्र और कर्नाटक;

(II) कर्नाटक और केरल;

(III) असम और नागालैंड; और

(IV) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।

(ग) ये विवाद केवल संबंधित राज्य सरकार के स्वैच्छिक सहयोग से ही सुलझाये जा सकते हैं और इस दिशा में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को सभी सहायता देने में प्रसन्नता होगी ।

(घ) इस उद्देश्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

रेमिंगटन रेण्ड आफ इंडिया की बिजली टाइपराइटर परियोजना

4185 **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेमिंगटन रेण्ड आफ इंडिया अपनी विद्युत टाइपराइटर परियोजना का परित्याग कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में भारत सरकार की मंजूरी ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारत्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मैसर्स रेमिंगटन रेण्ड आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता को 15,000 विद्युत टाइपराइटर बनाने की क्षमता का आशय पत्र स्वीकृत किया गया है । और पश्चिम जर्मनी की एक कम्पनी द्वारा टाइपराइटर परियोजना को त्यागने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत बंग्लादेश सीमा पर घुसपैठ विरोधी कार्यवाही

4186. **श्री जो एम. सईद क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ विरोधी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए असम -बांग्लादेश सीमा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों मंत्री संतुष्ट थे;

(ग) यदि हां, तो विधान सभा चुनावों के पश्चात् केन्द्रीय सरकार असम के आंदोलनकारी विद्यार्थियों से बातचीत करेगी; और

(घ) राज्य में सामान्य वातावरण बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) सरकार समस्या का कोई ऐसा हल निकालने की इच्छुक है जो सभी संबंधित पक्षों के लिए उचित तथा संतोषजनक हो । और असम सरकार तथा सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके हल निकालेगी।

(घ) गृह मंत्री ने 14 और 22 मार्च के अपने वक्तव्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उपायों का उल्लेख किया था ।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों का विस्तार

4187. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ भिलाई और बोकारों इस्पात संयंत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत विशेषज्ञों द्वारा की गई व्यावहार्यता तथा अन्य रिपोर्टों तथा उनके समीकक्षीय भारतीय प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा का क्या ब्यौरा है और चर्चा के क्या परिणाम रहें;

(ग) इन दोनों संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात की खरीद के लिए सोवियत संघ द्वारा कितने और कितने मूल्य के आर्डर दिए गए हैं; और

(घ) क्या अन्य देशों से इसी प्रकार के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उस स्थिति में, जब भविष्य में सोवियत संघ भारतीय इस्पात खरीदने से इन्कार करता है, भारतीय इस्पात के लिए विदेश बाजार बनाने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है ;

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) सोवियत रूस की तकनीकी सहायता से भिलाई तथा बोकारों के इस्पात कारखानों की वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 40-40 लाख टन करने का कार्य चल रहा है। इन कारखानों की क्षमता को 40 लाख टन से आगे विस्तार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव नामित किए गए भारतीय संगठन सोवियत रूस द्वारा नामित संगठनों की सहायता से तैयार करेंगे। प्रस्तावों के तैयार होने पर ही इन ब्यौरों का पता चल सकेगा।

(ग) शून्य ।

(घ) जी, नहीं। कोई भी देश भिलाई अथवा बोकारो में तैयार किए गए इस्पात को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। यदि भविष्य में हमारे इस्पात की किसी भी श्रेणी का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक होगा तो उस समय इस समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

विदेशी मत्स्य कम्पनियों से सहयोग के लिए आवेदन

4188. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री डी. पी. जदेजा : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय कम्पनी के 1981 और 1982 में विदेशी मत्स्य कम्पनियों के सहयोग के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सहयोग की अनुमति मांगी है तथा विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय, उद्योग मंत्रालय में विदेशी कम्पनियों की कार्य-वार सूची नहीं रखी जाती। इस प्रकार विदेशी मत्स्य कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग करने के लिए प्राप्त आवेदनों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती।

किन्तु, भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, उत्पादन की वस्तु आदि सहित विदेशी सहयोग संबंधी स्वीकृतियों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

छठी योजना के दौरान समाज कल्याण के लिए अधिक धन का आवंटन

4189. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण पर परिव्यय प्रतिशत छठी पंचवर्षीय योजना के कुल योजना परिव्यय का लगभग 0.3 प्रतिशत है; और

(ख) क्या छठी योजना अवधि में समाज कल्याण के लिये अधिक धन आवंटित किये जाने की कोई संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री एस बी. चव्हाण) : (क) जी, हां। छठी योजना के कुल योजना परिव्यय में समाज कल्याण के लिए आवंटन लगभग 0.3 प्रतिशत है।

(ख) संसाधन उपलब्धता, अन्य क्षेत्रकों से प्रतियोगी मांगों और पहले से अनुमोदित योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण के लिए अधिक आवंटनों पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के पार रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा

4190. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के पार रक्षा भूमि पर अनेक फल तथा सब्जी विक्रेताओं ने अवैध कब्जा कर लिया है जिसके कारण अस्वस्थ्यकर परिस्थितियां पैदा हो जाने के साथ रक्षा यातायात की निर्बाध और सुगम आवाजाही में बाधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन अवैध निर्माणों को हटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस भूमि पर से अवैध निर्माण हटाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिकों का अण्डमान, निकोबार द्वीपों में पुनर्वास

4191. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के अण्डमान-निकोबार द्वीपों में पुनर्वास की योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उनका ध्यान पुनर्वास के लिए वहां पर गये लोगों की शिकायतों की ओर दिलाया गया है;

(ग) शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार योजना के अन्तर्गत वहां पर बसे लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के कुल मिलाकर 330 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को ग्रेट निकोबार द्वीप में बसाया गया है। प्रत्येक परिवार को सहायता के अनुमोदित प्रतिपादन के अनुसार भूमि आवंटित की गई है और 20,000/-रुपये का अनुदान तथा 3,000/-रुपये का ऋण दिया गया है। स्कूलों और एक अस्पताल जैसी सामुदायिक सुविधाओं के अतिरिक्त आवास क्षेत्र में बैंक तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आबादकारों को मामूली भुगतान पर विभागीय टेक्टरों तथा पावर टिलरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। निशुल्क पोधा संरक्षण सेवा की व्यवस्था की गई है। उद्यमशील आबादकार एक आरा मिल, आटा मिल स्थापित करने और एक ट्रक टेक्टर और पावर टिलर प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं। बहुत से आबादकारों ने अपनी दुकानें बना ली हैं और बहुत से आबादकारों के आश्रितों को सरकार के अधीन रोजगार मिल गया है। परन्तु, द्वीप की अर्थ व्यवस्था पर बन कटाई के प्रभाव का अध्ययन पूरा होने तक भूतपूर्व सैनिक परिवारों का आगे प्रवेश बंद कर दिया गया है।

अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि ग्रेट निकोबार में बसे भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का संबंध मुख्यत: ग्रेट निकोबार में (1) पट्टा जारी करने, (2) मकानों के सुधार (3) जो पशु मर गये उनके बदले पशु देने, (4) पशुओं और फसल के ऋणों की अदायगी में कठिनाइयों, (5) जहाजरानी सेवा में सुधार और (6) मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन से है ।प्रशासन को इन समस्याओं की पूरी जानकारी है और उनके समाधान के लिए कार्रवाही कर रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को पट्टे (स्थायी काश्तकारी अधिकार (जारी किये जा चुके हैं। मकानों के निर्माण के लिए इन आवादकारों को 5000/-रुपये का अनुदान तथा 3000/-रुपये के ऋण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त कम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत लम्बी अवधि के ऋण दिये गये हैं। मरे पशुओं के बदले में और नये परिवारों के लिए 442 पशु सप्लाई किये जाने थे। इनमें से 350 पशु अब तक सप्लाई किये जा चुके हैं। पशुओं और फसल के ऋणों को अदायगी से संबंधित प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है। बेहतर संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए पोर्ट ब्लेयर और ग्रेट निकोबार के बीच अन्तर-द्वीप सेवा पर पहले से चल रहे दो जहाजों के अतिरिक्त एक नया जहाज चलाया गया है और ये जहाज एक महीने में लगभग तीन चक्कर लगाते हैं। एक अन्य अन्तर-द्वीप जलयान के जुलाई, 1983 तक दिये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त एक बैंकिंग तथा अस्पताल तथा डाक जहाज निर्माणाधीन है। इस प्रकार अन्तर द्वीप जहाजरानी सेवा में और सुधार होने की आशा है। द्वीप-समूह में बन्दरगाह के विकास और बड़े प्रतिरक्षा कार्यों के लिए ब्रेक वाटर का निर्माण शुरू

किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए एक मत्स्य उद्योग विकास निगम का भी प्रस्ताव किया गया है। इन भी उपायों से आबादकारों के आर्थिक विकास में और सहायता मिलने तथा उनके कृषि तथा अन्य उत्पादनों के लिए एक स्थायी बाजार बन जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में एक राज्य सैनिक बोर्ड भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने हेतु कार्य करता रहा है।

सरकार अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में आबाद भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः सजग है और उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए उनसे निरन्तर सम्पर्क रखती है।

अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के पेनल की स्थापना

4192. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का एक पेनल स्थापित करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पेनल में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस पेनल को देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तनों अथवा वर्तमान अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तनों का सुझाव देने को कहा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) एक आर्थिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो सरकार को आर्थिक नीति व विकास से संबद्ध ऐसे विशिष्ट विषयों पर जो प्रधान मंत्री द्वारा इसे भेजे जाएं तथा ऐसे विषयों पर जो सरकार के विचारार्थ सदस्य स्वयं भेजें सलाह देगी। सरकार के संगत संकल्प की एक प्रति दि. 16 मार्च, 1983 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2952 के उत्तर में पहले ही सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय पंजाब की सिचुएसन फिर बिगड़ रही है और डे-टु-डे बिगड़ती जा रही है। यहां सदन में उस पर डिस्कशन हुआ है, होम मिनिस्टर यहां मौजूद हैं···

अध्यक्ष महोदय : फिर देखेंगे इस पर।

श्री राम विलास पासवान : फिर देखेंगे क्या सर, सिचुएशन डे-टु-डे खराब होता जा रहा है। इसको गंभीरता से लिया जाये। पंजाब और असम का सिचुएशन बिगड़ता जा रहा है। इससे यह देश कहां जायेगा, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ मैं भी चिंतित हूं।

श्री राम विलास पासवान : आप हमारे विचारों से ही सहमत हो सकते हैं परन्तु···

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है।

श्री हरिकेश बहादुर : इस सदन को एक हरिजन सदस्य और सारे देश में हरिजनों पर

अत्याचार हो रहे हैं— श्री राम लाल राही मरने की स्थिति में क्योंकि ऐसी स्थिति अधिकारियों द्वारा समस्या का समाधान न करने के कारण हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी तरफ से आई है क्या कोई बात ?

श्री हरिकेश बहादुर : उनकी तरफ से क्या ? नोटिस दिया गया है, वह तो सीतापुर में हैं । यह सीपेज की वजह से पानी में एक हजार आदमियों के साथ जाकर बैठे हुए हैं । वह मर सकते हैं, उनके जीवन को खतरा है । सारे देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : राजस्थान के जोधपुर जिले में 59 आदमियों की भूख से मरने की खबर है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए । ड्राउट पर मैंने अभी एक हफ्ते पहले यहां चर्चा कराई है। फुड एंड सप्लाई की डिमांडज आ रही है, इसी हफ्ते आ रही है ।

श्री नारायण चौबे : आज दिल्ली में बस नहीं चल रही हैं । बस स्ट्राइक इन दिल्ली ।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका काम है यह मैट्रोपोलिटन कांउसिल करेगी।

श्री नारायण चौबे : उनका कहां सवाल आता है, हम भी यहां बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रतिनिधि वहां बैठे हैं ।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपटटु) : तमिलनाडू में सूखे की स्थिति खतरनाक नहीं है और समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार 19 व्यक्ति भूख से मरे हैं । यह सब कुछ वहां की सरकार की अकुशलता के कारण हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : फूड एण्ड सप्लाई की डिमांडज आ रही हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मारुति लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा ।

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(2) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक संख्या महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. संख्या 6163/83]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2)के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का. आ. 87(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मैसर्स एंजिल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढाने के बारे में हैं ।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का. आ. 88(अ) जो 4 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मैसर्स कोट्टायम टैक्सटाइल्स लिमिटेड, कोट्टायम केरल के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं ।

(दो) का. आ. 97(अ), जो 8 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मैसर्स प्रभुराम मिल्स लिमिटेड, चेंगनपुर (केरल), के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(तीन) का. आ. 98(अ), जो 8 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मैसर्स मालाबार स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड, कालीकट, (केरल), के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है । [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. संख्या 6167/83]

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, अरगाय के वर्ष 1981-82 तथा मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981–82 के प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा और इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगाम के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगाम का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या-6168/83]

(ख) (एक) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता और उसकी सहायक कंपनी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, और उसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या-6169/83]

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) (किसी सम्पत्ति में बंधक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित के बारे में सूचना) नियम, 1983

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : मैं डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1981 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) (किसी सम्पत्ति में बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित के बारे में सूचना) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जो 28 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या का. आ. 148(अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या 6170/83]

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के अनुसरण के लिए विनियम (संशोधन), 1983, सीमा सुरक्षा बल (समूह-ग-योद्ध अनुचिकित्सीय कर्मचारी) भर्ती नियम, 1983 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का अनुरक्षण विनियम (संशोधन), 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 मार्च, 1983 के दिल्ली राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या 231/स्पेशल सैल में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या 6171/83]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (समूह-ग-योद्धा अनुचिकित्सीय कर्मचारी) भर्ती नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 202 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या** 6172/83]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1982, जो 18 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1982, जो 1 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1983, जो 12 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 203 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1983, जो 12 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में छपी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 204 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या** 6173/83]

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखे गए देखिए एल. टी. संख्या** 6174/83]

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप गंभीरता से मामले की जांच करें। श्री रामलाल राही इस सदन के सदस्य हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप इस सदन के रक्षक हैं। आप उनके जीवन की रक्षा करें।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हरिकेश जी कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो ? मैं भी इसको सपोर्ट कर रहा हू।

अध्यक्ष महोदय : आप तो हंस रहे हैं।

श्री जमीलुर्रहमान,

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्णिया जिला, बिहार को केन्द्रीय पूल से पटसन के और अधिक बीज की सप्लाई

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : पूर्णिया बिहार के उन जिलों में से एक है जिसमें लगभग 20 लाख पटसन की गांठों का उत्पादन होता है और पटसन ही उनके लिए धन है और उस जिले के निर्धन किसानों की कमाई का यह एकमात्र साधन है। मुझे यह प्रश्न उठाते हुए दुख हो रहा है कि उस जिले को पटसन के 7000 क्विंटल बीज की जरूरत है जबकि उसे केन्द्रीय सरकार के पूल से केवल 1700 क्विंटल दिया जा रहा है। छोटे किसानों की पूर्ति के लिए यह बहुत कम है। पटसन बोने का यह सही समय है परन्तु भारत सरकार ने बीज की आवश्यक मात्रा की सप्लाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। पटसन का उत्पादन न होने का असर अवश्य ही किसानों पर तथा विदेशी मुद्रा पर पड़ेगा।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उपर्युक्त कदम उठाए ताकि इस जिले के किसानों को पन्द्रह दिन के अन्दर पटसन के बीज की आवश्यक मात्र सप्लाई की जा सके।

(दो) दिल्ली में जेबकतरों की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, देश की राजधानी दिल्ली में आजकल लगभग दस हजार जेबकतरे सक्रिय हैं, उनकी हर रोज लगभग दस लाख रुपये की आमदनी होती है। इन जेबकतरों में ढाई हजार महिलायें भी शामिल हैं जोकि लोगों को अपने रूप जाल में फंसाकर उनकी जेबों को साफ कर देती हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस धंधे में लगभग 150 जेब तराश दम्पति भी संलग्न हैं। राजधानी के जेबतराश भलीभांति सगठित हैं और उन्होंने दिल्ली को विभिन्न क्षेत्रों में बांट रखा है। इन जेबकतरों ने बिभिन्न बैंकों में

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अपने एजेंट रखे हुए हैं जो उन्हें कोड भाषा में इस बात की जानकारी देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इतना रुपया बैंक से निकलवाया है। इसके बाद शिकार का बड़ी होशियारी से पीछा शुरू हो जाता है। बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों पर भी जेबकतरों का बड़ी संख्या में जमघट रहता है। ये लोग धार्मिक स्थानों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरद्वारों एवं गिरिजाघरों पर भी रहम नहीं खाते और वहां भी अपना कमाल दिखाने से बाज नहीं आते। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजधानी में जेबकतरों के 82 गिरोह सक्रिय हैं। इनमें से प्रत्येक का सरगना पुराना और शातिर जेबतराश होता है जो कि खलीफा या उस्ताद कहलाता है। प्रत्येक गिरोह को जो आमदनी होती है उसे कई भागों में बांटा जाता है। गिरोह का सरगना प्रत्येक दिन होने वाली आमदनी का आधा हिस्सा गिरोह के सदस्यों में बांट देता है और शेष आधे हिस्से में पुलिस को निर्धारित हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है वह जेबकतरों के मुकदमा आदि लड़ने के काम आती है। एक प्रमुख गिरोह का सरगना 105 बार सजा काट चुका है। 75 वर्षीय इस शातिर जेबकतरे के पास एक दर्जन कारें और बीस शानदार बंगले हैं। एक 65 वर्षीय महिला जेबतराश अब तक 45 मुकदमों में सजा पा चुकी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह भोली भाली जनता को इन भयंकर अपराधियों के

चुंगल से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस को सतर्क करे और इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कानून अमल में लाएं।

(तीन) **उड़ीसा में पारादीप में एक तटरक्षक टुकड़ी की स्थापना**

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, पारादीप, उड़ीसा में एक तटीय रक्षक दल की नियुक्ति में अत्यधिक विलंब हो गया है। पारादीप बन्दरगाह के अतिरिक्त सभी भारतीय बन्दरगाहों में तट रक्षक दल नियुक्त हैं। दूसरी बात यह है कि पारादीप के तट पर गहरे समुद्र में मछली पकडने वाले विदेशी पोतों की संख्या प्रतिमास बढ़ रही है। अतः उन विदेश पोतों को हटाने के लिए दल की नियुक्ति करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट में तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जब तक पारादीप बन्दरगाह पर एक तट रक्षक दल की नियुक्ति नहीं की जाती, इस तस्करी को रोका नहीं जा सकता। गहरे समुद्र में होने वाली इन घटनाओं की रोकथाम राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। यदि वहां एक तटरक्षक दल की नियुक्ति कर दी जाती है तो पूर्वी तट में तस्करी विरोधी काम करने में सुविधा होगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखकर, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि पारादीप बन्दरगाह पर एक तटरक्षक दल की अविलंब नियुक्ति की जाए।

(चार) **लखीसराय, बिहार में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलना**

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के मुन्गेर जिला के अनुमेंडल कार्यालय लखीसराय प्रान्त में चन्द्र प्रमुख मंडियों में से एक है। बिहार राज्य के मुंगेर जले में स्थित इस प्रमुख व्यापारिक केन्द्र में राष्ट्रीयकृत बैंक की मात्र दो ही शाखायें हैं— स्टेट आफ इण्डिया और सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया। ये दोनों ही बैंक काफी व्यस्त रहते हैं, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों को बैंक ड्राफ्ट बनवाने एवं अन्य कई कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बगल में ही जमुई जैसे छोटे से शहर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कई शाखायें हैं। लखीसराय स्थित स्टेट बैंक में ट्रेजरी का काम अत्यधिक होने के कारण ये बैंक तो अति व्यस्त बैंक बन चुके हैं। उपरोक्त परिस्थिति में लखीसराय में कम से कम दो और राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें खोलना अनिवार्य है, जिसमें एक पजाब नेशनल बैंक एवं दूसरा युनाइटेड कामर्शियल बैंक की शाखा खोली जा सकती है। अतएव लखीसराय को व्यापारिक महत्ता एवं व्यस्तता को देखते हुए अनुरोध है कि यहां उपरोक्त दोनों बैंकों की शखायें भारत सरकार द्वारा खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। बैंक की नई शाखाओं के अभाव में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया है और इससे पूरे अनुमंडल के तकरीबन लाखों लोग प्रभावित हैं। आज से 5-6 वर्ष पहले अनुमंडल की स्थापना हुई, अतः सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों कचहरी के कार्यों में बढ़ोतरी हो गई है। जब 30-40 वर्ष पहले दो राष्ट्रीयकृत बैंकों स्टेट बैंक और सैन्ट्रल बैंकों की स्थापना हुई थी, उस समय लखीसराय अनुमंडल नहीं था और न इतनी आबादी थी।

अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूं और निवेदन है कि अविलम्ब और बैंकों की स्थापना की जाए।

(पांच) बिहार में पटना के निकट जल्ला क्षेत्र के किसानों को बैंक ऋण सुविधा

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की राजधानी पटना से सटा जल्ला क्षेत्र है, जहां बसे ग्रामों की संख्या 25-30 है। इस क्षेत्र की आबादी करीब एक लाख की है।

एक विकट समस्या वहां के किसानों को खेती के लिए कर्ज मुहैया करने की है। खाद आदि के लिए वे बैंक की फतुहा शाखा से कर्ज लेते हैं परन्तु, कर्ज प्राप्ति में उन्हें बेतरह परेशान होना पड़ता है। अगर सौभाग्य से किसानों को कर्ज मिलता भी है, तो बैंक के अधिकारियों को पांच रुपये प्रति सैकड़ा नाजायज देना पड़ता है। इस प्रकार किसानों की खुली लूट हो रहीं है।

सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि जल्ला क्षेत्र के किसानों की इस गम्भीर समस्या का समाधान तत्काल निकाले।

(छः) उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नाइट्रस आक्साइड गैस तथा आक्सीजन गैस की अनुपलब्धता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह बहुत ही चिंताजनक है कि सरकारी अस्पतालों में आपरेशन बंद कर दिए गए हैं और नाइट्रस आक्साइड गैस तथा आक्सीजन गैस उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को निकाला जा रहा है। इस किस्म की सूचना लखनऊ मेडिकल कालेज के सूचनापट्ट पर लगी हुई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच कराये तथा उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त आवश्यक गैस देने की व्यवस्था करे ताकि लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और आपरेशन शुरू किए जा सकें।

(सात) बैंकों की सेवाओं में चयन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता

श्री एन. सेलवा राजू (तिरुचिरापल्ली) : कुछ वर्ष पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक सेवा भर्ती बोर्डों का गठन किया गया था और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अधिकारियों तथा लिपिकों की भर्ती का कार्य सौंपा गया था, बैंकों में अधिकारी प्रबन्ध व्यवस्था संवर्ग में चयन के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होती है और फिर उनकी योग्यता सूची बनाई जाती है जिसमें काफी समय लग जाता है। इसके बाद उम्मीदवार को बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ता है। यह प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है।

साक्षात्कार में उम्मीदवार के उस विषय के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है जिसका अध्ययन उसने अपने छात्रकाल में किया है और इस प्रकार उम्मीदवार की बुद्धि तथा मनोवृत्ति पर बल नहीं दिया जाता। भर्ती बोर्ड साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार की मौखिक शैक्षिक कुशलता पर बल देता है। यह उन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है जिन्होंने लिखित परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया है और साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए कम भाग्यशाली लोगों के लिए मिलने वाला लाभ वास्तविक रूप में मिल नहीं पाता।

इसलिए, मैं इस परम्परा को समाप्त करके, चयन कार्यविधि में एक अपेक्षाकृत अधिक युक्तिमूलक दृष्टिकोण अपनाने के लिए अधीन करता हूं।

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1983-84

विदेश मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर विचार करते हैं।

अब सदन विशेष मंत्रालय से सम्बद्ध मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में चर्चा शुरू करेगा और मतदान करेगा जिसके लिए कि 8 घंटों का समय आबंटित किया गया है।

सदन में उपस्थित वे माननीय सदस्य सदन में उपस्थित रहे, जिनके अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हों, 15 मिनट के अन्तर्गत अध्यक्ष के पास यह बताते हुए स्लिप भेज सकते हैं कि जो कटौती प्रस्ताव वे वहां करना चाहते हैं। उनकी क्रमांक संख्या क्या है। उन कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जाएगा।

उन कटौती प्रस्तावों की, जिन्हें कि पेश किया हुआ माना गया है, क्रमांक संख्या प्रदर्शित करते हुए एक सूची शीघ्र ही सूचना पटल पर रखी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह उसे बिना किसी विलंब के सभापटल पर के अधिकारी की जानकारी में ला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राजसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई विदेश मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखे सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (दक्षिण कलकत्ता) : श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने गुट-निरपेक्ष देशों के सातवें शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की थी। श्रीमन्, आज मैं विदेश मन्त्रालय द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन पर ध्यान देना चाहते हैं।

महोदय, प्रतिवेदन की भूमिका में, प्रारम्भ में इसमें इस खतरे की ओर ठीक ही संकेत किया गया है कि जिसका आज मानवता सामना कर रही है, युद्ध, ताप-परमाणु युद्ध का खतरा जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को सकट में डाल रहा है। यदि मानवता ताप-परमाणु अस्त्रों को समाप्त नहीं करती तो ये ताप-परमाणु अस्त्र मानवता को खत्म कर देंगे और परमाणु युद्ध होने की स्थिति में, जो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह विश्वव्यापी होगा, समूची मानवता समाप्त हो जाएगी। ताप-परमाणु युद्ध इसके विजेता को भी नहीं छोड़ेगा। इसकी कोई सीमा नहीं होगी, सारे क्षेत्र को यह निगल जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और उन

अन्य संस्थानों ने, जिन्होंने ताप-परमाणु युद्ध और इसके प्रभावों का अध्ययन किया है और विशेषज्ञता प्राप्त की है, इस बात का आंकलन किया है कि किसी भी ताप-परमाणु युद्ध की स्थिति में किस प्रकार क्षण भर में समूची दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और किस तरह धीरे-धीरे इसका असर दुनिया भर में फैल जाएगा। श्रीमन् हमें हीरोशीमा और नागासाकी का अनुभव है। जब परमाणु बम वहां गिराए गए, तब वहां क्या हुआ ? लेकिन आज हमने समूची मानवता को बीसियों बार समाप्त कर देने की शक्ति विकसित कर ली है। यह बहुत अधिक विनाशकारी शक्ति है और रिपोर्ट में युद्ध के खतरे और विश्वशांति की समस्या की ओर ठीक ही हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। मैंने देखा है कि हमारी सरकार ने कुछ पहल की है और हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निस्शस्त्रीकरण और विश्वशांति के लिए अत्यन्त दृढ़तापूर्वक आवाज उठाई। इस बात का रिपोर्ट में इस प्रकार उल्लेख किया गया है।

> "तनावशैथिल्य में कमी और शीत युद्ध के वातावरण का फिर से उभरना, बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता में तेजी और पूर्व-पश्चिम सम्बन्धों में आम बिगाड़ आनो, हथियारों की दौड़ का नया दौर और आणविक तथा जनविनाश के अन्य हथियारों के उत्पादन, स्थानीय युद्धों के जारी रहने और अनेक क्षेत्रों में तनाव की स्थिति और अंततः एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विश्वव्यापी बातचीत में गतिरोध से भविष्य के बारे में चिंता और बेचैनी और नहीं है।"

यह अच्छी बात है लेकिन जैसा कि मैं कहता रहा हूं, शीत युद्ध में तीव्रीकरण, तनाव में वृद्धि, सैनिक तैयारियों आदि के कारणों की गणना करते समय भारत सरकार हमेशा ही बड़ी ताकतों की प्रतिद्वन्द्विता के बारे में उल्लेख करने की कोशिश करती रही है। मैं नहीं जानता सरकार क्यों ऐसा करती है। जबकि पुराना तथ्य यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका रीगन प्रशासन खुल्लमखुल्ला अपने सैनिक खर्चों में वृद्धि कर रहा है, लोगों से यह कह रहा है कि परमाणु युद्ध संभव है। जब वे खुले रूप से यह कह रहे हैं कि वे इस प्रकार के किसी परमाणु युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जब वे समुद्री गश्त लगा रहे हैं और यूरोप में विनाशकारी मिसाइलें तैनात कर रहे हैं, जब संयुक्त राज्य अमरीका अपनी रणनीति सामंजस्य की अवधारणा के माध्यम से अपने सैन्य प्रबन्धों में राष्ट्रों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और जब वह अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को बताए बिना हर जगह अपनी सेना तैनात कर रहा है, यदि ऐसे में सरकार यह कहती जाती है कि यह सब महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता के कारण है तो यह वास्तव में क्या कर रही है ? यह साधारणतः साम्राज्यवादियों की युद्ध तैयारियों के सम्बन्ध में हमारे आक्रमण की तेजी सी धार को भोंथरा कर रही है और उस सोवियत संघ के नेतृत्व वाले देशों को भी बराबर मान रहा है जो सामान्य स्थिति लाने, तनाव को दूर करने, सैन्य खर्चों में कटौती करने, आम निस्शस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत को समर्थन प्रदान करने के लिए मनोयोग से और निरन्तर प्रयास कर रहा है। सोवियत संघ जो कि शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, के नेतृत्व वाले देशों को समान मानकर आप विश्व राजनीति की निष्पक्ष व्याख्या के प्रति ईमानदार नहीं हैं।

मैं चाहूंगा कि भारत सरकार दो महाशक्तियों को बराबर मानने की कोशिश करते

समय अपने विश्लेषण में परिवर्तन करे। रिपोर्ट में इस बात की ओर ठीक ही बताया गया है कि निश्शस्त्रीकरण होना चाहिए। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी यही चाहता है और इसका एक अधिवेशन भी हुआ था जिसमें स्वयं नरसिंह राव मौजूद थे, लेकिन वस्तुतः सारे प्रयासों का दुराग्रह और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों को असहयोगपूर्ण रवैये के कारण कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला।

जैसा कि कल मैंने कहा था, आज समूचा विश्व विशेषकर पश्चिमी विकसित देश हथियारों पर बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च कर रहे हैं। और यह ड्विट एसिनटो ही थे जिन्होंने अमरिका में सैन्य औद्योगिक काम्प्लेक्स की मौजूदगी के बारे में पहली बार उल्लेख किया था। तब से अब तक इस सैन्य औद्योगिक काम्प्लेक्स के खतरों को बताते हुए आया है और यह बताते हुए कि किस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों के निर्माण पर विपुल राशि खर्च करता रहा है, बडी मात्रा में साहित्य सामने आया है। और कि वे विकासशील देशों को हथियारों का निर्यात कर रहे हैं जबकि विकासशील देशों को वस्तुतः अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी स्रोतों की आवश्यकता है। श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि हथियारों की इस संस्कृति का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किस तरह प्रयोग किया जाता है। हथियारों की यह संस्कृति साम्राज्यवादी देशों की संस्कृति है। वे विनाशकारी हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, विकासशील देशों को उनका निर्यात कर रहे हैं और इस क्षेत्र में उनका व्यापार बढ़ रहा है। यह प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं कि साम्राज्यवादी देश किस तरह अपने ससाधनों को युद्ध तैयारियों की ओर मोड़ रहे हैं और किस तरह वे विकासशील देशों पर सैन्य भार थोपने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, आज हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ढांचा राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद द्वारा बनाया गया है। वह ढांचा बरकरार है। वह प्रभुत्व और पराधीनता - राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, जातीय प्रभुत्व पर आधारित है। और आज साम्राज्यवाद के इस प्रभुत्व को प्रथमतः सैन्य गठ जोड़ों के जरिये, दूसरे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे आर्थिक संगठनों के माध्यम से और बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से भी बरकरार रखा जा रहा है बौद्धिक साम्राज्यवाद के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभुत्व को बनाये रखा जा रहा है। अधिकांश किताबें साम्राज्यवादी देशों में प्रकाशित होती हैं और हमारी बौद्धिक दुनिया पर साम्राज्यवादी देशों में प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से प्रभुत्व रखा जाता है। हम इसे एक प्रकार की बौद्धिक दासता कह सकते हैं। हम अभी भी ज्ञान के उपभोक्ता हैं, ज्ञान के निर्माता नहीं। और इन सांस्कृतिक सम्पर्कों के माध्यमों से वे हमारे मस्तिष्क पर प्रभुत्व स्थापित करने और अपनी विचारधाराओं का प्रचार करने का प्रयास करते हैं।

महोदय, रिपोर्ट में हमारी सरकार ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन आप यह नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे लाएंगे, विकास की दशाब्दी आप किस तरह बनाना चाहते हैं ? किस तरह निःशास्त्रीकरण करने का आपका विचार है ?

हमारी सरकार की नीति, गुटनिरपेक्ष लोगों की नीति भी घोषणापत्र, दस्तावेजों और संकल्प जारी करने की है निःसन्देह रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसे सम्मेलन कुटनिती

के नाम से जाना जाता है और यह आप करते रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यह पर्याप्त है ? संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विकास की अपनी दूसरी दशाब्दी में यह आह्वान किया था कि विकासशील देशों के 16 प्रतिशत विकास के लिए विकसित देशों के अपने जी एन पी का कम से कम 0.7 प्रतिशत देना चाहिए। क्या वे इसके लिए सहमत हो गए ? नहीं। आपने उनसे अपील की थी और उन्होंने इस अपील को अनसुना कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों की भी विकसित देशों द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है। अनसुना कर दिया जाता है और कार्यान्वित नहीं किया जाता। यह सोवियत संघ ही है, जिसे आप महाशक्ति के बराबर मानते हैं। जैसाकि मुझे याद है, जो 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह संकल्प लाया था कि विकसित देशों के रक्षा व्यय में 10 प्रतिशत को कटौती की जाए और इस प्रकार निकले संसाधनों को विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और महासभा ने इस संकल्प को स्वीकार कर लिया था, सुरक्षा परिषद में इस संकल्प को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने समाप्त कर दिया। 1974 में सोवियत संघ चाहता था कि रक्षा व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिए और संसाधनों को विकासशील देशों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। साम्राज्यवादी देशों ने सारी की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया।

एक ओर तो आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की बातें करते हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पुनरीक्षा की मांग करते हो, जब आप आर्थिक मामलों में समानता की मांग करते हो लेकिन तभी व्यवहारिक तौर पर आप वहां जाते हैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते हैं, आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करते हैं आप अपनी आयात नीति को उदार बनाते हैं, आप पश्चिमी संस्कृति को आमंत्रित करते हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये परस्पर विरोधी बातें हैं। यदि आप अपने घोषणापत्र के प्रति सच्चे हैं तो पहले आपको उन्हें अपने राष्ट्रीय मामलों में कार्यान्वित करना चाहिए जिनके बारे में आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तबन्दी के बारे में चीखते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में आप साम्राज्यवादियों द्वारा नियंत्रित वित्तीय स्थानों के प्रभुत्व के बारे में चिल्लाते हैं। जब आप यह मांग करते हैं कि ब्रटेन बुडस की संरचना के सिद्धान्तों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इसकी फिर से संरचना की जानी चाहिए उसी समय यह कैसे होता है कि हमारी प्रधान मंत्री इंगलैंड, अमरीका जाती हैं और विदेशी पूंजी को आमंत्रित करती हैं और कहती हैं कि हमने अपने आर्थिक विकास के लिए भारत में उनके पूंजीनिवेश हेतु अत्यंत अनुकूल वातावरण बनाया है ? यह विरोधावास क्यों है ? आप विश्वास करते हैं कि साम्राज्यवादियों की सहायता से आपका आर्थिक विकास प्रारम्भ किया जा सकता है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप कहते हैं कि वे हमारा खून चूस रहे हैं। क्या यह परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं ? मैं सरकार से जोर देकर कहूंगा कि वह धीरे-धीरे स्वयं को इन वित्तीय संगठनों से अलग करे जो कि तीसरी दुनिया के खून चूसने के उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है और अप्रत्यक्ष रूप से विकासशील देशों पर उनके आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए हैं। यह कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भरता की इस मांग के लिए आप आज भी पच्चिमी देशों के न्यायालय में एक याचक हैं। याचक की इस स्थिति से हटकर विकासशील देशों को संगठित होना चाहिए और

न्याय मांगना चाहिए जो केवल उनकी सामुहिक बुद्धिमता और एकता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि उनके पास सैन्य शक्ति है। हमारे पास जनशक्ति है। वियतनाम युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता के संगठित संकल्प द्वारा विशाल सैन्य शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं। आप संकल्पों का प्रारूप तैयार करते हैं, आप सम्मेलनों में भाग लेते हैं और साहसपूर्ण ढंग से कुछ सिद्धान्तों की घोषणा करते हैं लेकिन आप जनता को तैयार करने की कोशिश नहीं करते। आप कहते हैं आप शांति के पक्ष में हैं। आपने भारत में लोगों में शांति के प्रति चेतना पैदा करने के लिए, युद्ध के खतरों के प्रति उन्हें चेतावनी देने के लिए लोगों को संगठित किया है यह कार्य आपने नहीं किया हमने यह कार्य किया है. हमने वामपंथी दल जनता, को मजदूरों को और इसी तरह के लोगों को संगठित कर रहे हैं। हम लोगों के साथ मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों को साथ लेकर साम्राज्य-वाद से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें संगठित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप उनके जीवन स्तर को चेतना को उपर उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह गलत है। दूसरी बात यह है कि जब आप अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक खर्चे में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करते हैं तो पहले आप जब आप सत्ता में हैं, आर्थिक ढांचे में, आंतरिक आर्थिक ढांचे में देश के आर्थिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन क्यों नहीं करते क्यों आप पूर्व पूंजीवादी संरचनाओं को बने रहने देते हैं, क्यों सामंती सम्बन्धों को बने रहने देते हैं, क्यों आप उन एकाधिकारियों को बने रहने की अनुमति देते हैं जिनके बहुर्राष्ट्रीय निगमों के साथ विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध हैं, क्यों आप बहुर्राष्ट्री निगमों को हमारे देश के संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देते हैं ? यदि वास्तव में आप अपना कार्य करें, यदि आप वही करना चाहते हैं जो कहते हैं, यदि आप वास्तव में आर्थिक ढांचे में, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको देश के आर्थिक ढांचे में भी आमूल परिवर्तन करना चाहिए। यदि आप विकासशील और विकसित देशों के बीच विषमता की बात करते हैं तो आपको उन विषमताओं के बारे में सोचना चाहिए जो भारत में भी गरीब और अमीर के बीच विद्यमान हैं। बिना अपना कार्य किए, अपने यहां आमूल चूल सुधार लाए बिना यहां के आर्थिक सम्बन्धों को बदले बिना आप विदेशों के आर्थिक सम्बन्धों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सम्भव नहीं है। पहली आवश्यक बात है आत्म-निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों पर निर्भरता नहीं अपितु एक प्रकार से अपने संसाधनों को जुटाने के लिए हमारे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ताकि हम जो कुछ हम चाहें उसका उत्पादन कर सकें, हमें अपने आयात में कमी करनी चाहिए और धीरे-धीरे साम्राज्यवादी देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए।

अब मैं रिपोर्ट के उस एक अन्य भाग की चर्चा करूंगा जिसमें पड़ौसी देशों के बारे में उल्लेख किया गया है। यह अच्छी बात है कि हम बंगला देश के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम कर रहे हैं। लेकिन मैं अब विदेश मामलों के मंत्री का ध्यान बंगला देश में उभर रही नई स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले दस मिनट में आपको अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी हां, इसका अर्थ है कि अभी तीस मिनट का समय है। आपका धन्यवाद। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। संभवतः आपने देखा होगा, बंगलादेश से 10

हजार सैनिकों को सैनिक प्रशिक्षण के लिए साउदी अरब भेजा जा रहा है और यह बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हजारों सैनिक पहले से ही मध्य-एशिया में हैं और अमेरिकियों का कार्य कर रहे हैं। आज अमरीका वाले सीधे अमरीकी सैनिकों को तैनात नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि एशियाई देश, विकास शील देश उसका विरोध करेंगे। अब अमरीका अपना कार्य कराने के लिए एशियाई लोगों की एक सेना तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इस बात का महान उल्लेख किया है इसलिए कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अमरीका यथास्थिति बनाए रखने के लिए और मुक्ति बलों एशिया में की लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ अब हमारे कुछ पड़ौसियों को तैयार करने का प्रयास कर रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।

पाकिस्तान के बारे में सरकार कहती है कि उसके साथ बातचीत चल रही है, यह अच्छी बात है। हम पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं।

लेकिन, दुर्भाग्य से पाकिस्तान को ऐसे प्रयोजनों के लिए सयुक्त राज्य अमरीका के एक संक्षिप्त राष्ट्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो गुट-निरपेक्षता के स्वीकृत सिद्धान्तों प्रतिकूल पड़ते हैं और यह अमरीकी युद्ध नीति सांमजस्य का ही एक अंग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी अब भी यह आग्रह करते हैं कि आधुनिकतम शस्त्रों की पूर्ति की जाएगी, जिसका अभिप्राय गह हुआ कि वे इस उप महाद्वीप की सुरक्षा को खतरा पैदा करेंगे। मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान में, दुर्भाग्य से, सेना खर्च बढ़ता जा रहा है। यहां मेरे पास दोनों देशों के प्रति व्यक्ति रक्षा व्यय के आंकड़े उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं :

वर्ष	भारत	पाकिस्तान
1972	4 डालर	7 डालर
1973	4 ,,	9 ,,
1974	4 ,,	11 ,,
1975	4 ,,	11 ,,
1976	5 ,,	11 ,,
1977	6 ,,	11 ,,
1978	6 ,,	12 ,,

मैंने यह आंकड़े लंदन से प्रकाशित "मिलिटेटी बेलेंस" पुस्तक से उद्धृत किए हैं। पाकिस्तान रक्षा पर इतना अधिक खर्च क्यों कर रहा है ? स्पष्टतया, यह अमरीकी सेना युद्ध नीति का एक अंग है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे नोट करे और पाकिस्तान को कहे कि वह इस अत्यधिक सेना खर्च न करे। दोनों देशों में अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध होने चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए कि वह अमरीकी युद्ध नीति से अपने को अलग रखे।

हिन्द महासागर, जिस पर कल चर्चा हुई थी, के संबंध में मेरे पास यह दर्शाने के लिए रिपोर्ट और आंकड़े हैं कि अमरीका ने पहले ही हिन्द महासागर में सेनाबन्दी कर ली है, वहां

सोवियत नौसेना नगण्य है और वे उसे भी हिन्द महासागर को शान्तिक्षेत्र बनाये जाने पर वापस लेने को तैयार हैं। हमारी सरकार को इस नीति का निरन्तर और दृढ़ता से पालन करना चाहिए और हिन्द महासागर सम्मेलन बुलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि संयुक्त राज्य अमरीका इस सम्मेलन को तोड़ने का प्रयास भी करता है तो भी हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। समुद्राचार समझौते पर जबकि समूचा विश्व सहमत हो गया, केवल एक ही देश था जो सहमत नहीं हुआ, और वह संयुक्त राज्य अमरीका जबकि समूचा विश्व एक ओर था, संयुक्त राज्य अमरीका अकेला इसके विरुद्ध था और फिर भी हमने समुद्राचार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सही दृष्टिकोण है। हमें उन पर आश्रित नहीं होना चाहिए और हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि उन्हें हिन्द महासागर से हटने के लिए बाध्य किया जाए क्योंकि उनका वहां कोई काम नहीं है।

और फिर, दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है ? कौन दक्षिण अफ्रीका के प्रजातिवादी शासन की सहायता कर रहा है ? मैं यह कहूंगा कि प्रजातिवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद का निश्चित पूर्वाग्रह है। वे दक्षिण अफ्रीका को 1968 की शस्त्रों के फैलाव को रोकने संबंधी संधि के बावजूद एक परमाणु शक्ति बना रहे हैं वे कौन से देश हैं जो दक्षिण अफ्रीका की परमाणु शस्त्रों के विकास में सहायता कर रहे हैं ? ये संयुक्त राज्य अमरीका तथा ई. ई. सी. के देश हैं। वे कौन से देश हैं जिनका दक्षिण अफ्रीका के साथ वित्तीय संबंध है ? एशिया में वे जापान और इस्रायल हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ केवल उन्हीं के सामान्य वाणिज्यिक संबंध है। वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका की सभी आर्थिक देयताएं पश्चिम के देशों में तथा जापान और इस्रायल के सामरिक महत्व के दो एशिया संश्रित राष्ट्रों में हैं। यह स्पष्टतया जापान, इस्रायल और पश्चिम के साम्राज्यवादी प्रमुख राष्ट्रों द्वारा दी गई आर्थिक तथा सैनिक सहायता के कारण ही दक्षिण अफ्रीका वहां मुक्ति आन्दोलन को कुचलने में समर्थ रहा है। इसी सामरिक सैनिक सहायता के कारण ही नामिबिया समस्या अभी भी बनी हुई है।

अब मैं लैटिन अमरीका के देशों को लेता हूं। आपने नोट किया होगा कि संयुक्त राज्य अमरीका रो-राल्वे डोज को दूसरा वियतनाम बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वे उसी नीति पर चल रहे हैं-अन्धाधुन्ध नरसंहार हो रहा है-और वे स्वतन्त्रता सेनानियों को खून में डुबोने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही वे निकारगुआ में कर रहे हैं वे लैटिन अमरीका के सभी देशों में तथा कैरिबियन में तनाव पैदा कर रहे हैं। और महोदय आप देखेंगे कि आज भी क्यूबा में गौंतानामो में उनका सैनिक अड्डा है। अतः अमरीकी साम्राज्यवाद ही शान्ति को खतरा पैदा कर रहा है और लैटिन अमरीका सहित हर जगह मुक्ति आन्दोलनों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि रिपोर्ट में आपने इसका उल्लेख किया है, लेकिन आपका रवैया कुछ नरम है। आप संयुक्त राज्य अमरीका का सीधे नाम नहीं ले रहे हैं, आप अमरीकी साम्राज्यवाद के नरसंहार के प्रयत्नों, मुक्ति आन्दोलन को दबाने की सीधे निन्दा नहीं कर रहे हैं। आप संयुक्त राज्य अमरीका पर सीधा दोष नहीं लगा रहे हैं कि वह मुक्ति के लिए लड़ रहे सैंकड़ों लोगों को, सैंकड़ों देश भक्तों को मौत के घाट उतारने का दोषी है, आप संयुक्त राज्य अमरीका की लैटिन के देशों में खुलेआम हस्तक्षेप करने के लिए प्रत्यक्षतः निन्दा नहीं कर रहे हैं आप

फाकलैंडज में प्रभुसत्ता के अपने अधिकार के लिए अर्जन टाइना के संघर्ष में संयुक्त राज्य अमरीका की भूमिका की निन्दा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व दो महत्व पूर्ण मसलों, अर्थात कम्पूचिया और अफगानिस्तान जिनका हमारे मित्रों ने उल्लेख किया है, को लेना चाहता हूं । मैं भारत सरकार के साथ सहमत हूं और उन लोगों का विरोध करता हूं जिन्होंने दक्षिण कोरिया में अमरीकी सेना की विद्यमानता का कभी उल्लेख नहीं किया है और जो दोनों कोरियाई देशों के एकीकरण के लिए कभी प्रयत्न नहीं करते । वे संयुक्त राज्य अमरीका के निन्दनीय प्रयासों की तरफ विश्व का ध्यान हटाने के प्रयास में अपना आक्रमण अफगानिस्तान तथा कमपूचिया पर केन्द्रित रखते हैं ।

महोदय, अफगानिस्तान में, अफगान सरकार इस बात के लिए सहमत है कि यह गारंटी होनी चाहिए कि बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । जब तक यह गारंटी नहीं दी जाती, जब तक सशस्त्र कार्मिकों, विद्रोहियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, जब तक सोवियत सेनाओं को वापस बुलाए जाने की स्थिति में क्या होगा ? क्या उसे संयुक्त राज्य अमरीका तथा एजिस्ट द्वारा लैस हजारों विद्रोही पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र का उपयोग करके रौंद नहीं डालेंगे ? अत: महोदय, कोई राजनैतिक समझौता किया जाना चाहिए और सेना को वापस बुलाया जाना चाहिए, लेकिन यह गारंटी हो कि उसकी प्रभुसत्ता, उसकी स्थिरता, उसकी गुट-निरपेक्षता का आदर किया जाए । इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी होनी चाहिए और इसका हल राजनैतिक होना चाहिए ।

कम्पूचिया के संबंध में, मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग अन्यत्र लोकतन्त्र की बात करते हैं वे कैसे वहां एक ऐसे शासन को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं जो जातिसंहार के लिए दोषी है ? कम्पूचिया में पोल पोट शासन ने लगभग एक-तिहाई अथवा इससे भी अधिक जनसंख्या को नष्ट कर दिया । हेंग सामरिन की सरकार ही कम्पूचिया की असली सरकार है। मुझे खुशी है कि गुट-निरपेक्ष देशों में से अधिकाधिक राष्ट्रों ने कम्पूचिया को मान्यता दी है और मेरा भी यही विचार है कि भारत सरकार का दृष्टिकोण उचित और तर्कसंगत है और अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुरूप है ।

महोदय, अन्त में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशदवाद, प्रभुत्व, सैनिक गठ-बन्धनों और-मानवता के सर्वनाश के लिए युद्ध की तैयारियों के विरूद्ध अपने संघर्ष को जारी रखे । यह एक महान दायित्व है जो न केवल भारत सरकार पर पड़ा है बल्कि भारत के लोगों पर भी पड़ा है और मेरी यह मांग हैं कि इस दायित्व को निभाने के लिए आपको गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों में एकता बनाए रखनी होगी । आपको अमरीका तथा पश्चिम के साम्राज्यवाद के विरूद्ध अपना संघर्ष तेज करना होगा । आन्तरिक तौर पर, आपको लोगों को खतरों से सचेत करने के लिए पहल करनी होगी जिसमें साम्राज्यवादी भी शामिल हैं जो हमारे देश को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश में फूट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश में उग्रवादी तत्वों को

बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अस्थायी राजनैतिक लाभ के लिए आप इस खतरे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और कभी कभी साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा समर्थित पृथकतावादी तत्वों को भी सहारा दे रहे हैं। इस नीति को छोड़ दिया जाना चाहिए और सरकार को अपने देश के आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की बात सोचनी चाहिए तथा अपने युग के साम्राज्यवादी-विरोधी आन्दोलन की पहल करनी चाहिए तथा राष्ट्रों के शिष्टाचार में एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[पाकिस्तान को आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने की अमरीका की नीति की दो टूक निन्दा करने में असफलता।] (1)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[साम्राज्यवाद विरोधी नीति पर डटे रहने तथा उसे और मजबूत बनाने में असफलता।] (2)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[नई दिल्ली में सम्पन्न सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित कराने में विशेष भूमिका निभाने की आवश्यकता।] (3)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[बड़ी शक्तियों के नाम पर सोवियत संघ को साम्राज्यवादी अमरीका के साथ एक तराजू पर तौलने की नीति को बदलने में असफलता।] (4)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[तनाव शैथिल्य की नीति का भीतरघात करने लिए अमरीकी साम्राज्यवाद की निन्दा करने में असफलता।] (5)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[विश्व में शीत-युद्ध भड़काने की अमरीकी साम्राज्यवाद की चाल की निन्दा करने में असफलता।] (6)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[हथियारों की दौड़ एवं सामूहिक विनाश के नाभिकीय अस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अमरीका की निन्दा करने की आवश्यकता।] (7)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[सोवियत संघ की तरह नाभिकीय अस्त्र सबसे पहले नहीं इस्तेमाल करने की अमरीका द्वारा घोषणा नहीं करने की नीति की निन्दा करने की आवश्यकता।] (8)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अमरीका, चीन, पाकिस्तान आदि द्वारा हस्तक्षेप करने की नीति की निन्दा करने में असफलता।] (9)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की नीति का सख्ती से पालन करवाने के लिए पेश कदमी लेने की आवश्यकता।] (10)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा फौजी हस्तक्षेप की निन्दा करने की आवश्यकता।] (11)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[दुनिया में तीसरे विश्व-युद्ध की आग भड़काने की साम्राज्यवादी चालों की निन्दा करने की आवश्यकता।] (12)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[विदेश मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की क्रियान्विति की असन्तोषजनक प्रगति।] (13)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षकों के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों में हिन्दी टंकक भेजने में अनावश्यक विलम्ब।] (14)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षकों के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

["क" तथा "ख" देशों में सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजने में असफलता।] (15)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षकों के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाये।"

[अमरीका द्वारा फारस की खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में फौजी अड्डे स्थापित करने की नीति का जोरदार तरीके से विरोध करने की आवश्यकता।] (20)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[राजभाषा अधिनियम, 1963 की क्रियान्विति के लिये विदेश मंत्रालय के कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों एवं अनुवादकों की नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब। (21)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[विदेश मंत्रालयों के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन की आवश्यकता।] (2)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[समाजवादी देशों के साथ मित्रता को और मजबूत करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक संस्कृति संबंध और बढ़ाने की आवश्यकता।] (3)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दियागो गार्सिया को मारीशस को लौटाने के वास्ते संबंधित राष्ट्रों पर और अधिक दबाव डालने की आवश्यकता।] (24)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सी. आई. ए. की गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता।] (25)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कम्पूचिया की हेंग समरिन सरकार के विरुद्ध साम्राज्यवादियों व चीन सरकार के षड़यंत्रों को विफल करने की आवश्यकता।] (26)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कम्पूचिया की सरकार की हर संभव तरीके से मदद करने की आवश्यकता।] (27)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[विदेशों में अपने प्रचार तंत्र को और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता।] (28)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गलत ढंग से पासपोर्ट हासिल करने वाले गिरोहों को सख्त सजा देने की आवश्यकता।] (29)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाए।"

[कोशी, कमला, बागमती, राप्ती, करनाली और पंचेश्वरी नदियों पर बहुप्रयोजनीय बांधों के निर्माण के लिये नेपाल के साथ शीघ्र करार करने की आवश्यकता। (16)]

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाए।"

[नेपाल के सप्तरी जिले में लक्ष्मीपुर में सीमेंट का कारखाना लगाने हेतु नेपाल से शीघ्र करार करने की आवश्यकता। (17)]

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाए।"

[इस तथ्य को देखते हुए भी कि सोवियत संघ हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव का लगातार समर्थन करता रहा है, दोनों महाशक्तियों को बिना समझे-बूझे बराबर मानना। (18)]

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम कर के 1 रुपया किया जाए।"

[राष्ट्र मंडल के साथ औपचारिक संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता। (19)

श्री बी. आर. भगत (सीतामढ़ी) : हमारी विदेश नीति चार मूल सिद्धान्तों पर आधारित है :

1. देश की प्रभुसत्ता-सम्पन्न स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की सुदृढ़ता का संरक्षण।
2. निर्गुटता के प्रति पूर्ण बचनबद्धता।

3. एशिया में शान्ति सहित विश्व शान्ति को प्रोत्साहित करना, और
4. सभी के लिए न्याय और समता पर आधारित्त एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तैयार करने के बारे में हमारा संकल्प।

हमारा रिकार्ड अत्याधिक स्पष्ट निर्देशन और अवधारण सहित इन उद्देश्यों को पाने वालों में एक है। आज चालू अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति गम्भीर है। मैं जानता हूं विदेश मंत्री बहुत परिश्रमी हैं। यद्यपि कठिन समय है फिर भी वे इन उद्देश्यों को पाने के लिए पूरे समर्पण और सामर्थ के साथ प्रयास कर रहे हैं चालू आर्थिक स्थिति, मैं उन कुछ टिप्पणियों को पृष्ठभूमि के रूप में दोहराऊंगा जो मैं बाद में करूंगा सभी जगह-स्थानीय क्षेत्रीय और समान्य-व्यापाक तनाव से भरी हुई है, जिसमें संसार के सामने प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विषयों को सुलझाने में प्रगति का अभाव भी सम्मिलित है उन्हें सुलझाने के लिए कहीं भी कोई भी प्रगति नहीं हुई है इससे सामान्य स्थिति बिगड़ी है और शीत युद्ध का बातावरण तैयार हो गया है अत्याधिक गैर-विवादस्पद विषयों पर भी हर जगह मुकाबला है। मुकाबला वैचारिक तथा अन्य बातों पर चलता है। फिर व्यवहारिक तौर पर, पूर्व पश्चिम संबंधों में बड़ी ताकतों की दुश्मनी और आम बिगाड़ घनीभूत हो गया है। इससे शस्त्रों की दौड़ और जन विनाश के आणविक और अन्य अस्त्रों के उत्पादन का नया दौर शुरू हो गया है। इसी के कारण स्थानीय युद्ध अभी तक चल रहे हैं। इसके कारण अनेक क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया हैं। इससे एक आम युद्ध और आणविक आपदा का खतरा हो गया है।

आर्थिक मोर्चे पर जिस पर मैं बाद में आऊंगा स्थिति गहरे होते संकट वाली है। विश्व स्तरीय बातचीत में गत्यविरोध उत्पन्न हो गया है। इससे अनिश्चित भविष्य की आशंका पैदा हो गई। जो पहले से भारी चिन्ता को बढ़ा सकती है। अब सभा अपने देश की विदेश नीति को ऐसी स्थिति में संभालने के लिए विदेश मंत्री की भूरी-भूरी प्रशंसा करेगी। वह एक गम्भीरतम कठिन स्थिति में अपनी नीति को चला रहे हैं और हम यह देख कर प्रसन्न हैं कि ऐसी स्थिति में वे यथासंभव बहुत कुशलता और योग्यता पूर्वक कार्य कर रहे हैं।

मैं प्रथम पक्ष पर बात करना चाहूंगा और महत्वपूर्ण पक्षों में से एक पक्ष-शस्त्रों की दौड़ के परिणाम स्वरूप सुरक्षा के माहौल का पूरी तरह नष्ट हो जाना-जिसके लिए निर्गुट सम्मेलन ने आर्कषक निरस्त्रीकरण सहित सामान्य और पूरे निरस्त्रीकरण का आह्वाहन किया था ऐसा इसलिए है कि राज्यों के प्रमुखों के ज्ञान मानव जाति की राय के अनुसार यह प्रमुख समस्या है। यह कहा गया है कि निरस्त्रीकरण सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण ज्यादा दिन तक नैतिक विषय नहीं रहेगा परन्तु मानव जाति के जीवित रहने का विषय बन जएगा और यह अत्याधिक तत्काल बात है और मैं पहले इस विषय पर बात करना चाहता हूं।

निरस्त्रीकरण के संबंध में कुल मिलाकर और स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि शस्त्रों की दौड़ ज्यामितिय वृद्धि से हो रही है। यह बताया गया है कि 1980 में, शस्त्रों के लिए कुल बिल 45000 लाख डालर था। दो वर्षों में यह 65000 लाख डालर हो गया। आगामी पांच वर्षों में अमरीका का शस्त्रों का बजट 1.5 लाख करोड़ डालर का है। ये खगोलीय आंकड़े हैं और

शस्त्रों की कम करने की बात करने की बजाए वे युद्ध नीतिक और सुरक्षा की सम्भावनाओं की बात कर रहे हैं और यह उनको इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि आणविक शस्त्रों के हर क्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठता प्राप्त करनी चाहिए। इससे क्या होगा ? इससे शस्त्रों की दौड़ आरम्भ हो गई है जो मैंने हाल ही में एक सप्ताह पूर्व-पढ़ा था कि अमरीका के पांच भूतपूर्व रक्षा मंत्रियों श्री मेकनआरा, जार्ज बन्डी, सायरस वान्स और दो अन्य ने एक वक्तव्य जारी किया है कि राष्ट्रपति रीगन का प्रस्तावित बजट खतरनाक है और इससे देश की सुरक्षा हित पूरे नहीं होंगे शस्त्रों की दौड़ के अलावा और संत्रास के संतुलन के अलावा यह देश को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा परन्तु यह देश के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। उन्होंने बजट में 8900 लाख डालरों की कटौती का सुझाव दिया है और उन्होंने बजट को कम करने और सोवियत संघ के साथ सामान्य बातचीत का दौर चालाने के लिए कांग्रेस से अनुरोध किया है।

इसी प्रकार एक ओर शस्त्रों की दौड़ बढ़ रही है और एक तहाशकित तेजी से बढ़ रही है और दूसरी ओर सोवियत संघ के महा सचिव और राष्ट्रपति श्री यूरी आन्द्रोपोव ने शस्त्रों की दौड़ पर वार्ता का आह्वाहन किया था जब उन्होंने श्री ब्रेजनेव के बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। उन्होंने शस्त्रों की सीमा और शस्त्रों में कमी करने की भी बात कही थी। और इस स्थिति में, निर्गुट सम्मेलन द्वारा किया गया आह्वाहन मानव जाति की जिवीका का आह्वाहन है। निरस्त्रीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सम्मेलन का लक्ष्य यह था।

इस संबंध में, मैं हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा निरस्त्रीकरण संबंधी आम सभा के विशेष सत्र को भेजे गए संदेश की याद दिलाना चाहता हूं। यह यहां पर बहुत सम्बद्ध है। उन्होंने निरस्त्रीकरण के लिए बहुत व्यावहारिक और ठोस उपायों का सुझाव दिया है।प्रथतम: आणविक अस्त्रों का उपयोग न करना अर्थात जिनके पास आणविक अस्त्र हैं, वे उनका उपयोग नहीं करेंगे। उनका कोई उपयोग न किया जाए। आणविक अस्त्रों का कोई भी उपयोग न करेगा इस पर एक करार होना चाहिए दूसरे, वर्तमान भंडारों में वास्तविक कमी करना है। आणविक अस्त्रों पर एक पूर्ण पाबन्दी होनी चाहिए। आणविक अस्त्रों का और उत्पादन नही होना चाहिए। आणविक अस्त्रों का उत्पादन करने के लिए विखन्डनीय सामग्री के उत्पादन में भी कटौती की जानी चाहिए। कम से कम कल तो ऐसी सामग्री का और उत्पादन नहीं होना चाहिए। तीसरे सभी आणविक शस्त्रों के टैस्ट को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिये। अन्तिम उद्देश्य सामान्य और पूर्ण निरस्त्री करण पर एक संधि हो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र को यह ठोस कार्यक्रम दिया।

निर्गुट सम्मेलन की सिफारिशों के मूल भाव ये हैं कि हमें प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।

एक और पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष, यह है निरस्त्रीकरण और विकास के बीच अन्तर इसे महसूस किया जाए। इसकी दिल्ली घोषणाओं में स्पष्ट रूप से जांच की गई थी। यह कहा गया

था कि अस्त्र उत्पादन के खगोलीय आयात न केवल विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं को नकारा बनाते है अपितु स्वयं विकासित देशों की भी विकास आवश्मकताओं को नकारा बनाते हैं। मैंने एक बहुत दिलचस्प लेख पढ़ा है कि किस प्रकार कतिपय शक्तियों के ज्ञान में विकृति आई और वे किस हद तक जा सकते हैं। उस लेख के अनुसार अमरीका शस्त्र उत्पादन को इस स्थिति तक बढ़ा रहा है कि यह महसूस करना है कि यदि सोवियत संघ, अन्य महाशक्ति, शस्त्रों की दौड़ में उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो यह उन्हें आशा के विपरीत नुकसान पहुंचाएगी और इस हद तक कि उन अन्य विकासशील देशों के सहायता कार्यक्रम, जिन्हें वे समझते हैं, वे क्षेत्र पर अधिकार पाना चाहते हैं, बहुत सीमित और कम रह जाएगा यदि शस्त्र दौड़ का यह एक कारण है जो यह ऐसा ही है कि कोई दूसरे को परेशान करने के लिए अपनी ही नाक काट ले

इस के बदले में, विकासशील देशों में विशाल जन समुदाय को क्या हुआ ? यह कहा गया है कि यदि शस्त्रों की दौड़ चलती रही, तो यह विकासशील देशों के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के बड़े भाग को निगल जाएगी। केवल यही नहीं। इससे एक और पक्ष सामने आता है, आर्थिक संकट। विश्व आर्थिक संकट जैसा कि इकानामिक डिकलरेशन में बताया गया है, मंडरा रहा है। मैं कहता हूं, यह शांति की एक प्रक्रिया है। स्थिति इतनी भयंकर है; यह विकासशील देश लिए इतनी निराश जनक है। यह विकसित देशों के लिए भी भयंकर है। यदि मैं बिल्ली ब्रांड आयोग के दूसरे प्रतिवेदन की उद्धृत करूं यह आम आर्थिक संकट के बारे में है। यह आर्थिक संकट केवल विकासशील देशों के लिए नहीं है बल्कि बिकसित देशों के लिए भी है। प्रथम प्रतिबेदन उत्तर दक्षिण कार्यक्रम के बारे में है, जो उत्तर अर्थात विकसित देशों और दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के बीच अन्तरनिर्भरता और जीविका कार्यक्रम है। उनका भाग्य एक दूसरे पर अन्तरनिभर है और यह जिजीविषा का वह कार्यक्रम है। जिसके कारण कानकुन सम्मेलन हुआ था जिसमें दुर्भाग्यवश कोई परिणाम नहीं निकला था। परन्तु मैं इस नई पुस्तक जो "दकामन क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं, से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। प्रथम प्रतिबेदन में यह कहा गया है कि औद्योगिक देशों में आर्थिक कठिनाई बढ़ती जा रही है और अनेक विक शील देशों को थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है। इस के अनुसारः

> 'अब संभावनाएं अंधकारमय हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मंदी से जो 1983 में और बढ़ सकती है, उत्तर में व्यापक बेरोजगारी और दक्षिण के भागों में आर्थिक गिरावट की आशंका, विश्व आर्थिक प्रणाली को गम्भीर खतरा है और जो अन्र्राष्ट्रीय व्यापार आदि में अव्यवस्था बढ़ रही है।"

यह प्रतिवेदन कतिपय विकसित देशों, विकशित देशों में बिचारकों अथवा विकसित देशों के भूतपूर्व नेताओं द्वारा दी गई है।

परन्तु यदि आप नई दिल्ली सम्मेलन की आर्थिक घोषणा की जांच करें, तो यह वास्तविक है, परन्तु यह शान्ति की एक प्रक्रिया है क्योंकि वे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। वे सहयोग करते हैं। उनका मुल उद्देश्य इन मूल आर्थिक और गम्भीर बिषयों का हल ढूंढना

है । वे विषय क्या हैं ? यदि आप किसी भी रूप में देखें, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली पूरे जी. ए. टी. टी. में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, विश्व बैंक के माध्यम से दीर्घकालीन सहायता अथवा इन देशों द्वारा दी गई अधिकारिक विकास सहायता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास दशक, प्रथम दशक द्वितीय दशक और अब तृतीय दशक की नीतियों ने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जिसमें वर्तमान विश्व अपने को पाता है। मैं यह नहीं कहता कि कुछ निर्देश ठीक नहीं थे। प्रश्न यह है कि पूरा उद्देश्य क्या था वही जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली ने पहुंचा दिया है। यह विकाशील देशों में पूंजीवाद का विकास था यह आयात स्थानायक विकास नीति के और अन्य देशों को बाजार में उनकी चीजों के निर्यात के माध्यम से विकास की प्रगति थी। इस ने एशिया और अन्य भागों में छोटी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुचाया है। परन्तु इसने ऐसी सिथिति में पहुंचा, दिया है कि उत्तर क्योंकि वहां पर भारी बेरोजगारी, अप्रपुकन संसाधन हैं और दक्षिण में अर्थात विकासशील देशों में बाजार प्रतिबधित हो रहा है क्योंकि उन्हें अपनी विदेशी मुद्रा का घाटा हो रहा है। दिल्ली घोषणा में व्यापार प्रथाओं वस्तुओं के मूल्यों में कमी और आई. डी. ए. और अन्य द्वारा अधिकारिक विकास सहायता और रियायती दीर्घविधि सहायता की कमी के कारण विकासशील विश्व की विदेशी मुद्रा आय में 2000 लाख डालर हानि होने के आंकड़े देती है और ऐसी ही स्थिति मेक्सिको, जिसके पास विशाल तेल संसाधन हैं, और ब्राजील जैसे अनेक इन विकासशील देशों की भी है। परन्तु हमें उन देशों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो बहुत बुरी आर्थिक हालत में हैं। वे अपना कर्ज वापस करने में समर्थ नहीं हैं, और परिणाम यह है कि वे कर्ज में जकड़े हुए हैं इससे प्रणाली को पूरी पूरी क्षति पहुंची है लगभग 80 से 90 डालर का कर्ज बिना वापस किये पड़ा है। फिर पूरी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी क्षति पहुंचेगी। इससे अमरीका के खजाने के सचिव श्री रोनाल्ड रीगन जैसे व्यक्ति को यह कहने पर विवश होना पड़ा "जी हां अब हमने मुद्रा प्रणाली के सुधार की आवश्यकता को जान लिया है।" क्यों कि उन्हें पता है कि उद्देश्य सुधार करना है।

यदि आप पेरिस में 5 अक्तुबर को हुई विश्व स्तर की वार्ता और इस बीच मनीला, लीमा और अन्य स्थानों पर हुई बैठकों का इतिहास देखें, तो आप पाएगे कि दुर्भाग्यवश, इतिहास पूर्वतया निराशाजनक रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो सका वे हल नहीं हो सकती वे हल हो सकती है। परन्तु इसमें विकासित देशों, औद्योगिक देशों की ओर से इच्छा शाक्ति की कमी है, यद्यपि वे गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। विल्ली ब्रांड आयोग जैसा एक आयोग कहता है कि दवाब कोई बार-बार की समस्या नहीं है, कि यह ऊंचा हो फिर कम हो जाए, यह अब एक अनिवार्य समस्या है, यह स्थायी बात है, मंदी एक स्थायी समस्या बन रही हैं, 1930 की समस्या से भी जटिल जब रूजवेल्ट ने नया काम किया था और उसकी वजह से पूरे यूरोप को कष्ट भुगतना पड़ा था। और हम सब जानते हैं कि क्या होगा। वर्तमान पीढ़ी के लिए यह एक सबक है। दूसरा विश्व युद्ध आर्थिक दबाव और पूरे यूरोप में गम्भीर-बेरोजगारी और आर्थिक तथा अन्य प्रणालियों के बिगड़ने का परिणाम था जिसके फलस्वरूप हिटलर जैसे व्यक्ति को उठने और राष्ट्रवादी नारा देने का मौका मिला और विश्व युद्ध छिड़ गया। अब वैसी ही स्थिति है। यदि आप कुछ देशों की भाषा देखें, तो आप पाएंगे कि वे उसी

साम्राज्ययादी भाषा में बात करते हैं । राजनीतिक मंच पर साम्रज्यवाद कर गया है, परन्तु वे नया साम्रज्यवाद चाहते हैं, वे अफ्रीका, एशिया और अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर साम्राज्यवाद का राजनीतिक कब्जा किए विना नियंत्रण करना चाहते हैं; बे जी. ए. टी. टी. की पूरी व्यवस्था वस्तुओं मूल्य आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहते हैं । उन्हें सस्ता सामान मिलता है और वे मंहगे सामान का उत्पादनकरते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित समान को कहीं खरीदा नहीं जाता है, देखिये क्या हो रहा है अफ्रीका में कुपोषणों और भुखमरी से प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं । वहां की स्थिति बहुत शोचनीय है । अनेक विकाशील देशों की अर्थव्यवस्था दिवालिये पत्र की स्थिति पर है । यदि ऐसे देश अपनी कठिन परिस्थिति में कुछ समृद्ध देशों से जमानत चाहते हैं तो उन के बीच व्यापार और आर्थिक मामलों में मित्रता पूर्ण सम्बध होने चाहिए लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते हैं, वे तो इससे केवल काम निकालना चाहते हैं मुझे खुशी है कि दिल्ली इकोनामिक डिल्केरेशन ने इसे सही परिप्रेक्ष में रखा है, यह एक नव उपनिवेशबाद है जिसे वे समाप्त करना चाहते हैं, नयी अर्थव्यवस्था के रूप में यह एक ऐसा साम्राज्यवाद है जिसे वे समाप्त करना चाहते हैं; वे एक नई अर्थव्यवस्था चाहते हैं जो समानता और आपसी हितों पर आधारित हो, हां, आपसी हितों पर शोषण पर नहीं, जैसा कि हो रहा है, इसलिए यह एक गम्भीर समस्या है, इस वर्ष में विश्व स्तर पर बात चीत शुरू होना चाहिए ।

इस किस्म के एक बहुत बड़े बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए सम्बन्ध में आपके पास कोई सचिवालय नहीं हो सकता । सम्मेलन की बैठक पर तीसरे साल में होनी चाहिए । यह इससे कम समय में नहीं हो सकती । यह सब अध्ययन पर निर्भर करता है ! अध्ययन को कुछ निश्चित अधिकारियों के साथ प्रभावशाली बनाना होगा ।

एक माननीय सदस्य : पीठासीन व्यक्ति

श्री बी. आर. भगत : अध्यक्ष का तात्पर्य 'पीठासीन महिला' भी है । मैंने इसी सन्दर्भ में इसका प्रयोग किया है ।

इस प्रकार के संगठन में यह निश्चित है कि आप सचिवालय की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, भले ही कुछ व्यक्ति इस बारे में बात कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं है । वास्तव में अनुवर्ती कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है । कुछ अनुवर्ती कार्यवाहियों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । जब माननीय विदेश मंत्री उत्तर देंगे तब मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि उनके बारे में बताएं क्योंकि मानव जाति को इन नाजुक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । नई दिल्ली में हुए सम्मेलन से आशा की एक किरण दिखाई देती है, वास्तव में अनेक उम्मीदें जगी हैं; कल हमने प्रधान मन्त्री के योगदान की सराहना में एक संकल्प प्राप्त किया है। इन बड़े आन्दोलनों में व्यक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । आप स्थिति को देखें । यदि आप निराश अन्तराष्ट्रीय स्थिति, जिसका मैंने विश्लेषण किया है उससे सहमत हैं आर्थिक संकट, राजनैतिक संकट और दिल्ली में की गई घोषणाओं का ब्यौरा और दिल्ली का यह संदेश कि वह क्या कार्यवाही करना चाहता है तो अध्यक्ष के बतौर प्रधान मंत्री को पहले करनी है ।

और मुझे खुशी है कि उन्होंने यह काम शुरू भी कर दिया है, उनका व्यक्तित्व चमत्कारी है और वे चुपचाप बैठी नहीं रह सकती हैं। उन्होंने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रतिनिधि मण्डलों के प्रमुखों को कुछ महीनों के बाद जरनल ऐसेम्बली की बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। दूसरी विभिन्न बातों को तय करने के लिए सरकारों के प्रमुखों की एक दूसरी बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव किया है। '77 के ग्रुप' को विश्वस्तरिय वार्तालाप चलाने के लिए कुछ उपाय करने को कहा गया है। इस मामले में हमारी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि विली ब्रांट कमीशन में अनेक अच्छी बाते कही गयी हैं। उसमें औद्योगिक देशों से समझौता करने को कहा गया है। यदि पुर्ननिर्माण के सभी सामान्य मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होता है तो कुछ सीमित मुद्दों पर व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात कर लेने से क्या हानि है? अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था, साहसिक पुर्ननिर्माण और सही व्यापार प्रणाली को तैयार करना, सामान्य मुद्दे हो ताकि वस्तुओं के मूल्यों संसाधनों के हस्तातरण निगरानी आदि में गिरावट न आ जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का निर्धारीत समय पूरा हो गया है।

श्री बी. आर. भगत : इस लिए मुझे खुशी है कि नयी अन्तर्राष्टीय आर्थिक व्यवस्था के पुर्ननिर्माण के परिप्रेक्ष में दिल्ली घोषणा में विश्वस्तरीय वार्तालाप की चर्चा की गयी है। सीमित वार्तालाप का मतलब तो कुछ सीमित समस्याओं को अथवा जरूरी समस्याओं को निबटाने से होगा। जिससे उनको भी नुकसान होगा लेकिन यह इस समस्या का हल नहीं है और ऐसा करने से हमारा जो महत उद्देश्य है और जो सामान्य दृष्टिकोण है, हम उससे हट जायेंगे, और वह है अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था इस लिए मुझे प्रसन्नता है कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है।

यदि हम द्वि-पक्षीय सम्बन्धों को लें तो इसमें मुझे केवल एक मिनट का समय लगेगा। महोदय, द्वि-पक्षीय सम्बन्धों के बारे में भी हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों के आधार पर दिए गए दिशा निर्देशन की स्पष्ट झांकी मुझे दिखाई देती है। जहां तक पड़ोसियों से हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है? यह कार्यवाही आपसी सम्बन्धों की है देश चाहे पाकिस्तान हो या कोई और। पाकिस्तान के साथ हमें कुछ कठिनाइयां है। क्योंकि पाकिस्तान एक पड़ोसी है जिसके साथ हम अच्छे सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें चल रही हैं। कुछ वार्ताओं और दौरों के दौर चले हैं पाकिस्तान के साथ यह कठिनाई है कि वह 'ग्लोकल स्ट्रेटेजिक एलाऐन्स' का एक हिस्सा बन गया है। वहां पर जमा किए गए आणविक हथियार और आधुनिकतम हथियार इसे सारे क्षेत्र के लिए आंतक बने हुए हैं। इसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्याख्या को ही बदल दिया है और जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होता है पाकिस्तान ने हम पर कई बार हमले किए हैं और हम इसे भूल नहीं सकते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मूल रूप में यह एक कारण है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम एक अनाक्रमण संधि कर सकते हैं और अन्ततः हम एक मैत्री करार कर सकते हैं लेकिन जबतक पाकिस्तान 'ग्लोलल स्ट्रेटेजिक' व्यवस्था के अपने सम्पर्क नहीं तोड़ लेता है, हमारे सम्बन्ध नहीं सुधर सकते हैं। हमें अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिए।

ऐसा ही चीन के बारे में भी है। हमें इस बात की खुशी है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में तनाव शैथिल्य हुआ है। हम इसे तनाव रहित सम्बन्ध कह सकते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जबतक सीमा का प्रश्न हल नहीं हो जाता है हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए, अब तक हमने बातचीत के दो दौर चलाये हैं तथा रेलवे प्रतिनिधि मण्डलों, पेट्रोलियम प्रतिनिधि मण्डलों अथवा डेयरी प्रतिनिधि मण्डलों जैसे अनेक प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, हम कितने ही प्रतिनिधि मण्डलों को एक दूसरे देश में भेज सकते हैं लेकिन जब तक मूल प्रश्न सीमा का प्रश्न हल नहीं हो जाता है तब तक सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन यह एक अच्छी बात है कि हम बातचीत कर रहे हैं और विवाद की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हम सम्बन्धों को बढ़ाने जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी बात कर रहे हैं। हम इस बात के लिए तैयार हैं और मेरे विचार से उनको चीन के साथ सीमा के प्रश्न को हल करने के बारे में यदि बीस वर्ष तक भी इन्तजार करना पड़ता है तो इन्तजार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसे कुछ निश्चित सिद्धान्त के आधार पर हल किया जाना चाहिए। चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा किया है और यह जबरदस्ती है। चीन को उसे खाली करना होगा। हम इस बारे में बात चीत तब तक जारी रखेंगे जब तक यह क्षेत्र खाली नहीं कर दिया जायेगा इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे और मधुर हो गए हैं। दूसरे देशो के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, नेपाल, भूटान और बगला देश के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और इस बात की हमें खुशी है कि उनसे हमारे सम्बन्ध और बेहतर हो रहे हैं इस बात का श्रेय विदेश मन्त्री को है कि उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक और समझदारी से मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए बातचीत चलायी, लेकिन आखिकार इस क्षेत्र में भी दक्षिण एशिया का सहयोग है, दिल्ली सम्मेलन की चर्चा, और क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय सहयोग है ताकि दक्षिण एशिया में, जहां पर अनेक बाते हुई हैं, सहकारिता सम्बन्धों के रूप में यह एक नयी बात होगी, सचिव स्तर पर इस बारे में बातें हो गयी है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस सम्बन्ध में विदेश मन्त्रियों की बैठक में विभिन्न कार्यवाहिया की जायेंगी ताकि बराबरी और परस्पर लाभ और एक दूसरे पर निर्भर करने के आधार पर इस क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग की आधारशीला रखी जा सके। महोदय इसलिए अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, हिन्द महासागर के क्षेत्र में और एशिया में और गहरा संकट है। आर्थिक स्थिति गम्भीर है। लेकिन हम प्रसन्न हैं क्योंकि इस दिशा में उपयुक्त नेतृत्व, सही दिशा निर्देश, और व्यक्तिगत रुचि लेकर काम किया गया है। इस वर्ष स्वयं प्रधान मंत्री अमेरिका गयी थी। इस नयी चेतना सहयोग के नए वातावरण और आपसी समझ बूझ को बढ़ाने तथा यदि कहीं गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए उन्होंने सोवियत रूस, फ्रांस, मोजाम्बीक और मारीसस का दौरा किया। यही एक मात्र रास्ता है। विदेश मन्त्री प्रायः हवाई जहाज में ही रहते हैं और नए वातावरण बनाने के लिए कभी इधर जाते हैं कभी उधर। और हम हमारी स्थिति काफी अच्छी है। देश के विदेश मामलों को कठिन परिस्थितियों में स्पष्ट उद्देश्यों और हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों के आधार पर उन्हें चलाने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस मन्त्रालय के

लिए 5 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है। मेरे विचार से इस चर्चा में भाग लेने के लिए लोकदल, जनता, भा. ज. पा. और द्र. मु. क. पार्टियों ने कोई नाम नहीं दिया है। आज इस मंत्रालय पर चर्चा करने के लिए अब हमारे पास छः घन्टे का समय है। कल जब मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया जायेगा और मतदान होगा उस समय दो घन्टे का समय होगा। इसलिए चर्चा शुरू होने से पहले मैं विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को सुझाव देना चाहता हूं कि वे इस चर्चा में भाग लेने वाले अपने दलों के नेताओं के नाम दे दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरे विचार से आप इस चर्चा में भाग लेने में लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें सुबह अपने नाम देने होंगे जब दूसरे मंत्रालयों की मांग पर चर्चा शुरू की जायेगी विभिन्न पार्टियों के रहस्य सुबह भी अपना नाम दे सकते हैं।

श्री पी. के. कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम गुट निरपेक्ष सम्मेलन को सफलता पूर्वक आयोजित करवाने के परितेक्ष में विदेश मंत्रालय के लिए सहायता अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं। कल दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में हमने एक बहुत बड़ी चर्चा की है। इसलिए सदन में जिस पर एक बार चर्चा की जा चुकी है मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता हूं दिल्ली में सातवें सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन करने के लिए प्रसन्नता प्रकट करने हेतु मैं भी अन्य सदस्यों के साथ हूं। मेरे विचार से गुट निरपेक्ष आन्दोलन के इतिहास में यह एक भूविस्मरणीय घटना है, आज मानव जाति के सामने खड़े सभी नाजुक मसलों और विशेष रूप से तीसरे विश्व को प्रभावित करने वाले मामलों पर इस सम्मेलन में गतिशील निर्णय लिए गए हैं, जैसा कि कल विभिन्न सदस्यों ने उल्लेख किया था कि सातवें सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को गुट निरपेक्ष सम्मेलन की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए और इनमें और अधिक एकता स्थापित करने के लिए एक लम्बा सफर तय करना है इस बारे में मैं विशेष रूप से इस फैसले का उल्लेख करना चाहूंगा कि जिससे सम्मेलन में उस प्रमुख समस्या के बारे में लिया है जो आज सारे मानव समुदाय के सामने खड़ी हुई है और यह समस्या है-आणविक विध्वंस, जो सारी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकता है मैं सम्मेलन की आर्थिक घोषणा के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं और मैं यह कहना चाहता हूं यह आर्थिक घोषणा बहुत ठोस है बहुत विस्तृत है, जैसा कि कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा था और सारे विश्व में इसका स्वागत किया गया है। केवल उन देशों को छोड़कर जो नहीं चाहते हैं कि विकासशील देश आत्म निर्भरता के आधार पर अथवा स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ें।

जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आर्थिक आलेख के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसे सभी प्रस्ताव जो आज के समय के अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुर्नगठन के बारे में है वे अपर्याप्य हैं और शासक हैं और जब आणविक विध्वंस हो जायेगा तो सब समाप्त हो जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली के सम्मेलन में आणविक युद्ध से बचने के लिए अथवा ऐसे युद्ध की आशंका से बचने के लिए और समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए उचित कार्यवाही की गई हैं। और इससे आणविक युद्ध की आशंका

पर भी शीघ्र प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया हैं। इसने आणविक अस्त्रों के उत्पादन और उनके परीक्षण की आशंका पर भी प्रतिबन्ध लगाने का आह्वान किया है इसने निःशस्त्रीकरण पर शीघ्र वार्ता चलाने का भी आह्वान किया है। इस प्रकार की राजनैतिक घोषणा एक प्रमुख पहलू यह है। कि सम्मेलन में इन समस्याओं को बहुत अधिक प्रमुखता और महत्व दिया गया है। और इसने वर्ष 1983 को आणविक निशस्त्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष माना है। इसलिए आणविक युद्ध को बचाने के बारे में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो गम्भीरता से लिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त अन्य कई फैसले किए गए हैं जो कि मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन पर कल चर्चा हो चुकी है।

अब मैं नई दिल्ली सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ खेमों, विशेष रूप से साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा अपने गुणों के माध्यम से यह प्रयास किया गया था कि सारे सम्मेलन में अफगानिस्तान, कम्पूचिया और अन्य मामलों पर ही चर्चा हो जिससे आन्दोलन का लक्ष्य ही समाप्त हो जाय परन्तु दिल्ली सम्मेलन गुट निरपेक्ष आन्दोलन की एकता बढ़ाने में सफल रहा है, मेरी दृष्टि में नई दिल्ली सम्मेलन की यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सम्मेलन को असफल बनाने के अपने प्रयास में असफल रहने पर उन्होंने यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि अध्यक्ष का पद भारत को सौंप दिए जाने पर और श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद आगामी तीन वर्षों के लिए यह आन्दोलन पवित्र हाथों को सौंप दिया गया है। हवाना में जो गल्ती की गई थी उसे सुधारा गया है। केवल देश के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे देश के कुछ समाचार माध्यमों के द्वारा भी जो इस आन्दोलन के विरुद्ध हैं, इस प्रकार का प्रोपेगण्डा अथवा गलत प्रचार किया जा रहा है। इसके दो पहलू हैं पहला यह है कि इसके भूतपूर्व अध्यक्ष डा. फिदेल कास्त्रों पर एक यह आरोप लगाया गया है कि वह आन्दोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, हर व्यक्ति इस बात को जानता है यहां तक कि दिल्ली में एकत्र हुए राज्यों और सरकारों के प्रमुखों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति डा. फिदेल कास्त्रों की महत्वपूर्ण सेवाओं को स्वीकार किया है। और हमारे प्रधान मंत्री ने भी उनके बेहतरीन नेतृत्व की भूरि भूरि प्रशंसा की थी जो भी हुआ है वह यह है कि अपनी सैद्धान्तिक विचार धारा और समाजवादी गुट के साथ अंतरंगता होने के बावजूद उन्होंने आन्दोलन में एकता बनाए और आन्दोलन को सबकी राय के अनुसार चलाने और आपसी समझ बूझ के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए।

इस प्रकार के प्रचार का एक पहलू यह भी है कि नई दिल्ली सम्मेलन के निर्णय हवाना के निर्णयों की पुनावृत्ति है जैसा कि हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने कल ही कहा था और जिन लोगों ने इस आन्दोलन के इतिहास का शुरू से विशेष रूप से हवाना सम्मेलन के बाद से नई दिल्ली के सम्मेलन तक अनुकरण किया है और नई दिल्ली में किए गए फैसलों को देखा है वे यह महसूस करेंगे कि वास्तव में हवाना सम्मेलन में किए गए फैसलों की अपेक्षा नई दिल्ली में किए

गए फैसले अनेक मामलों में बहुत अधिक प्रगतिशील हैं नई दिल्ली के सम्मेलन में विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं के बारे में सही रुख अपनाया है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने इससे पहले अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए ठोस प्रस्तावों के साथ ऐसा विस्तृत आलेख इससे पूर्व कभी स्वीकार नहीं किया था।

इस सातवें सम्मेलन की सफलता से दिल्ली में आयोजन करने के बाद और अगले तीन वर्षों के लिए इस आन्दोलन की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत पर इस सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने का भारी बोझ पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि नई दिल्ली सम्मेलन के निर्णयों का कार्यान्वयन विशेषकर इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अध्याधिक कठिन होगा कि अमरीकी साम्राज्यवादी जान बूझ कर यह प्रयास कर रहे हैं कि निर्णय कार्यान्वित न हों। इस समय क्या हो रहा है ? संयुक्त राज्य तथा सोवियत यूनियन के बीच जनेवा में निरस्त्रीकरण वार्ता चल रही है। साथ ही संयुक्त राज्य पश्चिम यूरोप में विनाशकारी तथा अन्य किस्म की परमाणु मिसाइलें लगाने का आग्रह कर रहा है जो निश्चित रूप से जनेवा वार्ता में किसी प्रकार के समझौते की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सोवियत संघ ने पहले ही चेतावनी दी है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम यूरोप में प्रक्षेपास्त्र लगाने का आग्रह करेगा तो वे सोवियत संघ तथा वारसा समझौते के राज्यों के हितों की रक्षा के लिए जवाबी उपाय करने के लिए बाधित होंगे।

उदाहरणार्थ, हिन्द महासागर संबंधी स्थिति को ही लीजिए। शिखर सम्मेलन ने यह मांग की थी कि दियागो गार्शिया को मारीशिश को लौटाया जाए। हर व्यक्ति जानता है कि अमरीका प्रारम्भ से ही हिन्द महासागर संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, अर्थात हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने संबंधी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के भारत तथा अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के प्रयासों को असफल बनाता आ रहा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिन्द महासागर संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संयुक्त राज्य ने दियागो गार्शिया को उस क्षेत्र के सबसे बड़े सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए अधिक विस्तृत कार्यक्रम शुरू कर दिया था। हिन्द मसासागर के देश को रिहा करने के बारे में सर्वप्रथम सोवियत और अमरीका के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता को एक पक्षीय रोक दिया गया, अर्थात अमरीका सोवियत संघ के साथ चल रही इस वार्ता में एक तरफा निर्णय लेकर पीछे हट गया। हिन्द महासागर सबंधी सम्मेलन कुछ समय पहले कोलम्बो में होना था लेकिन अमरीका ने इस सम्मेलन में भाग लेने की कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके विपरीत, इसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह भाग नहीं लेगा। अब नई दिल्ली सम्मेलन के समय भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि दियागो गार्शिया में आगे और विकास कार्य चल रहे हैं तथा सैनिक हवाई अड्डे के रन-वे को चौड़ा किया जा रहा है ताकि डी-52 बम वर्षक, जो परमाणु बम ले जाते हैं, उड़ान भर सकेंगे। अतः इसे न केवल सैनिक और नौ सैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है बल्कि परमाणु अड्डे के रूप में भी विकसित किया जा रहा है और संभवतया यह सेनाओं की त्वरित तैनाती का एक मुख्य केन्द्र होगा जिसका संयुक्त राज्य अमरीका विकास कर रहा है। कल किसी माननीय सदस्य ने यहां यह उल्लेख किया था कि दो लाख से भी अधिक अमरीकी सैनिक भरती किए जा चुके हैं और

इस त्वरित तैनाती के लिए तैयार रखे गए हैं। कल माननीय मंत्री दियागो गार्शिया को हिन्द महासागर से अलग करने के बारे में प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती द्वारा की गई आलोचना का उत्तर देते हुए हमें बता रहे थे कि वह कार्यवाही श्री लंका, जिसने कोलम्बो में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करनी है, कि इच्छा के अनुरूप किया गया है। उन्हें यह भय है कि सैनिक अड्डे के मामले को हिन्द महासागर सम्मेलन के साथ इस तरह जोड़ने से संयुक्त राज्य अमरीका विरोधी बन जाएगा और उसे सम्मेलन में भाग लेने का यह एक बहाना हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडियन, आप कुछ मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री पी. के कोडियन : मैं यह कहूंगा कि संयुक्त राज्य अमरीका कोलम्बो सम्मेलन में भाग नहीं लेगा यदि वे कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो उन्हें, भारत सहित, भाग लेने वाले विभिन्न देशों द्वारा की जाने वाली इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा कि हिन्द महासागर क्षेत्र को सेना रहित बनाया जाए, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे दियागो गार्शिया ही मुख्यत अड्डा है जिसे वे इस क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए विकसित कर रहे हैं। अत: नई दिल्ली सम्मेलन के निर्णयों का कार्यान्वयन अत्यधिक कठिन कार्य है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि पीछे हट जाएं, हम झिझक जाएं, नहीं। जिस एकमात्र प्रश्न पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र में बदलने के सभी प्रयासों को असफल बनाने के संयुक्त राज्य अमरीका, साम्राज्यवादियों जिद्दी रवैये को देखते हुए हमें जनमत तैयार करने के लिए, इस मसले विशेष पर अमरीका पर दबाव डालने के लिए गुट निरपेक्ष तथा पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त करने हेतु हमें अधिक सक्रिय होना होगा। यदि संयुक्त राज्य उस सम्मेलन में भाग नहीं लेता है तो भी अन्य गुट-निरपेक्ष देशों को चाहिए कि वे इस सम्मेलन के लिए कार्य करें तथ संयुक्त राज्य अमरीका चाहे जो भी करे, यह सम्मेलन होना चाहिए।

यहां मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अल्प अवधि के भीतर ही भारत एक और सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, और वह है राष्ट्रमंडल सम्मेलन नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सातवां शिखर सम्मेलन आयोजित कर लेने के बाद हमसे यह आशा की गई है कि हम राष्ट्रमंडल संम्मेलन का आयोजन करें। किसके सहयोग से ? श्रीमती मारगरेट थचर के सहयोग से··· ।

श्री एम सत्यनारायण राव : यह शांतिपूर्वक सह अस्तित्व है।

श्री पी. के. कोडियन : और फिर हम नई दिल्ली सम्मेलन में सिंगापुर के प्रतिनिधि के कार्य निष्पादन को जानते हैं। श्री लंका तथा मलेशिया उपस्थित होंगे। श्री राजारत्नम और उनके साथी *उपस्थित होंगे। श्रीमती मारगरेट थेचर, नई दिल्ली सम्मेलन में लिए गए अधिकांश निर्णयों के विरुद्ध है, चाहे वह राजनैतिक घोषणा हो अथवा आर्थिक मामलों संबंधी कोई घोषणा हो।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) महोदय, क्या उनके लिए किसी विदेश के प्रतिनिधि के बारे में बोलना उचित है *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री पी. के कोडियन : मैं श्री राजारत्नम के बारे में बोल रहा था वह राजाध्यक्ष नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वह मंत्री है।

श्री पी. के कोडियन : मैंने उनके बारे में नहीं कहा है मैंने कहा *

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा है कि मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री पी. के कोडियन : राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत क्या भूमिका निभाएगा ? नई दिल्ली सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष देशों की एक अच्छी सर्वसम्मति प्राप्त कर लेने, विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली अति महत्वपूर्ण समस्याओं, जो समूचे रूप में मानव जाति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं पर मतैक्य प्राप्त कर लेने के बाद, अब राष्ट्र मंडल सम्मेलन में क्या मतैक्य होगा ? यह वही श्रीमती मारगरेट थेचर हैं जिन्होंने अर्जनटाइना के विरूद्ध फाकलेंड के लिए एक उपनिवेशावादी युद्ध, आक्रमक युद्ध छेड़ा। अतः मैं इस मामले को विशेष रूप से उठाना चाहता हूं।

महोदय, अनेक लैटिन अमरीकी देशों ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया है और वे हमारे साथ चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस राष्ट्रमंडल सम्मेलनों में हम किस बात पर सर्वसम्मत होंगे। किस प्रयोजन से इसका आयोजन किया जा रहा है ? और मुझे समझ नहीं आता कि किस प्रयोजन के लिए हम इस सम्मेलन में उपस्थित हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह एक तमाशा है।

श्री पी. के. कोडियन : आप राष्ट्रमंडल में क्या करेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री एम: सत्यनारायण राव (करीम नगर) : यदि कोई सम्पत्ति न हो, तो उसे 'सांझा सम्पत्ति' कहते हैं।

श्री पी. के. कोडियन : जो भी सम्पत्ति है, विकसित देशों के मारगरेट थेचर तथा अन्य नेता उसे विकासशील देशों के अन्य सदस्यों में बांटने को तैयार नहीं। इसलिए कृपया हमें बताएं कि इस सम्मेलन का क्याप्रयोजन है। क्या यह समय नहीं कि हम इस निरर्थक गठबन्धन, निरर्थक किस्म के राष्ट्रमंडल का साथ छोड़ दें ? (**व्यवधान**) मैं समझता हूं कि इसे छोड़ देने का यह उचित समय है।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : पाकिस्तान किसी अन्य के साथ मिलने का प्रयास कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री पी. के. कोडियन : मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त कर रहा हूं। केवल दो मुद्दे और हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितने मिनट और चाहते हैं ?

श्री पी. के. कोडियन : केवल पांच मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। (**व्यवधान**)

(श्री आर. एस. स्पैरो पीठासीन हुए)

श्री पी. के. कोडियन : हमारी प्रधान मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में उस अशुभ दिन जब कई वर्ष पहले रंगभेद पर चलने वाले शासन ने 66 अश्वेत अमरीकी स्वतन्त्रता सेनानियों को गोली से उड़ा दिया था, के संबंध में रंगभेद सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति को पहले ही एक संदेश भेज दिया है। अब वह दिन प्रत्येक वर्ष रंगभेद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने एक संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रभावी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का आह्वान किया था। दक्षिण अफ्रीका जो इस आधुनिक युग में बर्बर जैसा व्यवहार कर रहा है, के रंगभेद पर चलने वाले शासन के विरुद्ध प्रधान मन्त्री के इस संदेश पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस रंगभेद पर चलने वाले सासन अलग-अलग कर दिया जाए, इसका पर्दाफाश किया जाए और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाए जाएं, क्या कार्यवाही करने का विचार है ? और संयुक्त राष्ट्र से बाहर के अन्य देशों, जिनके अभी भी दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं—कतिपय विकासशील देशों के भी उनके साथ कुछ सम्बन्ध हैं—को राजी करने के लिए हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि ऐसे राजनयिक सम्बन्ध पूर्णतया समाप्त हो जाएं।

अन्त में, मैं एक ऐसी समस्या को उठाना चाहता हूं जिससे मेरे अपने लोग प्रभावित हैं। माननीय राज्य मन्त्री इस समस्या के बारे में पूर्णतया जानते होंगे—यह समस्या केरल के उन प्रवासी कामगारों की है जिन्हें खाड़ी के देशों से वापस भेजा जा रहा है। अबू धाबी से हमें सूचना मिली है कि केरल के अनेक लोगों को इस आधार पर वापस भेजा गया है कि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। निश्चय ही, हम उनके वापस भेजे जाने की आलोचना नहीं कर सकते। जो प्रश्न मैं यहां उठाना चाहता हूं वह यह है कि उन्हें समुद्र के रास्ते लांचों में भेजा गया है जो कि अति खतरनाक है। 1973 में एक दल को इन लांचों में वापस भेजा गया था। वे समुद्र में डूब गए थे। अतः जब भी खाड़ी के देशों की सरकार द्वारा ऐसे भारतीयों को वापस भेजना हो तो उन्हें विमान अथवा पोत द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि इस पर होने वाले खर्च के कारण यदि वे ऐसा कोई आश्वासन नहीं देते तो उन देशों में मलयाली प्रवासियों के स्वैच्छिक संगठन हैं जो इन लोगों को सुरक्षा से घर लौटाने के लिए वित्तीय सहायता देंगे। सरकार को ऐसी सहायता का उपयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। जैसा भी हो, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी भारतीय को लांचों द्वारा वापस न भेजा न जाए। अत माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न की ओर विशेष ध्यान देकर इसकी जांच करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) :—हमने कल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सम्मेलन, इसकी घोषणाओं तथा उपलब्धियों के बारे में श्री कमलनाथ तथा अन्य मित्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर लगभग $5\frac{1}{2}$ घंटे चर्चा की। मुझे कल अवसर नहीं मिल सका। इसीलिए, मैं अपनी सरकार, विशेषकर प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री को इस महान सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

इस सम्मेलन के आयोजन से पूर्व, पश्चिम के देशों को इसकी सफलता के बारे में गलत फहमियां थीं। उन्हें आशा थी कि यह सम्मेलन अपने अन्दरूनी दोषों के कारण, विभिन्न विचार धाराओं के कारण तथा भाग ले रहे देशों की विभिन्न शासन प्रणालियों के कारण असफल रहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद, अन्ततः यह सम्मेलन अधिक सफल रहा। न केवल इसका आयोजन सफल रहा बल्कि अच्छी चर्चाएं हुईं और इसने ऐसी अनेक घोषणाएं पारित कीं जो न केवल विकासशील देशों के लिए बल्कि समूची मानव जाति के लिए अति उपयोगी है। इसके बारे में कोई आशंका नहीं है।

जहां तक हमारी विदेश नीति का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इस पर हमारे देश में कोई मतभेद है। श्री जेठमलानी यह कह सकते हैं कि इसमें वास्तविक गुट-निरपेक्षता नहीं है। उनका हमारी नीति के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। लेकिन जहां तक मोटी नीतियों का सम्बन्ध है, उन पर कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में, यह नीति हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले ही तैयार कर ली गई थी। यदि आप महान व्यक्तियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेखों और भाषणों को स्मरण करें तो वे भी यह कहते थे कि "जब हम स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे तो हमारी विदेश नीति क्या होगी और विश्व शान्ति स्थापित करने में क्या योगदान होगा क्योंकि शान्ति के बिना कोई विकास नहीं हो सकता, और शान्ति के बिना विशेष कर विकासशील देशों के लिए कोई प्रगति कर पाना संभव नहीं होगा। यह फिलास्फी है जिसे उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति से भी पहले व्यक्त कर दिया था। मैं उन्हें केवल उद्धृत करना चाहता हूं :

> "1946 में सरकार की बागडोर संभालने के समय, अर्थात् स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले ही, वेशक अनोपचारिक रूप से यह घोषणा की गई, जवाहरलाल नेहरू ने शक्ति गुटों, अथवा एक दूसरे के विरुद्ध बने गुटों से अलग रहने के भारत के संकल्प की घोषणा की थी, क्योंकि विगत में इसी गुटबन्दी के कारण दो विश्व युद्ध हुए और आगे भी इससे भी बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है।"

बाद में, उन्होंने स्पष्ट किया था :

> "यदि विदेश सम्बन्ध आपके हाथों से निकल जाते हैं और किसी अन्य के हाथ में चले जाते हैं तो उस सीमा तक और उस हद तक आप स्वतन्त्र नहीं हैं। अतः हमारी नीति न केवल गुटबन्दी से अलग रहने की रहेगी। बल्कि मैत्रीपूर्वक सहयोग

संभव बनाने की भी रहेगी। हम समूचे विश्व से मैत्री के आधार पर सम्पर्क रखें।"

यह बात उन्होंने कही है और मुझे खुशी है कि हम उस नीति को जारी रखेंगे जो हमारे तथा विश्व के महान नेता ने हमें दी है। वास्तव में हमें अत्यन्त खुशी है कि हमारी प्रधान मंत्री ने दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में अपने भाषण में बताया था कि गुट-निरपेक्षता की क्या परिभाषा है।

"गुट-निरपेक्षता राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा आजादी है। इसका अर्थ है टकराव से बचना और शान्ति बनाए रखना। इसका लक्ष्य सैनिक गुटों से अलग रहना है। इसका अर्थ है राष्ट्रों में समानता तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों—आर्थिक और राजनैतिक को लोकतान्त्रिक बनाना। यह आपसी लाभ के आधार पर विकास के लिए विश्व सहयोग चाहता है। यह विश्व विविधता को स्वीकार करने तथा उसे बनाए रखने की कार्यनीति है।"

यही वह चीज है जिस पर हम चल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि समूची सभा इस नीति से सहमत है। कल जब हमने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन और इसकी चर्चाओं तथा घोषणाओं सम्बन्धी इस प्रस्ताव पर चर्चा की तो लगभग प्रत्येक सदस्य इस नीति से सहमत था। वास्तव में यह बहुत खुशी की बात है कि हमने यहां एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्याध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों को इस सम्मेलन में भाग लेने तथा इस घोषणा में अपना योगदान देने के लिए आभार प्रकट किया गया है।

अब न केवल हमारे देश, बल्कि समूची मानवजाति के सामने युद्ध और शान्ति का एक महान प्रश्न खड़ा है। हम जानते हैं कि राज्यों में तनाव को समाप्त करने के एक दशक के प्रयत्नों के बाद अब हम टकराव के दशक में प्रवेश कर गए हैं और यह वास्तव में विश्व में एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन है। अब बड़ी शक्तियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे शस्त्रों का भण्डार कर रही हैं। मैं दोनों बड़ी शक्तियों की आपस में तुलना नहीं करता। लेकिन वह सच्चाई है कि दोनों ही गुट इस प्रकार के परमाणु शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : यह आत्म रक्षा के लिए है।

श्री एम. सत्यनारायण राव : जो कुछ भी हो चाहे यह आक्रमण के लिए है अथवा आत्म रक्षा के लिए, जब आपके पास कोई शस्त्र है, तो आप किसी को मारेंगे भी। यह बिस्तर में सांप के साथ सोने जैसी ही बात है। आप कहते हैं कि इस सांप को अपनी रक्षा के लिए तथा दूसरे सांप पर हमला करने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन यह सांप आप पर हमला करेगा और आपको सोते हुए ही समाप्त कर देगा। मैं इस प्रकार के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता कि अपनी रक्षा के लिए इस प्रकार के परमाणु शस्त्र रखे जाएं। यह न केवल अन्य देशों का नाश करता है बल्कि इससे शस्त्रधारी देश के नाश होने की भी संभावना है। इसीलिए यह निहायत

खतरनाक स्थिति है। यह वास्तव में ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो गुटों के बीच होड़ चल रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रयोजन के लिए यहां उपस्थित हुए लगभग 101 देशों ने अपनी चर्चा में इसे बड़ी गम्भीरता से लिया है तथा दोनों बड़ी शक्तियों से अपील की है कि वे परमाणु शस्त्रों और अस्त्रों का भण्डार न करें।

इससे, अन्ततः न केवल यूरोप के देशों तथा अन्य पश्चिमी देशों को ही नुकसान होगा, अपितु, सम्पूर्ण सभ्यता प्रभावित होगी। न ही कोई विजित बचेगा, न ही कोई विजेता।

वस्तुतः इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने यथा सम्भव कोशिश की है कि परमाणु हथियारों का जखीरा जमा करने के खतरे से उन्हें अवगत करा दिया जाए। इसीलिए मैं इसे एक बड़ी सफलता मानता हूं। वे इससे सहमत होते हैं अथवा नहीं, यह सोचना उन देशों के लोगों का काम है।

पिछले वर्ष जब मैं यूरोप में था मैंने जर्मनी, लन्दन, पैरिस तथा एम्सटर्डम में भारी प्रदर्शन देखे थे, इन प्रदर्शनों में हजारों लोग भाग ले रहे थे। यहां आप बिना कठिनाई के हजारों लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यूरोप के देशों में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन वहां हजारों लोग अपनी-अपनी सरकारों के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके प्रदर्शन मिसाईलों, तथा कथित परसियन मिसाइलों के विरोध में था, क्योंकि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध का कड़ुआ अनुभव था, वे इस बात से डरे हुए थे कि इन सबसे उनके देशों का कितना विनाश हो जाएगा।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, ऐसे हथियार मौजूद नहीं थे। लेकिन अब न केवल एटम बम, बल्कि हाइड्रोजन बम और न्यूट्रोजन बमों का भी निर्माण हो चुका है। अब तो हर प्रकार के हथियार मौजूद हैं, वे यह जानते हैं और महसूस करते हैं कि एक दिन ये सब हथियार ही, जिनका वे उत्पादन कर रहें है, उनका खत्मा कर देगे। मुझे अत्यधिक खुशी है कि उन्होंने अपनी सरकारों प्रधान मन्त्रियों, राष्ट्रपतियों के कदमों का विरोध किया है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। किसी ने यह सिद्धान्तः प्रतिपादित किया है कि सीमित आणविक युद्ध की ही सम्भावना हो सकती है···

श्री चित्त बसु : यह एक भूल है,

श्री एम. सत्यनारायण राव : यह भ्रम है, वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहीं है। एक राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, एक महाशक्ति के प्रमुख व्यक्ति ने यह प्रतिपादित किया है कि सीमित आणविक युद्ध की ही सम्भावना हो सकती है। एक बार आणविक युद्ध शुरू होने की देर है, फिर इसका कोई अन्त नहीं है।

आजकल किसी को हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है। मिसाइल प्रणाली का विकास कर लिया गया है। उन मिसाइलों से वे वाशिंगटन या न्यूयार्क या मास्को, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। इन देशों द्वारा ऐसे हथियार बना लिए गए हैं, जिससे पूरी मानव जाति

के ही नष्ट हो जाने की संभावना है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम न केवल घोषणाएं करें, अपितु, उनका अनुपालन भी करें। केवल घोषणाओं से सहमति ही पर्याप्त नहीं है। कल माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य कई दोस्त इस मुद्दे पर बल दे रहे थे, जो एक बहुत महत्व पूर्ण बात है कि हम अपने देश में दुनिया के इस सम्भावित खतरे के विरुद्ध जनमत तैयार करें।

मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि इस प्रयोजन के लिए लोग तैयार हो जायेंगे तथा वे शान्ति पसन्द करते हैं। हमें शान्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। न केवल हम बल्कि सभी विकासशील देशों को शान्ति की जरूरत है। आखिरकार हम सभी एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है; निरक्षरता की समयस्या है और स्वस्थ्य की समस्या है। इसलिए इन सब समस्याओं के उन्मूलन के लिए हमें आर्थिक दृष्टि से दृढ़ होना है। हमें 35 साल पहले आजादी मिली थी। लेकिन अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों को हाल में आजादी मिली है। वे अपने-अपने देशों के निर्माण में बहुत व्यस्त हैं। उन्हें आर्थिक सहायता भी चाहिए। उन्हें आर्थिक सहायता देने की बजाय, ये तथाकथित महाशक्तियां विशेष रूप से पश्चिमी देश आणविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। ये हथियार आखिरकार सबको समाप्त कर देंगे। ये किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाएंगे।

मैं एक और उस समस्या के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका आज पूरे विश्व का सामना करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ईरान और इराक का युद्ध लगातार चल रहा है। हमारे भरसक प्रयासों तथा सभी गुट निरपेक्ष देशों की कोशिशों के बावजूद हम इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं। इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी, जब उन देशों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे, लगभग सभी सरकारों के प्रमुखों ने उन्हें इस युद्ध के नुकसान से अगाह किया और इसे समाप्त करने के लिए अनुरोध किया। उन्हें बताया गया यह युद्ध न केवल उनके देशों को आर्थिक दृष्टि से खत्म कर देगा, बल्कि इससे और भी बहुत नुकसान होंगें। लेकिन हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, हम उन्हें इस बात के लिए नहीं मना सके कि यह युद्ध निरर्थक हैं और अन्ततः उनकी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी। यह एक वास्तविक खतरा है। मैं जानता हूं कि कुछ देश इसके पीछे हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह युद्ध वे कर रहे हैं। यह युद्ध कुछ शक्तियों के इशारे पर लड़ा जा रहा है। इस युद्ध को भड़काने में कुछ शक्तियों का हाथ है और वे इन देशों को नष्ट कर देना चाहती हैं। उनकी हमेशा यही नीति रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ रखा है। ऐसा ही अधिकांशतः, होता रहता है। ये बड़ी शक्यिां हमेशा इन देशों को आपस में भिड़ने के लिए उकसाती रहती हैं और यह सब कुछ हमारे देश के साथ भी घटित होता है। पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या उलझी हुई है। क्या हो रहा है ? पाकिस्तान में, हांलाकि वहां के लोग इस समस्या को हल करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, उस देश के साथ हमारी जो भी समस्या हो, चाहे वह कश्मीर की समस्या हो अथवा अन्य कोई समस्या हो, लेकिन इन महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण, उनके उकसाने के कारण पाकिस्तान सरकार इस समस्या को हल करने के लिए आगे नहीं आ रही है।

मुझे बहुत खुशी है कि चाहे समस्या का हल नहीं निकल रहा हो। फिर भी वहां सौहार्द-पूर्ण वातावरण बना हुआ हैं।

लेकिन इन सब बातों के बावजूद हमें यह चिन्ता है कि वह महाशक्ति, अमेरिका, जो पाकिस्तान को सैनिक सहायता और आधुनिक हथियार दे रहा है और जो हमारे देश की घेराबन्दी करना चाहता है, उसके खतरे से निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है तथा इसके लिए हम विवश भी हैं। इस तरीके के वे हमारी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार ये देश ताकतवर बन गए, तो उसके लिए अत्याधिक कठिनाई की बात हो जायेगी। हम उनपर आश्रित नहीं रहेंगे। वे नहीं चाहते कि हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों। इसलिए हमें कमजोर करने के लिए वे हमारे पड़ोसी, विशेष रूप से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विदेश मन्त्री यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

जहां तक अफगानिस्तान समस्या का सम्बन्ध है, यह समस्या भी तथाकथित साम्राज्यवादियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। वर्ष 1980 में, जब हम सत्ता में आए, अफगानिस्तान की यह समस्या तब मौजूद थी। उस समय जनता पार्टी का शासन था। उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन वर्ष 1980 में जब हम सत्ता आए, तो यह समस्या फौरन उठ खड़ी हुई और वास्तव में हमारी सरकार को इस सबसे बड़ी समस्या का मुकाबला करना पड़ा। इन सब बातों के बावजूद हम शान्त रहे और हमने ऐसी नीति अपनाई, जो अन्त में बहुत सही सिद्ध हुई। अब इसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि केवल शक्तिपूर्ण तरीकों से, केवल बातचीत के जरिए, यह···

प्रो. मधुदण्डवते (राजापुर) : जब हम सत्ता में थे, रुसियों की अफगानिस्तान में घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी।

श्री एम. सत्यनारायण राव : यह उसी समय हुआ था। जब हम सत्ता में आए, उस समय तक ऐसा हो चुका था।

प्रो. मधुदण्डवते : उस समय तक यह हो चुका था। उसके बाद श्री चरण सिंह जी सत्ता में आए थे।

श्री एम. सत्यनारायण राव : श्री उन्नीकृष्णन श्री चरण सिंह के साथ थे आप यह दावा कर सकते हैं कि आप उस समय सत्ता में नहीं थे। लेकिन श्री उन्नीकृष्णन तो थे। ये लोग उस मिली-जुली सरकार में शामिल थे।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (बदागरा) : मेरे पर हमला क्यों किया जा रहा है।

श्री एम. सत्यनारायण राव : यह बात मात्र जानकारी के लिए कही गई है। मैं उसके लिए आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं यह समस्या मौजूद है। लेकिन अन्ततः हमारे रुख की अमेरिका द्वारा प्रशंसा की गई है। अमेरिका इस बात से बहुत परेशान था कि हम एक महाशक्ति के विरुद्ध दूसरी महाशक्ति का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं है। हमने सदैव सभी मामलों को विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांचा है। यह इस महाशक्ति से सम्बन्धित है अथवा इस महाशक्ति से, इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। शुरू में जब हमने गुट निरपेक्षता की

यह नीति तय की तो सभी महाशक्तियों ने इसके बारे में शक्तियां फैलाईं। यह काम केवल अमेरिकन ब्लाक ने नहीं, बल्कि सोवियत-ब्लाक ने भी किया। शुरू में कुछ शक्तियां थीं। लेकिन शीघ्र ही, बाद में इस बात की प्रशंसा हुई कि यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अच्छा है, उसका दर्शन बहुत अच्छा है तथा हमें इसका समर्थन करना है। वे अब इसका समर्थन कर रहे हैं और लगातार समर्थन करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में वे हमारी आर्थिक सहायता कर रहे हैं, और जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं, सैनिक साजो-सामान से भी वे हमारी सहायता करते हैं। हम सोवियत संघ द्वारा दी गई उस सहायता को नहीं भूल सकते, जो उसने हमें संकट के समय दी थी। चाहे काश्मीर की समस्या थी अथवा बंगलादेश की, उसने सदैव हमारा साथ दिया। जब भी हम कठिनाई में हुए, वह देश हमारी सहायता के लिए आगे आया और उस देश के आभारी हैं, उसने हमें सैनिक तथा आर्थिक, दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की। हमें यह सहायता मिली।

अब दूसरी समस्या चीन है। हम चीन के साथ इस समस्या पर बात कर रहे हैं। हमारे ही देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रश्न उठाया था। हमने सदैव यह कहा कि मुख्य भूमि की सुरक्षा परिषद में उचित स्थान दिया जाना चाहिए न कि फारमोस को। कुछ देश हमारी इस नीति के कारण हमारी निन्दा करते थे। परन्तु अब वे भी हमारे गहरे दोस्त बन गए हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। जब हम विद्यार्थी थे, हम "वाइस आफ कन्डेमनेशन अगेनस्ट अवर प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहर लाल नेहरू" आदि बाते पढ़ा करते थे। परन्तु हमने लगातार समर्थन किया और उस देश द्वारा हम पर किए गए हमले के बावजूद हम चीन का मामला निरन्तर उठाते रहे। यह हमारी नीति सदैव कतिपय सिद्धान्तों पर आधारित है और किसी भी स्थिति में यह नहीं बदली है।

अब मैं पश्चिम एशिया समस्या पर आता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा देश और सरकार फिलीस्तीनी लोगों और उनके अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। हमने न केवल इजराइल द्वारा फिलीस्तीनी लोगों पर किए गए हमले की निंदा की है बल्कि अन्य अरब देशों, विशेष कर लेबनान, असहाय फिलीस्तीनियों और लेबनानियों पर उनके अत्याचारों की भी निन्दा की है। सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इतने संकल्प पारित करने के बाबजूद यह हमला रोकने को तैयार नहीं हैं और यह उन स्थानों की भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं जिन पर उसने अवैध रूप से कब्जा किया है। मैं अपने विदेश मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। मुझे नहीं मालूम वे क्या कदम उठाएंगे। केवल संकल्प पारित करने, इजराइल की निन्दा करने और इजराइल को हमला रोकने के लिए कहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे विचार से कुछ और आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या कदम उठाए जाएं, यह वह ही जानते हैं, और मेरे विचार से अन्य देशों से परामर्श करके वे कदम शीघ्र उठाए जाने चाहिए। केवल उसी तरह हम उनकी सहायता कर सकते हैं और केवल नारे देकर नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा

हिन्द महासागर के विषय में, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे शान्ति क्षेत्र बनाए रखने के लिए संकल्प पारित किए हैं, इन सभी संकल्पों के बावजूद वहां पर अब भी बड़ी महाशक्तियों के बीच स्पर्धा चल रही है और वे हिन्द महासागर में, दियागो गार्शिया में अड्डे स्थापित कर

रहे हैं । (**व्यवधान**) सोवियत संघ का कोई अड्डा नहीं है, परन्तु अमरीकी आक्रमण को रोकने के लिए इसके नौसैनिक पोत वहां पर हैं। एक या दूसरे बहाने से दोनों महा शक्तियां··· (**व्यवधान**) जब आप इसे शांति क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो यह एकपक्षीय नहीं हो सकता है, यह दोतरफा कार्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सोवियत संघ वहां पर आणविक पोत न रखने के लिए तैयार है बशर्ते अमरीका भी ऐसा करे। वहां पर स्थिति ऐसी है, परन्तु वे इन्हें नहीं हटायेंगे। यही परेशानी है। और वे कहते हैं, जब सोवियत पोत वहां पर हैं, तो फिर हम अपने पोत हिन्द महासागर से क्यों हटाएं। और ऐसा ही चलता रहता है। अन्ततोगत्वा हमें परेशानी होती है, समुद्री तटवर्ती देशों को परेशानी होती है। उन्हें खतरनाक स्थिति से अवगत कराना बहुत आवश्यक है जिसमें हमें डाल दिया गया है। मुझे आशा है कि आगामी सम्मेलनों में, संयुक्त राष्ट्र सघ और अन्य सम्मेलन, केवल संकल्प ही पारित नहीं किए जाएंगे अपितु हिन्द महासागर से महाशक्तियों को निकालने को सुनिश्चित कराने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जाएंगे।

अब मैं एक ऐसे विषय पर आता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कल और आज भी आपने रेडियो पर सुना होगा कि सोवियय संघ ने अमरीका को धमकी दी है कि वे भी अमरीका पर मिसाइल तैनात करेंगे क्योंकि अमरीका यूरोप पर मिसाइल तैनात कर रहा है। इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और यदि ऐसा ही होता रहा, तो मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या हो जाए।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पंरो) : कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री एम० सत्यनारायणन राव : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे सामने मानवता के बचे रहने अथवा मानवता के विनाश का प्रश्न है। यह सुनिश्चत करना बहुत आवश्यक है कि कम से कम दोनों महाशक्तियां मिसाइल तैनात करने और आणविक बम आदि तैयार करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता न करें। अन्ततोगत्वा ये चीजें पूरे विश्व को बरबाद करेंगी। इसे रोकने में भारत को एक बड़ी भूमिका निभानी है। आपको याद होगा जब जवाहर लाल नेहरू जीवित थे, तो क्या हुआ था। सातवें दशक में इस प्रकार की स्थिति थी और सभी को डर था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा था कि तीसरा विश्वयुद्ध अवश्यकम्भावी है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारी प्रधान मंत्री निर्गुट आन्दोलन की अध्यक्षा हैं।

मैं यह नहीं कहता कि हमने यह दावा कभी नहीं किया कि हम नेता हैं। उन्होंने कहा था कि हम किसी नेतागिरी का दावा कर रहे हैं, परन्तु उन्हें इस निर्गुट आन्दोलन के अध्यक्ष की भारी जिम्मेवारी मिल गई। इसीलिए यह सुनिश्चित करना भी भारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की स्थिति को बदला जाए; अन्यथा सम्पूर्ण विनाश होगा।

एक मिनट और, मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज भी स्वर्ग से यह देख रहे होंगे कि इस विश्व में क्या हो रहा है। महोदय, यदि पंडित जी जीवित होते, तो वे बहुत प्रसन्न होते। उन्होंने ही केवल

पांच अन्य सदस्यों—स्वयं, नासिर, एन० क्रूमा, सुकर्णो और टीटो के साथ मिलकर निर्गुट आन्दोलन आरम्भ किया था और उनके जीवन काल में ही सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 25 तक हो गई थी। परन्तु उनकी अपनी पुत्री के शासनकाल में यह सदस्य संख्या पूरी सौ हो गई। इस पर वे बहुत प्रसन्न होते यहां तक कि और ज्यादा प्रसन्न होते क्योंकि इसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली से संदेश दिया गया। इस संदेश के माध्यम से, मेरा विचार है, विश्व आणविक विनाश से बच जाएगा।

धन्यवाद, महोदय।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरा विचार है कि हर कोई हमसे सहमत होगा कि किसी देश की विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक निश्चित समयावधि में स्थिति का मूल्यांकन करके बनाए जाने चाहिए। जब तक हम अपने आस-पास मौजूद वास्तविकताओं पर विचार नहीं करते, विदेश सम्बन्ध नीति का निर्माण और स्वरूप प्रभावी और उपयोगी नहीं बन सकता है। इसीलिए, जब हम विदेश मंत्रालय पर विचार करने जा रहे हैं, तो इस विशिष्ट समय पर हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विश्व में सब तरफ देखें और स्थिति का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें।

हर बात हमें स्पष्ट है और यह सर्वविदित ही है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और बिगड़ गई है और यह शस्त्रों की होड़ बढ़ने, नए-नए क्षेत्रों में तनाव पैदा होने और इस विश्व में युद्ध छेड़ने के लिए युद्ध लोलुपों के नित नए प्रयासों के कारण पैदा हुई है। आज यह युद्ध जैसी स्थिति हम देख रहे हैं परम्परागत नहीं है जैसी हमने पहले देखी थी। यह ताप परमाणु युद्ध होगा जिसका अर्थ है समूची मानव जाति का विनाश चाहे उसका आकार, जनसंख्या सैनिक शक्ति कितनी ही क्यों न हो। खतरा मानवता और उसकी सभ्यता के विनाश का है।

युद्ध के खतरे की इतनी वास्तविक सम्भावना पहले कभी नहीं थी जितनी आज है। परमाणु युद्ध की ऐसी सन्निकटता और वास्तविकता की संभावना कभी नहीं थी जैसा कि आज हम देखते हैं। इस समय ऐसी स्थिति है जिसमें हमें अन्य देशों से अपने सम्बन्धों की नीति तैयार करनी है।

आप यह भी जानते होंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका और उसके साम्राज्यवादी मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध छेड़ने का निरन्तर प्रयास किया गया है। उन्होंने पहले से ही यूरोप के देशों में मिसाइलें स्थापित कर दी हैं जो सोवियत संघ और उसके समाजवादी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध हैं। वे बाहरी अन्तरिक्ष को भी परमाणु शक्ति से लैस कर रहे हैं ताकि बाहरी अन्तरिक्ष को परमाणु युद्ध के क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके। इस तरह शस्त्रीकरण, विशेष रूप से परमाणु शस्त्रीकरण की ओर यह एक दौड़ है।

अपने देश के निकट आयें तो पायेंगे कि दिएगो गार्सिया का तेजी के साथ सैन्योकरण हो रहा है और इससे हमारे लिए सुरक्षा सम्बन्धी समस्या पैदा हो गई है। इससे हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति में भारत में सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के आयोजन की विशेष प्रासंगिकता और महत्ता है। ऐसी परिस्थितियों में, जिसमें युद्धोन्माद का बोलबाला है, शिखर सम्मेलन में, स्वीकृत घोषणाओं का विश्वव्यापी महत्व है और वास्तव में हमें इस पर गर्व है।

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इन घोषणाओं में की गई अपीलों को दोहरायें, जो सम्मेलन में स्वीकार की गई हैं। मैं इस सम्मेलन की घोषणाओं के केवल 4 अथवा 5 पहलुओं का उल्लेख करूंगा जो सभा को इस विशेष समय पर इन घोषणाओं की प्रासंगिकता के बारे में अवगत करेंगे।

यह सम्मेलन परमाणु हथियारों के प्रयोग पर तत्काल रोक लगाने अथवा परमाणु हथियार वाले राष्ट्रों द्वारा धमकी न देने तथा परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने हेतु और इस प्रकार के अस्त्रों के और आगे निर्माण और उनको स्थापित करने से रोकने हेतु व्यापक संधि करने के लिए बुलाया गया है।

महोदय यह घोषणा आवश्यक है ताकि तापीय परमाणु युद्ध के कारण होने वाले सर्वनाश और विध्वंस से मानव जाति की रक्षा की जा सके, जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

सम्मेलन में न्याय और समानता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है।

इसमें नई वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता का उल्लेख भी है जो 'ब्रिटेन' वूड' प्रणाली के स्थान पर हो।

इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सम्बन्धित शर्तों और इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों तथा सभी अन्य विश्व वित्तीय संस्थाओं, जिन्होंने बिकासशील राष्ट्रों की सहायता करने के बजाय उन पर कतिपय ऐसी शर्तें लगा कर दी हैं जिससे ये विकासशील राष्ट्र ऐसे ऋण स्वीकार करके ऋण से दब जाते हैं, के बारे में आलोचना की गई है और कुछ टिप्पणियां की गई हैं। इसलिए, यह घोषणा-पत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

इसमें गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच सामूहिक आत्म-निर्भरता हेतु 'साउथ-साउथ कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेंट' के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी बनाया गया है।

अन्त में, अन्य महत्वपूर्ण घोषणा पत्रों में कहा गया है कि विकसित राष्ट्रों की संरक्षणवादी नीतियां परिवर्तित की जानी चाहिए ताकि विकासशील राष्ट्र अपने बहुतायत निर्यात का लाभ उठा सकें।

कुल मिलाकर, सातवें शिखर सम्मेलन की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं थीं।

कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में देशभक्त है, जो तापीय परमाणु युद्ध से होने वाले विद्धंस के खतरे से सावधान है, चाहे वह व्यक्ति विकासशील राष्ट्र का हो, जो अपने राष्ट्र के विकास के लिए देशी संसाधनों के उपयोग हेतु बिना रुकावट प्रगति चाहता है, जो शांतिप्रिय वातावरण में रहना चाहता है और जो शांति तथा प्रगति के लिए कार्य करना चाहता है, वह इन विचारों से सहमत हो सकता है।

वास्तव में हमें इस सभा में गर्व महसूस करना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण और आवश्यक घोषणाएं हैं जो सातवें शिखर सम्मेलन में स्वीकार की गई हैं। हमें इस पर गर्व करना चाहिए।

मुझे चेतावनी और सावधानी बरतने हेतु भी कहना चाहिए। ये सब उपलब्धियां हैं—इस पर कोई संदेह नहीं है। किन्तु कुछ कमजोरियां भी हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। यदि हम नकारात्मक पहलुओं के प्रति ध्यान न दें, यदि हम इसकी कमजोरियों को भूल जायें और यदि हम उन उपलब्धियां की ओर ध्यान न दें तो यह आन्दोलन शक्ति और जोर नहीं पकड़ेगा। वे कमजोरियां क्या हैं? मैं उनमें से कुछ कमजोरियों का उल्लेख करूंगा, जिसकी सामान्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति होती है और जो आमतौर पर कमजोरियां उत्पन्न करती हैं। महोदय, यह सम्मेलन उन वास्तविक स्रोतों का पता नहीं लगा पाया है जिनसे युद्ध का खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज उस बात का स्पष्ट पता नहीं है कि युद्ध का खतरा कहां से प्रकट हो रहा है। इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं है राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, सुरक्षा, विकास और आत्म निर्भरता को कहां से धमकी दी जा रही हैं। मैं भी इस बात का पता नहीं कर पाया कि परमाणु विद्धंस का वास्तव में मुख्य कारण क्या है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध की आग भड़काने में कौन-सी ताकत चौबीस घण्टे काम कर रही है। यह मध्य अमरीकी राज्य के बारे में नोना गोवा घोषणा की भावनाओं को पूर्णतः प्रतिबिम्बित नहीं कर पाया। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में यह दोहराऊंगा कि ये कमजोरियां हैं, ये कमियां हैं और इनसे नकारात्मक प्रवृत्ति बनती है। जब मैं गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों और सफलता की प्रशंसा करता हूं तो उस समय मुझे यह बात कहनी पड़ेगी कि ये भी नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर जो कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत नहीं बताता है। क्या यह समझना बहुत कठिन है? क्या यह समझना बहुत कठिन है कि ये सब बुराइयों कहां से शुरू होती हैं? विश्व में कोई भी व्यक्ति, जो इस स्रोत की पुष्टि करना चाहता है, यह कहेगा कि यह संयुक्त राज्य अमरीका है जो मानवता के खतरे के लिए मुख्य स्रोत स्थापित करता है और जो युद्ध के लिए, विद्धंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है तथा जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, सुरक्षा और आत्म-निर्भरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बारे में जो कुछ जानकारी है उसे कहा नहीं जा सकता और कागजों पर नहीं लिखा जा सकता है। यह मुख्य नकारात्मक प्रवृत्ति है। आज के विश्व के खाके में सचमुच संयुक्त राज्य अमरीका शांति को समाप्त करने वाला शरारती देश है, किन्तु हम उसे बताने अथवा उसकी पुष्टि करने में समर्थ नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमरीका सम्पूर्ण मानवता को सबसे बड़ा शत्रु है और यह हम सब, जो शांति चाहते हैं तथा प्रगति की ओर बढ़ाना चाहते हैं, का कर्तव्य है कि उनके द्वारा रचे गए षंडयंत्र को उखाड़ फेंके। किन्तु इसमें चुप्पी है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से कहा जाए, इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से कहने की अपेक्षा उन्होंने ऐसी स्थिति बना ली है जिससे गुट निरपेक्ष आन्दोलन रूखा हो गया है।

मैं इसके कारण जानता हूं। इसके कई स्पष्ट कारण हैं। इस आन्दोलन में संयुक्त राज्य अमरीका की कई साम्राज्यवादी ताकतें हैं। उनमें से कई गुट निरक्षेप राष्ट्र के नहीं हैं, यद्यपि वे गुट-निरक्षेप राष्ट्र होने का दावा करते हैं। भारत के मामले में, यह गुट निरपेक्षता में गुट निरपेक्ष है। यद्यपि इसमें भाग लेने वाले कई राष्ट्रों ने अपने को गुट निरपेक्ष राष्ट्र होने का दावा किया है किन्तु

वे वास्तव में गुट निरपेक्ष राष्ट्र नहीं हैं जबकि भारत गुट निरपेक्षता में गुटनिरपेक्ष है। जब मानव जाति साम्राज्यवाद से उत्पन्न युद्ध के खतरे का सामना करती है तो आप गुट निरपेक्षता की भूमिका का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम देश में गुट निरपेक्षता को मजबूत करना चाहें तो मूल मौलिक नीति का उदाहरण यह होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन साम्राज्यवाद विरोधी आधारित हो। जब तक बृढ़ रूप से साम्राज्यवाद-विरोधी कदम नहीं उठाया जाता तब तक कोई भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन सशक्त नहीं होगा और पर्याप्त रूप से सज्जित नहीं होगा। इसमें कुछ हिच-किचाहट है जिससे इसका नकारात्मक पहलू बनता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि वह सचमुच गुट निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाना चाहती है तो वास्तविकता को सामने लाना आवश्यक है और जहां तक युद्ध तथा शांति का प्रश्न है साम्राज्यवाद-विरोधी स्थिति पर दृढ़ संकल्प होना हमारे लिए आवश्यक है। इस रास्ते पर हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सशक्त बना सकते हैं।

यदाकदा महाशक्तियों में होड़ का सिद्धान्त दोहराया जाता है। इस भ्रम को समाप्त किया जाना है। एक ऐसा कैम्प है जो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो अन्य राष्ट्रों का शोषण करने में उतारू है जो समाजवादी ब्लाक के प्रति शत्रुता रखता है, और एक दूसरा कैम्प ऐसा है जो शांति चाहता है जो निरस्त्रीकरण चाहता है, जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और आत्म-निर्भरता चाहता है आप इस दोनों को एक साथ कैसे ला सकते हैं ? उनका प्रयास उन्हें इस नारे और सिद्धान्त से एक करने का है कि विश्व तनाव की सभी बुराइयां महाशक्तियों में होड़ से पैदा होती हैं। वहां प्रतिरोध है, होड़ का कोई प्रश्न नहीं है। आप इस बात से सहमत होंगे कि वहां प्रतिरोध है युद्ध और शांति के बारे में उनके इरादों में असंगत विरोध है, साम्राज्यवाद और समाजवाद में प्रतिरोध और परस्पर असंगत विरोध परस्पर है। समाजवादी ताकतों और पूंजीवादी ताकतों में परस्पर असंगत विरोध है। अतः आप उन्हें महा-शक्तियों में होड़ के सिद्धान्त के अन्तर्गत उन्हें हमेशा एक नहीं कर सकते। यह भारत सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक कमजोरी है।

जब हमने गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कश्मीर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणी के उत्तर में प्रधान मंत्री को यह कहते हुए सुना कि पाकिस्तान को कश्मीर का वह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए जो उसने हथिया लिया है, तो हमें खुशी हुई। क्या सभा को यह आश्वासन दिया जाएगा कि कश्मीर के बारे में आगे आने वाले समय में सरकार की यही स्थिति रहेगी ?

महोदय, क्या माननीय मंत्री सभा को विश्वास दिलायेंगे और हमें यह बतायेंगे कि पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता के लिए हमारे संधि प्रस्ताव की ठीक-ठीक स्थिति क्या है और अनाक्रमण संधि के बारे में उनके प्रस्ताव की ठीक-ठीक स्थिति क्या है? अब यह मुद्दा किस स्थिति पर है ? मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इन बातों को स्पष्ट करें।

हमारे देश 'तीन बीघा' का मामला एक नाजुक मुद्दा है। जब भारत सरकार बंगलादेश के साथ सम्बन्ध सुधारने हेतु कदम उठा रही है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें बंगलादेश सरकार के साथ सम्बन्ध सुधारने चाहिए। किन्तु बंगलादेश की घरेलू नीति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बंगलादेश में क्या हो रहा है, यह बताने हेतु समय नहीं है किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने कतिपय प्रस्ताव रखे हैं और कतिपय शर्तें भी रखी हैं। यदि तीन बीघा बंगला देश को दे दिया जाता

है तो मैं सरकार से केवल इतना अनुरोध करूंगा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुझाई गई शर्तों को पूरी तरह से माने । तीन बीघा बंगालदेश को तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उन शर्तों को पूर्णत: पूरा नहीं किया जाता है ।

चीन के साथ बातचीत के बारे में मैं यह कहूंगा कि इसे चलाए रखना चाहिए। चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य करने हेत हमें प्रयास करने चाहिए और समानता के आधार पर सम्मान के साथ सीमा विवाद का हल करना चाहिए जैसा कि तत्कालीन सरकार ने लोगों से वायदा किया था जो कि सद्भाव और परस्पर समझबूझ के आधार पर था । मैं आशा करता हूं, माननीय मंत्री जी इन बातों का उत्तर देंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, मैंने नियम 388 के तहत एक चिट दी थी कि श्री रामप्रसाद की बहन···

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : मैं अपने माननीय साथी को यह बताऊंगा कि अध्यक्ष महोदय ने अभी तक उस पर अनुमति नहीं दी है। अत: आपको इस बात को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । कृपया बात समझिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : आज शहीद दिवस है । सरदार भगतसिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है और श्री रामप्रसाद विस्मिल की बहन···

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : आप सीधे गृह मंत्री से बात कर सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : सभापति जी, आप तो इनकलाबी की कदर करते हो। आप तो क्रांतिकारी हैं ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : मैंने आपको सही सुझाव दिया है और यही एक सही रास्ता है। कृपया इसे स्वीकार करें।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपके हुक्म को मानूंगा । यदि और कोई होता तो नहीं मानता। यह राष्ट्र के लिए बड़े शर्म की बात है···

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : अब वह इस बात को नहीं उठा सकते हैं ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : मेरे प्रिय साथी श्री जदेजा, भाषण करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कृपया समय का समझदारी से प्रयोग करें, ताकि आबंटित समय का सभी के द्वारा उचित उपयोग हो सके । संभवत: यह महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बहुत सुन्दर भाषण दिए गए हैं। इसलिए हमें यह उस सीमा के अन्तर्गत समाप्त करता है जो हमने स्वीकार किया है ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा (जामनगर) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय भी अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैंने पिछले कई वर्षों में एक से अधिक अवसर पर दूर स्थित लेटिन अमरीका और कैरीबियन देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता पर कहा है। आज इसकी आवश्यकता और अधिक हो गई है। यह आवश्यकता इसलिए हुई है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के बड़े राष्ट्रों द्वारा भारत पर एक ऐसे आन्दोलन की जिम्मेदारी लेने, उसे आगे बढ़ाने और उसका नेतृत्व तथा दिशानिदेश देने का भार सौंपा गया है जिसमें विश्व के लगभग दो-तिहाई राष्ट्र हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कार्म एक चुनौती का कार्य है। हम विश्व शांति के अपने इरादे के प्रति प्रयत्नशील और अटल हैं जैसे कि भारत परम्परागत रूप से विश्व शांति के महान उद्देश्य के प्रति अटल रहा है। इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता है कि हमारी प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्हें गुट निरपेक्ष आन्दोलन की बैठक में गुयाना के राष्ट्रपति ने "इस आन्दोलन के विख्यात जनक की विख्यात पुत्री" की संज्ञा दी थी, के कुशल नेतृत्व में भारत गुट-निरपेक्ष विश्व के सौ से अधिक देशों द्वारा हम पर व्यक्त किए गए विश्वास को साथ लेकर अपनी भूमिका और दायित्व को पूरा निभायेगा।

यह वही आस्था और विश्वास है जिसे हमें सजाए रखना है और सावधानी पूर्वक पुष्ट करना है, क्योंकि आखिरकार यह इन देशों की ही आस्था और विश्वास है जो आने वाले वर्षों में गुट-निरपेक्षता के इस अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए आवश्यक ताकत और क्षमता हमें प्रदान करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की ओर से यह आज पहले से ज्यादा एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका अदा करने का आह्वान करता है। इस सन्दर्भ में एक नए गुट-निरपेक्ष डेरा वेलिज के शब्दों में—"भारत का नेतृत्व विश्व में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को एक राजनैतिक, आर्थिक और बौद्धिक शक्ति प्रदान करेगा।" गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अन्य सदस्यों ने भी बार-बार इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है जब उन्होंने कहा कि केवल भारत में ही गुट निरपेक्ष विश्व के लिए आवश्यक "वातावरण, नेतृत्व और सदभावना" हैं।

ऐसे जोरदार उद्गारों से भारत का अभिनन्दन किया गया है और उसे आन्दोलन का नेता चुना गया है। इसलिए भारत की महान परम्पराओं और उच्च आदर्शों को विकासशील विश्व के सभी मांगों तक पहुंचाने का दायित्व इससे पहले की अपेक्षा आज कहीं हम पर ज्यादा आ गया है।

अपने इन प्रयासों में हम सुदूर लेटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों की और अधिक अवहेलना नहीं कर सकते हैं। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के पूरे सदस्यों और पर्यवेक्षकों दोनों किस्म के प्रतिनिधि मण्डलों में सबसे अधिक प्रतिनिधि मण्डल लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से नयी दिल्ली के सातवें सम्मेलन में आए हैं, जैसाकि हम सभी को मालूम है लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के केवल दो या तीन देशों को छोड़कर बाकी सभी-देश गुट निरपेक्षता आन्दोलन से जुड़े हुए हैं। जिसका नेतृत्व हाल ही मे हमें सौंपा गया है। जिन तीन देशों ने नई दिल्ली में हुए सातवें सम्मेलन के अवसर पर इसकी सफलता ग्रहण की है जिससे इसके सदस्यों की संख्या एक सौ से अधिक हो गयी हैं वे सभी देश भी लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से आए हैं। और मुझे विश्वास है कि

आगामी वर्षों में जिन देशों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में पर्यवेक्षक और मेहमान के रूप में भाग लिया था, उनमें से अधिक-से-अधिक देशों द्वारा इस आन्दोलन की सदस्यता ग्रहण करने की सम्भावना है।

भारत द्वारा नेतृत्व संभालते समय लैटिन अमेरिका के अधिक-से-अधिक देशों द्वारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में उत्साह और जोश खरोश के साथ शामिल होने से यह केवल गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्त और दर्शन की सामयिकता दर्शाता है अपितु भारत के महान नेताओं द्वारा पता लगाए गए सिद्धान्तों और दर्शन पर भी आस्था प्रकट करता है। इसी प्रकार यह पश्चिमी गोलार्द्ध में भारत और उसके नेताओं को प्राप्त विश्वास और सदभावना का भी प्रमाण है।

इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के गुट निरपेक्ष सदस्यों की ओर से गुयाना के राष्ट्रपति एक छोटे और संक्षिप्त वाक्य में हमारी प्रधान मंत्री से यह कह रहे थे "आप लैटिन अमेरिका की ओर से हम पर भरोसा कर सकती हैं।"

यदि हमें यह विश्वास दिलाया गया है तो क्या हमें उन्हें बदले में यह विश्वास नहीं दिलाया जाना चाहिए कि हम पर विश्वास किया जा सकता है ? क्या हमें लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में होने वाली घटनाओं के प्रति पहले की अपेक्षा और अधिक रुचि प्रकट नहीं करनी चाहिए। क्या हमें इस क्षेत्र के महान लोगों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

ये सारे आह्वान लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ और घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने के लिए हैं। इस बारे में मुझे यह जानकर बहुत प्रशन्नता हुई है कि हमारी सरकार ने सेन्ट्रल अमेरिका और कैरेबियन देशों में बेलिज, डोमिनिकेन ट्रिपब्लिक, होन्डुरस और हेटी जैसे देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में पहल की है। लोकसभा में यह सूचना देते समय हमारे विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने बताया है। कि इन देशों के साथ जल्दी से जल्दी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जायेंगे। मुझे विश्वास है इन सिद्धान्तों पर चलते हुए हम उन देशों में अपने राजनयिक मिशन स्थापित कर लेंगे जहां अभी तक हमारे मिशन नहीं बन पाए हैं। यदि हम विश्व के इस भाग में पहले से स्थापित किए गए राजनयिक मिशनों को और अधिक मजबूत और विस्तार कर लेते हैं तो इससे अधिक हमें और क्या चाहिए।

राजनैतिक और राजनयिक सम्बन्धों को मजबूत बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इन सम्बन्धों के भीतर अमूर्त सम्बन्ध होते हैं। जो भावनात्मक होते हैं। निश्चित रूप से इनका सम्बन्ध दैनिक समस्याओं के साथ नहीं जुड़ा होता है।

इस प्रकार के अमूर्त और महत्वपूर्ण सम्बन्धों और घनिष्ट सम्पर्क को बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अपेक्षा लैटिन अमेरिका के देशों ने कई वर्षों तक महत्वपूर्व पहल की है। पिछले वर्षों में अनेक लैटिन अमेरिका के देशों में भारत के राष्ट्रीय महत्व के पर्वों को बड़े उत्साह से मनाया गया है। ऐसी कुछ घटनाओं का उल्लेख करने में बतौर मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल अर्जेंटिना में एल० सल्वाडोर के विश्व विद्यालय में इन्सटीट्यूट आफ ओरियन्टल

स्टडीज में 'इण्डियन वीक' पर्व आयोजित किया गया और महर्षि टैगोर तथा माहात्मा गांधी को भाव-भीनी श्रद्धाजलियां अर्पित की गईं। इसी प्रकार सेन्टीयागो, चिली के रिपब्लिक स्कूल और मेक्सिको शहर के चेपुल्टिपेर पार्क में गांधी की मूर्ति के पास मेक्सिको में बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों ने गांधी जयन्ती का आयोजन किया। हवाना, क्यूबा, किंग्सटन, जमैका और मोन्टीविडियो, उरुग्वे में 'इण्डिया टुडे' चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसे देखने के लिए इन देशों के लोग बहुत अधिक संख्या में आए।

ट्रिनिडाड और टोलागो और कोलम्बिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के सीनेटों के राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधि मण्डलों के साथ पिछले वर्ष शिष्टाचार दौरों पर भारत आए थे जो अपने देश के लोगों की भावनायें भी अपने साथ लाए थे।

नि:सन्देह यह घटनाएं और गतिविधियां हमारे ऊपर विशेष अनुग्रह है। मेरे लिए और संसद में मेरे अनेक साथियों के लिए यह भी उतना ही अनुग्रह होगा कि प्रत्युत्तर में हम भी इन देशों के नेताओं और जनता की भावनाओं के प्रति भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त करें।

इस सम्बन्ध में मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1974 में लैटिन अमेरिकन पार्लियामेंट ने भारत से एफ्रो-एशियन लैटिन अमेरिकन-पार्लियामेन्ट आयोजित करने के बारे में जानकारी मांगी थी।

पुन: जब वेनीनुऐला के भूतपूर्व राष्ट्रपति और इन्टर-पार्लियामेन्ट्री काउन्सिल के अध्यक्ष डा० राफेल काल्डेरा ने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के आमंत्रण पर पिछले वर्ष भारत का दौरा किया था तो उन्होंने भी हमसे अनुरोध किया था।

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आज तक हम इस बारे में कोई पहल नहीं कर पाए हैं। मुझे विश्वास है मेरे साथ आप सभी लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि यदि इसे चालू किया जाय तो तीनों महाद्वीपों की संसदों से साथ-साथ लाने में इससे पर्याप्त सहायता मिलेगी और इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की गतिविधियां बढ़ेंगी जिसके लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। इसी उत्साह से जैसा कि मैंने पिछले वर्ष कहा था, कि हमें लैटिन अमेरिका के उन देशों की अधिक-से-अधिक प्रतिनिधि मण्डल भेजने चाहिए और जहां से ऐसे दो प्रतिनिधि मण्डलों ने हमारे यहां का दौरा किया है।

लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन लोगों द्वारा भारत के राष्ट्रीय दिवसों को मनाने में की गई पहल के अनुकूल भी उस क्षेत्र के देश विशेष के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों को मनाने का आयोजन शुरू करना चाहिए।

इस बारे में हमें चालू वर्ष में साइमन बोलीवर, महान स्वतन्त्रता सेनानी, की दो सौ वीं वर्ष-गांठ मनाने का आयोजन करना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन और सारी शक्ति उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने को समर्पित रही। यदि साइमन बोलिबर यद्यपि जन्म से वेनीजुऐलन थे परन्तु इनका लक्ष्य उस देश की वास्तविकता भौगोलिक सीमाओं से दूर-दूर तक फैला था। वे सच्चे अर्थों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाले विश्व भर के लोगों

के सच्चे अर्थों में प्रतीक थे। विश्व के महान नेताओं की श्रृंखला मे लैटिन-अमेरिका से केवल साइमन बोलिवर ही अकेले नहीं हैं। और भी दूसरे महान नेता और विचारक हैं जिनके विचारों और जीवन को याद किया जाना चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए।

इससे मुझे एक दूसरी बात भी याद आ रही है। जिसके बारे में भी खेद है कि मुझे हमारी सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। उसका सम्बन्ध भारत में लैटिन-अमेरिकन अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी केन्द्र की स्थापना करने से है। यद्यपि 1968 में हमारी प्रधान मन्त्री भी लैटिन अमेरिका की ऐतिहासिक मात्रा के दौरान विदेश मन्त्रालय ने इस बारे में सिफारिश की थी लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक हमारे देश में लैटिन अमेरिका के अध्ययन के लिए हमारी सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं है।

हमें लैटिन अमेरिका की बहुत कम समकालीन जानकारी मालूम है। हम इसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

यह जानकर वास्तव में प्रसन्नता होती है कि हाल में मेक्सिको दूतावास ने एक विद्वान-राजनयिक के अधीन उन छात्रों, विद्वानों और जन साधारण के लिए एक पुस्तकालय में और 'स्टडी सर्किल' खोला है जो मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के इतिहास और वर्तमान प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। पुस्तकालय का नाम एल्फोन्सो गारसिया कोबेल्स के नाम पर रखा गया है जो मैक्सिको के एक प्रसिद्ध राजनयिक और राजनेता थे और जिन्होंने अपना जीवन विश्वशान्ति और नि:शस्त्रीकरण के लिए समर्पित किया था।

इसके अलावा भारत और नई दिल्ली में केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लैटिन अमेरिका से सम्बन्धित अध्ययन और शोधकार्य कई वर्षों में शुरू किया गया है। इसके लिए स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज की दूरदर्शी फेकल्टी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें पहल की और रुचि दिखाई है।

इसके बारे में अधिक कहना बेकार है जब तक नेहरू विश्व विद्यालय में शुरू किए गए लैटिन अमेरिकन स्टडीज के कार्यक्रम को कम से कम और मजबूत नहीं किया जाता है। ये सारे प्रयास अपर्याप्त हैं। ताकि हम भारत में लैटिन अमेरिकन स्टडीज के लिए कोई संगठन बनाने को कोई श्रेय लेने का दावा कर सकें।

इसी सम्बन्ध में मुझे यह बताने की अनुमति प्रदान करें कि यहां तक कि चीन के अखबारों और प्रसारण में लैटिन अमेरिकन सम्बन्धी मामलों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है जिसे वहां के ऐसे संवाददाता तैयार करते हैं जिन्हें लैटिन अमेरिका के देशों की पर्याप्त प्रत्यक्ष जानकारी होती है। इससे मालूम होता है कि चीन को लैटिन अमेरिका के बारे में वास्तव में पर्याप्त जानकारी है जो समकालीन लौटिन अमेरिका के बारे में एक ठोस अध्ययन और शोध के समयबद्ध कार्यक्रम के बिना सम्भव नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में हमारी महत्व-

पूर्ण भूमिका और दायित्व को ध्यान में रखते हुए हम इन सुदूर क्षेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के महत्व की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। हमारे सामान्य राजनयिक महकमों के अलावा समकालीन लैटिन अमेरिका में अनुकूल हमें लैटिन अमेरिका से सम्बन्धित अध्ययन के लिए अपने विद्वानों और विशेषज्ञों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अन्त में विश्व-व्यापी आर्थिक स्थिति की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके सबसे अधिक शिकार लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के अनेक देश है, 'दक्षिण-दक्षिण' सहयोग की भावना से, गटनिरपेक्ष आन्दोलन के भाग लेने वाले देशों के रूप में हमें लेटिन अमेरिका के देशों को सहयोग देना चाहिए। इन देशों पर बड़े-बड़े विदेशी ऋण हैं और अत्यधिक मुद्रास्फीति है इनमें से कई देश अपनी आर्थिक नीति को नया रूप प्रदान कर रहे हैं और अपनी अल्प आर्थिक विकास की समस्याओं से लड़ने के लिए नई नीति तैयार करते हैं। इनमें से कई देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कम लागत पर उपलब्ध हो सकने वाली नई प्रौद्योगिकी और नए उत्पादनों की आशा लगाए बैठे हैं।

पिछले वर्ष अगस्त में अर्जेंटिना के 'इन्टर नेशनल इकोनामिक रिलेसन्स के उप मंत्री और उनके प्रतिनिधि-मण्डल ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो रुचि दिखाई थी, उससे इस बात का पता लगता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले नवम्बर में मैक्सिको ने भी भारत और मैक्सिकों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ महीने पहले मैंने एक भारतीय अखबार में एक पत्र के अंश को पढ़ा था जिसमें क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने हमारे उद्योगपति श्री जी० डी० बिड़ला को एक अवसर पर क्यूबा में आमंत्रित किया था जैसा कि क्यूबा के राष्ट्रपति ने लिखा है इससे भारत और क्यूबा के बीच के सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आती है।

मैं इस बातों को विस्तारपूर्वक केवल इसलिए कहा रहा हूं जिससे आपको यह पता लगे कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के नेता और वहां के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं; इसलिए इन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध केवल इस विश्वास पर नहीं होने चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में इन देशों का महत्व बहुत कम है बल्कि वे हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ उनका महत्व बढ़ रहा है। यहां पर यही होता है गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भारत के नैतृत्व के बारे पर चर्चा करते समय पनामा के उप-राष्ट्रपति ने संस्कृत के एक श्लोक का उद्धरण दिया था जिसका संक्षिप्त अनुवाद इस प्रकार है, 'हमारे लक्ष्य और प्रार्थना एक हों। हमारी इच्छाएं और कामनाएं एक हों, हमारे दिलों में एकता हो और हमारे विचार एक हों।'

आने वाले वर्षों में हमें उम्मीद करनी चाहिए, हमारी सरकार संस्कृत की इस पुरानी कहावत के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने में पहल करेगी और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन देशों के साथ स्वस्थ मैत्री स्थापित करने का मार्ग प्रसस्त करेगी।

धन्यवाद।

श्री जयदीप सिंह (गोधरा) : सभापति महोदय, हम विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त अवसर मानता हूं।

विश्व एक उथल पुथल, विद्रोह और युद्ध के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है इसलिए इन परिस्थितियों में आर्थिक विकास कर पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दौर पर किसी भी देश के सामने केवल दो विकल्प होते हैं, पहला है अपने भीतर अपने को छिपा लेना, कुछ पहल न करना और किसी भी मामले में अपने को शामिल न करना, दूसरा है—सामने आना और किसी भी संदर्भ में नेतृत्व करना और अनेक देशों को मार्ग दिखाना है कि क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना है। भारत एक बहुत बड़ा देश है इसलिए मेरे विचार से यह पहला मार्ग नहीं चुन सकता है। यह केवल सामने आने का दूसरा विकल्प चुन सकता है। मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में हमने बड़े-बड़े काम किए हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने विदेश नीति को बड़ी अच्छी तरह समझाया है और अपना प्रभाव छोड़ा है तथा विश्व मंच में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इसलिए जब गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक भारत में आयोजित करने का निर्देश किया गया था तो हम सभी ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम महसूस किया था क्योंकि हम पर उत्तरदायित्व डाला जा रहा था।

15.03 **(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)**

हमारी प्रधान मन्त्री इन उत्तरदायित्वों को वहन करने में पूरी तौर पर समर्थ थीं। जो कुछ हुआ हमने देख लिया है। हमने सारे सम्मेलन का आयोजन बड़ी अच्छी तरह किया। मेरे विचार से सारे विश्व ने इसकी सराहना की है। अब हम पर इन सभी देशों का विश्व मंच से नेतृत्व करने और उनकी इच्छा को संयुक्त रूप से प्रकट करने का दायित्व आ गया है।

कल मैं गुटनिरपेक्ष बैठक की बहस के बारे में सुन रहा था तब मैंने महसूस किया कि इस बारे में जो एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं वह यह कि विभिन्न देशों के इतने अधिक राष्ट्राध्यक्षों को यहां बुलाने और इसी प्रकार वहां जाने का प्रश्न है और इसके नेतृत्व का भार एक ऐसे देश पर आया है जो ऐसे सभी मंत्रों पर केन्द्रीय विचार रखता है। मैं सदैव महसूस करता हूं कि इस बारे में हमें अप्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, दक्षिणपंथी अथवा वामपंथी दृष्टिकोण अपनाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से अधिकाधिक सहयोग नहीं मिलेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, उससे हम सभी देशों से अधिकतम समर्थन प्राप्त करने की स्थिति में हैं। यह सही दिशायें एक महान कदम है। मुझे विश्वास है भविष्य में भी यही परंपरा अपनाई जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जो हमारी प्रगति नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमारे यहां समस्याएं पैदा करने में रुचि लेते हैं ताकि हम उन समस्याओं से निबटने में व्यस्त रहें इसलिए इस किस्म के हस्तक्षेप के प्रति हमारा कड़ा रुख है। मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि भारत में खालिस्तान के विचार को लेकर खुलेआम शोषण करने वाले लोगों और जिन लोगों को अमेरिका पनाह दे रहा है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही

की जा रही है ? केवल विरोध प्रकट करना मेरे विचार से पर्याप्त नहीं है । ऐसी बातों को प्रोत्साहन न देने के लिए हमें राजनैतिक स्तर पर बहुत कुछ करना होगा अन्यथा यह खुलेआम की दुश्मनी है जिसको हम पर थोपा जा रहा है।

लोग हथियारों की दौड़ की बातें करते हैं। हथियारों की दौड़ के बारे में मेरे विचार से कोई संकल्प सहायक नहीं होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस विश्व में तनाव है। हमें संकल्प अवश्य पारित करने चाहिए, हमें अवश्य कहना चाहिए कि अब हथियारों की दौड़ नहीं होनी चाहिए लेकिन केवल इतना कहने मात्र से ही किसी की सहायता नहीं हो सकती है। मेरे विचार से इस बारे में हम यह भूमिका इस प्रकार निभा सकते हैं कि हम अपने आपसे यह पूछने में समर्थ हो सकें और यह देखें कि सारे विश्व में विभिन्न किस्म के आज जितने भी उपद्रव हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सकता है और इस प्रकार तनावों को कम करने के परिणामस्वरूप जो देश हथियारों पर अन्धाधुन्ध खर्च कर रहे हैं अपने आप यह महसूस करेंगे कि इस प्रकार हथियारों पर धन बर्बाद करना कितना उपयुक्त होगा।

अत:, मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में इस दिशा में प्रयास किए जायेंगे।

एक दिन मैं यह पढ़कर हैरान हो गया कि कुछ देशों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जिन देशों को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है उनसे वह वापस ले लिया जाय। मुझे यह भी पता चला है, यदि मैं गलती पर हूं तो अपनी गलती सुधारता हूं, कि हमने उनको अपना समर्थन नहीं दिया है। मैं वाकई अत्यन्त हैरान हूं क्योंकि प्रथमत:, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सुरक्षा परिषद का इस प्रकार से एक स्थायी आधार पर गठन लोकतांत्रिक क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ यह दावा करता है और यदि उन कुछ देशों के पास जो सुरक्षा परिषद में बैठते हैं वीटो के अधिकार का प्रयोग स्थायी रूप से करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि वे ऐसे बहुत से अच्छे विचारों को केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ने देंगे, जैसाकि उन्होंने पहले भी अनेक मामलों में ऐसा किया है, क्योंकि किसी एक देश को कोई विचार ठीक नहीं लगता है। यदि हम सुरक्षा परिषद के गठन में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर सकते, तो हमें सुरक्षा परिषद में वीटो देने के अधिकार को उन देशों से निश्चित रूप से वापिस लेने के दृष्टिकोण का अपना समर्थन देना चाहिए।

अब से आगे, हमें उन विभिन्न मामलों बहुत ही स्पष्ट विचारों की आवश्यकता होगी जिन सभी पर हम अनेक अवसरों पर विचार करते रहे हैं। उदाहरणार्थ, अरब और इजराइल युद्ध को लीजिए। हमने इजराइल के खिलाफ अरबों का साथ दिया। परन्तु मैं समझता हूं कि जब कभी इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं तो हम ऐसा रवैया अपनाते हैं जो ऐसे देशों को आश्वत नहीं कर सकता जिनके साथ हमारा सहबद्ध होना समझा जाता है। मेरा बहुत बार निश्चित रूप से यह अनुभव रहा है कि अरब-देशों ने यह महसूस किया है कि हम उनको केवल ऊपरी सहानुभूति दिखाते हैं। आखिर, ऐसा एक संघर्ष छड़ गया लगभग एक युद्ध छिड़ गया और हमने क्या किया। हम केवल कुछ डाक्टर, एक ऐसी मद जिसकी शायद उन्हें वास्तव में आवश्यकता न हो, भेजने पर सहमत हुए। और इसलिए इस प्रकार के प्रयास से तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी जब तक हम किसी न किसी को समर्थन देने में और अधिक निर्णायक न हों। अफगानिस्तान और कम्पूचिया के साथ भी यही बात हुई जैसा कि

दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति और नामीबिया की आजादी के प्रश्न पर हुआ है। हम उतने निर्णायक नहीं हैं जितना कि हमें होना चाहिए था। हम अपने प्रयास में काफी सुस्त हो गए हैं। मेरे विचार से इन सभी मामलों में हमें और अधिक प्रबल प्रयास करना चाहिए था।

अब समूचे विश्व में अफ्रीकी देशों की संख्या सबसे अधिक है। हमें उनमें ऐसा विश्वास पैदा करना चाहिए कि हम सभी उनके मित्र हैं। हम उनके साथ हैं और हम उनके मददगार बनना चाहते हैं। मेरे विचार से हमने अब तक जो प्रयास किये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।

हिन्द महासागर के बारे में मुझे कहना है कि सभी इसे शांति-क्षेत्र बनाये रखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। हमने उस क्षेत्र में शस्त्र-जमाव की निंदा की है। परन्तु मैं निश्चित नहीं हूं कि हमने इस क्षेत्र से समान रूप से सम्बन्ध रखने वाले सभी तटवर्ती देशों से उनका पूर्ण समर्थन मांगा है। मैंने अक्सर यह देखा है कि हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनयिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर, ओमान जैसा देश इसमें रुचि रखता है, परन्तु हमने कभी उनसे सहयोग नहीं मांगा। और अनेक तेल उत्पादक देश हो सकते हैं। परन्तु मैंने ओमान का नाम ही उल्लेख किया क्योंकि यह हिन्द महासागर की बाहरी सीमा में स्थित है। हमें उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके साथ गहरा सम्बन्ध बढ़ाना चाहिए था।

चीन और अन्य देशों से सीमा विवाद का उल्लेख करते हुए मुझे कहना है कि हम उनके साथ बातचीत करते जाते हैं। क्या हम इतने भोले हैं कि हम विश्वास कर लेते हैं कि बातचीत करने मात्र से जो क्षेत्र अनेक वर्षों से उन देशों के अधिकार में हैं, हमें पुनः मिल जायेंगे? एक अवसर था जब हम प्रोफेसर चक्रवर्ती की मदद से चीन को मना सकते थे, परन्तु ऐसा लगता है कि वह वहां से आ गए हैं। अतः हमने बातचीत का वह मौका खो दिया है। उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? यही बात हम निश्चित रूप से जानना चाहते हैं। इस समय चीन के साथ सीमा के सम्बन्ध में जो भी बातचीत या वार्ता चलती है, उसे कोई भी अधिक गंभीर रूप से नहीं लेता, क्योंकि सभी जानते हैं कि ऐसी बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। अतः मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे बातचीत का कोई परिणाम निकल सके। ऐसे प्रत्येक उपाय पर विचार करना चाहिये। राजनयिक स्रोत हैं और अन्य तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने जब फाकलैंड फिर ले लिया। उन्होंने अर्जेंटिना के साथ बातचीत नहीं की। जब अर्जेंटिना ने उस पर अधिकार किया, तब उन्होंने बलपूर्वक उसे पुनः प्राप्त कर लिया और अब बातचीत चल रही है कि क्या यह अर्जेंटिना का क्षेत्र है या ब्रिटेन का है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आपकी पार्टी का यही नीति है। क्योंकि भारत सरकार ने ब्रिटेन की कार्यवाही का विरोध किया। क्या आप इसे उचित सिद्ध करेंगे?

श्री जयदीप सिंह : मैं जानता हूं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। वस्तुतः, मैं आपका भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। इसका अधिकांश भाग हमें यह आश्वस्त करने के बारे में था कि भारत में एक

समाजवादी सरकार होनी चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि इससे हमारे विभागों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इस बारे में अनेक सुझाव दिये गये हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाये। यह उल्लेख किया गया कि कुछ क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। हमारे मिशनों को इन क्षेत्रों में अधिक कारगर बनाना चाहिए। बहुधा यह शिकायत की जाती है कि हमारे मिशन कुछ आवश्यक कार्य नहीं कर रहे हैं और इसका यह उत्तर मिलता है संसाधनों सम्बन्धी बाधा है। मैंने कई देशों की यात्रा की है और कुछ मिशनों के कार्यकरण को नजदीक से देखा है। मैं समझता हूं कि शायद कुछ अज्ञात कारणवश हमारे विदेश मन्त्री इन मिशनों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने में अधिक धनराशि के लिये जोर नहीं दे सके हैं। मैं समझता हूं कि अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के नये क्षेत्रों में हमें अपने मिशनों को बढ़ाना होगा। हमें अपने मिशनों को ऐसे आवश्यक उपकरण देने चाहिए जिससे वे स्थिति से अधिक कारगर ढंग से निपट सकें। अनेक बाधाएं है और मैं निश्चित हूं कि मन्त्री जी इनके बारे में जानते हैं। हम अक्सर राजनैतिक नियुक्तियां करते हैं। मुझे यह बात बार-बार कहने में दुख होता है कि राजनैतिक नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं की जातीं। मेरे विचार से विदेश कार्य जैसे नाजुक क्षेत्र में, और विशेषकर कू नीति के क्षेत्र में, योग्य व्यक्तियों को भेजना चाहिए न कि ऐसे व्यक्तियों को जो हमें अच्छी तरह जानते हैं या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति में कोई काम करने की कितनी योग्यता है। इस पहलू पर अधिक वजन देना चाहिए और इसी बात पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार से ऐसा नहीं किया जाता और मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।

प्राय: ऐसा होता है कि महत्वहीन मामलों में आवाज उठायी जाती है। हाल ही में, मुझे याद है कि एक समिति के माध्यम से जांच की जा रही थी कि विदेशी मिशनों में हिन्दी का प्रयोग कितनी मात्रा में हो रहा है। महोदय, आप बताइयेगा कि जब हम अपने ही देश में हिन्दी का प्रयोग पूर्ण रूप से करने में असमर्थ हैं तो विदेशों में स्थित अपने मिशनों में हिन्दी के प्रयोग पर जोर कैसे दे रहे हैं? भारत के साथ उनके पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करने के महत्व को मैं समझ सकता हूं। परन्तु मुझे विश्वास है कि ऐसी भी मांग की गई है कि हमारे राजदूत और उच्च अधिकारी हिन्दी में बातचीत करने में असमर्थ हैं और विदेशों में आपको पूछना पड़ेगा कि क्या हिन्दी को एक स्वीकृत भाषा के रूप में रखा जा सकता है। यह एक बहुत लंबा काम है। मेरे विचार से हमें ऐसे कामों पर अपने समय, शक्ति और धन को बर्बाद नहीं करना चाहिये। यह एक भाषा के रूप में हिन्दी की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं है परन्तु यह अक्सर देखा गया है कि अनुवाद कभी भी मूल जैसा सुन्दर नहीं हो सकता। अत: यदि हमारे दूत, हमारे मन्त्री, हमारे लोग, जो बाहर जाते हैं, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा में धारा प्रवाह बातचीत कर सकते हैं तो हमारी अपनी बात से जो प्रभाव पड़ सकता है वैसा प्रभाव भाषांतरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। दूसरे देशों के लिए इस प्रकार की मांग करना ठीक है। परन्तु, मूल रूप से, अपने देश में हमारे नेता लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं और मैं नहीं समझता कि हमें ऐसी छोटी-छोटी बातों पर चिंता करनी चाहिये।

मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठायी हैं जिन पर आप विचार करेंगे और

एक उत्तर देंगे। अब तक हमने जो कुछ किया है अच्छा किया है और मेरे विचार में हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम अपना प्रयास इस प्रकार जारी रखेंगे। हमें अन्तर्राष्ट्रीय तथा राजनयिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपका धन्यवाद।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मेरे विचार से हमारी सरकार की विदेश नीति को सभा में सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त है। इसका कारण है कि उनकी नीति सही और अच्छी है और नीति भारत के चारों ओर, आसपास और पड़ोस देशों में और समूचे विश्व में शांति बनाये रखने की कोशिश करने हेतु है।

महोदय, भारत के पास अपनी 70 करोड़ की जनसंख्या के लिये आहार प्रदान करने की आशाओं को पूरा करने का निहित स्वार्थ है। हमें उन्हें पर्याप्त भोजन देना पड़ेगा जिससे वे सुखी जीवन बिता सकें। हमें उन्हें शिक्षा देनी है। हमें उन्हें पूर्ण विकास का अवसर देना है जिससे वे समूचे देश के कुछ उपयोग में आ सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। यदि हम शांतिपूर्वक नहीं रहते तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं कर सकते। हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते। इस दृष्टिकोण से, हमारे इस महाद्वीप के चारों ओर शांति बनाए रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिये। मुझे खुशी है कि हम संयुक्त राष्ट्रसंघ की गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। हम यह गंभीर प्रयास कर रहे हैं जिससे निरस्त्रीकरण होता है और आयुधीकरण के लिये चल रही घृणित दौड़ बन्द हो जाये। हम संयुक्त राष्ट्रसंघ सभा, सुरक्षा परिषद और अपने महान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से यही कोशिश भी कर रहे हैं जिससे महाशक्तियां परमाणु अस्त्रों के निर्माण न करने और संसार के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में उनका ढेर न बनाने की बात मान जाये। जब हम ये समस्त कार्य कर लेते हैं तो हमें स्वदेश में भी शक्तिशाली बनना चाहिए। यदि और जब तक हममें आन्तरिक शक्ति नहीं होगी, तब तक योग्यता, नैतिकता और अन्य ताकतें अर्थहीन हो जाएंगी। स्वाभाविक ही है कि महाशक्तियां यदि अपने मित्रराष्ट्रों के हितों के विपरीत भी जाएं तो भी अपनी अनिवार्यताओं पर चलेंगी/स्वाभाविक ही है कि वे हमारी ताकत तथा हमारे राजनैतिक संस्थानों की ताकत का अनुमान लगाती हैं। वे यह भी चाहते हैं कि महाशक्तियों द्वारा समूचे विश्व में पैदा किए गए तनाव का प्रतिरोध करने में हम अपने आपको कमजोर बना दें हाल ही में नई दिल्ली में आयोजिय सातवें शिखर सम्मेलन में के दौरान हमने देखा है कि इन शक्तियों की लॉबी कितनी शक्तिशाली थी। वे अपने विचारों को एक ऐसे ढंग से व्यक्त करना चाहते हैं जिससे परमाणु शक्तियों के खिलाफ चलाई गई गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन रूपी लड़ाई क्रियाशील न हो। इसलिए मैंने इस बात को अत्यन्त आवेशतक महसूस किया है कि जितनी जल्दी हो सके तथा जहां तक संभव हो सके देशद्रोहियों द्वारा असम और पंजाब में उकसाया गया हिंसक आन्दोलन निष्क्रिय बन सके।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई मन्दिर या पूजा-स्थल जब अपराध करने वालों को पनाह देता है तो उसे मन्दिर या पूजास्थल कैसे कहा जा सकता···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : दांडिक अपराध करने वालों को।

श्री आर० आर० भोले :···जो अपराधी अपराध करने के बाद भागने में सफल हो जाते हैं उन्हें आश्रय दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि इन मन्दिरों के अभिरक्षकों को कानून के शिकंजों से कैसे बचाया गया। वे इन अपराधियों को आश्रय देकर अपराध को बढ़ावा देते हैं और हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। महोदय, मुझे डर है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि हमें जहां तक संभव हो सके, काम को एक ऐसे ढंग से करना चाहिए जिससे इस देश में अधिक अशांति पैदा न हो। परन्तु हमारी सहनशीलता सीमित है और अपने लिये भी एक सीमा है और उस स्थल पर हमें रुक जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से जो असम और पंजाब में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सख्ती से निपटना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि जब तक हम इन दोनों जगहों में हिंसा की जड़ को प्रभावी ढंग से तथा अति शीघ्र नहीं उखाड़ते तो हम उतने बलशाली नहीं ही पायेंगे जितना कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए आवश्यक है।

महोदय, हमारी अनेक परेशानियां हैं। हिन्द महासागर सम्बन्धी परेशानियां, पाकिस्तान को एफ-16 विमानों और आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई से उपजी परेशानियां आदि। हम इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में शायद 2) करोड़ से 30 करोड़ डालर धन का ऋण दे रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : बे इस्लामी बम के निर्माता हैं।

श्री आर० आर० भोले : इस्लामी बम क्या है इसकी भी काफी अफवाह है। हमें यह कोशिश अवश्य करनी चाहिए तथा अपने पड़ोसियों को मानना चाहिए कि इस दिशा में जाने से न उनका हित होने वाला है और न ही दूसरों का हित/हम हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाना चाहते हैं। महाशक्तियां चाहती हैं कि विश्व तनाव का अधिकेन्द्र विश्व के कोने-कोने में फैल जाए। वे विशेष रूप से अधिकेन्द्र को अपने महाद्वीप में बनाना नहीं चाहते, परन्तु एशिया तथा योरोप के पश्चिम भाग में बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि ये महाशक्तियां समूचे विश्व में और विशेष रूप से एशिया और यूरोप में सैनिक और नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं। हिन्द महासागर में भी अड्डे हैं और वहां सेना की तैनाती तेजी से की जा रही है। हिन्द महासागर में स्थित डियेगो गार्सिया में अमरीका द्वारा निर्मित सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है।

अनेक राष्ट्रों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्प पारित किए हैं कि हमारा हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र हो। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि महाशक्तियों ने उस आह्वान का एक बार नहीं कई बार अनादर किया है। महोदय, तनाव-शैथिल्य भी फरवरी, 1978 से स्थगित है। बातचीत भी ठण्डी पड़ गई लगती है। गुट-निरपेक्ष देश यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इन शक्तियों के बीच बातचीत हो, जो पूरी दुनिया के वातावरण में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी हमें सफलता नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारा

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन इन महाशक्तियों के रवैये को अनुशासित रखने के लिए अत्यन्त प्रभावशाली होगा। यह बिल्कुल सम्भव है क्योंकि ये दो महाशिक्तयां इतनी प्रबल हैं, उनके पास टैकनोलोजी की ताकत है, उनके पास सभी विध्वंसक हथियार हैं तथा वे विभिन्न देशों की सलाह सुनने के मूड में नहीं हैं। लेकिन मैंने सोचा कि यह बेहतर होगा कि यह गुट निरपेक्ष आन्दोलन जन-आन्दोलन के रूप में फैल जाएं। मैं खुश हूं कि अमेरिका, इंगलैंड, कैनिस, पश्चिमी यूरोप और भारत के लोगों ने इस आन्दोलन की सराहना की है और लोगों इस आन्दोलन को गति मिल रही है। लोग महाशक्तियों के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि यदि गुट निरपेक्ष देशों के साथ-साथ यदि इस आन्दोलन में जनता भी भाग लेना शुरू कर दें, तो ये इन महाशक्तियों के रवैये की नियन्त्रित कर देगा, जो इस समय गलत दिशा से बढ़ रही हैं और पूरे विश्व में तनाव का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रही हैं तथा ऐसे हथियारों का निर्माण कर रही हैं, जो पूरी मानवता को नष्ट कर देंगे। अत: महोदय, मैं सोचता हूं कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आन्दोलन है और मुझे खुशी है कि हमने हाल ही में अपने यहां इसके शिखर-सम्मेलन का आयोजन किया। मुझे कोई सन्देह नहीं और हमारे देश कोई सन्देह नहीं है कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो अब शिखर-सम्मेलन की अध्यक्ष हैं, 100 देशों के सहयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर उठा रखेंगी कि दुनिया में सभी देश शान्ति और सुरक्षा अनुभव करें। मेरे विचार में हम अफगानिस्तान के मामले में सही रास्ता अपनाए हुए हैं। पी० एल० ओ० कम्पूचिया के प्रति भी हमारी दिशा ठीक है। भारत ने अफगानस्तिान में सोवियत संघ की कार्यवाही की हमेशा भर्त्सना की है। लेकिन हमने यह स्वीकार नहीं किया है कि इसे सोवियत संघ का विस्तारवाद कहा जा सकता है। अफगानिस्तान, पी० एल० ओ० और कम्पूचिया सदस्यों पर जो हमारा रवैया है, उसे अब कुछ अन्य देश भी अपना रहे हैं।

हम देखते हैं कि चीन का रवैया भी कुछ उदार होता जा रहा है। एसियान देश, जो हमारी आलोचना करते थे, अब हमें समझने लगे हैं। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि पौल-पांट का शासन जनसंहारक था। उस शासन में लोगों पर जघन्य अत्याचार किए गए। राजकुमार सिंहनायक के भी वियतनामी भी सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ कर्मिकों से बदलने का सुझाव दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे दृष्टिकोण का अब धीरे-धीरे अन्य राष्ट्रों द्वारा भी इन सहन की जा रही है।

मैं सोचता हूं कि हमारी नीति एक ठीक नीति है। हम उन सभी देशों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो हाल में स्वतन्त्र हुए हैं। हम शान्तिपूर्ण रहना चाहते हैं कि जितना विकास हो सकता है, करें। महाशक्तियों हथियारों का जो जखीरा इकट्ठा कर रही हैं, उसकी लागत इतनी अधिक है कि यदि उसके आधे भाग का निर्माण न किया जाए, तो विकासशील देशों को अत्यधिक लाभ हो सकता है, यदि ने इतने महंगे और खतरनाक हथियार बनाना छोड़ दें, तो यह मानवता की सेवा होगी।

हमारे माननीय विदेश मंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वे पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं। वे यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार मे शान्ति हो ताकि हम सब मिलकर विकास कर सकें। हम उनके इस महान् प्रयास में सफलता की कामना करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि विदेश नीति को कभी इतना महत्व नहीं मिला था, जितना आज मिल रहा है, क्योंकि संसार के देश अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। विज्ञान और टैक्नोलॉजी के विकास, विभिन्न देशों के बीच संचार व्यवस्था और आर्थिक आदान-प्रदान ने प्रत्येक देश की विदेश नीति को और भी महत्व प्रदान किया है, तथा विशेष रूअ से भारत जैसे विशाल देश, जिसका एक महान इतिहास है, जिसका इतिहास को बेशकीमती योगदान है के लिए तो विदेश नीति का बहुत ही महत्व है। पिछले 50-60 सालों में जब दुनिया के देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे : भारत का उनमें प्रमुख स्थाग था। अत: इसकी विदेश नीति तथा इसके विदेश मन्त्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विशेष महत्व है। मैं सोचता हूं कि विदेश नीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा हो तथा संसार में हमारी नीतियों का भली-भांति प्रचार हो। इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारी विदेश नीति मानव और संसार के प्रति अपना दायित्व निभाए। राष्ट्रों के साथ सहचर्य रखने के नाते हमें अन्तर्राष्ट्रीय ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। मैं तो कहूंगा कि भारतीय विदेश नीति का भी एक इतिहास है। यह देश का सौभाग्य था कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसा व्यक्ति इस देश का पहला प्रधान मंत्री बना दूर दृष्टि और इतिहास को अच्छी तरह समझने वाला वह व्यक्ति भारतीय दिदेश नीति का सही निर्माण करने और निशा देने में समर्थ था। मैं कहता हूं कि कुल मिलाकर हम उसी परम्परा को निभा रहे हैं। और यह अच्छा भी है। अत: भारतीय विदेश नीति मूलत: शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति रही है।

मैं विदेश मंत्री का ध्यान अपनी विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि हमारे देश की सामाजिक आर्थिक नीतियों का सम्बन्ध हमारी विदेश नीति से बहुत गहरा है। दिल्ली में हुए सातवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में हमने क्या किया ? गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में यह बात कही गई कि आज विकासशील देशों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विकसित देशों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे देश साम्राज्यवाद में विश्वास रखते हैं और वे अर्ध-विकसित देशों अथवा तीसरी दुनिया के देशों का शोषण करना जारी रखे हुए हैं। गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने नई अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का फिर आह्वान किया है। इसने यह आह्वान किया है कि साम्राज्य-वादी ताकतों और विकसित देशों को विकासशील देशों का शोषण करना बन्द कर देना चाहिए। हम संसार की पूँजी में उचित हिस्सा चाहते हैं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमारा शोषण हुआ है। यह सब ठीक है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उचित रवैया है। लेकिन जब हम अपने ही देश की सामाजिक आर्थिक नीति की ओर देखते हैं तो हमें बहुत दु:ख होता है। मैं महसूस करता हूं कि हमारी घरेलू सामाजिक आर्थिक नीतियों हमारी जनसंख्या के 80 प्रतिशत भाग के साथ न्याय नहीं कर सकी हैं। जब हम अति विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों का सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण किए जाने की बात करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम स्वयं अपने

देश में क्या कर रहे हैं ? हम देखते हैं कि जनसंख्या का केवल 20 प्रतिशत भाग ही अमीर होता जा रहा है। विकास के प्रमुख लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं। हमारी जनसंख्या के 80 प्रतिशत भाग का सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। यह एक विरोधाभास की स्थिति है। यही उचित समय है कि सरकार केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान करने की बजाय अपने देश की स्थिति के लिए भी कुछ करे, अन्यथा ऐसा करना हमारा नैतिक दायित्व नहीं होगा और हम लोगों को प्रेरणा देने के काबिल नहीं होंगे। यही उचित समय है कि आजादी मिलने के 35 साल बाद कि सरकार को हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण करने और नीतियों का कापुनरुद्धार करने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए। हमारे आदरणीय रंगाजी, मैं उन्हें बहुत कम उम्र से ही जानता हूं—मैंने एक विदेशी महिला प्रोफेसर की पुस्तक में श्री रंगा की भूमिका की प्रशंसा में यह पढ़ा था कि एक सम्पन्न कृषक परिवार के एक युवा रंगा ने साधारण किसानों की आवाज बुलन्द की है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गांवों में रह रही 80 प्रतिशत जनसंख्या के साथ क्या हो रहा है। वे अभी भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा अब भी उनके साथ भेद-भाव बरता जा रहा है और अब भी हमारे समाज में निहित स्वार्थियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। अतः यदि आप हमारी विदेश-नीति की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, उसका विश्वास और आदर बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें एक सशक्त और आत्म-निर्भर देश होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत ने आत्म-निर्भरता के लिए कुछ नहीं किया है। भारत को आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के लिए एक लम्बा सफर तय करना पड़ा है, हमने अर्थ व्यवस्था के मामले में काफी हद तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। लेकिन साथ-साथ हमने अपने देश में पूंजीवादी समाज के निर्माण में सहयोग दिया है। नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सन्देश तथा राजनीतिक और आर्थिक घोषणाओं को देखते हुए भारत सरकार को हमारी सामाजिक आर्थिक नीतियों पर अवश्य उचित ध्यान देना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री अपने दल के सदस्यों को विदेश नीति के बारे में अवश्य समझायेंगे। हालांकि उन्होंने कई बार यह स्पष्ट किया है कि वे महाशक्तियों को एक समान नहीं समझते। लेकिन उनके दल के कुछ सदस्य कुछ बातें विश्व में प्रमुख शक्तियों की भूमिका को बिना सोचे-विचारे कहते रहे हैं। मैं विदेश मन्त्रालय की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें निशस्त्रीकरण का उल्लेख था। संयुक्त राष्ट्र आम संभा के दूसरे विशेष सत्र में हमारे विदेश मंत्री ने एक शानदार भाषण दिया था जिसमें युद्ध, शान्ति और निशस्त्रीकरण के बारे में भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट की गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने यह सन्देश भेजा था कि 'सत्र में आणविक हथियारों का प्रयोग न करने के बारे में परम्परा निभाने का फैसला किया जाना चाहिए'। उनके सन्देश में यह पहली बात थी, जो कही गई थी। कोई सोवियत संघ और अमेरिका को बराबर की दृष्टि से कैसे देख सकता है ? सोवियत संघ पहला देश था, जिसके स्वर्गीय राष्ट्रपति ने दूसरे विशेष निशस्त्रीकरण सत्र में यह सन्देश भेजा

(श्री चन्द्र जीत यादव)

था कि सोवियत संघ पहले हमला नहीं करेगा, वह ऐसा देश नहीं होगा, जिसने आणविक हथियारों के प्रयोग में पहल की हो। यह गारन्टी अमेरिका तथा अन्य परमाणु शक्तियां भी देकर देखें। यदि वे ऐसी गारन्टी देते हैं, तो विश्व के नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रह जाएगा। आज तक सोवियत रूस यह आश्वासन कई बार दे चुका है। निशस्त्रीकरण के संबंध में भारत और सोवियत रूस ने कई बार इक्ट्ठे काम किया है तथा उन अवसरों पर दोनों का नजरिया समान ही रहा है जब शासक दल के कुछ सदस्य महाशक्तियों की बात करते हैं, तो वे अपनी सरकार की पहले अवमानना करते हैं क्योंकि वे खुद की सरकार की नीति नहीं समझते।

एक माननीय सदस्य : वे इसकी परवाह नहीं करते।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह नहीं कहूंगा कि वे इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि कांग्रेस के लोगों में देश भक्ति की उच्च भावना है। यह एक महान् परम्परा है। मैं उस पर आपत्ति नहीं करता। यह केवल उनकी सम्भवत: अनसमझी के कारण होता है कि वे इसे नहीं ससझते।

श्री चित्त बसु : एक जज कैसे अनभिज्ञ हो सकता है ?

श्री चन्द्र जीत यादव : भारत ने आज एक ऐतिहासिक स्थान प्राप्त कर लिया है। इतिहास ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मैं तो यह कहूंगा कि यह इतिहास का संयोग ही है कि भारत को यह स्थान प्राप्त हुआ। विनम्रता के कारण कई बार यह कहा गया है कि भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेता नहीं बनना चाहता। लेकिन अब हमें नेतृत्व प्राप्त हो गया है क्योंकि भारत की प्रधान मंत्री गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष बन गई हैं। विनम्रता के कारण आप बेशक अपने आप को नेता न कहें, लेकिन लोग आपको आन्दोलन के नेता के रूप में देखते हैं, इसलिए आपको यह भूमिका निभानी है। इसी बात की आज जरूरत है। एक महान देश, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में भारत को विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण के लिए एक अहम् भूमिका निभानी है। इसे साम्राज्यवादी ताकतों तथा रंगभेद-वादी ताकतों के जोड़-तोड़ का मुकाबला करना है और जब जरूरत पड़े काने को काना कहना है तथा अमेरिका से यह कहना है, 'इधर ध्यान दो, जो कुछ तुम संसार के अधिकांश भागों में, हिन्दमहासागर में, लैटिन अमेरिका में, अरब समूह में कर रहे हो, वह सब कुछ हस्तक्षेप करना बन्द करना पड़ेगा।' महोदय, यह हमारे लिए गर्व की बात होती है कि यासर अराफात-पूरा अरब संसार भारत का समर्थन कर रहा है। इसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आ रहा है। अरब समूह के अधिकांश देश भारत को अपना दोस्त, हितचिन्तक मानते हैं, जो उनकी भलाई के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत के पास आज यह ऐतिहासिक अवसर है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तथा पहल करे, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में अथवा अन्य किसी ढंग से। प्रधान मंत्री ने यह आह्वान किया है कि आगामी आम सभा सत्रों में राज्यों और सरकारों के सभी प्रमुख व्यक्ति अवश्य मुलाकात करें तथा विश्व की बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बारे में चर्चा करें। यह एक अच्छी पहल है और मुझे आशा है कि जब कभी आगामी आम सभा सत्र होगा, आप देखेंगे, विदेश मंत्री जी, आप कृपया राज्यों के प्रमुखों से यह आग्रह करें कि वे भारत के

प्रधान मंत्री तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष के आह्वान का आदर करें। मेरे विचार में हमारी प्रधान मंत्री ने यह काम ठीक ही किया कि वे अमेरिका और कैन-कन सम्मेलन गईं और उनसे समस्याओं को देखने और समझने के लिए अनुरोध किया। लेकिन इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि उत्तर दक्षिण की यह वार्ता ठप्प पड़ गई है और बहुदेशवादी की भावना लुप्त हो गई है। उत्तर-दक्षिण की वार्ता को किसने ठप्प किया ? क्या यह अमेरिका का काम नहीं है ! कैन-कन सम्मेलन के बाद अमेरिका कार्यवाही करना नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी निश्चित नीति थी। पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार देकर उसका समर्थन कौन कर रहा है और इस क्षेत्र में तनाव पैदा करने का प्रयास कौन कर रहा है ? कौन है वह ? दोषी का नाम अवश्य बताया जाना चाहिए कि वह दोषी है और मेरे ख्याल में अब वह समय आ गया है, जब दोषी का नाम बताया जाए। ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है कि सभी महा-शक्तियां अपने हित में जोड़-तोड़ कर रही हैं। क्या यह सही नहीं है कि सोवियत संघ हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के पक्ष में है ? क्या सोवियत संघ ऐसा पहला देश नहीं था, जिसने कहा था 'हां, हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र होना चाहिए ?' वे इस विचार का समर्थन करते हैं। लेकिन इस विचार का समर्थन कौन नहीं कर रहा है ? अमेरिका और अन्य शक्तियां। विदेश मंत्री ने कहा था कि न केवल ये दो शक्तियां, बल्कि और भी शक्तियां हिन्द महासागर में मौजूद हैं।

वे हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में लिए गए इस निर्णय का उल्लघंन कौन कर रहा है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र समझा जाना चाहिए ? यह सोवियत संघ है या अमेरिका ?

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे राजदूतों और प्रतिनिधियों को भी शिक्षित करने की जरूरत है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। मैं सामान्यत: उनके विरुद्ध नहीं बोलता हूं। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप विदेशों में अपने दूतावासों के काम-काज पर नए सिरे से नजर डालें। मुझे खुशी है कि एक समिति का गठन किया गया है। मैं नहीं जानता की उस समिति का कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा वे क्या सुझाव देगी। क्या वह केवल वित्तीय पहलू पर ही सुझाव देगी अथवा वह विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के समूचे काम-काज पर अपने विचार प्रगट करेगी। विदेश मन्त्रालय में हमारे पास कुछ बढ़िया अधिकारी हैं। वे हमारी नीतियों को कार्यान्वित करने में समर्थ हैं···

प्रो० एन० जी० रंगा : वाह, वाह।

श्री चन्द्रजीत यादव : लेकिन यह भी सही है कि हमारे कुछ राजदूत और हाई कमीशनर दूतावासों में छोटे-मोटे लार्डों की तरह बैठे हैं। हमारी छवि की इन्हें कोई परवाह नहीं है। हम दिल्ली में कुछ राजदूतों का काम देखते हैं कि वे कैसे जन सम्पर्क कायम करते हैं, जब उनके देश से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, वे कितनी कोशिश करते हैं कि आगन्तुक अधिक से अधिक

(श्री चन्द्र जीत यादव)

लोगों से मिले, उनसे बातचीत करें। जब हमारे देश का कोई संसद-सदस्य या महत्वपूर्ण नेता विदेश जाता है तो मैंने पाया है कि अपने देश के बहुत से राजदूत वहां मौजूद नही होते। हांलाकि वे लोगों को लन्च और डिनर पर आमन्त्रित करते रहते हैं—लकिन शायद ही कभी वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों, संसद-सदस्यों, पत्रकारों, प्रोफेसरों और शिक्षा-विदों को आमन्त्रित करते हों, जिससे उन्हें उनसे बातचीत करने का अवसर मिले तथा अपने देश के बारे में वे कुछ बताएं। हमारे अनेक दूतावासों में यही कमी है। मैं विदेश मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सारा भार स्वयं ही वहन न करें। आपने अच्छा काम किया है। आपने अनेक देशों के विदेश मन्त्रियों से अच्छे सम्बन्ध बनाए हैं, जिससे हमारे सम्बन्धों में और मजबूती आई है। इस गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन से पहले हमारे कुछ विदेश सचिवों ने बढ़िया काम किया था, लेकिन ऐसा कभी-कभी होता है। यह हमारी कार्य-प्रणाली का ही हिस्सा हो जाना चाहिए, न कि केवल तब ही सक्रिय हों, जबकि कोई महत्वपूर्ण अवसर हो, और बाद में फिर आराम-तलब हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आज यह बड़े आश्चर्य की बात लगी कि मैंने पहली बार यह देखा कि अधिकारी दीर्घा में कोई भी ऐसा विदेश सचिव या आपका सचिव मौजूद नहीं है, जो यह सुन सके कि संसद-सदस्य यहां क्या कहते हैं। मुझे इस बात के लिए अफसोस है। हांलाकि यह बातें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन वास्तव में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। वे कोई परवाह नहीं करते। कोई अधिकारी उन्हें कुछ रिपोर्ट भेज देता है और वे अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें पढ़ लेते हैं तथा विदेश मंत्री को यहां बैठे रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। अतः मैं सोचता हूं कि कुछ बातें केवल ठीक ही नहीं करनी हैं, लेकिन उन्हें उचित व्यवहार करने तथा अपनी ड्यूटी भली-भांति निभाने के लिए भी कहना होगा।

15-56 **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

महोदय, मैं रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था और मेरे ख्याल में एक जगह यह उल्लेख किया गया है कि आपने किसी देश की शिष्टमंडल के नेता के रूप में यात्रा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि आपने हमारे देश के लिए न केवल यहां अध्यक्ष के रूप में, बल्कि कई मौकों पर हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यह उचित रहता कि जब देश का अध्यक्ष, जिसकी एक गरिमा होती है, कहीं जा रहा है और कुछ काम कर रहा है, तो उसका रिपोर्ट में उचित उल्लेख होना चाहिए। रिपोर्ट लिखने का ढंग अफसरशाही वाला और घिसा पिटा नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं कहता हूं कि विदेशों में हमारे दूतावास अधिक सक्रिय होने चाहिए। उनकी पुनरीक्षा की आवश्यकता है। लन्दन, पेरिस, वाशिंगटन आदि जैसे महत्वपूर्ण कुछ दूतावासों में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन लैटिन अमरीका, अफ्रीका और एशिया के देशों का दर्जा गिराया हुआ है। वहाँ पूरा-पूरा स्टाफ भी नहीं है, पूरे साधन नहीं है तथा कई जगह तो हमारे दूतावासों के पास भवन और फर्नीचर की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। मेरे ख्याल में यह व्यवस्था की जानी चाहिए तथा गठित की गई यह समिति इस ओर आवश्यक ध्यान देगी। मैं एक दो ऐसे

दूतावासों को जानता हूं, जहाँ राजदूत कहते हैं कि मैं भारत के लोगों से कहां मिलूं ? जब इस दूतावास की स्थापना की गई, तब भारतीयों की संख्या 1000 थीं, फिर अचानक ही गत 10 वर्षों में 60-70 हजार या कई खाड़ी देशों में तो लाख तक पहुंच गई। भवन वहीं छोटा का छोटा रहा; स्टाफ के कर्मचारियों में एक या दो की वृद्धि हो गई; कुछ लोगों को वहां भेजा जाता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं : जब राजदूतों की तैनाती की जाती है, तब संभवतः वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व कम करते हैं और उस देश का प्रतिनिधित्व अधिक करते हैं, जहां उनकी तैनाती की गई है। कई बार वे उस देश की भाषा बोलते हैं; उस सरकार का समर्थन करते हैं। भारत की सरकार के बारे में कहना तो क्या, उन्हें उसकी जानकारी भी नहीं होती। मैं किसी विशेष व्यक्ति का हवाला नहीं दे रहा हूं। उदाहरणतः मैं कह रहा हूं कि बगदाद में तैनात व्यक्ति ईराक की भाषा बोलता है। वह उस देश के पक्ष में जोरदार दलीलें देता है। तेहरान में तैनात व्यक्ति ईरान के लिए जोर-शोर से बोलता है। लेकिन वे इस बात की परवाह नहीं करते कि भारत सरकार का रुख क्या है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : वे कभी युद्ध तो नहीं करते।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे चाहे युद्ध न कर रहे हों। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे शीत युद्ध करते हैं।

मैं नई दिल्ली में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल सम्मेलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : कृपया यह तो बताइये कि वहां भारतीय लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इसके बारे में कह चुका हूं। भारतीय लोग वहां बिल्कुल असन्तुष्ट हैं क्योंकि वे यह अनुभव करते हैं कि सही आदमी तक दूतावास में पहुंच करना एक दुस्कर कार्य है। यदि उन्हें पूछताछ कार्यालय से कुछ पता चल जाता है तो यह उनका सौभाग्य है। इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कृपया राष्ट्रमंडल की बैठक में मतैक्य के प्रयास मत करना, अन्यथा आपको विषम स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे, मैं तो आपको केवल सलाह दे रहा हूं। मतैक्य के लिए कोशिश मत करना क्योंकि इससे आप असंगत साथियों के बीच होंगे। मेरे ख्याल में अब भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। किसी समय हमारे घने व्यापारिक और व्यवसायिक संबंध थे; हमने शुरू में सोचा था कि हमें राष्ट्रमंडल से अपने संबंधों को समाप्त नहीं कर लेना चाहिए। मैं आज इसकी मांग नहीं करूंगा क्योंकि आप मेजबान देश हैं: आपने राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन करना है। सम्मेलन हो जाने दें। उसके बाद आप सोचें कि क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना जरूरी है।

एक दो ऐसे मामले हैं, जिनके विषय में, मैं विदेश मंत्री से ताजा स्थिति जानना चाहता हूं। मैंने यह प्रश्न पिछली बार विदेश कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी पूछा

(श्री चन्द्र जीत यादव)

था। उन्होंने वायदा किया था कि वे हमें इसकी जानकारी देंगे। हमने भारत में अस्थिरता लाने की अमरीकी योजनाओं के बारे में पढ़ा था।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसका बाल्कनकरण किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हां, हम जानते हैं कि अमरीकी खुश नहीं थे। वे भारत को एक मजबूत देश बनते देख कभी खुश नहीं हुए। हम जानते हैं कि इस सातवें सम्मेलन से पहले अमरीका ने क्या कुछ किया। उन्होंने क्या किया उन्होंने भरसक प्रयास किए कि इस सम्मेलन में अवरोध पैदा किया जाए, उन्होंने भरसक प्रयास किए कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में फूट पड़े। जो लोग अपने लिए बोलने आए उन्हें उन्होंने सचेत करने का प्रयास किया कि वे यह दृष्टिकोण अपनाएं यद्यपि उन्होंने अनेक तरह के प्रयास किए लेकिन आन्दोलन की परिपक्वता के कारण भारत द्वारा रखे गए ध्यान के कारण, वे असफल रहे। इसी कारण वे असफल रहे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारी सरकार क्या कर रही है।

मेरे पास 'द न्यू टाइम्स' पत्रिका है। इसमें, असम में असमी कट्टरपंथी दल द्वारा किए गए हिंसा के बारे में एक समाचार है। कुछ तथ्य प्रकट करते हुए नई दिल्ली स्थित संवाददाता लिखते हैं :

"भारतीय समाचार पत्रों ने बार-बार यह टिप्पणी की है कि असमी कट्टरपंथी दल द्वारा किया गया भारी विनाश इतना व्यापक रूप धारण नहीं कर सका होता, जिसमें उग्रवादी नेतागण जो संयुक्त राज्य के विशेष सेवाओं से संबद्ध नहीं हैं, ये सेवाएं भारत की राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता को भंग करने के लिए संयुक्त राज्य में बहुत पहले बनाई गई योजना को कार्यरूप देने में सक्रिय हैं। इस योजना, जिसका गुप्त नाम 'ब्रह्मपुत्र परियोजना' है, का लक्ष्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक महत्व के अनेक क्षेत्रों को भारत से अलग करने का है।"

यह सोवियत संघ की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। वे ऐसी बातें कहने में गैर-जिम्मेदार नहीं हैं,...वे, मित्र के नाते, कतिपय ऐसी शक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो हमारे देश को कमजोर बनाने का प्रयास कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनको क्या रिपोर्ट मिली है ? इस देश में अधिकांश लोग अत्यधिक चिन्ता महसूस कर रहे हैं। अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि ये शक्तियां इस प्रकार की भारत-विरोधी कार्य न करें, और यदि वे करती हैं तो सरकार का यह देश भक्तिपूर्ण कर्तव्य है कि वह उन्हें यह बताए कि यह उनका काम नहीं। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि के बारे में अनेक बातें पहले कही गई हैं। उनकी कुछ योजनाएं हैं और अन्य नेताओं की कुछ अन्य योजनाएं हैं; इसलिए हम चिन्तित हैं तथा विदेश मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

महोदय, मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री लैटिन अमरीका के देशों की ओर कुछ अधिक ध्यान दें विश्व के उस भाग में एक नई लहर आ रही है और अनेक नई शक्तियां उभर आई हैं।

वे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं । वे भारत को एक महत्वपूर्ण देश समझते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने संबन्धों में हमें लैटिन अमरीका के देशों तथा नए मुक्त किए गए देशों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, जहां प्रगतिशील सरकारें अस्तित्व में आ रही हैं और वे गुट-निरपेक्ष परिवार का अंग भी बन रही हैं ।

महोदय, साथ ही, हमारे दूतावासों में हमारे आर्थिक परामर्शदाताओं अथवा आर्थिक मंत्रियों को अब एक प्रमुख भूमिका निभानी है क्योंकि आर्थिक मसले, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, अति महत्वपूर्ण मसले बन गए हैं । जैसा कि प्रधान मन्त्री ने अपने प्रेस सम्मेलन में कहा है, वे नाजायज शर्तें लगा रहे हैं और वह इसे स्वीकार नहीं करेंगी । लेकिन मात्र कहना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आपको कोई दृढ़ आर्थिक आधार न हो ।

महोदय, कभी-कभी खतरे बाहर से नहीं आते । खतरे भीतर से ही आते हैं । और आर्थिक संकट में प्रतिक्रियावादी शक्तियां लाभ उठाने का प्रयास करती हैं । हमारे देश में यही हो रहा है । कई बार यह कहा गया है कि असम में विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं । क्या माननीय मन्त्री संयुक्त राज्य सरकार से यह पूछेंगे कि उन्होंने श्री चौहान, जो खालिस्तान का नेता होने का दावा कर रहा है, को प्रवेश-पत्र देने की हिम्मत कैसे की ? बी०बी०सी० ने उसे दूरदर्शन पर 40 मिनट कैसे दिए ? उसे वहां खालिस्तान के 'राष्ट्रपति' के रूप में दिखाया गया था । बी० बी० सी० दूरदर्शन पर खालिस्तान की मुद्रा दिखाई गई थी । उनका झण्डा बी०बी०सी० दूरदर्शन पर दिखाया गया । जब श्रीमती थ्रैचर राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने आ रही हैं, तो मेरे विचार से उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है कि उनकी सरकार क्या कर रही है । वह सरलता से कह सकती हैं कि बी०बी०सी० एक स्वतन्त्र एजेंसी है । वे एक प्रजातन्त्र देश है और इसलिए वे बी०बी०सी० में हस्तक्षेप नहीं करते । बी०बी०सी० ब्रिटिश सरकार की प्रवक्ता एजेंसी बन गई है । इसलिए निष्कर्ष में, मैं यह कहूंगा कि भारत की विदेश नीति सही है । भारत की विदेश नीति, शान्ति की नीति है भारत साम्राज्यवाद-विरोधी और उपनिवेशवाद-विरोधी रहेगा । यह । समीचीन होगा कि जब हम नए अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक ढांचे के लिए लड़ रहे हैं तो हमें अपने देश के भीतर भी एक नया सामाजिक-आर्थिक ढांचा विकसित करना होगा, जैसा कि कांग्रेस ने भुवनेश्वर तथा अन्य स्थानों में निर्णय किया है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विदेश मंत्रालय की मागों पर बोलने का समय दिया । मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी प्रधान मन्त्री जी ने और हमारे विदेश मन्त्री जी ने निर्गुट सम्मेलन का आयोजन करके जो कार्य किया है वह बहुत ही महान् कार्य है । उस कार्य के लिए यहां धन्यवाद का प्रस्ताव भी पारित किया गया ।

हमने यह सम्मेलन आयोजित करके पुन: एक बार फिर सारे विश्व को बता दिया है कि भारत जो कि महात्मा गांधी का देश है, वह हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है और आगे भी रहेगा ।

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

उसने सदा 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत का पालन किया है। हम जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी यही सलाह देते हैं। हम किसी भी देश से झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। हमारे देश की 70 करोड़ की आबादी शांति से रहना चाहती है।

परन्तु विश्व के कुछ बड़े-बड़े देश, जो कि धनी देश भी हैं, वे भारत को एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहते। उन्हें भारत का इस प्रकार से उभरना अच्छा नहीं लगता। वे किसी न किसी प्रकार से हमारे देश में आन्तरिक विवाद खड़ा करने अथवा पड़ोसी देश से हमारा झगड़ा करवाने की कोशिश करते रहते हैं। मगर इन देशों को अपने मन्सूबों में कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी।

ये देश पाकिस्तान जैसे देशों को एफ-16 विमान देने की बात करते हैं। ये क्यों देते हैं ? ये इसलिए देते हैं ताकि इन देशों का पैसा विकास कार्यों में न लग कर हथियारों पर, उनके जमा करने पर खर्च हो। इस तरह से अमेरिका जैसा देश दुनिया के गरीब और छोटे देशों का पैसा इकट्ठा करके और अपनी सामरिक शक्ति को बनाये रख कर दुनिया पर राज करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बड़े-बड़े हथियारों की जो शक्ति है उसके द्वारा वह हमारे जैसे देशों की मेन पावर पर शासन करे और हमारे जैसे देशों के धन से उसके देश के लोग आराम की जिन्दगी व्यतीत करें। वह चाहता है कि बाकी के लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करें। और आपस में लड़ते-झगड़ते रहें और वह सब पर राज करता रहे। यह उसकी पालिसी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह कभी सफल होने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो निर्गुट सम्मेलन हुआ, इसमें 101 देशों ने भाग लिया। यह निर्गुट सम्मेलन प्रारम्भ में केवल 25 देशों से आरम्भ हुआ था। जो विदेश नीति हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तैयार की थी आज दुनिया के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं विदेश मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रचार के माध्यम हैं, वे बहुत कमजोर हैं। विदेशों में हमारी बात जितनी ताकत के साथ, जितनी प्रबलता के साथ जानी चाहिए, वह नहीं जा पा रही है। अभी यादव जी कह रहे थे कि हमारे यहां की छोटी-सी बात भी बी० बी० सी० बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है और दुनिया में हमें बदनाम करता है। हमारा प्रचार तन्त्र भी बी० बी० सी० की तरह का एक सशक्त तंत्र होना चाहिए। इस पर अगर और भी धन लगाने की आवश्यकता हो तो वह लगाया जाना चाहिए।

मुझे भी विदेश जाने का मौका मिला है। हमारे राजदूत चाहे जापान में हों, ब्रिटेन में हों, चुपचाप बैठे रहते हैं। उनको शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। कई बातों का पता हमको विदेशों के समाचार पत्रों से पता चलता हैं। खालिस्तान के नोट छप जाते हैं हमको पता नहीं लग पाता। इसलिए हमको विजिलेंस व्यवस्था को भी शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इसके बारे में आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं।

हमारे यहां के लोग दूसरे देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। एजेंट्स उनसे हजारों रुपया ले लेते हैं और आगे नौकरी की कोई गारन्टी भी नहीं होती। कई बार तो उन लोगों को वहां पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। कई बार सिर्फ रोटी और कपड़े पर उनसे काम लिया जाता है। सरकार की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जब ये लोग बाहर जाएं तो इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस कम्पनी में काम करने के लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी सरकार को होनी चाहिए। इन लोगों के शोषण को रोका जाना चाहिए।

अभी जयदीप सिंह जी हिन्दी के बारे में कह रहे थे। मैं हिन्दी स्टेट का रहने वाला हूं। साउथ की तरफ के लोग भी जब मिलते हैं तो हिन्दी सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अगर जापान का आदमी आता है तो अंग्रेजी जानते हुए भी अपनी भाषा में जवाब देता है। अगर हम महात्मा भारतीय हैं तो अपनी भाषा का विकास करना चाहिए। अपने कल्चर का विकास करना चाहिए। गांधी जब एक कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए तो उनको लंगोटी पहनकर जाने से रोका गया। लेकिन वे उसी वेश में गए। अगर हमें अपने पिछड़ेपन को दूर करना है तो अपने कल्चर को अपनाना होगा। विदेशों में भी हमें अपनी भाषा, रहन सहन और कल्चर को बड़ी ताकत के साथ रखना चाहिए। तभी हम अपने आपको सच्चे भारतीय कह सकेंगे।

अभी जो नान अलायंड कान्फ्रेंस हुई, इसके बारे में मैं कल नहीं बोल सका। आज इस देश के नौजवान और सारी जनता यह समझ गई है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी नेता देश में तो क्या पूरे विश्व में नहीं है। हमारे गरीब देश में इतनी बड़ी कान्फ्रेंस हुई, एशियाड हुआ, इससे हमारे देश का सिर ऊंचा हुआ है। हमारे देशवासियों ने आज दिखा दिया है कि हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। हमारे देश के लोग इतने मेहनती हैं। इसके बावजूद अगर कुछ पार्टियां और नेता लोग देश की जनता को गुमराह करें तो यह बात गलत है। भारत के लोग बड़े शांतिप्रिय हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं।

दुनिया के जितने भी देश हैं, वे यह मानेंगे कि अगर हमको जिन्दा रहना है तो लड़ाई-झगड़े से नहीं बल्कि शांति से रहना है, तभी वे तरक्की करेंगे और उनकी ताकत बढेगी। मैं अधिक वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से मन्त्री जी ने विदेश मंत्रालय का काम किया है और जिस प्रकार से हमारा भारत विश्व शक्ति के नाम से आगे बढ़ रहा है, यह बहुत खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एन०ई०होरो० (खूंटी) : महोदय, मेरा बड़ी शक्तियों की निन्दा करने का विचार नहीं है। हमारी अपने देश में यह प्रवृति है कि हमें जो भी मंच मिले, हम साम्राज्यवादियों की बिना किसी कारण अथवा आधार के निन्दा करना शुरू कर देते हैं। यदि हमने प्रसंसा नहीं करनी है, तो निन्दा भी नहीं करनी है। केवल तभी गुट-निरपेक्षता की सच्ची भावना से हम इन देशों के

[श्री एन० ई० होरो]

साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष हो सकते हैं । महोदय, कभी-कभी ऐसा हुआ है कि अपनी विदेश नीति पर चलते हुए हमने ऐसा दिखाया है जैसे कि हम किसी देश विशेष का पक्ष ले रहे हैं। तथा अन्य देश की निन्दा कर रहे हैं । महोदय, गुट-निरपेक्ष देशों के नेता के रूप में उभर कर आ रहे हमें अपने व्यवहार में बहुत निष्पक्ष रहना चाहिए न कि पक्षपाती बनना चाहिए। उदाहरणार्थ, अफगानिस्तान को लीजिए । अफगानिस्तान सोवियत संघ के विदेशी हस्तक्षेप से पीड़ित है लेकिन हमने सोवियत संघ की वैसे ही शब्दों में तथा वैसे ही लिहाज से निन्दा नहीं की है जैसे संयुक्त राज्य अमरीका की कर रहे हैं । हम देशों की विश्वसनीयता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पक्षपात करें और अपने को गुट-निरपेक्ष बताएं । हम देशों को शान्ति के लिए एकजुट करने के लिए अपनी नैतिक शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ? हमें अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में और अपने रवैये में बहुत सन्तुलित रहना होगा। केवल उसी तरीके से हम विश्व के सच्चे नेता बन सकते हैं।

महोदय, हमारा लोकतान्त्रिक देश है। हमारी शासन प्रणाली संसदीय लोकतन्त्र पर आधारित है। इस सम्बन्ध में हम पश्चिम के देशों के निकट हैं । उस आधार को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । अपने रवैये से, अपनी क्रियाओं से, हम संभवतया यह दिखा रहे हैं कि हमारी एक मिली-जुली राज्य प्रणाली, जिसमें कुछ समाजवाद है, कुछ साम्यवाद है, कुछ पश्चिम का लोकतन्त्र है। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि हमने संसदीय लोकतन्त्र को चुना है। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में जिन सिद्धान्तों को रखा है उन्हे सुदृढ़ बनाएं ? हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतान्त्रिक शक्तियों को मजबूत बनाना चाहिए।

महोदय, इन वर्षों में मध्य पूर्व के देशों में जो उथल-पुथल हुए हैं और हो रहे हैं, हम उसके बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। अब, समूचे विश्व ने इज्राइल की निन्दा की है और हमें भी उसके अत्याचारों के लिए उसकी निन्दा करनी चाहिए। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं हैं । यदि हम शान्ति स्थापित करना चाहते हैं, यदि हम इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मैं महसूस करता हूं कि हमें इज्राइल को मान्यता देनी चाहिए। इज्राइल के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने एक दृष्टिकोण अपनाया है जिस पर कई सहमत नहीं होंगे। हमने उसे मान्यता देने की दशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है । हमने उनके साथ अभी तक कोई राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किए हैं । इसके क्या कारण हैं ? गुट-निरपेक्ष देशों के नेता होने के नाते हम इज्राइल पर नैतिक रूप से अथवा अन्यथा किस प्रकार प्रभाव डाल सकते हैं ? इज्राइल हमारी बात क्यों सुनेगा ? हम इसकी निन्दा करने में सीमा से बाहर चले गए हैं, इतना ही नहीं, हम फिलस्तीनी मुक्ति संगठन का समर्थन करने में सीमा से बाहर चले गए हैं। महोदय, फिलस्तीनी मुक्ति संगठन की कोई अपनी भूमि होनी चाहिए। इज्राइल की भी अपनी भूमि होनी चाहिए । लेकिन, यदि अरब के देश अथवा अन्य देश यह कहते हैं कि "नहीं, इज्राइल का पृथ्वी से पूर्णतया सफाया कर दिया जाना चाहिए," तब तो कोई भी समझौता नहीं होगा और इस झगड़े का कोई अन्त नहीं होगा ।

फिलस्तिनीयों को स्वदेश मिलना चाहिए। यदि हम इन दोनों देशों में समझौता कराना चाहते हैं तो हमें समान रूप से यह कहना चाहिए कि इज्राइल को जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए और फिलस्तीनी मुक्ति संगठन को भी स्वदेश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्या हम इस सम्बन्ध में अपने रवैये की पुनरीक्षा नहीं कर सकते ?

मैं महसूस करता हूं कि यदि हम इज्राइल को मान्यता दें और उनके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करें तो हमें इज्राइल को यह कहने का नैतिक अधिकार होगा कि "वार्ता करने से इन्कार करने का आपका रवैया सही नहीं है। आपको वार्ता के लिए आना चाहिए।" अन्यथा हमारी बातें खोखली साबित होंगी।

बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबन्धों के मामले में हम सोवियत संघ की ओर झुक गए हैं, यद्यपि हमने साहसपूर्वक कहा है कि हमारी स्थिति स्पष्ट है। लेकिन, वास्तव में, हमारा दिल एक विशेष देश की ओर झुक गया है। विश्व के लोग हमें किस तरह देख रहे हैं ? हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतन्त्र देश है। अन्य देश मार्ग निर्देशन के लिए हमें देख रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व को यह बता सकने में समर्थ हों कि हम श्रेय-योग्य हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमने अपनी इस शक्ति का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। विदेश मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह एक नया अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस पर विचार करें। ऐसा मालूम होता है कि हमारी विदेश नीति में, व्यक्तिपरक विचार का तत्व अत्यधिक है। कई बार मैं महसूस करता हूं कि हमारी विदेश नीति व्यक्तिपरक विचारों पर आधारित हैं, अर्थात् उन स्थितियों और हालातों के अनुकूल नहीं है. जो संसार में विद्यमान हैं। यह हमारे दर्शन और आदर्शों के अनुसार नहीं है। हमारी विदेश नीति व्यवहारिक होनी चाहिए। और हम में आत्म सम्मान होना चाहिए। हमें इस प्रकार काम करना चाहिए कि समग्र संसार के लोग हमारी ओर उंगली न उठा सकें, बल्कि वे हमारी नैतिकता और मजबूती की सराहना करें।

अन्त में, महोदय हम अनेक ऐसे देशों की भर्त्सना करते हैं, जो उपनिवेशवाद, रंगभेदवाद और लड़ने-भिड़ने में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या हम यही काम हम अपने देश में नहीं कर रहे हैं ? हम अपनी ओर देखें, कथनी और करनी के अन्तर को समझें। हम साम्राज्यवादी देशों की उपनिवेशवाद के लिए बुराई करते रहे हैं और हम दक्षिण अफ्रीका को रंगभेदवादी नीति के लिए लताड़ते रहे हैं। लेकिन हमारे देश में, क्या हम इसी नीति पर नहीं चल रहे हैं ? क्या हम किसी न किसी रूप में साम्राज्यवाद नहीं अपनाए हुए हैं, तथा उन लोगों को दबा रहे हैं, जो अपने अधिकारों तथा अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश में अलग-अलग क्षेत्र हैं। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र और कम विकसित स्थानों में, जहां लोग अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। वे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत अपनी पहचान प्रतिस्थापित करने की इच्छा रखते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है ? हमें उसके लिए शर्म आनी चाहिए।

हमें मजबूत होना चाहिए और जो हमें कहें उसके प्रति सच्चा रहना चाहिए। हमें स्पष्ट

[एन० ई० होरो]

बात करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इज्राइल को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करे ताकि उस क्षेत्र में, अर्थात् मध्य पूर्व में, हम शान्ति स्थापित करने में प्रभावशाली सिद्ध हो सकें ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों पर देशी भाषा में बात करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है । आप बड़े स्वदेशी लगते हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : बहुत से भाषण हुए, सब अंग्रेजी में हुए सिवाय एक को तो मैं दोनों विदेश मंत्रियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नान-ऐलाइन्ड मूवमेंट के बारे में कल जो सदन से प्रस्ताव पास हुआ है उनसे मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह बड़े-बड़े नेताओं को तो मुबारकबाद देना ही चाहिए, मगर कामन मैन जो पुलिस के जवान के रूप में 24 घण्टे दिन रात काम करते रहे, हमारे सीक्योरिटी अफसर काम करते रहे, कैमरा मैन, होटल के बीयरर्स खाना पकाने वाले काम करते रहे उन सब को हमें बधाई देना चाहिए क्योंकि वह भी पार्ट और पार्सल रहे हैं इस सम्मिट कानफरेंस को एक्ससफुल बनाने में। हमारी राजधानी में रोजाना 1 लाख आदमी आते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा डिसिपलन रखा है। हमें यह भी मालूम है कि बड़े-बड़े देशों के जो नेता यहां आये हैं, उनके बहुत से विरोधी भी होते हैं । उनको विरोधियों से बचाने का बहुत बड़ा काम है । इसमें हमारे सैक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने अच्छी फिजा तैयार की है।

इसमें हमारे विदेश मन्त्री ने भी अच्छा पार्ट किया। हमारे विदेश मन्त्री जहां जाते हैं, जैसे जलता हुआ शोला भी ठंडे पानी में गिरने से बुझ जाता है, उसी प्रकार कोई भी टैंशन वाला वहां हो, उनके जाने के बाद वह डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है । यह उनकी किस्मत है।

उनका पोलिटिकल कैरियर 1938 में शुरू हुआ है तब नागपुर में वह और मैं साथ-साथ पढ़ते थे। श्री रवि शंकर शुक्ल ने उस जमाने में हमको दाखिला दिया। हम लोग 1200 विद्यार्थी हैदराबाद छोड़कर नागपुर में पढ़ने आये थे। उसी जमाने में त्रिपुरा कांग्रेस हुई, जहां पर श्री सुभाष चन्द्र बोस अध्यक्ष थे। वहां पर हम गये। हैदराबाद देशी रियासत थी, वहां से पहले कोई नहीं आ सकता था, लेकिन हम 1200 लड़के पहली बार वहां आये । इधर आने के बाद हमें बड़े-बड़े नेताओं से मिलने और उन्हें सुनने का मौका मिला और त्रिपुरा कांग्रेस में हमने वालेन्टियर की हैसियत से काम किया ।

आजकल एटम-बम की बहुत चर्चा चल रही है। राजाजी ने कई बार कहा है कि घर में हिफाजत के वास्ते हमको कुत्ता रखना चाहिए, शेर नहीं। अगर शेर को रखेंगे, तो जब तक शेर पर बैठे रहते हैं, बड़ी खुशी होती है लेकिन जब शेर के नीचे उतरते हैं तो शेर के पेट के अन्दर

चले जाते हैं। इसी तरह से जो एटम-बम की तैयारी करना चाहते हैं, वह वैसे ही एटम-बम से खत्म हो जायेंगे। इसलिए हमारी प्रधान मन्त्री की जो नीति है वह पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को शांत रखने की हैं। यह काफी बड़ा काम पीछे हुआ है, इससे उनकी बड़ी इज्जत बढ़ी है।

पासपोर्ट के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। पासपोर्ट मिलने में पहले बड़ी कठिनाई होती थी। एक-एक आदमी को 300-300 और 500-500 रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब 51 रुपये किसी भी पोस्ट आफिस में जमा कीजिए और फार्म भरकर भेज दीजिये, 21वें दिन पासपोर्ट घर पर आ जाता है। इससे बड़ी आसानी हो गई है। इससे लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है।

बाहर हमारे दूतावास भी बहुत काम कर रहे हैं। जितनी लेबर यहां से जाती है, वह उनकी देखभाल करते हैं। फारेन एम्बेसी के लोग जब तक वह कांट्रेक्ट क्लीयर नहीं करते, कोई नहीं जा सकता है वह बहुत अच्छा है। उनकी निगरानी का अच्छा काम हो रहा है इस बारे में मैं बधाई देता हूं।

अपने दूतावासों के एम्बसडरों के बारे में कभी-कभी कहा जाता है कि वह अच्छा काम नहीं करते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ने सही कहा है कि हमारे बहुत ब्रिलियेन्ट और अच्छे लोग हिन्दुस्तान के हैं, हो सकता है कि उसमें कोई थोड़ा-बहुत वैसा हो, सारे तो अच्छे नहीं हो सकते। इससे पहले मैंने अपने विदेश मन्त्री को कई बार पत्र लिखे हैं उस जमाने के साठे जी और सिंह जी को भी पत्र लिखे हैं, क्योंकि हमारे एम्बैसडरों के बच्चों की पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं था। मगर अब हमारे विदेश मन्त्री ने बड़ी मेहरवानी करके उन बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम कर दिया है। क्योंकि कोई 3 साल अमेरिका में रहता है, अरब कंट्रीज में रहता है रूस और फ्रांस में रहता है तो कौन-सी जवान में उनको शिक्षा दी जाये ? अब उसका अच्छा इन्तजाम हो गया है। क्योंकि इससे बड़ी तकलीफ थी अम्बैसी के लोगों को बाहर शिक्षा का बहुत मूल्य देना पड़ता है, जैसे अपने देश में थोड़े से पैसे में आदमी पढ़ सकता है, वैसा वहां नहीं हो सकता है।

हमारे एम्बैसेडरों के स्टाफ को वहां पर ठहरने का अच्छा इन्तजाम होना चाहिए। इसके अलावा यह बोलना कि वहां लोग बड़ी मोटर में बैठते हैं यह ठीक नहीं। वहां पैदल या रिक्शे पर चलना मुनासिब नहीं है। वह देश का नुमाइन्दा होता है। इलैक्शन के वक्त वोट के लिए बोलना चाहिए, लेकिन पार्लियामैंट में बोलने की जरूरत नहीं है। वह हमारे देश का सिम्बल होता है, आदमी की वहां प्रेस्टीज होनी चाहिए।

साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में मैंने देखा है कि यहां के लोग वहां जाकर कहते हैं कि साहब हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है। मैं फलां गांव का हूं, फलां हूं। फौरन अपना अम्बेसडर वहां उसको पास-पोर्ट देता है और उनकी तकलीफ दूर करता है। रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि वहां लोग स्ट्रैन्डेड हो गए, उनके पास पैसा नहीं था तो अपनी गवर्नमेंट के पैसे से उन्होंने उनको हिन्दुस्तान वापिस भेजा। इस तरह से हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है।

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

मैं मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मन्त्रीजी बड़े ब्रिलियन्ट रहे हैं ओर खुश-किस्मती से जब पार्लियामेंट में आए और विदेश मन्त्री बने तो और भी ज्यादा ब्रिलिएन्ट हो गए हैं। वक्त के साथ साथ उनकी ब्रिलिएन्सी बढ़ती जा रही है। नागपुर में गए तो वहां उन्होंने मराठी सीख ली, कहीं और गए तो वहां की जबान भी सीख ली। फ्रांस और स्पेन की भाषायें सीखना भी अच्छा है। मन्त्री जी जब जवाब दें तो वे अंग्रेजी में जरूर बोलें लेकिन साथ-साथ थोड़ा सा हिन्दी में भी बोलें। शुक्रिया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इस मौके पर मुझे अपने मन्त्रालय और विदेश मन्त्री को, उस सफलता के लिए उनके प्रयासों पर बधाई देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, जो हाल में हुए इस गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की सहायता के लिए किए थे। यह इस महानगर और हमारे देश के इतिहास में एक बढ़िया सप्ताह, एक ऐतिहासिक सप्ताह था। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने भी मन्त्री जी को तथा विशेषज्ञों को काम करते हुए बड़े नजदीक से देखा। हमें अपने भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जैसे भी हो, मैं उस काम को एक चौथाई भाग भी नहीं कर सका अथवा एक चौथाई समय भी उस काम को नहीं दे सका, जो उन्होंने काम पर और ड्यूटी पर रहते हुए खर्च किया। बहुत सुबह से ही वे जोर शोर से काम में लग जाते थे। ऐसा ही हमारी प्रधान मन्त्री भी करतीं। और इसका परिणाम हम जानते हैं। इसका परिणाम न केवल भारत के लिए, अपितु पूरे संसार के लिए संतोषजनक रहा है।

भारत ने सदैव शान्ति का समर्थन किया है। भारत का, नेता बनने का लक्ष्य नहीं रहा। जब मैं श्री चन्द्रजीत यादव की उम्र का था, मैं जवाहरलाल नेहरू जी से भारत के नाम में नेता बनने की बात कहता था, जैसा कि महात्मा गांधी के बाद, वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। लेकिन आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस बात से सहमत हूं, जो वे हमसे कहा करते थे कि हमें यह नहीं कहते फिरना चाहिए कि हमारा लक्ष्य नेतृत्व सम्भालना है। इससे दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती है। नए-नए दोस्त बनाने की बजाय इससे हम अपने, विरोधी, दुश्मन और प्रतिद्वन्दी पैदा कर लेते हैं। अपने माननीय दोस्त श्री चन्द्रजीत यादव को यह मेरा उस बात का उत्तर है, जो भावुकता में उन्होंने सरकार से तथा संसद से यह अपील की है कि जब कभी आवश्यकता हो, हमें काने को काना कहना चाहिए। हम जानते हैं, संसार जानता है और लोग जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है—उनकी अपनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जानती हैं—हिन्दी महासागर, खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया में गड़बड़ी की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। हाल के सप्ताहों के दौरान गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी गड़बड़ी करने का प्रयास करने के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा कहते फिरना बुद्धिमत्ता नहीं, कि आपने ऐसा किया है क्योंकि इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। दूसरी ओर प्रधान मन्त्री ने भारी साहस का प्रदर्शन किया है। जब वे कैनकुन गई, वहां उन्होंने श्री रेगन से मुलाकात की। श्रीमती गांधी ने श्री रेगन से बातचीत की

और उन्हें यह अनुभव करा दिया कि भारत, आखिरकार इतना बुरा देश नहीं है और इंदिरा जी ऐसा कोई असम्भव व्यक्तित्व नहीं है, जिससे पार ही न पाया जा सके । इसके परिणामस्वरूप उन्हें अमेरिका आमंत्रित किया गया । वे बहादुरी से अमेरिका गईं तथा वहां स्टेट विभाग के लोगों की भावनाओं में नम्रता पैदा की । पैन्टेगन से सम्बन्धित लोगों का रुख में नम्र हुआ तथा उनके नेता ने आज की दुनिया में ऐतिहासिक स्थितियों द्वारा भारत पर लादी गई भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया । श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा इस सभा में प्रस्तुत दलील के बारे में यह मेरा नम्र निवेदन है ।

महोदय, कल मुझे वह कहने का मौका नहीं मिला, जो मैं आज अब कहने वाला हुं । हाल में हुआ सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा शांति आन्दोलन था, जैसा अब तक कभी नहीं हुआ था । इससे पहले भी आन्दोलन हुए हैं । एक आर्थर ग्रीनवुड नाम के व्यक्ति हुए हैं । उन्होंने शांति आंदोलन का आयोजन किया था । मायर्डल, बर्टनाड रसेल और अन्य व्यक्तियों ने अपने-अपने योगदान दिए थे । नोल बेकर ने भी इस प्रकार का आंदोलन चलाया था और उसे नोबल पुरस्कार टूरिष्टो द्वारा केवल पुरस्कार से विभूषित किया गया । हम कोई ऐसा पुरस्कार नहीं मांग रहे हैं । लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि वह दिन जल्दी आए, जब ईरान और इराक के बीच शांति स्थापित हो जाए ।

फिलिस्तिनियों के बारे में, जब अमेरिका और इस्राइल द्वारा स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तिनियों के अपने राष्ट्र को मान्यता प्रदान की जाएगी, जब कम्पूचिया को सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता दे दी जाएगी, जब अमेरिका सोवियत नेताओं द्वारा बार-बार किए जाने वाले इस आह्वान का अनुकूल उत्तर दे देगा कि वे परमाणु बल का प्रयोग पहले नहीं करेंगे तथा इन विनाशक परमाणु हथियारों के जांच-विस्फोट कब बन्द किए जाएंगे ? ऐसा दिन कब आएगा ? यह उसी ढंग से और गति से आएगा, जिस प्रकार गुट-निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र आपस में मिलजुल कर काम करने को सहमत होंगे तथा दक्षिण और उत्तर के अपने-अपने मित्र राष्ट्रों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वे एक दूसरे के विरुद्ध अपने हथियारों का प्रयोग न करें एक दूसरे के प्रति सद्भावना लाएं तथा उस बात पर राजी हों कि पूरी दुनिया में शांति व्याप्त हो । आज दुनिया को केवल अमेरिका का ही खतरा नहीं है, रूस का, चीन का तथा उन सभी देशों से खतरा है, जो परमाणु हथियारों का प्रभुत्व सम्भाले हुए हैं । अन्य पश्चिमी देश भी ऐसे ही हैं । विश्व-शांति को आज इन सभी देशों से खतरा है । लेकिन सभी को इसका कारण होगा । वे ऐसा कब करेंगे, कब उनकी जनता तथा गुट-निरपेक्ष देशों की हमारी जनता परमाणु हथियारों के इस खतरे का अनुभव करेगी, जो इतना बड़ा संकट है कि इससे हमारी शांति प्रभावित होती है, इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है तथा इससे हमारी पूरी मानवता प्रभावित होती है । इस काम के लिए शैक्षिक प्रचार करने, मानवीय प्रचार करने के लिए गुट-निरपेक्ष आंदोलन आज दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ी शक्ति है । इसीलिए मैं इस गुट-निरपेक्ष आंदोलन का स्वागत करता हूं । मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं कि इस गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को आकार देने में जितने

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

समय तक वे प्रधान मन्त्री रहे, उस काल के दौरान भारत की सलाह का ध्यान रखते हुए, साहस करके इस संसद से शक्ति प्राप्त करके उन्होंने यह महान् कार्य किया ।

कल एक दोस्त नाजीवाद और फासिज्म की भावना को प्रतिध्वनित कर रहे थे । मुझे बहुत बुरा लगा । मैं उनकी वाक्पटुता की तारीफ करता हूं । लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि उस ढंग की भर्त्सना करने के लिए कोई भी उपयुक्त शब्द ढूंढना अत्याधिक कठिन कार्य है, जिस प्रकार उन्होंने फासिज्म, नाजीवाद, रंगभेदवाद आदि सम्बन्धी अपने विचारों को व्यक्त किया । मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि उनकी पार्टी जल्दी से जल्दी जो कुछ विचार उन्होंने व्यक्त किए, उन्हें अस्वीकार करेगी, क्योंकि हम शांति का समर्थन करते हैं और हमने हमेशा शांति का समर्थन किया है ।

हम नस्ल और नस्ल के बीच, रंग और रंग के बीच, जाति और जाति के बीच, धर्म और धर्म के बीच, क्षेत्र और क्षेत्र के बीच, देश और देश के बीच शांति स्थापित होने का समर्थन करते हैं। युगों-युगों से हमारे ऋषियों द्वारा बुद्ध और महावीर के समय से महात्मा गांधी तक हमें यही पाठ पढ़ाया गया है तथा अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हम तक पहुंचाया है । हमें अपनी इस विरासत पर गर्व है । हम शांति का समर्थन करते हैं ।

शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से हमें अपनी भी रक्षा करनी है और इसी सन्दर्भ में इन्दिराजी ने राष्ट्रपति रेगन के साथ अपनी बातचीत के दौरान अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । उन्होंने श्री रेगन को यह स्पष्ट किया कि हमारे पड़ोसियों को हथियारों की सप्लाई करने से, जिस प्रकार उन्होंने सप्लाई की है, उन्होंने अपना ही भारी नुकसान किया है, हमारे नुकसान की बात तो अलग छोड़िए । उन्होंने हमें अपनी रक्षा सेनाओं पर सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने के लिए विवश किया । यह इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि हमारा उनसे प्रेम था, जैसा कि दिखाई देता है कि उनका हमारे पड़ोसियों से प्रेम है । लेकिन उन्होंने हमें अपने संसाधनों को इस प्रकार व्यर्थ करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि हम इस धन की, प्रत्येक रुपये की बहुत आवश्यकता थी, बल्कि यह कहना चाहिए कि इससे दस गुणे धन की जरूरत है, चूंकि हमें अपनी पिछड़ी श्रेणियों, हरिजनों, दलित लोगों, गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे लोगों, बिना किसी अहमियत के जीवन निर्वाह कर रहे हमारे देश के लोगों की सहायता करनी है । हम चाहते हैं कि उन्हें सामाजिक दर्जा और सामाजिक महत्व प्राप्त हो और इन सबसे बढ़कर वे अपने राजनीतिक अधिकारों का स्वतंत्र नागरिकों के रूप में प्रयोग कर सकें ।

हमें और अधिक धन की आवश्यकता है और इस मुद्दे पर मैं श्री चन्द्रजीत यादव से सहमत हूं । यह हमारे लिए उचित नहीं है कि हम दूसरे देशों को पाठ पढ़ाएं, जबकि हमारे अपने देश में गरीबी विद्यमान है । जब दिल्ली में यहां गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि

मौजूद थे, हर जगह भिक्षावृत्ति थी, दरिद्रता थी और गरीबी के कारण मौतें हो रही थीं। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। ऐसा प्रत्येक दिन देखा जा सकता है। यह उसी प्रकार से बना हुआ है। क्या हालत बद्तर होती जा रही है ? मैं नहीं सोचता कि हालत और बिगड़ रही है। लेकिन यह बहुत बुरी, बहुत क्रूर बात है। हम अनुभव नहीं करते, जैसे कि हम वास्तव में सभ्य मानव हैं। लेकिन फिर भी हम इस बुराई को साथ रखे हुए हैं। क्यों ? क्योंकि हमारे पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त शक्ति नहीं हैं, यहां तक कि हमारी राजनीतिक इच्छा भी नहीं है।

महोदय, आज सुबह ही एक प्रश्न था, सम्भवत: आपको याद होगा, जो सफाई करने वाले लोगों से सम्बन्धित था और इसका हमारी प्रधान मन्त्री ने कैसा असहाय उत्तर दिया था ? उत्तर यह था कि हम उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने में समर्थ नहीं हैं। यह ऐसा अधिकार-दंड है, जो वे रखे हुए हैं, हममें से प्रत्येक रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि हमें इसका गर्व है; हम इस पर लज्जित हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इसे अपने कन्धों से उतार फैंके और गटर में डाल दें। लेकिन हम ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। क्या ऐसा करना हमारे लिए सम्भव होगा ? हां, लेकिन केवल तब ही, जब दुनिया में शांति हो। यही बात मैंने 30-31 साल पहले कही थी, जब मैंने "बेसिस आफ इन्डियॉज फॉरन पालिसी" के बारे में लिखा था। यही कारण था कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता की चाहना की थी तथा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस का भी समर्थन किया था, जब वे हमारे देश में समाजवाद की दलील दे रहे थे तथा तीनों ने हमें राष्ट्रीय योजना आयोग से उपकृत किया। योजना आयोग बहुत बढ़िया काम करता रहा है, लेकिन हम इस जलती हुई समस्या का समाधान नहीं कर सके और इसीलिए हम शाँति चाहते हैं। मैं अपने उन सभी दोस्तों से, जो गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन से सम्बद्ध रहे हैं, यह अनुरोध करता हूं कि वे इस भावना के महत्व को समझें और इस बात को समझें कि हम शांति का क्यों समर्थन करते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि हम अमेरिका-विरोधी हैं या इसलिए कि हम गोरे लोगों के विरोधी हैं अथवा पश्चिम विरोधी हैं इत्यादि, लेकिन इसका कारण यह है कि हम अपने देश में शांति चाहते हैं ताकि हम अपनी जनता को वास्तविक स्तर तक उठा सकें, उन्हें शक्तिशाली नागरिक बना सकें। हम शांति चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि वे परमाणु हथियारों की अन्धी दौड़ में, आत्मघाती दौड़ में भाग न लेते रहें। इन्हीं परिस्थितियों में, मैं इन्दिरा जी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूं।

मैं इस बात से अधिक खुश नहीं था कि कि विपक्ष के हमारे कुछ दोस्तों ने उतने तहे-दिल से हमारा समर्थन नहीं किया, जितना हम चाहते थे, लेकिन मैंने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि राजनीति ऐसी ही चीज है, संसद ऐसी ही चीज है; हम अलग-अलग गुट में हैं और इसलिए कई बार लोगों को विरोध करना जरूरी होता है यह बात उन्हीं पर छोड़िए। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जब वे अपने परिवारों के साथ अपने घरों पर होते हैं, तो अवश्य ही वे इस बात को स्वीकार करते होंगे कि इन्दिरा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और इन्दिरा जी के माध्यम से हम गुट-

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

निरपेक्ष आन्दोलन के देशों को सही मार्गदर्शन देने के योग्य हुए। इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। आपने हमें बधाई दी, भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी और यह मेरा सौभाग्य था कि मैं इस प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य था और ऐसे ही आप थी, महोदया।

16.53

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

लेकिन मैं इस संसद के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने मेरा यह सुझाव स्वीकार कर लिया है कि विदेश कार्य परामर्शदात्री समिति के सभी सदस्यों को आमन्त्रित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक आम स्वागत के कार्यक्रमों में संसद की सभी समितियों के सभापतियों तथा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमन्त्रित किया जाना चाहिए। उस मौके पर, जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता यहां इकट्ठे हुए थे, तथा उन सभी नेताओं ने सम्मिलन में सहयोग दिया था। इसलिए संसद को यह बात कल कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल कर लेना चाहिए थी—हमारे दल ने कुछ दिन पहले इसे रिकार्ड में दर्ज कर लिया था—कि उस हम नेतृत्व से सन्तुष्ट हैं, जो हमारी सरकार ने, हमारी प्रधान मन्त्री ने हमारे देश को उपलब्ध कराया है, जिससे यह सम्मेलन सफल रहा, और मैं यह आशा करता हूं कि इससे बड़े उन प्रयासों, नेक प्रयासों तथा और अधिक सफल प्रयासों के लिए यह दीप-स्तम्भ बन जाए, जो हमें आगामी साढ़े तीन वर्ष के दौरान करने हैं। अन्त में, मैं देश को तथा संसद को बधाई देता हूं और स्वयं को भी बधाई देता हूं कि उसके परिणामस्वरूप कम से कम अगले साढ़े तीन वर्षों के लिए कोई विश्वयुद्ध नहीं होगा और भारत पर भी किसी पड़ोसी देश की तरफ से आक्रमण नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। तीन वर्षों की शांति देश के लिए एक सुनहरा अवसर होगा और यह किसी भी देश के लिए महान अवसर है। मुझे प्रसन्नता है गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने कम से कम साढ़े तीन वर्षों की शांति का हमें उपहार दिया है। इसलिए मैं इन्दिरा जी के महान आह्वान को धन्यवाद देता हूं कि यह इस ऋतु तथा सम-कालीन अवधि में विश्व शांति के लिए आयोजित सबसे बड़ा आंदोलन है।

प्रो० मधु दंडवते : यह समय-बद्ध शांति न हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : तीन वर्ष बहुत बड़ा समय है।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेन्दूर) : मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों के पक्ष में दो शब्द कहूंगा।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन पर, कल, सात-आठ घंटों की चर्चा मेरे मित्र श्री जेठमलानी को छोड़कर सभी विपक्षी सदस्यों ने इस नीति का एक स्वर से समर्थन किया। अवश्य, मेरे मित्र श्री जेठमलानी उस पुरानी पार्टी के हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के लिए उत्तरदायी है। अतः यह

मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने गुट-निरपेक्ष नीति का समर्थन नहीं किया।

शुरू में, मैं अपनी प्रधान मन्त्री को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वह न केवल गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष बन गई हैं अपितु सातवें शिखर सम्मेलन में 36 घंटे का दिन व्यतीत किया ताकि भारत सम्मेलन के सफल आयोजन करने का गौरव और सम्मान पा सके। अनेक लोगों ने इस बात की चर्चा की कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व करने का सबसे भारी बोझा हमारी प्रधान मन्त्री के कोमल परंतु सबल कंधों पर डाला गया है। इस संदर्भ में मैं इतना उल्लेख करना चाहूंगा कि सात दिनों के शिखर सम्मेलन के दौरान वह दिन में केवल दो सैण्डविच ही खा पातीं थीं। इससे पता चलता है कि जिस काम का बीड़ा वह उठाती हैं उसे सफल बनाने के लिए वह कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि शांति की यह दूत विश्व को पूरी तरह तहस-नहस होने से बचा लेंगी। उन्हें सर्वसम्मति से अगले तीन वर्षों के लिए दो तिहाई मानव जाति की नेता चुनी गई है। उन्होंने महाशक्तियों को युद्ध रूपी घृणीत कार्य को त्यागने का आह्वान किया है। हमें एक महाशक्ति का इस आह्वान के प्रति कम से कम अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाने के लिए धन्यवाद करना चाहिए।

मैं विदेश मंत्रालय के उन कर्मचारी वर्ग को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने सातवें शिखर सम्मेलन को पूर्ण सफल बनाने के लिए काम करने में रात-दिन एक कर दिया। उन्होंने देश का यश फैलाया है।

मैं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रति गुट-निरपेक्ष आंदोलन के वादों का भी स्वागत करता हूं। फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि दिलवाने के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भरसक प्रयत्न करना होगा।

मेरे मित्र, विदेश मंत्री इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश, श्रीलंका किसी समय मद्रास प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर के शासनाधीन था। उस समय कुछ लाख लोग तमिलनाडु से श्रीलंका ले जाये गये थे। उन्होंने अपना खून-पसीना बहाकर श्रीलंका के घने पहाड़ी और जंगली क्षेत्र को चाय, कॉफी और रबड़ बागानों में बदला, जो आज श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। 1947 तक श्रीलंक में भारतीय तमिल मूल के लोगों की जनसंख्या 10 लाख हो गई थी। उस समय उन्हे मतदान का अधिकार दिया गया तथा उन्होंने श्रीलंका की संसद के लिये अपने सात प्रतिनिधि निर्वाचित किये थे। परन्तु वहां के मूल वासिन्दे, जिन्हें श्रीलंका तमिल या जाफ्फना तमिल कहते हैं, यह नहीं चाहते थे कि भारत मूल के इन तमिल मजदूरों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। अतः श्रीलंका में दो किस्मों के तमिल भावी हैं एक जाफ्फना तमिल और दूसरे भारत मूल के तमिल। भारत के मूल के तमिल ही तमिलनाडु से श्रीलंका गये थे। जाफ्फना तमिल श्रीलंका के मूल निवासी हैं। अतः दोनों किस्म के तमिलों को एक नहीं माना जाना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : जैसे गुट-निरपेक्ष और सच्चा गुट-निरपेक्ष ।

श्री के० टी० कोसलराम : भारत मूल के दस लाख तमिल थे। अचानक, श्री जी० जी० पोन्नामबलम, जो कैबिनेट स्तर के मन्त्री थे और जाफ्फना तमिल थे, एक विधेयक लाये जिसमें संसद में भारतीय तमिलों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। उन्होंने उनको केवल संसद की सदस्यता से ही नहीं हटाया बल्कि भारत मूल के 10 लाख तमिलों को मतदाता सूची से हटा दिया। जाफ्फना तमिल के श्री जी० जी० पोन्नाम्बलम यह विधेयक लाये थे। मैं सिंहलियों का नाम नहीं लूंगा। भारत मूल के तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता से हटाने के लिए जाफ्फना तमिल उत्तरदायी हैं। अतः मन्त्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि वे सभी अब विखर हुए हैं।

अनेक करार किए गये। श्री मावो-शास्त्री करार हुआ था। बाद में श्रमती भंडारनायके और श्रीमती गांधी के बीच करार हुआ। परन्तु उन दोनों करारों का समय बीत चुका है। अब कोई करार नहीं है। आप देखें कि वहां 6 लाख लोग राज्यविहीन हैं। यह 1000, 2000 या 3000 लोगों की बात नहीं है परन्तु 6 लाख लोग हैं जो राज्यविहीन हैं। मैं तीन बार श्री लंका जा चुका हूं। मैं राष्ट्रपति जयवर्धन से उनके हाल ही में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चुनावों के बाद वे इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि "हम राज्यविहीन लोगों को लेकर हमेशा के लिए नहीं चल सकते"। मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धन द्वारा, जब वह सातवें शिखर सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली आये हुए थे, दिये गये वक्तव्य का स्वागत करता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमिल मूल के राज्यविहीन लोगों की समस्या श्रीलंका की आंतरिक समस्या है और श्रीलंका सरकार इस मामले का समाधान शीघ्र ही ढूंढ निकालेगी। मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि यह उनकी आंतरिक समस्या है। क्योंकि जब तक वे राज्यविहीन हैं वे हमारे लोग हैं और वे भारत मूल के तमिल भी हैं। परन्तु मैं उनके बयान को विवादास्पद नहीं बना रहा हूं क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि श्रीलंका सरकार शीघ्र ही इसका समाधान ढूंढ निकालेगी। यह अत्यन्त स्पष्ट वक्तव्य है। उन्होंने समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को बताया कि वह समाधान ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने यह भी आगे कहा है कि छः लाख से अधिक लोगों को अनिर्दिष्ट काल तक राज्यविहीन नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अपने दो मन्त्रियों से इसे कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है ताकि इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाये।

मैं श्री तोण्डामन से मिला जो श्रीलंका सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में सभी कागजात तैयार कर रहे हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह श्रीलंका सरकार के साथ भी इस मुद्दे पर बातचीत करें।

मन्त्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि प्रक्कलन समिति ने भी इस मामले के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की है। हमने कहा, भारत मूल के किसी भी व्यक्ति को श्रीलंका से नहीं लाया

जाना चाहिये। उन्हें वहीं पर नागरिकता-अधिकार दिया जाना चाहिये। मैं यह जानकारी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि वर्ष 1980 में भारत मूल के 80,000 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। 80,000 लोगों को भारतीय पारपत्र दिये गये परन्तु उन्हें उनका यथार्थ वित्तीय देय नहीं दिया गया है। इसका मतलब केवल यह है कि श्रीलंका चाहता है कि ये लोग श्रीलंका में काम करें। इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें उपदान और वित्तीय लाभ नहीं दिये गये हैं। वे अभी तक राज्यविहीन हैं। इसी के बारे में प्राक्कलन समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। मैं समिति का संयोजक था। हमने संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। मेरे प्रिय मित्र श्री रहीम केरल के रहने वाले हैं। मेरे प्रिय मित्र श्री नरसिंहराव आन्ध्र के रहने वाले हैं। दोनों मन्त्री दक्षिण भारतीय हैं। वहां केवल तमिल भाषी ही नहीं मलयाली और तेलुगु भी बड़ी संख्या में हैं। इन सभी लगों को श्रीलंका की नागरिकता मिलनी चाहिए। वे श्रीलंका के रहने वाले हैं और वहां के नागरिक हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इसमें रुचि लें और वहां रह रहे साढे छः लाख लोगों की समस्या सुलझाने का उपाय ढूंढे। मैं मन्त्री महोदय से दो-तीन बार मिल चुका हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में कुछ करेंगे। मैं आशा करता हूं वह अपना वादा पूरा करेंगे।

एक अन्य बात मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। ट्रिनोकोमाल्ले बन्दरगाह एक प्राकृतिक तथा सुन्दर बन्दरगाह है। इस सुन्दर बन्दरगाह के बारे में कोई नहीं जानता। अंग्रेजों ने इसका विकास किया था। इस बन्दरगाह में इस समय 100 से अधिक बड़े टैंकरों को जंग लग रहा है। श्रीलंका स्थित हमारे उच्चायुक्त ने ट्रिनोकोमाल्ले के पास जंग लग रहे इन 100 से अधिक टैंकरों को उपयोग में लाने के लिए श्रीलंका में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। मैंने प्रधान मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में पत्र भेजे हैं। ये पत्र सम्बद्ध मंत्रालय को भेजे जा चुके होंगे। मैंने ट्रिनोकोमाल्ले बन्दरगाह जाकर इन टैंकरों को देखा है। श्रीलंका पैट्रोलियम निगम भारतीय तेल निगम के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करना चाहेगा। ऐसे सहयोग से दोनों देश एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये गये हैं। अमरीका और हमारे देश के लोगों ने निविदाएं दी है। आप इसकी ओर ध्यान दें। अमरीका के लोग इस सामरिक महत्व के बन्दरगाह को अपने अधिकार में लेने को उत्सुक हैं औक उन्होंने इसके लिए निविदा भी दी है।

मेरा एक अन्य सुझाव है कि विदेश मन्त्री गुट-निरपेक्ष आंदोलन के 101 सदस्य राष्ट्रों में कार्यरत हमारे राजदूतों और उच्चायुक्तों का एक सम्मेलन तत्काल बुलाएं तथा उन्हें गुट-निरपेक्ष आंदोलन में पारित घोषणाओं पर तुरंत कार्यवाही करने के लिये निर्देश दें। यह मेरा विनम्र सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने विस्तारपूर्वक बताया है कि हमारे दूतावासों और उच्चायोग के कर्मचारी वहां जाने पर भारत के आम नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं उस सम्बन्ध में अधिक कहना नहीं चाहता। जब संसद सदस्य वहां जाते हैं, सब कुछ ठीक होता

[श्री के० टी० कोसलराम]

है। उनके खाने-पीने आदि का अच्छा प्रबन्ध कर दिया जाता है। परन्तु जब कोई आम नागरिक वहां जाता है। उनकी परवाह कोई नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते : यहां तक जलपान का भी प्रबन्ध नहीं किया जाता।

श्री के० टी० कोसलराम : वे आम भारतीय नागरिकों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। यह मेरा अनुभव है। विधान सभा के सदस्य के रूप में मैं 1960 में बाहर गया था और मुझे इसका अनुभव है। परन्तु जब मैं संसद सदस्य के रूप में जाता हूं, वहां सारी व्यवस्था की जाती है। हमारे दूतावासों और उच्चायोगों द्वारा भारत के आम नागरिकों का आदर नहीं किया जाता। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया उनसे आम भारतीय नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कहें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। जब हमने इस सदन में विदेश मंत्रालय के बजट पर चर्चा की है, तो उससे किसी भी भारतीय को विश्व के राष्ट्रों के बीच अपने देश की स्थिति पर गर्व का अनुभव होता है। भारत आज गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का नेता है जो एक सुनियोजित समूह है और जिनकी आवाज सुदृढ़ है। हम सभी ने नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों के सम्मेलन की कार्यवाही को बड़े गर्व से देखा। जहां तक याद जाती है। यह राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का सबसे बड़ा समागम है।

कुछ लोगों ने इसकी समालोचना की है। उनके साथ इस बारे में तर्क का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। यह प्रमाणित भी हो चुका है कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एकता अच्छी तरह संरक्षित है। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के योगदान से विश्व शान्ति और स्थिरता तथा एक नयी अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

राष्ट्रपति टीटो और राष्ट्रपति नासिर के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गुट-निरपेक्ष आंदोलन के मूल संस्थापक थे। अब उस नेतृत्व की बागडोर उनकी सुपुत्री, जो हमारी प्रिय प्रधान मन्त्री हैं, के हाथों में आई। युद्ध, अराजकता तथा आर्थिक अव्यवस्था के खतरे के बीच विश्व आज भारत की ओर नेतृत्व के लिये ताक रहा है।

शुरू से ही भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के महत्व को पहचानने की धारणा दी है। शुरू से ही भारत का यह मत रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था के ध्वंस के कगार तथा परमाणु युद्ध के माध्यम से विनाश के बीच मानविकता ही सन्तुलन बनाये रखेगी। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता कि विनाश हो और यदि विनाश आता है तो कोई भी राष्ट्र उसके चंगुल से नहीं बच सकता। परस्पर-निर्भरशील संसार में हमें एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। यदि किसी एक भाग में अशांति फैलती है तो अन्य भाग भी प्रभावित होंगे। अतः हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में अपने भाषण में ठीक ही कहा है कि प्रयास के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती।

यह अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमारी आजादी की लड़ाई का एक अंग था जिससे निश्चित था कि भारत का भविष्य विश्व की घटनाओं से प्रभावित होगा और भारत भी विश्व को प्रभावित करेगा। आजादी-पूर्वकाल में ही नेहरू जी की चिंताधारा का यह मूल तत्त्व था। आजादी के बाद भारत ने उन सभी राष्ट्रों को अपना समर्थन और मित्रता दी जो अभी तक अपनी आजादी के लिये जी-जान से कोशिश कर रहे थे। भारत की पहल पर नई दिल्ली में 18 सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया गया कि इण्डोनेशिया की स्वाधीनता के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने हिन्द-चीन की जनता को फ्रांसीसी शासन से अपने को मुक्त करने के लिए अपना समर्थन दिया था। भारत ने ही मिश्र पर ब्रिटेन-फ्रांसीसी-इसराईली आकामण की निंदा की।

समस्या के अन्तिम निपटान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एवं बाहर हमारे ठोस योगदान के कारण ही मिश्र से विदेशी सेनाएं हटीं तथा स्वेज नहर पर मिश्र की प्रभुसत्ता को मान्यता प्राप्त हुई। आजादी के समय बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के प्रति कठोर रवैया अपना रखा था और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण थी।

चारों ओर शीत-युद्ध के वातावरण के बीच भारत ने विश्व-शांति को बढ़ावा देने तथा बड़ी शक्तियों के बीच तनाव को ह्रास करने के लिए गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाया। 1950 में कोरियाई संकट के समय भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया और उसके निष्पक्ष दृष्टिकोण को सभी ने स्वीकार किया। उसके फलस्वरूप भारत को कोरिया में संयुक्त राष्ट्र के स्वदेश-प्रत्यावर्तन आयोग का अध्यक्ष चुना गया। आयोग ने सराहनीय कार्य किया।

भारत ने सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोकने के लिए एक शांति समझौते का सुझाव दिया। जब सोवियत संघ, अमरीका और ब्रिटेन द्वारा 1963 में आंशिक परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किये गये। भारत ही पहला देश था जिसने उसी वर्ष संधि पर हस्ताक्षर किये। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि भारत तथा अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के योगदान से ही यह समझौता हो सका।

यद्यपि चीन ने शांतिपूर्ण—सह-अस्तित्व के सिद्धांत का आदर नहीं किया और हमारे देश पर आक्रमण किया तथा हमारे बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया, तथापि भारत ने उस देश के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में पहल की। करीब 15 साल के बाद, 1976 में राजदूतों का आदान-प्रदान हुआ।

भारत ने 1967 में बर्मा के साथ एक सीमा समझौते पर और श्रीलंका के साथ 1974 में समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारत ने बंगलादेश के साथ शांति और मित्रता की 11 एवं 25 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किये। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने पड़ोसी तथा अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। इसका कारण यह है कि भारतीय रक्त में मित्रता का मूल आदर्श जमा हुआ है।

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

समूचा विश्व आज नेतृत्व तथा मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देखता है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण गुट-निरपेक्ष राष्ट्र है तथा शक्ति गुटों से दूर है अपितु इसलिए भी कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में यह दूसरा देश है जहां लोकतन्त्र कायम रहा है, इसका विकास हुआ है और यह पनपा है। जब एक के बाद दूसरा देश तानाशाहों के हाथों में चला गया और लोकतन्त्र दफना दिया गया, भारत ही एक देश है जिसने विश्व में लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद को दृढ़ रूप से आगे बढ़ाया। विश्वव्यापी समस्याओं के बीच देश को सबल नेतृत्व देने के लिए मैं अपनी प्रधानमन्त्री का अभिनन्दन करती हूं।

पिछले दशक से भारत एक स्थिर विदेश-नीति का पालन करता आया है यह नीति हमारी प्रभुसत्तापूर्ण स्वाधीनता को बनाए रखने, न्याय की स्वतन्त्रता को संरक्षण देने, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सार पर अमल करने, विश्व-शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देने, विश्व-तनाव का कम करने तथा न्याय और निष्पक्षता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को अधिक न्याय-पूर्ण ढांचा देने में समय के साथ खरी उत्तरी है। इसने बिना बाहरी दवाब के हमारे आर्थिक आधार हमारी आत्म-निर्भरता और हमारे विकास सम्बन्धी कार्यों को मजबूत बनाने में भी हमारी मदद की है। हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि विश्व की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति निरन्तर बदलती रहती है। पूर्व-पश्चिम के सम्बन्ध तेजी से बिगड़ रहे हैं। सही अर्थ में विश्व-तनाव का मूल केन्द्र यूरोप से एशिया को स्थानांतरित हो गया है, अमरीका और सोवियत संघ द्वारा निरन्तर शस्त्र जमाव करने तथा यूरोप में घातक मिजाइल तैनात करने के प्रस्ताव के कारण दोनों शक्ति गुटों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव के कारण बड़ी शक्तियां एक दूसरे को धमकी दे रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास गरीबी और भुखमरी को कम करने के बजाय ध्वंस के भय को बढ़ा रहा है। खाड़ी के देशों के बीच परस्पर युद्ध। अफगानिस्तान की समस्या, लेबनान की मुसीबतें तथा एशिया के अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के अनेक विकास-शील देशों में फैले झगड़ों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि एक विश्व युद्ध की आशंकाएं फैल रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था तथा अराजकता व्याप्त है। विश्व अर्थव्यवस्था में लगातार वर्ष से मन्दी और गिरावट चल रही है। विकसित देशों में बेरोजगारी उनके श्रमिक दल के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ रही है। विकासशील देशों में स्थिति बदतर है। पिछले उनका भुगतान संतुलन और ऋण का भार चार वर्षों के दौरान दुगना हो गया है। उनकी निर्यातों से आमदनी बहुत कम हो गई है और वस्तुओं के मूल्य गिर गये हैं।

विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत अन्तर आ गया है। सबके मन में एक ऐसा भाव फैल रहा है कि यदि सभी राष्ट्र एक नयी अर्थ तथा राजनैतिक व्यवस्था के लिए सोच-विचार पूर्वक काम नहीं करेंगे तो मानव जाति एक अभूतपूर्व अव्यवस्था से घिर जायेगी जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

संयुक्त राष्ट्र और उसके संबद्ध संस्थान बिगड़ती स्थिति पर पहले की तरह नियंत्रण नहीं

कर पाते। समस्त राष्ट्रों को मिलकर विवेकपूर्ण ढंग से इस समस्या से निबटने का रास्ता निकालना चाहिए। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को जो गरीबों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस दिशा में सार्थक भूमिका निभानी चाहिए और नेता के रूप में भारत पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं।

भारत की बढ़ती भूमिका के कारण आज बाहर कार्यरत हमारे प्रतिनिधियों का उत्तर-दायित्व बढ़ रहा है। हमारे राजदूतावासों को अपने देश की नीति और छवि को दूसरों के सामने अधिक दक्ष और प्रभावशाली ढंग से रखना चाहिए। सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से विकसित किया जाना चाहिए ताकि हमें मिल रहे अवसरों का भरपूर फायदा उठाया जा सके। गुट-निरपेक्ष देशों के साथ हमें अपने आर्थिक बन्धन तथा व्यापारिक सम्बन्धों का ध्यानपूर्वक पोषण करना चाहिए। इन विकासशील देशों के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को नये सिरे से स्थापित करने की संभावनाओं को देखने के लिए नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

दूसरे, संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने तथा इस संगठन के प्रभाव को अधिक प्रभावशाली बनाने लिए भारत को गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संयुक्त ताकत के माध्यम से नेतृत्व लेना चाहिये। इस के लिए विचार-विमर्श के माध्यम से निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें शक्ति गुटों को समझा देना चाहिए कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना केवल उनके हित तक सीमित नहीं है बल्कि शक्ति गुटों के बाहर के अनेक देशों का भी इसमें हित है।

प्रधान मन्त्री द्वारा विकासशील देशों में ही तत्काल आवश्ययकताओं के मूल्यांकन के लिए विकास हेतु धन और वित्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांगें सर्वथा उचित है। उनकी अर्थ-नीतियां कार्यक्रम तथा समस्याएं अधिक समय तक विकसित देशों से सहायता प्राप्त तथा प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की दया पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। निर्धन देशों में खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी-निवेश हेतु पर्याप्त निधियां जुटाने का कोई रास्ता निकालना होगा।

हमारी सीमा के पास पाकिस्तान के शस्त्र जमाव और उसके राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण निर्देश को देखते हुए हमें उनके प्रति सजग रहना चाहिए। इसके लिए विश्व की स्थिति के संदर्भ में अपने राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों के बारे में नये सिरे से सोचने की जरूरत पड़ सकती है।

महोदय, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को भारत से छीनने के लिए तीन बार भारत के विरुद्ध सेना का उपयोग किया। भारत ने 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करके पाकिस्तान के प्रति अपने शान्तिपूर्ण रवैये का प्रदर्शन किया। बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए अफगानिस्तान में हुई गतिविधियों के बाद भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से यह कहा कि भारत वास्तव में उनके देश के साथ मैत्री चाहता है। पाकिस्तान को, जहां तक उसकी सुरक्षा का संबंध है, भारत से कोई डर नहीं होना चाहिए।

महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पाकिस्तान और भारत के लोग एक ही हैं

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

और वे भाइयों की तरह रहते हैं और रहेंगे । यह सुनिश्चित करना हमारे हित में है कि पाकिस्तान में स्थिरता रहे और यदि पाकिस्तान समाप्त हो जाता है, तो भारत की सीमाएं विश्व के सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ जाएंगी । भारत की परन्तु ऐसी भावना का पाकिस्तान ने कोई प्रदर्शन नहीं किया है । जनरल जिया अमरीका अपने लोगों और भारत को अलग-अलग ढंग से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं । उदाहरणार्थ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के प्रति रवैया अमरीका समर्थक है और कश्मीर का प्रश्न पाकिस्तानी लोगों का समर्थक है और अमरीका को अड्डा स्थापित करने की अनुमति न देना भारत समर्थक है । यह कोई स्थिर नीति नहीं है । यदि पाकिस्तान भारत के साथ वास्तव में तनाव कम करना चाहता है, तो संस्कृति का विमुक्त आदान प्रदान होना चाहिए और आपसी लाभ के लिए अधिक व्यापार होना चाहिए ।

महोदय, बंगला देश के विषय में यह अवश्य कहूंगी कि भारत केवल यह आशा करता है कि उस देश में स्थिरता रहेगी क्योंकि अस्थिरता केवल अन्य शक्तियों को लाभ उठाने को प्रोत्साहित करती है भारत के पास आगे बढ़ने और ब्रह्मपुत्र-गंगा सम्पर्क बनाने के लिए आवश्यक शक्ति और संसाधन है परन्तु भारत विकास और साझेदारी में विश्वास करता है अतः भारत इस क्षेत्र में बंगला देश के सहयोग की अपेक्षा करता है ।

महोदय, अफगानिस्तान की स्थिति और ईरान व इराक के बीच युद्ध से विश्व शान्ति को खतरा है ।

भारत ने पड़ोसी देशों निर्गुट देशों और अमरीका तथा सोवियत संघ से भी विचार-विमर्श किया था । इन विचार-विमर्शों से प्रमुख शक्तियों द्वारा कड़ी कार्यवाहियां रुक गईं और इससे सम्बद्ध विभिन्न विषयों को समझने में सहायता मिली । भारत ने ईरान और ईराक के बीच युद्ध पर खेद और चिन्ता व्यक्त की है और वार्ता के माध्यम से समस्या को सुलझाने की कोशिश की है ।

भारत और अन्य निर्गुट देशों में आस-पास महासागर में सैनिक गतिविधियों से अपने हित की रक्षा के लिए सतर्क नीति अपनाने की आवश्यकता है । भारत को निर्गुट विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने के लिए नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए । विकासशील देश इस समय विकसित देशों से ऊंचे मूल्य पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेने के लिए शक्तिशाली हित वाले समूहों पर पूरी तरह से निर्भर हैं । आज की स्थिति निर्धन देशों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ाने के लिए एक नए संगठन का आह्वाहन कर सकती है । हमारी प्रधान मन्त्री ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ठीक ही जोर दिया है । भारत अनेक अफ्रीकी देशों की तकनीकी जानकारी प्रदान कर सकता है जिन्हें प्रौद्योगिकी की जरूरत है । 'ओपेक' देश दक्षिणी देशों को तेल और वित्तीय सहायता देकर सहायता कर सकते हैं जब तक साझेदारी और परस्पर निर्भरता के सिद्धान्त पर आर्थिक व्यवस्था पूर्ववत् नहीं होती हैं, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय तनावों और झगड़ों का कोई स्थायी हल नहीं मिल सकता है ।

हमारा अनुभव यह रहा है कि यद्यपि हमने दोनों शक्तियों के साथ उनके आपसी झगड़ों में शामिल हुए बिना अपने सम्बन्ध बहुत अच्छी तरह बनाए हुए हैं फिर भी जरूरत पर हम उनमें से कुछ से अपेक्षित समर्थन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। आणविक ईंधन का मामला एक जीवन्त उदाहरण है। इसी प्रकार विदेशों में, विशेषकर ब्रिटेन में, भारतीयों के हितों की रक्षा करने के मामले में हमें प्राय: ऐसा रवैया देखने को मिले, जो हमारे पक्ष में नहीं हैं इसी कारणवश इन देशों से आपसी सम्बन्धों और उपयुक्त अवसर पर ठीक रास्ता अपनाने के सम्बन्ध में हमारी नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

मैं विदेश मन्त्री को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक और महत्वपूर्ण वर्ष पूरा करने पर बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि आगामी वर्षों में भारत विश्व की घटनाओं में अपनी प्रभावी भूमिका निभाना जारी रखेगा और उसे बढ़ाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय विदेश मन्त्री जी द्वारा विदेश मन्त्रालय से सम्बधित अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन् हमारा देश भारत सदा से ही शान्तिप्रिय देश रहा है। हमारे देश की नीति सदा ही अपने पड़ौसी देशों और दूसरे देशों से अच्छे एवं मधुर सम्बन्ध बनाये रखने की रही है आज से करीब दो हजार साल पहले बौद्ध युग में जब यातायात का कोई साधन नहीं था तो यहां नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में विदेशों, जैसे चीन, तिब्बत, मिश्र, इन्डोनेशिया आदि सुदूर के देशों से विद्यार्थी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म का अध्ययन करने के लिए आते थे तथा यहां आकर शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते थे।

आज भी हमारी नीति गुट निरपेक्षता, तटस्थता के सिद्धान्त पर आधारित है। स्वतन्त्रता के बाद भी भारत ने इसी नीति को स्वीकार किया। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव हो रहा है कि जिस नीति को स्वर्गीय मार्शल टीटो और स्वर्गीय नासर के साथ मिलकर जन्म दिया था, आज भी हम उस नीति और आन्दोलन के न केवल समर्थक ही हैं बल्कि उस आन्दोलन का भारत आज नेतृत्व भी कर रहा है। यह बड़े फख्र और गौरव की बात है कि इस आन्दोलन का नेतृत्व भारत के हाथ में आया है।

श्रीमन्, सारा संसार जानता है कि इस महीने की 7 से 12 तारीख तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हमारी महान् नेता, देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को सर्वसम्पति से अध्यक्ष चुना गया। हालांकि पंडित नेहरू के जमाने से ही इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा था और जिस वक्त इस आन्दोलन का पहला सम्मेलन हुआ था तो उस समय राष्ट्रों की संख्या बहुत कम थी। परन्तु दिन-प्रति-दिन निर्गुट राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गयी और सातवें सम्मेलन तक जोकि नई दिल्ली में हुआ, आते आते इसकी संख्या बढ़कर 101 हो गयी।

[श्री चन्द्रपाल शौलानी]

श्रीमन् पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संसार के देशों को संद्भावना, मैत्री और सहयोग जैसे सिद्धान्तों पर चल कर विश्व शांति स्थापित करने का आह्वान किया था। हमारी स्वतन्त्र विदेश नीति है और यही नीति विश्व शांति के हित में हैं।

श्रीमन् हमारा देश और हमारी सरकार उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध है। सोवियत रूस हमारा अभिन्न मित्र है। रूस ने हमारा सुख-दुःख दोनों में साथ दिया है। उसने हमारा साथ ही नहीं दिया बल्कि हमारे विकास कार्यों में भी हमें भरपूर सहयोग दिया है हम और हमारे साथी जो इस सदन के सदस्य भी हैं, और बाहर भी हैं, वे सभी अपने पड़ौसी देशों से मधुर सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं।

हमारे कुछ विरोधी मित्र कहा करते हैं कि भारत किसी का पिछलग्गू है। हमारी नेता ने इस बारे में बार-बार कहा है और मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कि भारत का इतिहास बताता है कि भारत हमेशा से नेतृत्व करने वाला रहा है। भारत किसी का पिछलग्गू नहीं रहा है। जिनके दिल में यह खयाल है उन्हें अपने दिल से इस बात को निकाल देना चाहिए।

हम अपने पड़ौसी देशों से अपने सम्बन्ध अच्छे रखना चाहते हैं। हमारे सम्बन्ध मधुर हैं। फिर भी हमारे कुछ पड़ौसी देश आधुनिक हथियार इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों ही अखबारों में पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान चीन और अमरीका से हथियार खरीद रहा है। ये पड़ौसी देश हमारी उन्नति को देखकर खुश नहीं हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं हैं। पिछले दिनों चीन के कुछ लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो गए हैं। ये लोग अपनी सारी शक्ति हथियार खरीदने में व्यय कर रहे हैं और अपने देश के विकास की इनको कोई चिन्ता नहीं है।

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है मैं उसको विदेश नहीं मानता। कल तक पाकिस्तान हमारे ही देश का अंग था। आज भी हजारों लोग यहां से वहां और वहां से यहां आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान की जनता आज भी भारत के साथ भाई चारे की भावना से रहना चाहती है। लेकिन वहां के तानाशाह भारत को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। भारत से युद्ध करना चाहते हैं। मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा कि हमारी सेनाएं सशक्त हैं और दुश्मनों का मुकाबला करने में वे पीछे नहीं रहेंगी। अगर किसी देश ने हमारी तरफ टेढ़ी नजर से देखा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी।

हमारी नेता श्रीमती गांधी और हमारी सरकार चाहती है कि ईरान ईराक संघर्ष समाप्त हो। मिस्र इज्राइल के सम्बन्ध सुधरें। हम चाहते हैं कि कंपूचिया अफगानिस्तान, लाओस और वियतनाम की समस्याएं हल हों।

एक बात और मैं अपनी राष्ट्रभाषा के बारे में कहना चाहता हूं। जिस देश में उसकी अपनी भाषा से काम नहीं लिया जाता वह देश ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश में हिन्दी राष्ट्र भाषा घोषित की गई। यह बड़े अफसोस की बात है कि आज देश में और विदेशों में जो भारतीय कार्यालय हैं मिशन है वहां पर कहीं भी हिन्दी में काम नहीं होता। 1980 में संसद की राजभाषा समिति ने अनेक देशों का दौरा किया था। कहीं भी भारतीय दूतावासों में, हाई कमीशनों में हिन्दी में काम नहीं होता है। वहां पर हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी भी राष्ट्र में उसकी भाषा का बड़ा महत्व होता है। आजादी के 35 वर्ष के बाद भी हम अपनी भाषा को अभिन्न अंग नहीं बना पाए हैं। विदेशी भाषा भी एक तरह की गुलामी है। आज दूसरे देशों को देखिए। वे अगर अपनी भाषा को नहीं अपनाते तो कभी इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। आज चीन, जापान, जर्मनी इस अवस्था में नहीं होते। वहां पर सारा काम उनकी भाषा में होता है।

जब भी किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो वह अपने ही देश की भाषा में बोलता है और बाद में यहां की भाषा या अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया जाता है। मेरा माननीय विदेश मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे विदेशों में काम कर रहे अपने मिशनों को हिन्दी में काम प्रारम्भ करने का निर्देश दें। मैं यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक समझता हूं कि हम "जीयो और जीने दो" तथा बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय" के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। हालांकि, हम स्वयं एक विकासशील देश हैं और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी, हम अपने गरीब पड़ौसी देशों को समय-समय पर आर्थिक, टैक्नीकल तथा अन्य प्रकार की सहायता देते रहते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा बंगला देश के आर्थिक विकास में भारत सरकार का भरपूर योगदान रहा है।

जब मैं 16 वर्ष का था तो यहां 1956 में एक अन्तर्राष्ट्रीय मेला लगा था। वहां बड़े-बड़े बैनर लगे थे कि "हिन्दी-चीनी भाई-भाई"। उस समय भारत के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और चीन के चाऊ-एन-लाई थे। चीन और भारत का हजारों साल से बहुत ही नजदीकी सम्बन्ध रहा है। लेकिन चीन ने सन् 1962 में अनायास ही भारत के ऊपर आक्रमण किया और तभी से हमारे सम्बन्ध बिगड़ते चले गए। यही नहीं सन् 1962 से पहले चीन ने एक स्वतन्त्र राष्ट्र तिब्बत को हड़प लिया और वहां के धर्मगुरू दलाई लामा अपना देश छोड़कर भारत आए तब हमारे देश ने उनको राजनैतिक शरण दी। श्री दलाई लामा और उनके लाखों अनुयायी आज भी भारत में हैं। अब चीन से धीरे-धीरे हमारे सम्बन्ध सुधरते जा रहे हैं। विश्व शान्ति की स्थापना में भारत का सदैव से ही बड़ा भारी योगदान रहा है और आज भी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के समय में हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन दिन दुनी-रात चौगुनी तरक्की करेगा और इस आन्दोलन के अधिक से अधिक राष्ट्र सदस्य बनेंगे जिससे कि विश्व शान्ति और भ्रातृ-भाव की भावना को बढ़ाने में योगदान मिल सके। भारत जिस तरह से हजारों साल से संसार का नेतृत्व करता चला आ रहा है उसी तरह

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

से आज भी मुझे विश्वास है कि कुछ अपनी नीतियों, परम्परा और सहृदयता के कारण संसार का नेता बना रहेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय की मांगों और विदेश मामलों के सबंध में हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों पर मझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं ।

जहां तक विदेश मन्त्रालय की मांगों का सम्बन्ध है, इस सभा में और बाहर भी आम सहमति है और यदि जरा भी विरोध है, चाहे वास्तविक या अनुमानित, वह केवल उसे व्यक्त करने के लिए किया गया है । अनुमानित विरोध, जैसा मैं निवेदन करूंगा, अनुमानित है, वास्तविक नहीं और यदि कोई यह समझता है कि विरोध वास्तविक है, तो वह स्वयं नीति को गलत रूप से समझने के कारण है और इसलिए, यद्यपि वह उनके लिए वास्तविक है, तो वह पुनः अवास्तविक है । मेरा निवेदन यह है कि हमारी विदेश नीति वह नीति है जो सुनिश्चित सिद्धान्त पर आधारित है हमारे पूर्वजों ने हमें एक आदर्श वाक्य दिया है ।

"यद्भूताहितमत्यन्तम् तत्सत्यमिति धारणा । हमारी धारणा क्या है ? हमारा विश्वास क्या है ? सत्य के विषय में हमारा विश्वास क्या है ? हमने 'सत्यमेव जयते' का आदर्श वाक्य अपनाया हुआ है, परन्तु यह सत्य क्या है ? और फिर हमारे पूर्वज कहते हैं :

> यद्भूत हितमत्यन्तम् तत्सत्यमिति धारणा । वह जो प्राणियों के हित में है, वह सत्य है । यह हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया एक सुनिश्चित दर्शन है और यह सरकार के कार्य में सभी विभागों के सभी कार्यों पर आच्छादित है । इसलिए, विदेश मंत्रालय के कार्य में बाहर विश्व में प्यारे मित्रों के प्रति हमारे सम्बन्ध, हमारी भूमिका इसी पर आधारित है और इसलिए यह सुनिश्चित है । अपनी नीति बनाने के लिए हमें किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है । हमें दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना है परन्तु हमें बताया गया है कि हमारे खून में यह उत्तराधिकार मिला हुआ है कि हमारे द्वारा उत्तराधिकार में दिए गए और हमारे पूर्वजों द्वारा अनुपालित दर्शन पर दृढ़ रहें । इसलिए, हम किस अन्य पर निर्भर नहीं हैं । इस प्रकार हमारी नीति पूर्ण रूप से आत्म निर्भर है, केवल उत्तराधिकार में दिए गए दर्शन पर निर्भर है । इसलिए यह सुदृढ़ है ।

विश्व राजनीति में हमारी आज की भूमिका सर्वोच्च है । मैं 'सर्वोच्च' शब्द का उपयोग कर रहा हूं । यह केवल विशेषण नहीं है बल्कि यह कई मायनों में सर्वोच्च है । हम अब दो शक्ति गुट और तीसरा आन्दोलन देखते हैं । यह कोई गुट नहीं है, इसे आन्दोलन माना जाता है, निर्गुट देशों का आन्दोलन जिसे निर्गुट आन्दोलन कहा जाता है । अब इस निर्गुट आन्दोलन के पीछे

विश्व के लोगों की विचार शक्ति है। जैसे घरेलू मामलों में लोगों की राय हमेशा चलती है और हम लोगों की इच्छा लागू करने के लिए जनमत तैयार करते हैं, हम कुछ कार्यक्रम, गतिविधियां चलाते हैं और इसी प्रकार विश्व राजनीति में यह विश्व की राय है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह शस्त्रों की शक्ति नहीं है, अपितु यह विश्व की राय की शक्ति है जो अन्ततोगत्वा चलती है। और यदि कोई यह सोचता है कि यह शस्त्रों की शक्ति है जो चलेगी, तो मेरे विचार से वे कहीं और रहते हैं, वास्तविकता में नहीं। इसलिए, जहां तक विश्व की राय का सम्बन्ध है इसका स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि भारत ने विश्व की राय का नेतृत्व सम्भाल लिया है। आज आधे से अधिक विश्व भारत के नेतृत्व का अनुसरण कर रहा है। अतः, इस प्रकार, मैं यह कहूंगा कि विश्व की राय की इस अजेय शक्ति के साथ भारत ने सर्वोच्चता का दर्जा प्राप्त कर लिया है जिसके सामने शक्तिशाली गुटों को भी झुकना पड़ेगा। अतः इस देश पर बड़ा उत्तरदायित्व है। हम यह कहने में गर्व महसूस नहीं करते हैं कि हमने दर्जा प्राप्त कर लिया है बल्कि हमें कुछ जिम्मेवारी के साथ कहना है कि हमें विश्व के लोगों के प्रति बड़े बड़े उत्तरदायित्व निभाने हैं। इसलिए, महोदय, हमारा उद्देश्य नेतृत्व करना नहीं हैं, हमारा उद्देश्य कार्यों—उस दर्शन—सुनिश्चित दर्शन—पर आधारित कार्य, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था—पूरा करना है। विश्व के लोगों की अधिकतम भलाई करना आवश्यक है। दर्शन यह है। और हमें इस दर्शन के सहारे आगे बढ़ना है।

महोदय, आप इस बात की कद्र करेंगे कि इसे आडा कम-से-कम दो बार न्यायसंगत ठहराया गया है। यह दर्शन कि विश्व का मत सर्वोच्च है, कम-से-कम दो बार न्यायसंगत ठहराया गया है। एक दिल्ली में हुआ निर्गुट सम्मेलन। एक बार और जिसका मैं उल्लेख करूंगा : वह समुद्री कानून सम्बन्धी अभिसमय का सफलतापूर्वक समापन।

यह विचार था कि समुद्र और महासागर विश्व के शक्तिशाली देशों की सम्पत्ति हैं। आज, जमाइका में हुए समुद्री कानून सम्बन्धी अभिसमय के सफलतापूर्वक समापन द्वारा भारत और अन्य देशों, जिन्होंने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे, ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिया है कि यह विश्व का मत है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो विश्व राजनीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति रखता है।

अपनी विदेश नीति में, भारत की इच्छा है कि विश्व के देशों को भविष्य को देखना चाहिए और तद्नुसार कार्य करना चाहिए। युद्ध आखिरी शस्त्र अथवा अन्त नहीं हो सोवियत संघ के महान अक्तूबर क्रान्ति के दौरान, उस देश के नेताओं ने कहा था कि वे शान्ति चाहते हैं। वे वास्तव में शान्ति के लिए कार्य करते हैं। उनकी वर्षों तक उपेक्षा की गई। परन्तु अन्तोगत्वा इतिहास ने उन्हें सबक दिया जिन्होंने शान्ति के इस आह्वान की उपेक्षा करने का प्रयास किया। आखिरकार, उन्हें स्वीकार करना पड़ा और उनका अनुसरण करना पड़ा। इसलिए, एक सप्ताह, दस दिन अथवा 20 दिन की अल्पावधि में अनेक देशों ने उनका अनुसरण किया।

यह वास्तविकता है। यह 'सत्य' है। जिसके विषय में मैंने पहले कहा था। यह "सत्य" है

[श्री ए० टी० पाटिल]

क्योंकि यह लोगों के हित में है। केवल यही लोगों के हित में है। अतः भारत चाहता है कि विभिन्न देश और शक्ति गुट इस सत्य को देखें; युद्ध सत्य नहीं है शान्ति ही सत्य है, क्योंकि शांति सम्पूर्ण विश्व के हित में है। अतः भारत चाहता है कि युद्ध की इस दुर्भावना को समाप्त किया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के दिन से ही हम यह चाहते रहे हैं कि शान्ति होनी चाहिए। तभी से हमने इसके लिए प्रयास किए हैं। भारत की शान्ति की आवाज को अधिकांश सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में सुना गया। उदाहरणार्थ, मध्य पूर्व अफ्रीका, प्रशान्त महासागर क्षेत्र और सभी अन्य स्थानों में युद्ध के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि भारत की आवाज, अर्थात् शान्ति के आह्वान को इज्जत दी जाती है।

ऐसा इसबिए नहीं कि भारत को अध्यक्षता ऐसे ही दे दी गई है ; अथवा इसलिए कि इसे किसी को दिया जाना चाहिए था, यह हमें दी गई है। ऐसा नहीं है। यह विवेकशील विचारों और अन्तर्ज्ञान के द्वारा है। अर्थात् लम्बे समय से विवेकशील विचारों से विकसित अन्तर्ज्ञान के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि भारत और केवल भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का, प्रगतिशील अथवा प्रगतिशील सफल मार्ग पर नेतृत्व कर सकता है। उस विश्वास के कारण ही भारत को नेतृत्व मिला है।

हमारी प्रधान मन्त्री को नेतृत्व मिला है। अपनी प्रधान मन्त्री की योग्यताओं अथवा अन्यथा के विषय में कहने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि वे अब अभिव्यक्ति से परे हैं। अब किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी प्रधान मन्त्री ऐसी हैं अथवा वैसी है ; यह आवश्यक नहीं है यह अच्छा होगा कि हम अपनी प्रधान मन्त्री के विषय में बात न करें क्योंकि विश्व उन्हें जानता है। हमारी प्रधान मन्त्री के बारे में बोलने और ऐसी अभिव्यक्ति करने की समझ हमारी कहां है ? इसलिए, यह बेहतर होगा कि हम चुप रहें और हमारी प्रधान मन्त्री द्वारा बनाए गये रास्ते का विश्वासपूर्वक अनुसरण करें। कुछ लोग इस तथ्य को स्वीकार करें अथवा न करें, परन्तु इसे शेष विश्व और पूरे विश्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, भारत चाहता है कि विश्व के राष्ट्र भविष्य को देखें और तदनुसार कार्य करें और युद्ध बन्द कर दें भारत ने इस दिशा में सफल प्रयास किये हैं। हिन्द महासागर के सैनिकीकरण पर भारत के साथ-साथ अधिकांश सभी तटीय देश चिन्तित हैं। कोई नहीं चाहता कि हिन्द महासागर को सैनिक क्षेत्र बना दिया जाए। हम शान्ति चाहते हैं; हम युद्ध नहीं चाहते हैं ; और दुर्भाग्यवश युद्ध ही, जो खतरनाक युद्ध है, पूरी मानवता का विनाश करेगा। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है; यह आणविक युद्ध है जिसकी साधारण आणविक अस्त्रों की क्षमता से 20,50,00 लाख गुना विनाश करने की क्षमता है। यदि युद्ध छिड़ गया, तो यह आवश्यक नहीं कि यह तीन या पाच या 10 या अधिक वर्षों तक चलेगा। एक दिन अथवा एक घण्टे, अर्थात् कम-से-कम

सम्भावित समय में युद्ध समाप्त हो जाएगा। और इसमें पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शेष विश्व नष्ट हो जाएगा, बल्कि वे स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। यह बिल्कुल भस्मासुर की तरह है। यह किसी को भी गिराना या बरबाद करना आरम्भ कर देता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे युद्ध में, कोई विजेता अथवा पराजित नहीं होगा।

श्री ए० टी० पाटिल : हर कोई समाप्त हो जाएगा। इसमें विजेता होने का कोई भी प्रश्न नहीं है। स्थिति यह है। इसलिए, यह बेहतर होगा कि विश्व युद्ध आरम्भ होने की भारत की चिन्ता को समझें और हिन्द महासागर से सैनिक अड्डे हटाने की बात को भी समझें।

एक और निवेदन करना आवश्यक है, जिसके द्वारा भारत शेष राष्ट्रों से उनकी बेइज्जती किए बिना ऊंचा हो जाता है और वह विकासशील देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिक में भागीदारी करने की भारत की इच्छा है। अब विकासशील और अविकसित देशों के साथ भागीदारी करने की हमारी इच्छा हमारे मूल दर्शन के अनुरूप हैं, जिसे हमने आरम्भ में प्रस्तुत किया था अर्थात्, सत्य वहां रहता है जहां लोगों की भलाई हो। इन अविकसित और विकासशील देशों, तथाकथित पिछड़े राष्ट्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में हमारे अनुसंधानों अथवा जानकारी के प्रसार से हम उन्हें ऊपर उठा रहे हैं ; हम उन लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं और इससे अपनी भी भलाई कर रहे हैं। (**व्यवधान**) हमारा अध्ययन यह है। यही मैंने कहा है यह हमारी परम्परा के अनुरूप है ; ऐसा इसलिए कि भारत विकासशील राष्ट्रों में से पहला और एकमात्र राष्ट्र है जो पिण्डों को खोजने अथवा उन पर अनुसंधान करने के लिए महासागर-तल में पहुंच गया है।

भारत विकासशील राष्ट्रों में से एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने शेष अल्प विकसित और अविकसित देशों के साथ अपनी प्रौद्योगिकी का हिस्सा बंटाने की इच्छा प्रकट की है। ऐसा ही मामला अन्टार्टिका में भारतीय प्रयोगों के विषय में है। भारत अल्पविकसित और अविकसित देशों के साथ इन अनुसंधानों के परिणाम बंटाने को तैयार है। इसने भारत को हमारे उन बन्धु राष्ट्रों का दिलोजान से प्यारा बना दिया है जो अल्पविकसित और अविकसित हैं। इस प्रकार भारत ने विश्व राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, परन्तु इससे भारत ने शेष विश्व, विशेष रूप से अल्पविकसित और अविकसित विश्व, के प्रति भारी उत्तरदायित्व निभाने का जिम्मा ले लिया है। निःसन्देह, समस्याएं हैं—अपने पड़ौसियों के साथ समस्याएं हैं। मेरे माननीय मित्र ने श्रीलंका में तमिलभाषियों की समस्या के सम्बन्ध में कुछ कहा था। कुछ हद तक बंगला देश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन के साथ भी समस्याएं हैं। परन्तु हम उन्हें सुलझाने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। यह लगता है कि हम समय ले रहे हैं। परन्तु यह एक व्यक्ति अथवा एक ओर का मामला नहीं है ; यह द्विपक्षीय मामला है। जब तक दूसरा पक्ष ऐसी ही समझदारी न करें और ऐसी ही शीघ्रता न दिखाएं, तब तक मामला शीघ्र नहीं सुलझ सकता। परन्तु मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करे कि समस्याओं को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा कल पूरी की जाएगी और कल ही मन्त्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे ।

अब सभा कल 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 मार्च, 1983/ 3 चैत्र, 1905 (शक) के ग्यारह बजे प्रात: तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्कस, रामचन्द्र देहलवी मार्ग, चांदनी चौक, दिल्ली-110006

P.L.S. 48/35.20.83 (N)
210

© 1983 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा-सचिवालय द्वारा
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।